सप्तम , खंड 4, अंक 1, सोमवार, 9 जून, 1980/19 ज्येष्ठ, 1902 (शक)

67/10HC D3

67/10HC

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(तीसरा सत्र)

(खंड 4 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपए

लोक सभा वाद-विवाद का हिन्दी संस्करण

दिनांक 9 जून, 1980/19 ज्येष्ठ, 1902 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 12, पंक्ति 8 में "श्री त्रिदिव" के स्थान पर "श्री त्रिदिव चौधरी" पढ़िये।

पृष्ठ 22, पंक्ति 15 में "कार्यकाल" के स्थान पर "कराइकल" पढ़िये।

पृष्ठ 22, नीचे से पंक्ति 7 में "श्री जय नारायण रोट" के स्थान पर "श्री जय नारायण रोत" पढ़िये।

पृष्ठ 208, पाद टिप्पण में "भाषा" के स्थान पर "भाषण" पढ़िये।

पृष्ठ 232, पंक्ति 3 में "सिलटर" के स्थान पर "सिलचर" पढ़िये।

पृष्ठ 248, पंक्ति 7 में "श्री पी0ए0 संगमार" के स्थान पर "श्री पी0ए0 संगमा" पढ़िये।

पृष्ठ 249, अंतिम पंक्ति में "प्रो0 मधु दंडयते" के स्थान पर "प्रो0 मधु दंडवते" पढ़िये।

विषय सूची

सप्तम माला, खण्ड चार, तीसरा सत्र, 1980

अंक 1 सोमवार, 9 जून, 1980/19 ज्येष्ठ 1902 (शक)

विषय		पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख		1-15
नये मंत्रियों का परिचय		15-16
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		16-178
*तारांकित प्रश्न संख्या	1 से 20	16-38
अतारांकित प्रश्न संख्या	1 से 19, 21 से 99 तथा 101 से 161	38-178
अल्मोड़ा जिले में हरिजनों पर अत्याचार के बारे में ..		179-180
असम की स्थिति पर स्थगन प्रस्ताव के बारे में		180-181
सत्र की पूर्व संध्या पर कुछ पैट्रोलियम उत्पादों की मूल्य-वृद्धि के बारे में		181-187
सभा पटल पर रखे गये पत्र		187-189
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		189-196/197-207
देश में बिजली की भारी कमी		
श्री जनार्दन पुजारी		189
श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी		190
श्री के० ए० राजन		197
श्रीमती गीता मुखर्जी		200
श्री गुलाम रसूल कोचक		204
श्री कृष्ण प्रताप सिंह		206
उत्तर रेलवे लोको रनिंग कर्मचारियों के आन्दोलन के बारे में वक्तव्य		196-197
सदस्य द्वारा त्याग-पत्र		207
श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा		
नियम 377 के अधीन मामले		207-210
(एक) ग्रामीण जनता को बैंकों से ऋण सुविधा		
श्री रामावतार शास्त्री		207
(दो) हाल ही के विधान सभा चुनावों में हिंसा की घटनायें		
प्रो० मधु दंडवते		208
(तीन) आसनसोल डिवीजन में नैमेत्तिक गैंगमैनों की छंटनी किये जाने के समाचार		
श्री समर मुखर्जी		208

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(चार) केरल के मालाबार क्षेत्र में और अधिक रेल गाड़ियां चलाये जाने की आवश्यकता	
श्री वी० एस० विजय राघवन	208
(पांच) अखिल भारतीय प्रशिक्षु संघ के सदस्यों द्वारा क्रमिक भूख हड़ताल करने के समाचार	
श्री इन्द्रजीत गुप्त	209
असम के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा जारी रखने सम्बन्धी सांविधिक संकल्प	210-252
श्री जेल सिंह	210-212
श्री बीजू पटनायक	212-217
श्री एच० के० एल० भगत	217-223
श्री समर मुखर्जी	223-232
श्री संतोष मोहन देव	232-257
श्री फ्रैंक एंथनी	2³7-241
श्री इन्द्रजीत गुप्त	241-248
श्री पी० ए० संगमा	248-252
कार्य-मंत्रणा समिति	
चौथा प्रतिवेदन-प्रस्तुत	

लोक सभा के लिये निर्वाचित सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

सप्तम लोक सभा

अ

अंकिनीडू, श्री एम० (मछलीपटनम)
अंकिनीडू, प्रसाद राव, श्री पी० (बापतला)
अग्रवाल, श्री सतीश (जयपुर)
अजीत प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अनवर अहमद, श्री (हापुड़)
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद (बिलासपुर)
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस० (अनकापल्ली)
अब्दुल समद, श्री (वैल्लोर)
अब्दुल्ला, डा० फारूक (श्रीनगर)
अब्बासी, श्री काजी जलील (डुमरिया गंज)
अमरीन्द्र सिंह, श्री (पटियाला)
अर्जुनन, श्री के० (धर्मपुरी)
अराकल, श्री जेवियर (एरनाकुलम)
अरुणाचलम, श्री एम० (टेंकासी)
अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस (नरसापुर)
अशफाक, हुसैन, श्री (महाराज गंज)
अहमद, श्री मोहम्मद असरार (बदायूं)
अहमद, श्री कमालुद्दीन (वारंगल)

आ

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)
आजमी, श्री ए० यू० (जौनपुर)
आजाद, श्री गुलाम नबी (वाशिम)
आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आर्य, श्री कुम्भा राम (सीकर)

इ

इन्द्रवेश, स्वामी (रोहतक)
इन्द्राकुमारी श्रीमती (अलीगढ़)
इम्बीचीबाबा, श्री ई० के० (कालीकट)

ई

ईरा अनबारासु, श्री (चिंगलपट्टू)
ईरा, मोहन श्री (कोयम्बटूर)

उ

उइके, श्री छोटे लाल (मांडला)
उन्नीकृष्णन्, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)

ए

एंथनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित-आंग्ल-भारतीय)
एक्का, श्री क्रिस्टोफर (सुन्दरगढ़)

ओ

ओडेदरा, श्री मालदेव जी० एम० (पोरबंदर)

क

कंडास्वामी, श्री एम० (तिरुचगोडे)
कर्ण सिंह, डा० (उधमपुर)
कमलनाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)
कमला कुमारी, कुमारी (पलामू)
कर्मा, श्री लक्ष्मण (बस्तर)
करुणानिधि, श्री थाभाई० एम० (नागापट्टिनम्)
कलानिधि, डा० ए० (मद्रास मध्य)
कश्यप, श्री जयपाल सिंह (आंवला)
काजी सलीम, श्री (औरंगाबाद)
कादरी, श्री एस० टी० (शिमोगा)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काहनडोल, श्री जैड० एम० (मालेगांव)
किदवई, श्रीमती मोहसिना (मेरठ)
कुचन, श्री गंगाधर एस० (शोलापुर)
कुंवर राम, श्री (नवादा)
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री (अमालापुरम)
कुन्हम्बू, श्री के० (कन्नानोर)
कुरियन, प्रो० पी० जे० (मवेलीकारा)
कुलनदईवेलु, डा० वी० (चिदम्बरम)
कृष्ण, श्री एस० एम० (माण्डया)
कृष्ण दत्त, श्री (शिमला)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री (महाराजगंज)

केयर भूषण, श्री (रायपुर)
कैलाशपति, श्रीमती (मोहनलाल गंज)
कोचक, श्री गुलाम रसूल (अनन्तनाग)
कोडियन, श्री पी० के० (अडूर)
कोसलराम, श्री के० टी० (तिरुचेन्दूर)
कौशल, श्री जगन्नाथ (चंडीगढ़)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)

ख

खां, श्री आरिफ मोहम्मद (कानपुर)
खां, श्री गयूर अली (मुजफ्फरनगर)
खां, श्री जुल्फिकार अली (रामपुर)
खां, श्री मलिक एम० एम० ए० (एटा)
खां, श्री महमूद हसन (बुलंदशहर)
खां, श्री मिसर यार बरेली)

ग

गंगवार, श्री हरीश कुमार (पीलीभीत)
गधावी, श्री भेरावदन के० (बनासकांठा)
गामित, श्री छीतूभाई (माण्डवी)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गहलोत, श्री अशोक (जोधपुर)
गांधी, श्रीमती इंदिरा (मेडक)
गांधी, श्री संजय (अमेठी)
गाडगिल, श्री वी० एन० (पुणे)
गायकवाड़, श्री उदय सिंह राव (कोल्हापुर)
गायकवाड़, श्री आर० पी० (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (कैराना)
गिरि, श्री सुधीर (कन्टई)
गिरिराज सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
गुफरान आजम, श्री (बेतुल)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (बसिरहाट)
गुलशेर अहमद श्री (सतना)
गुलाम मोहम्मद रंग श्री (मुरादाबाद)
गोआगिन, श्री एन० (बाह्य० मणिपुर)
गोपालन, श्रीमती सुशीला (अलप्पी)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोयल, श्री कृष्ण कुमार (कोटा)
गोहिल, श्री जी० बी० (भावनगर)

गौडर, श्री एन० सेनापति (पलानी)
गौडा, श्री एच० एन० नन्जे (हसन)
गोंडा, श्री डी० एम० पुत्ते (चिकमगलूर)

घ

घोरपाड़े, श्री आर० वाई० (बेल्लारी)
घोष, श्री निरेन (दमदम)
घोष, श्रीमती विभा गोस्वामी (नवद्वीप)

च

चन्द्रपाल सिंह, श्री (अमरोहा)
चन्द्रशेखर, श्री (बलिया)
चन्द्रशेखर सिंह, श्री (बांका)
चक्रधारी सिंह, श्री (सरगुजा)
चक्रवर्ती श्री सत्यसाधन (कलकत्ता दक्षिण)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (जादवपुर)
चतुर्भुज, श्री (झालावाड़)
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती (खजुराहो)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी० (दावनगेरे)
चरणजीत सिंह, श्री (दक्षिण दिल्ली)
चरण सिंह, श्री (बागपत)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चव्हाण, श्री एस० बी० (नांदेड़)
चावड़ा, श्री ईश्वर भाई खोंड़ा भाई (आनंद)
चिंगयाग, श्री कोनयक (नागालेंड)
चिन्नास्वामी, श्री सी० (गोबिचेट्टिलयम)
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या (विजयवाड़ा)
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान (माल्दा)
चौधरी, श्री के० बी० (बीजापुर)
चौधरी, श्री चितुरी सुब्बाराव (एलुरु)
चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश (अमरावती)
चौधरी, श्री मनफूलसिंह (बीकानेर)
चौधरी, श्री मोतीभाई आर० (मेहसाना)
चौधरी, श्री सैफुद्दीन (कटवा)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहामपुर)
चौबे, श्री नारायण (मिदनापुर)
चौहान, श्री फतेहभान सिंह (धार)

छ

छांगुर राम, श्री (लालगंज)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जगपाल सिंह, श्री (हरिद्वार)
जाखड़, श्री बलराम (फिरोजपुर)
जाटिया, श्री सत्यानारायण (उज्जैन)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (बंगलौर उत्तर)
जदेजा, श्री दौलतसिंह जी (जामनगर)
जमीलुर्रहमान, श्री (किशनगंज)
जयदीपसिंह, श्री (गोधरा)
जयनारायण रौत, श्री (सलूम्बर)
जायनल अबेदिन, श्री (जंगीपुर)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहांपुर)
जेठमलानी, श्री राम (बम्बई उत्तर पश्चिम)
जेना, श्री चिंतामणि (बालासोर)
जैन, श्री भीकूराम (चांदनी चौक)
जैन, श्री विरधी चन्द्र (बाड़मेर)
जैनुल बशर, श्री (गाजीपुर)
जेल सिंह, श्री (होशियारपुर)

झ

झा, श्री कमलनाथ (सहरसा)
झा, श्री योगेन्द्र (मधुबनी)
झारखंडेराय, श्री (घोसी)

ट

टन्डन, श्री प्रभुनारायण (दमोह)
टाईटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)
टुडु श्री मनमोहन (मयूरगंज)

ठ

ठाकुर, श्री शिवकुमार सिंह (खंडवा)

ड

डागा, श्री मूलचन्द (पाली)
डामोर, श्री सोमजी भाई (दोहद)
डूंगरसिंह, श्री (हमीरपुर)
डेनिस, श्री एन० (नागरकोइल)
डोगरा, श्री गिरधारी लाल (जम्मू)

त

तपेश्वरसिंह, श्री (बिक्रमगंज)
तारिक अनवर, श्री (कटिहार)
तिरकी, श्री पीयूष (अलीपुरद्वार)
तिवारी, श्री के० के० (बक्सर)
तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि (बलरामपुर)
तिवारी, श्री नारायण दत्त (नैनीताल)
तिवारी, रामगोपाल (जंजगीर)
तुर, श्री लहनासिंह (तरनतारन)
तेइयेंग, श्री सोबेंग (अरुणाचल पूर्व)
टैयब हुसैन, श्री (फरीदाबाद)

थ

थामस, श्री स्कारिया (कोट्टायम)
थुंगोन, श्री पी० के० (अरुणाचल पश्चिम)
थोरट, श्री भाऊसाहिब (पंढरपुर)

द

दंडवते, श्रीमती प्रमिला (बम्बई उत्तर मध्य)
दंडवते, प्रो० मधु (राजापुर)
दलबीर सिंह, श्री (शहडोल)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दंडपाणि, श्री सी० टी० (पोल्लाची)
दाभी, श्री अजीतसिंह (कैरा)
दास, श्री अनादि चरण (जन्जपुर)
दास, श्री रेणुपद (कृषनगर)
दिग्विजय सिंह, श्री (सुरेन्द्रनगर)
दिगम्बर सिंह, श्री (मथुरा)
दुबे, श्री बिन्देश्वरी (गिरिडीह)
दुबे, श्री रामनाथ (बांदा)
देव, श्री बी० किशोरचन्द्र एस० (पार्वतीपुरम)
देव, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)
देवराजन, श्री बी० (रसिपुरम)
देवीलाल, श्री (सोनीपत)
देसाई, श्री बी० वी० (रायचूर)

ध

धोटे, श्री जाम्बुवंत (नागपुर)

न

नन्दी येल्लैया, श्री (सिद्दीपटी)
नगीना राय, श्री (गोपालगंज)

नगनगोम मोहेन्द्रा, श्री (आंतरिक मणिपुर)
नटराजन, श्री कुमबुम एन० (पोरियाकुलम)
नाईक, श्री सरूपसिंह हिरया (नानदरबार)
नागररत्नम श्री टी० (श्री पेरंबदूर)
नायर, श्री बी० के० (क्वीलोन)
नायकर, श्री डी० के० (धारवाड़ उत्तर)
नायक, देवराय, श्री जी० (कनारा)
नायक, श्री मृत्युंजय (फूलबनी)
नायडू, श्री पी० राजगोपाल (चित्तुर)
नारायण, श्री के० एस० (हैदराबाद)
नाहटा, श्री बी० आर० (मन्दसौर)
निखरा, श्री रामेश्वर (होशंगाबाद)
निहाल सिंह, श्री (आगरा)
निहाल सिंह, श्री (चन्दौली)
निहाल सिंह, वाला श्री जी० एस० (संगरूर)
नीलालोहिथासन श्री ए० (त्रिवेन्द्रम)
नेगी, श्री टी० एस० (टिहरी गढ़वाल)
नेताम, श्री अरविन्द (कांकेर)
नेहरू, श्री अरुण कुमार (रायबरेली)

प

पंडित, डा० बसन्त कुमार (राजगढ़)
पटनायक, श्री जानकी वल्लव (कटक)
पटनायक, श्री बीजू (केन्द्रपाड़ा)
पट्टाभिरामा राव, श्री एस० बी० पी० (राजामुन्द्री)
पत्तुस्वामी, श्री डी० (वन्डावाशी)
पटेल, श्री अमृत (गांधीनगर)
पटेल, श्री अहमद मोहम्मद (भड़ोच)
पटेल, श्री उत्तमभाई ह० (बलसार)
पटेल, श्री सी० डी० (सूरत)
पटेल, श्री मोहन भाई (जूनागढ़)
पटेल, श्री शान्तुभाई (साबरकंठा)
पदायाची, श्री एस० एस० रामास्वामी (तिडीनिम)
पनिका, श्री राम प्यारे (राबर्टसगंज)
पदमार, श्री हीरालाल आर० (भाटन)
पराशर, प्रो० नारायण चन्द्र (हमीरपुर)
परुलेकर, श्री बापूसाहिब (रत्नागिरि)
पलानीअप्पन, श्री सी० (सलेम)
पवार श्री बालासाहिब (जालना)

पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (बयाना)
पाइलट, श्री राजेश (भरतपुर)
पाटिल, श्री ए० टी० (कोलाबा)
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे (अहमदनगर)
पाटिल, श्री बसन्तराव (सांगली)
पाटिल, श्री विजय एन० (इरन्दोल)
पाटिल, श्री शिवराम जी० (लातूर)
पाटिल, श्री शंकरराव (बारामती)
पाटिल, श्री उत्तमराव (यवतमाल)
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री वीरेन्द्र (बागलकोट)
पाठक, श्री आनन्द (दार्जिलिंग)
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र (खलीलाबाद)
पांडे, श्री केदार (बेतिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पार्थसार्थी, श्री पी० (राजमपेट)
पारधी, श्री केशवराव (भंडारा)
पाल, प्रो० रूपचन्द (हुगली)
पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)
पुजारी, श्री जनार्दन (मंगलौर)
पुलैया, श्री दारूर (अनन्तपुर)
पुष्पादेवी सिंह, कुमारी (रायगढ़)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रभु, श्री आर० (नीलगिरि)
प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन० (चिकबल्लापुर)
प्रेमी, श्री मंगलराम (बिजनौर)
पेंचालैया, श्री (तिरुपति)

फ

फोटदुखे, श्री शान्ताराम (चन्द्रपुर)
फर्नांडीज, श्री ओस्कर (उदीपी)
फर्नांडीज, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर)
फुलवारिया, श्री बिरदा राम (जालोर)
फैलीरो, श्री एडुआर्डो (मारमागाओ)

ब

बनातवाला, श्री जी० एम० (पोन्नानी)
बन्सीलाल, श्री (भिवानी)
बर्मन, श्री पलाश (बलूरघाट)
बखा, श्री बनवारी लाल (टोंक)

बरवे, श्री जे० सी० (रामटेक)
बार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर (फरीदकोट)
बरोट, श्री मगनभाई (अहमदाबाद)
बहेरा, श्री रास बिहारी (कालाहांडी)
बसु, श्री चित्त (बारसाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बागड़ी. श्री मनीराम (हिसार)
बागुन, सुम्बरूई श्री (सिंहभूम)
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी (सीतापुर)
बालन, श्री ए० के० (अट्टोपालम)
बालानन्दन, श्री ई० (मकुन्दपुरम)
बालेश्वर राम, श्री (रोसेड़ा)
बीरबल, श्री (गंगानगर)
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री (मेहेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बृजेन्द्र पाल सिंह, श्री (सम्भल)
बैठा, श्री डूमरलाल (अररिया)
बैरो, श्री ए० ई० टी० (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय)
बोड्डेपल्ली, श्री राजगोपालराव (श्रीकाकुलम)

भ

भक्त, श्री मनोरंजन (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह)
भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (सीतामढ़ी)
भगवान देव, श्री (अजमेर)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री सुशील (बर्दवान)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भारद्वाज, श्री परसराम (सारंगढ़)
भीखा, भाई, श्री (बांसवाड़ा)
भीमसिंह, श्री (झुन्झुनु)
भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)
भोई, डा० कृपासिंधु (सम्बलपुर)
भोये, श्री रेशमा मोतीराम (धुले)
भोले, श्री आर० आर० (बम्बई दक्षिण-मध्य)

म

मंडल, श्री मकुन्द (मथुरापुर)
मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मकवाना, श्री नरसिंह (धंधुका)
मंडल, श्री धनिकलाल (झंझारपुर)
मणि, श्री के० बी० एस० (पेरम्बलूर)
मधुकर, श्री कमला मिश्र (मोतिहारी)
मन्नीलाल, श्री (हरदोई)
माधुरी सिंह, श्रीमती (पुर्णिया)
मालन्ना, श्री के० (चित्रदुर्ग)
मावणि, श्री रामजी भाई (राजकोट)
मलिक, श्री लक्ष्मण (जगतसिंहपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (महबूबनगर)
मसुदल हुसैन, श्री सैयद (मुर्शिदाबाद)
महन्ती, श्री बृजमोहन (पुरी)
महाजन, श्री वाई० एस० (जलगांव)
महाजन, श्री विक्रम (कांगड़ा)
महाटा, श्री चित्त (पुरुलिया)
महाबीर प्रसाद, श्री (बांसगांव)
महालगी, श्री आर० के० (ठाणे)
महाला, श्री आर० पी० (दादरा तथा नगर हवेली)
महेन्द्र प्रसाद, श्री (जहानाबाद)
माने, श्री आर० एस० (इचलकरांजी)
मायातेवर, श्री के० (डिन्डिगल)
मार्तण्डसिंह, श्री (रीवा)
मल्लु, श्री ए० आर० (नगरकुरनूल)
मिश्र, नित्यानन्द (बोलनगीर)
मिश्र, श्री राम नगीना, (सलेमपुर)
मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)
मिश्र, श्री हरिनाथ (दरभंगा)
मिश्र, श्री गार्गीशंकर (सिवनी)
मीणा, श्री राम कुमार (सवाई माधोपुर)
मिर्धा, श्री नाथू राम (नागौर)
मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मुखोपाध्याय, श्री आनन्दगोपाल (आसनसोल)
मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद (बहराइच)
मुबारक शाह, श्री ख्वाजा (बारामूला)
मुत्तेमवार, श्री विलास (चिमूर)
मुथुकुमारन, श्री आर० (कुड्डालोर)
मुन्डाकल, श्री जार्ज जोसफ (मुवत्तुपुजा)

मुरुगैयन, श्री एस० (तिरुपत्तूर)
मुल्तान सिंह, चौधरी (जलेसर)
मूर्ति, श्री एम० बी चन्द्रशेखर (कनकपुरा)
मूर्ति, श्री एम० राजशेखर (मैसूर)
मेहता, प्रो० अजित कुमार (समस्तीपुर)
मेहता डा० महपति राय एम० (कच्छ)
मैत्रा, श्री सुनील (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मोतीलाल सिंह, श्री (सीधी)
मोदक, श्री विजय (आरामबाग)
मोरे, श्री रामकृष्ण (खेड़)
मोहम्मद इस्माइल, श्री (बैरकपुर)
मोहिते, श्री यशवन्तराव (कराड़)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)

य

याजदानी, डा० गोलाम (रायगंज)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री छोटे सिंह (कन्नौज)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव श्र ओार० एन० (परमणी)
यादव, श्री रामसिंह (अलवर)
यादव, श्री विजय कुमार (नालन्दा)
यादव, श्री सुभाष चन्द्र (खरगोन)
युसुफ, श्री मोहम्मद (सिवान)

र

रंगा, प्रो० एन० जी० (गुन्टूर)
रवाणी, श्री नवीन (अमरेली)
रशीद मसूद, श्री (सहारनपुर)
रहीम, श्री ए० ए० (चिरयिकिल)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राकेश, श्री आर० एन० (चैल)
राजदा, श्री रत्नसिंह (बम्बई दक्षिण)
राजन, श्री के० ए० (त्रिचूर)
राजामल्लू, श्री के० (पेद्दापलिल)
राजू, श्री० पी० बी० जी० (बोबिली)
राजेश कुमार सिंह, श्री (फिरोजाबाद)
रणजीत सिंह, (चतरा)

रणवीर सिंह, श्री (केसरगंज)
रथ, श्री रामचन्द्र (आस्का)
राठवा, श्री अमरसिंह भाई छोटा उदयपुर)
राठौर, श्री उत्तम (हिंगोली)
राणे, श्रीमती संयोगिता (पाणाजी)
राम अवध, श्री (अकबरपुर)
रास, श्री रामस्वरूप (गया)
रामकिंकर, श्री (बाराबंकी)
रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई (मयूरम)
रामामूर्ति, श्री के० (कृष्णगिरि)
रामुलू, श्री एच० जी० कोपुपल)
राय, श्री ए० के० (धनबाद)
राय, श्री एम० रामन्ना (कासरगोड)
राय, श्री रामायण (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राय प्रधान, श्री अमर (कूच बिहार)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, श्री जगन्नाथ (बरहामपुर)
राव, श्री जलगांम कोन्डाला (खम्मम)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द (भद्राचलम)
राव, श्री रम० नागेश्वर (तेनाली)
राव, श्री पी० वी० नरसिंह (हनमकोंडा)
रावत, श्री हरीश (अलमोड़ा)
राही, श्री रामलाल (मिसरिख)
रियान, श्री बाजूवन (त्रिपुरा पूर्व)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० ओबुल (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द (नरसारवपेट)
रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर (कुरनूल)
रेड्डी, श्री जी० एस० (मिरयालगुडा)
रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री टी० दामोदर (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दुपुर)
रेड्डी, श्री पी० वेंकट (ओंगोल)
रोथुआमा, डा० आर० (मिजोरम)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)

लक्ष्मन् श्री जी० मद्रास उत्तर)
लास्कर, श्री निहार रंजन (करीमगंज)
लारेंस श्री एम० एम० (इदुक्की)

व

व्यास, श्री गिरधारी लाल (भीलवाड़ा)
वर्मा, श्री चन्द्रदेव प्रसाद (आरा)
वर्मा, श्री जयराम (फैजाबाद)
वर्मा, श्री फूलचन्द (शाजापुर)
वर्मा, श्रीमती ऊषा (खेरी)
वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह (मैनपुरी)
वर्मा, श्री रवीन्द्र (बम्बई उत्तर)
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद (कोडरमा)
वर्मा, श्री शिवशरण (मछलीशहर)
वाघ, डा० प्रताप (नासिक)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (नई दिल्ली)
वायरले, श्री मधुसूदन (अकोला)
वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र (बुलढ़ाना)
विजयराघवन, श्री वी० एस० (पालघाट)
विश्वनाथ प्रतापसिंह श्री (इलाहाबाद)
विश्वास, श्री अजय (त्रिपुरा पश्चिम)
वेंकटरामन, श्री आर० (मद्रास दक्षिण)
वेंकटसुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेलु श्री ए० एम० (अर्कोनम)

श

शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी (चित्तोड़गढ़)
शनमुगम, श्री पी० (पांडिचेरी)
शमन्ना, श्री टी० आर० (बंगलोर दक्षिण)
शर्मा, श्री कालीचरण (भिण्ड)
शर्मा, श्री चिरंजीलाल (करनाल)
शर्मा श्री नन्द किशोर (बालाघाट)
शर्मा, श्री नवल किशोर (दौसा)
शर्मा श्री प्रताप भानु (विदिशा)
शर्मा श्री मुन्दर (जबलपुर)
शर्मा, श्री विश्वनाथ (झांसी)
शर्मा, डा० शंकरदयाल (भोपाल)
शाक्य, श्री दयाराम (फर्रुखाबाद)
शाक्य, श्री रामसिंह (इटावा)

शाक्यवार, श्री नाथुराम (जालौन)
शास्त्री, श्री धर्मदास (करोलबाग)
शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर (सैदपुर)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण (फतेहपुर)
शिगडा, श्री डी० बी० (दहानू)
शिवप्रकाशम, श्री डी० एस० ए० (तिरुनेलवेली)
शिवशंकर, श्री पी० (सिकन्दराबाद)
शिवेन्द्र बहादुर सिंह श्री (राजनन्दगांव)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमुन्द)
शेजवलकर, श्री एन० के० (ग्वालियर)
शैलानी, श्री चन्द्रपाल (हाथरस)
श्री निवास प्रसाद, श्री वी० (चामराजनगर)

ष

षाडंगी, श्री रुद्र प्रताप (जमशेदपुर)

स

संखवार, श्री आशकरण (घाटमपुर)
संगमा, श्री पी० ए० (तुरा)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षदीप)
सज्जन कुमार, श्री (बाह्य दिल्ली)
स्टीफन, श्री सी० एम० (गुलबर्गा)
सत्यदेवसिंह, प्रो० (छपरा)
सतियेन्द्रन, श्री एम० एस० के (रामनाथपुरम)
सतीश प्रसाद सिंह श्री (खगरिया)
स्पैरो, श्री आर० एम० (जालन्धर)
समीनुद्दीन, श्री (गोड्डा)
साठे, श्री वसन्त (वर्धा)
सारण, श्री दौलतराम (चुरू)
सावंत, श्री टी० एम० (उस्मानाबाद)
साहा, श्री अजित कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (बीरभूल)
साही, श्रीमती कृष्णा (बंगूसराय)
साहू, श्री नारायण (देवगढ़)
साहू, श्री शिवप्रसाद (रांची)
सिंगारावदीवेल, श्री एस० (तंजावुर)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिन्हा, श्रीमती किशोरी (वैशाली)
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी (शिवहर)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)

सिंह, श्री धर्मवीर (बाढ़)
सिंह, श्री सी० पी० एन० (पदरौना)
सिंह, डा० बी० एन० (हजारीबाग)
सिंह, श्री धर्मगंज (शाहबाद)
सिंह, श्री बी० डी० (फूलपुर)
सिंह देव, श्री के० पी० (ढकानाल)
सिदनाल, श्री एस० बी० (बेलगाम)
सुखबन्स कौर, श्रीमती (गुरदासपुर)
सुखाड़िया, श्री मोहन लाल (उदयपुर)
सुन्दरराजन, श्री एन० (शिवकाशी)
सुन्दरसिंह, श्री (फिल्लौर)
सुब्बा, श्री पी० एम० (सिक्किम)
सुब्बुरमण, श्री ए० जी (मदुरै)
सूरजभान, श्री (अम्बाला)
सूर्यनारायण, सिंह श्री (बलिया)
सूर्यवंशी, श्री नरसिंहराव (बीदर)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (मंजेरी)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेठी, श्री पी० सी० (इन्दौर)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, श्री सुबोध (जलपाईगुड़ी)
सेबस्तियान, श्री एस० ए० दोराई (करूर)
सेलवाराजू, श्री एन० (तिरुचिरापल्ली)
सैनी, श्री मनोहरलाल (कुरुक्षेत्र)
सोनकर, श्री कल्पना (बस्ती)
सोरन, श्री हरिहर (क्योंझर)
सोलंकी, श्री नटवरसिंह (कापड़वंज)
सोलंकी, श्री बाबूलाल (मुरैना)
स्वामी, डा० सुब्रह्मण्यम (बम्बई उत्तर-पूर्व)
स्वामी, श्री के० ए० (विशाखापत्तनम्)
स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (शिवगंगा)
स्वामीनाथन, श्री वी० एन० (पुदुकोट्टई)

ह

हन्नान मोल्लाह, श्री (उलुबेरिया)
हरिकेश बहादुर, श्री (गोरखपुर)
हसदा, श्री मतिलाल (झाड़ग्राम)
हाकमसिंह, श्री (भटिंडा)
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र (दुर्गापुर)

हेमब्रम, श्री सेत (राजमहल)
होरा, श्री एन० ई० (खूंटी)

क्ष

क्षीर सागर, श्रीमती केशरबाई (बीड़)

त्र

त्रिपाठी, श्री कमलापति (वाराणसी)
त्रिपाठी, श्री रामनारायण (बिल्हौर)
त्रिलोकचन्द, श्री (खुर्जा)

———

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री बलराम जाखड़

उपाध्यक्ष

श्री जी० लक्ष्मनन्

सभापति तालिका

श्री गुलशेर अहमद

श्री सोमनाथ चटर्जी

श्री हरिनाथ मिश्र

श्री शिवराम पाटिल

श्री के० राजामल्लू

श्री चन्द्रजीत यादव

सचिव

श्री अवतारसिंह रिखी

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री/वे सभी मंत्रालय विभाग जिनको नीचे निर्दिष्ट नहीं किया गया	...	श्रीमती इंदिरा गांधी
विदेश मंत्री	...	श्री पी० वी० नरसिंह राव
गृह मंत्री	...	श्री जैलसिंह
संचार मंत्री	...	श्री सी० एम० स्टीफन
रेल मंत्री	...	श्री कमलापति त्रिपाठी
वित्त मंत्री	...	श्री आर० वेंकटरामन
ऊर्जा और कोयला मंत्री	...	श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी
वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री	...	श्री प्रणव मुखर्जी
सिंचाई मंत्री	...	श्री केदार पांडे
पैट्रोलियम और रसायन और उर्वरक मंत्री	...	श्री बीरेन्द्र पाटिल
सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	...	श्री वसन्त साठे
निर्माण और आवास मंत्री	...	श्री पी० सी० सेठी
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री	...	श्री पी० शिवशंकर
शिक्षा तथा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री	...	श्री बी० शंकरानन्द
नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	...	श्री ए० पी० शर्मा
नागरिक पूर्ति मंत्री	...	श्री विद्याचरण शुक्ल
संसदीय कार्य मंत्री	...	श्री भीष्म नारायण सिंह
कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री	...	श्री वीरेन्द्रसिंह राव
योजना मंत्री	...	श्री नारायण दत्त तिवारी

राज्य मंत्री

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री	...	श्री टी० अंजय्या
वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	...	श्री जियाउर्रहमान अन्सारी
उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री	...	श्री चरणजीत चानना
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	...	श्री चन्दूलाल चन्द्राकर
संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	...	श्री सीताराम केसरी
स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	...	श्री निहार रंजन लास्कर
ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री	...	श्री विक्रम महाजन
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	...	श्री योगेन्द्र मकवाना

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री	...	श्री कार्तिक उरांव
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	...	श्री सी० के० जाफर शरीफ
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	...	श्री बूटा सिंह
रक्षा मंत्रालय तथा प्रधान मन्त्री के अधीन विभागों में राज्य मंत्रीं	...	श्री स० पी० एन० सिंह
पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री	...	श्री दलबीरसिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	...	श्रीमती राजदुलारी सिन्हा
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	...	श्री आर० वी० स्वामीनाथन
गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	...	श्री पी० वेंकटसुब्बया

उप-मंत्री

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री	...	श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ
वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री	...	श्री मगन भाई बारोत
रेल मन्त्रालय में उपमंत्री	...	श्री मल्लिकर्जुन
विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष विभागों में उपमंत्री	...	श्री विजय एन० पाटिल
उद्योग मन्त्रालय में उपमंत्री	...	श्री पी० वेंकट रेड्डी
पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उपमंत्री	...	श्री० पी० के० थुंगोल

लोक सभा

सोमवार, 9 जून, 1980/19 ज्येष्ठ, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गण आज दो महीने के अंतराल के बाद पुनः मिलते समय मेरा यह कर्त्तव्य है कि सभा को मार्शल जोशिप ब्रोज टीटो, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति, श्री अजीज इमाम; वर्तमान लोक सभा के सदस्य और छः भूतपूर्व संसद सदस्यों अर्थात् सर्व श्री रामानन्द तिवारी, के० चिकलीगैया, जेठा लाल जोशी, शमीम अहमद शमीम, शिव शर्मा, महावीर त्यागी की मृत्यु के बारे में सभा को सूचना है ।

मार्शल टीटो का निधन 4 महीने की लम्बी बीमारी के बाद 87 वर्ष की अवस्था में 4 मई, 1980 को हुआ । उनकी क्षति उनके देश की सीमाओं के बाहर भी अनुभव की गई ।

वह एक महान व्यक्ति थे । गुट निरपेक्ष आन्दोलन के तीन महान संस्थापक नेताओं में से वह एक थे अन्य दो पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा राष्ट्रपति नासिर थे । एक कुशल नेता के नाते मार्शल टीटो ने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के विकास तथा उसे विश्व की राजनीति में शक्तिशाली स्थान दिलाने तथा उसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय तनाव कम करने का प्रयत्न किया । उन्होंने विश्व के राष्ट्रों में शान्ति एवं सद्भावना बढ़ाने के लिए निरन्तर कार्य किया । 1974 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार मिला ।

मार्शल टीटो आधुनिक युगोस्लाविया के निर्माता थे तथा द्वितीय विश्वयुद्ध में उन्होंने फासिज्म के विरुद्ध जनता को संगठित करके ख्याति प्राप्त की । विश्व के शक्ति गुटों से अलग रहते हुए उन्होंने अपने राष्ट्र के लोगों को एक सूत्र में बांधा तथा आधुनिक औद्योगिक युगोस्लाविया के निर्माण की ओर उनकी शक्ति का उपयोग किया ।

युगोस्लाविया को वर्तमान खुशहाली, औद्योगिक विकास और वहां के लोगों का सामाजिक ऊंचा स्तर उनकी दूरदर्शिता और लगन का प्रमाण है । अपने युग के इस महान राजनीतिज्ञ तथा इस समय के शान्तिप्रिय मानव का मूर्तिमान रूप थे । उनकी मृत्यु से युगोस्लाविया ने महान नेता तथा भारत ने महान मित्र खो दिया है मुझे विश्वास है कि आप मार्शल टीटो के परिवार, युगोस्लाविया की जनता तथा सरकार को शोक संदेश भेजने में मेरा साथ देंगे ।

श्री अजीज इमाम पांचवीं और सातवीं लोक सभा में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गये सदस्य थे। इससे पूर्व 1952-66 तक वे उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे।

वह एक कृषक तथा सामाजिक कार्यकर्त्ता थे। उन्हें 1952 में उत्तर-प्रदेश में शिक्षा मंत्रालय में संसदीय सचिव नियुक्त किया गया। उन्होंने श्रमिकों, पिछड़े वर्गों तथा गरीबों के उत्थान और कल्याण के लिए अपने समय एवं शक्ति का उपयोग किया। मिर्जापुर व छपरा मजदूर सभा, ईस्टर्न हिल कारपेट मजदूर सभा, मिर्जापुर और कासरवत्ती मजदूर सभा मिर्जापुर के सभापति रहे।

एक क्रियाशील सांसद के रूप में उन्होंने सभा की कार्यवाही में विशेष रुचि ली। उनका निधन 55 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में 30 अप्रैल, 1980 को हुआ।

श्री रामानन्द तिवारी 1977-79 के दौरान बिहार के बक्सर निर्वाचन क्षेत्र से छठी लोक सभा के लिए चुने गये थे। वह 1952 से 1972 तक बिहार विधान सभा के सदस्य रहे। 1967 और 1971 में वह बिहार के गृह मंत्री के पद पर रहे।

एक प्रसिद्ध सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता के रूप में वे (एक) बिहार पुलिस तथा जेलमैन एसोसियेशन के अध्यक्ष (दो) अखिल भारतीय तार कर्मचारी संघ (तीन) बंगाल कोल कांग्रेस मजदूर यूनियन और (चार) राष्ट्रीय नव-निर्माण मजदूर सभा के चेयरमैन रहे। उन्होंने श्रमिक वर्गों के कल्याण में विशेष रुचि ली।

उनका निधन पटना में 30 अप्रैल, 1980 को 71 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री के० चिवालिगैया 1972-79 के दौरान पांचवीं और छठी लोक सभा के लिए कर्नाटक के माडया निर्वाचन क्षेत्र से चुने गये।

एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया और 1940 में जेल भी गये। वे एक वकील और कृषक थे तथा जिला और राज्य स्तर के कई संगठनों से उनका सम्बन्ध रहा। मैसूर की प्रतिनिधि सभा के वे आठ वर्ष तक सदस्य रहे।

उन्होंने शिक्षा के संवर्धन एवं कृषि के आधुनिकीकरण एवं सांझी खेती में विशेष रुचि ली।

छठी लोक सभा की सदस्यता के दौरान उन्होंने सदस्यों की सभा से अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति में भी कार्य किया।

उनका निधन 8 अप्रैल, 1950 को मांडया में 73 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री जेठालाल जोशी 1952-57 के दौरान तत्कालीन सौराष्ट्र राज्य के मध्य सौराष्ट्र निर्वाचन क्षेत्र से पहली लोक सभा के लिए चुने गये। अपने निर्वाचन से पूर्व वह 1949-50 के दौरान सौराष्ट्र की संविधान सभा के उप-सभापति तथा बाद में 1950-52 के दौरान सौराष्ट्र विधान सभा के उपाध्यक्ष रहे।

एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया तथा 1930 में और पुनः 1942 में जेल गये। एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में उन्होंने श्रमिकों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण सम्बन्धी कार्य किये। उन्होंने 1932 में सेवा संघ की स्थापना की और 1944-49 के दौरान कई श्रमिक संगठनों के अध्यक्ष रहे। वह 1948 में राजकोट रियासत की प्रशासनिक परिषद के चेयरमैन थे।

उनका निधन 10 अप्रैल, 1980 को राजकोट में 78 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री शमीम अहमद शमीम 1971-77 के दौरान जम्मू तथा काश्मीर राज्य के श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गये। उससे पूर्व 1967-71 तक वे जम्मू तथा काश्मीर विधान सभा के सदस्य थे।

एक वकील और पत्रकार के रूप में वे श्री नगर के उर्दू साप्ताहिक के सम्पादक थे। वे अंजमाने-तरक्की-उर्दू की कार्यकारिणी के सदस्य थे और टेलीफोन और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट की यूनियन के काश्मीर सर्कल के अध्यक्ष थे। एक क्रियाशील सांसद और प्रभावी वक्ता के रूप में उन्होंने सभा की कार्यवाहियों में विशेष रुचि ली।

उनका निधन 46 वर्ष की अवस्था में 1 मई, 1980 को हुआ।

पंडित शिव शर्मा 1967-70 के दौरान मध्य प्रदेश के विदिशा निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य थे। उनका सम्बन्ध राज्य स्तर एवं अखिल भारतीय स्तर पर आयुर्वेद से सम्बन्धित बहुत से संगठनों एवं संस्थाओं से था। उन्हें पद्म भूषण और वैद्य रत्न की उपाधियां प्राप्त हुई थीं तथा उन्हें कई अन्य प्रसिद्ध संस्थाओं से मानार्थ उपाधियां प्राप्त हुई थीं। पंडित शर्मा को 1959 में आयुर्वेद पर श्रीलंका सरकार के लिए लोक-सेवा योजना के अधीन परामर्शदाता तथा भारत सरकार ने विभिन्न लोक सेवा आयोगों एवं विदेशों में भी परामर्शदाता नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारत सरकार के शुद्ध आयुर्वेद शिक्षा बोर्ड के अवैतनिक सचिव का भी कार्य किया।

उनका 20 मई, 1980 को 74 वर्ष की अवस्था में बम्बई में स्वर्गवास हुआ।

श्री महावीर त्यागी 1946 से 1967 तक संविधान सभा, अंतरित संसद, प्रथम, द्वितीय, और तृतीय लोक सभा के उत्तर प्रदेश के देहरादून निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य रहे। 1970-76 तक वे राज्य सभा के सदस्य रहे। इससे पूर्व नौ वर्ष तक वे उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। वे कृषक तथा अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी थे तथा उन्होंने असहयोग आन्दोलन में भाग लिया और कई बार जेल गये।

वे केन्द्र में मंत्री रहे तथा 1951-53 के दौरान राजस्व एवं व्यय विभाग तथा 1953-57 तक रक्षा संगठन एवं 1964-66 में पुनर्वास मंत्री रहे। एक क्रियाशील सांसद के नाते उन्होंने ग्रामोत्थान एवं समाज सुधार कार्यों में विशेष रुचि ली। उन्होंने 1962-64 तक लोक लेखा समिति, 1967 में डाक तथा तार टैरिफ समिति, 1968 में, प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल और प्रत्यक्ष करें, और 1968 में पांचवे वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में विशिष्ट कार्य किया।

उनका निधन 22 मई 1980 को नई दिल्ली में 80 वर्ष की आयु में हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हैं तथा मुझे विश्वास है कि दिवंगत आत्माओं के परिवारों को शोक संदेश भेजने में सभा मेरे साथ सहमत होगी।

प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं राष्ट्रपति टीटो को श्रद्धांजलि देती हूं। उनकी मृत्यु पर भारत में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व में गहरा शोक मनाया गया है।

जोसिफ ब्रोज टीटो ने असाधारण उपलब्धियां अर्पित कीं। वे आधुनिक युगोस्लाविया के निर्माता, फासिस्टवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करने वाले योद्धा, राष्ट्रीय आत्म-निर्भरता की भावना को वास्तविक रूप से जागृत करने वाले तथा हमारे समय की महान् विभूतियों में से

थे। शान्ति की खोज एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में समानता एवं न्याय प्राप्ति के उनके प्रयत्नों की सभी राष्ट्रों ने प्रशंसा की है। उन्होंने ऐशिया और अफ्रीका के नये स्वतंत्र हुए राष्ट्रों के नेताओं से मिलकर अपनी स्वतंत्रता बनाये रखते हुए अपने को महायुद्ध पश्चात् की अवधि के शक्ति गुटों से पृथक रख पाने के लिए गुट-निरपेक्षता की संकल्पना को जन्म दिया।

मेरा तथा मेरे परिवार का उनके साथ तीन दशकों का सम्बन्ध रहा है विशेष रूप से मुझे उनकी जवाहरलाल नेहरू तथा जामाल अब्दुल नाजिर के साथ निकट मैत्री की याद आती है। इन महापुरुषों का सम्बन्ध तीन भिन्न महाद्वीपों से था परन्तु उनकी युद्ध एवं सभी प्रकार के शोषण रहित विश्व के निर्माण का उनका स्वप्न समान था। बेलग्रेड में हुए पहले गुट-निरपेक्ष सम्मेलन के वे मेजवान थे। बाद में लुसाका, अल्जीरिया और कोलम्बो में हुए गुट-निरपेक्ष सम्मेलनों में मुझे उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला।

भारत के लोग राष्ट्रपति टीटो को अपना सच्चा मित्र मानते हैं। हमें इस देश में तथा इस भवन में उनका स्वागत करने का अवसर मिला था। भारत और युगोस्लाविया के शानदार द्विपक्षीय सम्बन्ध रहे हैं तथा इसने महान् उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मिलकर कार्य किया है।

मुझे उस महान् राजनीतिज्ञ की अन्त्येष्टी पर भारत की जनता तथा भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने का तथा युगोस्लाविया के जनता से भारत की सहानुभूति व्यक्त करने का अवसर मिला। युगोस्लाविया की यह क्षति का सभी देशों की क्षति हैं। किसी भी राजधानी में देशों एवं सरकारों के अध्यक्षों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के महान् नेताओं का इस प्रकार एकत्र होना पहले सम्भव नहीं हुआ। विशेष रूप से राष्ट्रपति नासिर के बच्चों को वहां देख कर मेरा दिल भर आया।

महापुरुषों की विचारधारा उनकी मृत्यु के बाद भी चलती रहती है। राष्ट्रपति टीटो की दृढ़ संकल्पक करने की शक्ति तथा समझौता करने की भावना से लोग प्रेरणा लेते रहेंगे। उनमें यह गुण विद्यमान थे।

श्रीमान, आपने इस बीच में दिवंगत कई साथियों एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों का उल्लेख किया है। उन सबसे यह सभा भली प्रकार परिचित है अत: मुझे उनके कार्य एवं व्यक्तित्व के बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है।

मैं विशेष रूप से श्री अजीज इमाम के बारे में एक शब्द कहना चाहूँगी, क्योंकि वह स्वतंत्रता संग्रामियों के एक परिवार से सम्बन्ध रखने वाले एक युवक थे और जिनके पिता ने अपना नाम पैदा किया था और हम परम्परा को परिवार द्वारा जारी रखा गया अन्तिम समय तक हमारे साथ थे। और स्वास्थ्य और प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे थे। इसलिये उनके निधन का आघात और भी अधिक था। उनके समक्ष एक उज्ज्वल भविष्य था। मैं परिवार के प्रति अपना अपना गहन शोक व्यक्त करती हूं।

श्री शमीम अहमद शमीम ऐसे एक अन्य सदस्य थे, जिन्होंने हम सभी तथा जहां कहीं भी वह गये, वहां सभी को प्रभावित किया। हम उन्हें हम सदन का प्रत्तण्ड-समुद्र का कह सकते हैं यहां दिये गये उनके भाषण कई बार तेज तो होते थे किन्तु वे सदैव विभिन्न उद्देश्यों के निमित्त एवं सहानुभूति से परिपूर्ण होते थे। तथा उनमें परिहास भी रहता था मुझे उनके निधन के समाचार

को सुनकर विशेषकर इसलिये वास्तविक दुख पहुँचा क्योंकि इस से पूर्व उन्होंने बहुत लम्बे समय तक तथा बहुत ही दर्दनाक बीमारी का सामना किया। हम इन सभी लोगों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक सहानुभूति तथा गहन शोक व्यक्त करते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मार्शल टीटो के प्रति आप तथा प्रधान मंत्री के द्वारा जो भावनायें व्यक्त की गयी हैं तथा श्रद्धांजलि अर्पित की गयी है इससे मैं तथा मेरा दल पूरी तरह सहमत है। साथ अपने आप तथा अपने दल को संबद्ध करता हूं।

श्रीमान् जी मार्शल टीटो के निधन से विश्व ने महान एक राजनीतिज्ञ को खो दिया है। उनके प्रति संसार भर में आदर तथा प्यार था। भारत के लोग मार्शल टीटो के प्रति विशेषता इसलिये प्रेम तथा सम्मान की भावना रखते थे क्योंकि उन्होंने हमारे प्रथम प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर विश्व शान्ति निरस्तीकरण एवं गुटनिरपेक्षता को बहुत बड़ा योगदान दिया उन्होंने एक मामूली कारखाने के मजदूर की स्थिति से ऊंचा उठ करके एक विश्व नेता के दर्जे को प्राप्त किया। इसके विश्व पर के युवा लोगों को प्रेरणा मिलती रहेगी कि किस प्रकार एक मामूली मजदूर समूचे संसार भर में अपनी धारणाओं अपने कठिन परिश्रम तथा अपने विवेक के कारण एक विश्व भर में सम्मान एवं प्यार प्राप्त कर सकता है।

वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो वृद्ध होते हुये भी शान्ति, निरस्त्रीकरण और गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को मजबूत करने के लिये बड़ी लग्न से कार्य करते रहे। शायद यदि वह हवाना में न होते तो गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में कठिनाइयां खडी हो जाती। अपने खराब स्वास्थ्य के होते हुये वे लम्बी यात्रा करके हवाना गये और उन्होंने इस ओर ध्यान दिया कि हवाना सम्मेलन गुटनिरपेक्ष आन्दोलन और मजबूत हो और हममें और अधिक विश्वास की भावना पैदा हो।

श्रीमान् जी, मेरा विचार यह है कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के प्रति उनके योगदान को इतिहास महत्वपूर्ण एक विश्व शान्ति के प्रति एक ठोस योगदान के रूप में लिखा जायेगा। अत: श्रीमान् जी, मैं भी अपने आप तथा प्रधान मंत्री द्वारा की गयी श्रद्धांजलि के साथ संबद्ध करता हूँ। जहां तक अपने मित्र श्री अजीज इमाम का संबंध है ? मुझे उनके साथ एक सहयोगी के रूप में कार्य करने का सुअवसर मिला। वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने स्वभाव के कारण कभी भी किसी को नाराज नहीं किया। वह सदैव मुस्कराते रहते थे और खुले दिल के व्यक्ति थे। उनके निधन से हमने एक बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्त्ता, एक राजनीतिक कार्यकर्त्ता एवं जनसेवक खो दिया।

जहां तक शमीम अहमद शमीम का संबंध है, हमें इस बात से आघात पहुंचा है, कि बहुत ही छोटी आयु में नृशंस मृत्यु ने उन्हें हमसे छीन लिया है। वह एक महान् सम्पादक, एक महान् पत्रकार एक एक बहुत ही अच्छे संसदशास्त्री थे। जैसा कि प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि श्री शमीम के आक्रमण बहुत तीखे तो होते थे, किन्तु कोई भी उनका बुरा नहीं मानता था। वह सदैव एक लोकप्रिय व्यक्ति रहे और उनके तीखे आक्रमणों में सदैव विनोद होता था। दूसरों ने भी अपना योगदान दिया। (व्यवधान)। मैं अपने सहयोगी को श्री त्यागी के बारे में याद दिलाने के लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री महावीर त्यागी विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देने के लिये एक महत्वपूर्ण संसदशास्त्री के रूप में देश में विख्यात थे। वह एक राजनीतिक तथा एक प्रबल स्वतंत्रता संग्रामी के रूप में

अन्य हजारों के साथ एक अपने देश की स्वतंत्रता के लिये लड़े। एक संसद्विद तथा मंत्री के रूप में भी उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। मुझे विश्वास है कि यह सदन श्री महावीर त्यागी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने में मेरा साथ देगा।

जहां तक अन्य सदस्यों का सम्बन्ध है मैं उनके शोक सतप्त परिवारों को अपना सम्वेदनीय संदेश भेजने में अपने आप तथा अपने दल को भी संबद्ध करना चाहूंगा।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) श्रीमान जी, मैं अपने आपको अध्यक्ष महोदय तथा सदन के नेता एवं अन्य मित्रों द्वारा व्यक्त भावनाओं के साथ पूरी तरह संबद्ध करता हूं। मार्शल टीटो निधन विश्व गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के लिये एक बड़ी क्षति है। यह आन्दोलन एक साम्राज्यवाद-विरोधी स्वरूप प्राप्त कर रहा है। यह भारत के एक सच्चे मित्र के रूप में एक बहुत ही बड़ी क्षति है। बेशक वह दूसरों के लिये एक बहुत बड़े उद्देश्य का सवक है। वह एक बहुत निर्धन किसान परिवार के थे। उन्होंने कारखाने में एक मजदूर के रूप में कार्य शुरू किया। तत्पश्चात् वह साम्यवादी आन्दोलन में शामिल हो गये और युगोस्लाविया साम्यवादी दल के नेता बन गये। उन्हें लम्बे समय तक कारावास में रहना पड़ा तथा देश-निर्वासन का दण्ड भी सहना पड़ा। किन्तु जब उन्होंने देश पर फासिस्टो के कब्जे के विरुद्ध संघर्ष किया उनका नाम समूचे विश्व में विख्यात हो गया, यह संघर्ष उनके नेतृत्व में ही युगोस्लाविया में लड़ा गया। टीटो नाम उनका असली नाम नहीं था। उन्होंने टीटो नाम को सम्भवत: 1933-34 में धारण कर लिया लेनिन और स्टलिन की तरह उनका असली नाम विश्व-विख्यात हो गया। वे मार्शल टीटो के नाम द्वारा विश्व-विख्यात व्यक्ति बन गये।

श्रीमान् जी, उन्होंने युगोस्लाविया को न केवल एक आधुनिक राज्य बना दिया, बल्कि युगोस्लाविया को ऐसा देश बना दिया जिसमें अनेक राष्ट्रपिता के लोग रहते हैं यह उनका एक बहुत बड़ा योगदान था कि उन्होंने सभी की राष्ट्रपिता के आस्तित्व की सुरक्षा करते हुये उन्हें एकता की लड़ी में पिरो दिया और उन्हें एक करके राज्य संघ का रूप दे दिया।

श्री मान् जी उनकी लोकप्रियता तथा व्यक्तित्व इतना महान था कि युगोस्लाविया में भी उन्हें जीवन भर के लिये वहां के राज्य का राष्ट्रपति बना दिया गया जिससे उनकी लोकप्रियता के महत्व का पता चलता है इसलिये इतने महान् व्यक्तित्व तथा बड़न स्तर बड़े संगठन कर्ता तथा विश्व-स्तर के नेता की क्षति युगोस्लाविया के लिये एक बहुत बड़ी क्षति है यह न केवल युगोस्लाविया के साम्राज्यवादी-विरोधी लोगों के लिये तथा गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के लिये भी बहुत बड़ी क्षति है। अत: मैं दिवंगत नेता के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

दूसरों के संबंध में मैं यह सभी सदस्यों द्वारा व्यक्त भावनाओं के साथ सहमत हूं मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इन दिवंगत नेताओं के परिवारों को हमारी भावनाओं को पहुँचा दिया जाये।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) अध्यक्ष महोदय, श्रीमान जी मैं अपने आपको आम सभा के नेता तथा अन्य माननीय सदस्यों द्वारा अर्पित की गयी श्रद्धांजलियों से संबद्ध करता हूं।

श्रीमान् जी मुझे 1952 में एक समाजवादी शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में युगोस्लाविया आने तथा सैद्धान्तिक विचारों से अनेक समस्याओं तथा मार्शल टीटो के साथ युगोस्लाविया के

समाजवादी पुनर्निर्माण के सम्बन्ध के विचार का अवसर प्राप्त हुआ था और मैंने यह पाया कि वे एक क्रियाशील व्यक्ति थे जो युगोस्लाविया के समाजवादी पुनर्निर्माण का प्रयास कर रहे थे, किन्तु इसके साथ-साथ बिल्कुल एक स्वतंत्रता मार्ग का निर्माण भी कर रहे थे। संकट की प्रत्येक घड़ी में उन्होंने कार्यवाही करके यह प्रदर्शित कर दिया कि तो राष्ट्र की सार्वभौमिकता रह सकती है अथवा राष्ट्र की नहीं रह सकती। सीमित सार्वभौमिकता जैसी कोई भी चीज नहीं है। उन्होंने इसे हिरासत में छोड़ा है।

श्रीमान् जी, मेरे पुराने सहयोगी, श्री रामानन्द तिवारी जिनके साथ मैं जनता दल तथा समाजवादी आन्दोलन में संबंद्ध रहा उन्होंने 1942 आन्दोलन में एक क्रान्तिकारी के रूप में अपना जीवन आरम्भ किया, इस आन्दोलन में उन्होंने एक पुलिस विद्रोह का नेतृत्व किया और यह बड़ी विचित्र बात है कि वही व्यक्ति जिसमें पुलिस विद्रोह का नेतृत्व किया, वही बिहार सरकार के गृह मंत्री बना। वह सक्रिय रूप से कार्य करने वाले थे, किन्तु जैसा कि प्रकृति को स्वीकार था इस सक्रिय रूप से कार्य करने वाले महान व्यक्ति पर पक्षाघात का दौरा पड़ा और वे रोग शय्या पर पड़े रहे तथा इसी के कारण उनका निधन हो गया।

श्रीमान् जी, जैसाकि प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि शमीम अहमद शमीर सभा के भीतर तथा सभा के बाहर विनोदी प्रवृत्ति के थे। श्री जय प्रकाश नारायण ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संबंध में एक सम्मेलन बुलाया था। उस समय श्री शमीम अहमद शमीम ने कहा कि हम कश्मीर में सदैव यह समझते रहे हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो एक सदस्य ने उनसे पूछा कि आप 1971 के चुनावों में कैसे चुने गये ? उन्होंने उत्तर दिया कि जब कभी भी विमान दुर्घटना होती है, तो बहुत व्यक्ति मारे जाते हैं किन्तु कुछ जीवित बच जाते हैं और मैं उन जीवित बचने वालों में से एक हूं। मुस्लिम स्त्री-विधि के बारे में एक बड़ी रुचिकर बात कही। आप हिन्दू लोग मुसलमानों के वैयक्तिक विधि के विरुद्ध क्यों हैं। आप एक मात्र पत्नी से उदासीन हो सकते हैं किन्तु आप हमें उसी उदासीनता से पीड़ित करना क्यों चाहते हैं ? ऐसी ही उनकी विनोद की भावना थी जो वह सभा के भीतर और बाहर प्रदर्शित किया करते थे।

श्रीमान् जी जैसा कि श्री महावीर त्यागी का संबंध है वह एक महान स्वतंत्रता संग्रामी थे। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें कोई मार्शल का सामना करना पड़ा और वह भी विदेशी शासन के अन्तर्गत। मैं आपको यह भी बता दूं कि वह स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के निकट सम्बन्धी थे, जिनसे साथ कभी-कभी उनके मतभेद भी हो जाते थे लेकिन फिर भी पंडित नेहरू के दिल में उनके प्रति जो प्यार था, कम न हुआ। कभी-कभी उनके बीच मजाक भी चलता था। एक बार वे राशते के लिये मेज पर आमने-सामने बैठे थे। त्यागी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि सेब छीलते हुये आप उस भाग को भी छील रहे हैं जिसमें कि विटामिन हैं। इसके उत्तर में पंडित नेहरू ने कहा कि विटामिन पर विशेष ध्यान रखें और मैं सेब खाऊंगा। राजनैतिक टकराव के बावजूद भी उनके बीच विनोद तथा प्यार की कैसी भावना थी।

अतः मैं दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने में आप तथा सभा के अन्य सदस्यों के

साथ हूं और आशा करता हूं कि आप इसके संतप्त परिवार के हमारी संवेदनायें भेजेंगे। **श्री सी० टी० दंडपाणी (पोल्लाची)** मार्शल टीटो का निधन गुट निर्पेक्ष देशों तथा सारे विश्व के लिये एक बहुत बड़ी हानि है। वे आधुनिक युगोस्लविया के एक रत्नाकर थे और उनके स्वतंत्र विचारों की विश्व के सभी नेता प्रशंसा करते थे।

जहां तक अन्य सदस्यों के निधन का सम्बन्ध है, मैं आप तथा प्रधान मंत्री द्वारा जो भावनायें व्यक्त की गयीं, उसमें आपके साथ हूं।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि द्रमुक दल की ओर से हमारी संवेदनायें शोक संतप्त परिवार तक पहुंचायें।

श्री यशवंतराव चह्वाण (सतारा) : विश्व के महान् राजनीतिज्ञ श्री मार्शल टीटो, जिनका निधन अभी हाल में हुआ, को श्रद्धांजलि अर्पित करना मेरा तथा मेरे दल का एक कर्तव्य है। मेरे विचार में उनके निधन से न केवल युगोस्लाविया की एक पितृ समान नेता की हानि हुई है बल्कि संसार ने एक ऐसा राजनीतिज्ञ खो दिया है जिसने विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए अपना योगदान दिया था।

मुझे उनका भारत का पहला दौरा याद है। वे सबसे पहले बम्बई पहुंचे थे क्योंकि वे समुद्री जहाज में युगोस्लाविया से बम्बई आये थे। गेटवे आफ इण्डिया पर उनका उचित स्वागत किया गया। सेनापति की रोबदार वर्दी में भी मैंने उन्हें एक दिलचस्प तथा खोया-खोया सा व्यक्ति पाया। उसी दौरान हमने आवाडी में कांग्रेस के खुले अधिवेशन में उनका पुन: स्वागत किया। वहां लगभग 5 लाख लोगों ने मार्शल टीटो का स्वागत किया। वहां मैंने उनका दूसरा ही रूप देखा। मैं समझा कि वे सही मानने में जन नेता है और वे भारत के हित में भारत के लोगों के साथ ही घुलमिल गये। आवडी कांग्रेस अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अभिवेशन में कांग्रेस ने समाजवाद का नाश्ता अपनाने का प्रण किया क्योंकि हमारे दल तथा राष्ट्र ने समाजवादी ढांचे के समाज को स्वीकार किया था।

जहां तक युगोस्लविया का सम्ब्रन्ध है, मार्शल टीटोफासिस्टवाद के विरुद्ध आन्दोलन मे प्रादुर्भाव हुआ लेकिन विश्व के सामने जो इस समय मार्शल टीटो है, वह युद्ध के पश्चात् विकसित हुए थे। वह पहले व्यक्ति हैं जिनका स्टालिन के शासन से टकराव हुआ था और इसके लिये बहुत साहस, विश्वास और दूरदर्शिता की आवश्यकता थी।

उन्होंने पं० जवाहर लाल नेहरू और नासर के स्पथ गुट निरपेक्षता का महान् आंदोलन आरम्भ किया। उस समय विश्व अच्छे-अच्छे राजनेताओं ने उनका मजाक उड़ाया लेकिन बाद में उन्होंने अनुभव किया कि गुट निरपेक्षता में कितनी शक्ति है।

कुछ नेता केवल अपने ही देशों के नेता नहीं होते लेकिन वे राष्ट्रीय सेवा के दौरान विश्व की समस्याओं, शांति और युद्ध से भी सम्बद्ध हो जाते हैं। मार्शल टीटो उनमें से एक थे। अत: वे अपने ही देश नहीं बल्कि विश्व के नेता थे हम भारतवासी अनुभव करते हैं कि उनकी मृत्यु से हमने एक दूर देश का नेता नहीं खोया बल्कि हम महसूस करते हैं कि हमने एक ऐसा नेता खोया है जो हर प्रकार के लोगों से हमदर्दी रखता था। मुझे उन्हे मिलने का सौभाग्य मिला था और मैंने पाया था कि वे जटिल प्रश्न पूछ सकते थे।

पिछले कुछ दिनों में विश्व भर में एक प्रश्न पूछा गया था "युगोस्लाविया में. टीटो के बाद क्या होगा।" मुझे खुशी है कि टीटो ने पिछले कुछ वर्षों में इस बात पर ध्यान दिया कि उनकी मृत्यु के बाद युगोस्लाविया में कैसे काम चले। उन्होंने अपने देश में सामूहिक नेतृत्व के विचार का प्रचलन किया। उन्होंने स्वतंत्र विश्व के लिये एक स्थायी योगदान दिया मैं मानवता के इस महान नेता के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री शमीम अहमद शमीम इस सभा के जाने माने सदस्य थे। विनोद और व्यंग्य उनका इतना तेज था कि वह इस सदन के लगभग सभी सदस्यों के मित्र थे।

मैं उन भावनाओं को व्यक्त करने में आपका साथ देता हूं जो आपने अन्य सदस्यों की मृत्यु के बारे में व्यक्त किये हैं। मैं श्री महावीर त्यागी और श्री रामानंद तिवारी के बारे में विशेष जिक्र करना चाहूंगा। श्री महावीर त्यागी और श्री रामानंद तिवानी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था और दोनों ने अपना जीवन पुलिस कस्टेबल के रूप में आरंभ किया था।। बाद में 1967 में श्री रामानंद तिवारी अपने राज्य की सांवद सरकार में पुलिस मंत्री बने। मुझे उनसे केन्द्र में गृह मंत्री के रूप में पाला पड़ा था। मुझे बताया गया कि वे एक कठिन व्यक्ति हैं लेकिन बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि वे एक अच्छे व्यक्ति थे बशर्ते कि आप उनके साथ ईमानदारी से पेश आयें। इस सभा के सदस्व के रूप में भी उनका व्यवहार सबसे मितनापूर्ण था।

श्री महावीर त्यागी एक महान् स्वतंत्रता सेनानी थे। वे केन्द्रीय मंत्रीमंडल के सदस्य तथा हमारे सहयोगी थे।

हम इस सभा के इन महत्वपूर्ण सदस्यों की मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट करते हैं। मैं आपसे शोक संतप्त परिवार के सदस्यों तक हमारी संवेदनायें पहुंचाने का अनुरोध करता हूं।

श्री इंद्रजीत गुप्त (बरर्फरहात): मार्शल टीटो की मृत्यु के फलस्वरूप न केवल हमारे देश ने एक अच्छा मित्र खोया है बल्कि एक विश्व नेता भी हमने खोया है। उन बिश्व नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करना इस सभा की परम्परा बन गयी है जो अपने ही देश नहीं बल्कि विश्व शांति तथा विभिन्न राष्ट्र के बीच मित्रता पैदा करने के लिये भी कई वर्षों तक काम करते रहे। उनकी मृत्यु 88 वर्ष की आयु में हुई। एक अंग तो वे कई सप्ताहों तक मौत के साथ बहादुरी से लड़ायी लड़ते रहे और दूसरी ओर जीवन पर्यन्त उन बातों के लिये लड़ते रहे जिनमें वे विश्वास रखते थे। 1941 तक किसी ने उनका नाम भी नहीं सुना था। उस समय वे अपनी आयु के मध्य तक पहुंच गये थे। परन्तु 1941 में जब ताजियों ने युगोस्लाविया पर आक्रमण किया और युगोस्लाविया का पुराना शासन समाप्त हो गया मार्शल टीटो न होते तो युगोस्लाविया का का इतिहास ही कुछ और होता। उन्होंने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया जो कई वर्षों तक हर वर्ष नाड़ी आक्रमणकारियों के विरुद्ध कठिनाईयां होते हुये भी चलाया गया मुझे याद है कि उस समय विंस्टन चर्चिल की ब्रिटिश सरकार ने युगोस्लाविया में मार्शल टीटो के मुकाबले में एक विरोधी दल बनाने के लिये प्रयत्न करता रहा। श्री चर्चिल, जो दूरदर्शी थे, कभी नहीं चाहते थे कि श्री टीटो ख्याति प्राप्ति करें : निस्संदेह इतिहास में उन्हें एक फासिस्ट विरोधी आंदोलन के संगठन, नेता तथा प्रेरक के रूप में देखा जायेगा।

श्री चह्वाण ने ठीक ही कहा है कि वे एक गुरिल्ला आंदोलन के नेता से उठकर थोड़े ही वर्षों में एक विश्व नेता के स्तर पर पहुंचे जिसका कारण विशेषकर गुट निरपेक्षता का नया आंदोलन था और जिसके पंडित नेहरू भी एक बड़े नेता थे। प्रथम विश्वयुद्ध से पहले आस्ट्रो-हंगरियत साम्राज्य के दिनों में उन्होंने अपने देश में राष्ट्रीय एकता लायी। उन दिनों वहां सर्ब, क्रोट, स्लोवेन मेकोडोनियत आदि-आदि कई जातियां थी, जो आपस में लड़ती रहती थी युगोस्लाविया एक छोटा सा देश है परन्तु वहां अलग-अलग जातियों के बसे होने के कारण देश में कई वर्षों तक एकता नहीं आयी। मार्शल टीटो ने सर्व प्रथम सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था के आधार पर युगोस्लाविया की जनता के एक सूत्र में बांधा। हमें आशा है कि मार्शल टीटो जो वहां की जनता को विराजित में दे गये हैं—उसे वे बताये रखेंगे।

मैं यहां पर व्यक्त की गई अन्य सदभावनाओं को दोहराना नहीं चाहता हूं। वह साम्यवादी थे और अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन के अन्य वर्गों से उनके मतभेद रहे होंगे, जैसा कि वे भी (वर्ग) उनसे मतभेद तो रखते ही थे। परन्तु वे भी हमें इस बात पर गर्व है कि वे साम्यवादी थे और युगोस्लाविय की साम्यवादी लीग को, जो कि उनके नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन से वंचित हो गयी है तथा युगोस्लाविया समाजवादी संघीय गणतन्त्र को, जो कि कितने ही वर्षों के बाद अपने उस व्यक्ति को खो बैठा है जिसे उसका अपरित्याज्य नेता समझा जाता था, आज आपने समस्त मित्र जगत की शुभ कामनाओं और सदभावनाओं तथा सहानुभूति की महती आवश्यकता है। अतः इस महान पुरुष के निधन पर यहां व्यक्त किये गये गहरे दुःख और शोकमय उद्‌गारों में, मेरा दल भी आपके साथ है।

जहां तक अन्य सदस्यों की बात है, वास्तव में जैसा कि सदैव ही होता है, एक लम्बे अन्तराल के बाद मिलने पर अपने कुछ सदस्यों के बिछुड़ने पर हमें गहरा दुःख हैं। श्री महावीर त्यागी जो कि न केवल संसद की एक लोकप्रिय हस्ती थे, अपितु एक ऐसी जानी-मानी हस्ती थे, यदि दूसरे शब्दों में कहूं तो विलक्षण हस्ती थे, जिसे अपनी पुरानी दाक्षाकार को चलाते हुए दिल्ली की सड़कों पर प्रायः देखा जाता था मैं नहीं जानता कि उस कार का अब क्या हुआ परन्तु यह दिल्ली में काफी प्रसिद्ध युग प्रवर्तक घटना हो चली थी।

श्री शमीम अहमद शमीम, जिनका बहुत ही छोटी उमर में निधन हो गया है, सदैव इस संसद के प्राण पुंज बनकर रहे। चाहे कोई उनके विचारों से सहमत हो न हो, परन्तु जब कभी भी वे बोलते थे तो सदन की कार्यवाही को जीवन्त और विनोदमय बना डालते थे। इस बात के लिए हम उनकी स्मृति के आभारी रहेंगे।

हमने यहां पर विशेष रूप से श्री रामानन्द तिवारी का भी जिक्र किया है. जिन्हें मेरे विचार से सबसे बढ़कर उनके इस योगदान के लिये याद किया जाना चाहिये जो कि उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन के आखिरी दौर में, राष्ट्रीय आन्दोलन को उस समय दिया जबकि इस देश में ब्रिटिश सरकार की जड़ों को विभिन्न प्रकार की सामूहिक कार्यवाहियों द्वारा हिलाया जा रहा था। उस समय; बिहार में हुई जबरदस्त पुलिस हड़ताल को श्री तिवारी के नेतृत्व के कारण ही विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली औपनिवेशवादी सरकार की शक्ति को झकझोर देने में सफलता मिली थी।

हमें श्री अजीज इमाम के युवावस्था में हुए निधन पर भी बड़ा दुख है।

उनके निधन पर और अन्य मित्रों के निधन पर हम गहरा शोक प्रकट करते हैं और मेरा आपसे निवेदन है कि उनके शोक-सन्तप्त परिवारों को हमारी गहनतम शोक संवेदनाएं भेज दें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली : अध्यक्ष महोदय, मौत के कितने रूप हैं, कितने रंग हैं। एक रूप वह है, जिसमें मौत बिना बादलों के बिजली की तरह से गिरती है, और किसी फूल के पूरी तरह खिलने से पहले ही उसे झुलसा कर राख कर देती है। श्री अजीज इमाम की मौत इसी श्रेणी में आती है। कल तक वह हमारे बीच में थे। अभी अभी लोक सभा का चुनाव जीत कर आये थे। बरसों बाद राजधानी में उनसे मुलाकात का मौका मिला था। अभी हमारी बधाइयां शांत भी नहीं हो पाई थीं कि वह हमारे बीच से चले गये, रूठ गये, और ऐसे रूठ गये कि मनाने की हदों से गुजर गये। क्या हुआ, जितने मुंह उतनी बातें हैं लेकिन एक बात पक्की है कि अब श्री इमाम के कहकहे सुनाई नहीं देंगे। ऐसी मौत देख कर लगता है कि क्या जिन्दगी सचमुच में कोई अर्थ रखती है; हार-जीत का कोई मतलब है।

लेकिन एक दूसरी मौत हमने देखी है, जिसमें मौत झपट्टा मार कर नहीं आई। ऐसा लगा कि जैसे आते आते वह डर रही है, कांप रही है, जिसे ले जाने के लिए आ रही है, उसके बारे में जानती है कि वह आसानी से जाने वाला नहीं है, दो दो हाथ करेगा— श्री इन्द्रजीत गुप्त ने इसका उल्लेख किया है,—जो जीवन भर जूझा है, वह जाते जाते भी महाकाल के माथे पर पराक्रम और पुरुषार्थ के पद-चिह्न अंकित करने में सफल होगा। ऐसी मौत हमने देखी है अपने मित्र देश, युगोस्लाविया, के राष्ट्रपति टीटो के निधन में। एक महान् योद्धा, जो निरन्तर 88 वर्ष संघर्ष करता रहा, और मौत से भी जूझा। वह पहले जूझा अपने देश की मुक्ति के लिए और फिर नव-निर्माण के लिए विश्व के राजनीतिज्ञ के रूप में उसने इस बात का अनुभव किया कि अगर निर्माण का यज्ञ सफल करना है और उसे पड़ोसियों के विघ्न से बचाना है, तो विश्व में ऐसी विचार-धारा का प्रसार करना होगा, जिसका आधार सह-अस्तित्व हो और जिससे छोटे राष्ट्रों की स्वाधीनता सुरक्षित रहे। इसी में से निकला गुट-निरपेक्षता का महान् आन्दोलन। विश्व के रंग-मंच पर तीन महान् नेता आविर्भूत हुए : यूरोप से प्रैजिडेंट टीटो, अफ्रीका से राष्ट्रपति नासिर और एशिया से पंडित जवाहरलाल नेहरू। वे शान्ति, स्वतंत्रता और सहयोग की विजय-पताका लेकर आये और उन्हें देखकर मौत के सौदागरों के खेमे में एक हड़कंप मच गया। जो दुनिया को एक ही रंग में रंगना चाहते थे, उनका रंग उखड़ गया। मगर जो देश अभी अभी आजाद हुए थे, उन्हें एक तीसरा रास्ता मिल गया : किसी का पिछलग्गू बनने की ज़रूरत नहीं है,

हम स्वाभिमान के साथ स्वावलम्बन के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। आज गुट-निरपेक्ष आन्दोलन एक शक्ति है और आज जब कि वह आन्दोलन एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, राष्ट्रपति टीटो का निधन सारी मानवता के लिए एक क्षति है। ईमानदारी से गुट-निरपेक्षता की नीति पर चल कर ही हम मार्शल टीटो के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं।

और भी हमारे साथी हम से बिछड़े हैं। श्री महावीर त्यागी भी सेनानी थे, हमेशा दो दो हाथ करने के लिए तैयार लेकिन अन्तःकरण कटुता से हमेशा के लिए रिक्त, स्नेह से आप्लावित।

पंडित शिव शर्मा के रूप में हम ने एक विश्व-विख्यात विभूति को खो दिया। आयुर्वेद का ऐसा जानकार भारत में विरला ही होगा।

पंडित रामानन्द तिवारी ने सिपाही के रूप में जीवन शुरू किया था और अन्त तक वह लड़ते रहे।

श्री शमीम के निधन के रूप में हम लोगों की व्यक्ति क्षति हुई है।

अध्यक्ष महोदय, इन दिवंगत आत्माओं के प्रति मेरा नमन है और आप से अनुरोध है कि हमारी समवेदना शोक-संतप्त परिवारों तक पहुंचाएं।

श्री त्रिदिब (बरहाम पुर) : मैं भी माननीय प्रधान मन्त्री तथा अन्य उन सदस्यों का सहभागी बनना चाहता हूं, जिन्होंने उन दिवंगत आत्माओं के प्रति अपने उदगार प्रकट किए हैं जिन्हें हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है।

जैसा कि हम सब जानते हैं मार्शल टीटो ने अपना राजनैतिक जीवन 1917 की रूसी क्रांति के पक्षकार के रूप में तब प्रारंभ किया था, जब वे वहां युद्ध बन्दी थे और उन्होंने युगोस्लाविया के साम्यवादी दल तथा अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। ठीक इसके पश्चात वे युगोस्लाविया के साम्यवादी दल के एकमात्र नेता बन गये। वे उस अन्तर्राष्ट्रीय ब्रिग्रेड भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे जिसने स्पेन के गृह युद्ध में लोकतान्त्रिक हित में संघर्ष किया। अपने देश में हिटलर के नाजीवाद और फासिस्ट वाद के विरुद्ध लड़ने, अपने देश के एकीकरण में तथा युद्ध की विभीषिका के बाद अपने देश के पुनर्निर्माण में किये गये उनके योगदान सर्वज्ञात हैं। वे साम्यवादी थे, परन्तु मैं तो यह कहूंगा कि वे लकीर के फकीर साम्यवादी नहीं थे और अपनी दृढ़ता के कारण ही उन्हें समाजवादी जगत में मान्यता मिली थी। यहां तक कि उनके इन सिद्धान्तों के लिए कि प्रत्येक अलग देश की परिस्थितियों के प्रकाश में ही उस देश को स्वयं अपने ढंग से समाजवाद का निर्माण कदना चाहिये, उनके विरोधियों ने भी उनकी सहरना की थी।

विश्व युद्ध के पश्चात की जिस दुनिया से हम परिचित हैं वह उसके निर्माताओं में से एक थे। वह गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के नेताओं में से एक थे और सच तो यह है कि उनके इस साम्यवाद का फकीर न बनने के कारण ही तत्कालीन रूसी खेमे के देशों से उनके सम्बन्ध विच्छेद हो गये थे और वे गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में आ गये थे। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अन्य मित्रों की तरह ही मैं भी दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विशेषकर मैं उच्च भावना से श्री महावीर त्यागी, श्री रामानन्द तिवारी, श्री शमीम अहमद शमीम की तथा अन्य उन सदस्यों को याद किये बिना नहीं रह सकता जिनके साथ हमें इस सदन में, कार्य करने का सौभाग्य मिला। मेरा आपसे निवेदन है कि शोक समाप्त परिवारों के सदस्यों तक इस सदन की भावनाओं को पहुंचा दें।

श्री चित्तबसु (बारसाट) : अध्यक्ष महोदय, युगोस्लाविया की जनता के अद्वितीय नेता तथा युगोस्लाविया समाजवादी संघीय गणतन्त्र के अध्यक्ष, मार्शल जोसिप ब्रोज टीटो के निधन पर, सदन के नेता और माननीय साथियों के साथ साथ मैं भी गहरा दुख और शोक संवेदता प्रकट

करता हूं। दिवंगत नेता की महान स्मृति में अन्य लोगों के साथ मैं भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

महोदय जैसा कि आप जानते हैं श्री जोसिफ बरोज टीटो लुहार के बेटे थे। वे उन्नति करके युगोस्लाविया के समाजवादी गणतन्त्र के राष्ट्रपति जैसे गरिमामय पद तक पहुंचे। अपने प्रारम्भिक दिनों में उन्होंने युगोस्लाविया के श्रमिक वर्ग आन्दोलन में भाग लिया और नाजी आक्रान्ताओं के विरुद्ध आन्दोलन में हिस्सा लिया तथा युगोस्लाविया को नाजी शासन के अत्याचारों से मुक्त कराया।

टीटो ने न केवल अपने देश को फासिस्टवाद की दासता से बचाया, बल्कि आधुनिक समाजवादी युगोस्लाविया के रूप में उसका पुर्ननिर्माण भी किया। वे गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के संस्थापक नेता थे और अपने अन्तिम दिनों तक गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की एकता को बनाये रखने तथा उसे और घनिष्ट करने के लिये संघर्ष करते रहे।

उन्होंने एक नई प्रणाली चलाई और मजदूरों द्वारा औद्योगिक उत्पादन के प्रबन्ध का विकास किया। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो समाज में उत्पादन के सम्बन्ध में नया सम्बन्ध विकसित करना चाहते हैं यदि वे मजदूरों द्वारा की औद्योगिक उत्पादन में अपनी प्रबन्धन प्रणाली को अपना लें तो उन्हें अच्छी सफलता मिल सकती है। सारी दुनियां जानती है कि वे एक सच्चे और उत्साही साम्यवादी थे और उन्होंने जोखिम भरी जिन्दगी बितायी। उन्होंने विश्व मानव को एक अदभुत सिद्धान्त दिया।

"मार्क्सवाद आज भी एक वैद्य सिद्धान्त है, परन्तु इसे किसी भी देश में पाई जाने वाली परिस्थितियों, जो कि हर कहीं भिन्न-भिन्न होती हैं के अनुसार लागू किया जाना चाहिये।"

उनके महत्वपूर्ण योगदान से विश्व साम्यवादी आन्दोलन के अनुभवों में वृद्धि हुई है। श्रीमन, आपकी और अन्य साथियों की तरह मैं भी युगोस्लाविया के उन लोगों के प्रति गहरी सम्वेदना, व्यथा एवं दुख प्रकट करता हूं, जिन्हें उनके नेतृत्व से वंचित होना पड़ा है और जो भारत के लोगों की सहानुभूति और समर्थन तथा सहायता के इच्छुक हैं।

अन्य उन महान नेताओं के बारे में जो कि हमसे बिछुड़ गये हैं मैं भी आपकी तरह इतना ही कहूंगा कि आप हमारी गहन सहानुभूति और सम्वेदना सभी शोक सन्तप्त परिवारों तक पहुंचा दें।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजूरी): युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो के प्रति मैं भी अपनी और अपने दल की ओर से आपकी तथा प्रधानमन्त्री की तरह ही श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। हाल ही में भगवान को प्यारे हुए लोकसभा के भूतपूर्व सदस्यों के प्रति प्रकट की गई सम्वेदना में मैं भी आपके साथ हूं।

जहां तक राष्ट्रपति टीटो के व्यक्तित्व का प्रश्न है, मन और मष्तिष्क के उच्च गुणों वाला उनका सक्रिय व्यक्तित्व था। वास्तव में, ये मार्शल टीटो ही थे जिन्होंने कि पं० नेहरू और मिश्र के राष्ट्रपति नासिर के साथ मिलकर गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की रूप रेखा तैयार की। उनके

निधन से युगोस्लाविया ने एक महान नेता को खो दिया है, दुनिया का एक महान नेता और एक महान राजनीतिज्ञ हमारे बीच से उठ गया है भारत ने तो अपना घनिष्ठ मित्र ही खो दिया है।

अपने सहकर्मियों के बारे में मैं केवल कुछेक शब्द ही कहूंगा। श्री महावीर त्यागी वास्तव में ही एक महान स्वतन्त्रता सेनानी और बड़े ही विनोदप्रिय और उत्साही व्यक्ति थे।

हमारे मित्र श्री शमीम अहमद शमीम और अजीज इमाम की याद अभी तक हमारे दिलों में ताजा है। वे अभी हाल तक हमारे साथ थे।

उन्हें हम भुला नहीं समते। जैसा कि बताया जा चुका है वे महान संसदविज्ञ थे और उन्होंने देश की और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की, विशेषकर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में बड़ी सेवा की।

मैं एक उर्दू का शेयर पढ़ता हूं :

'ऐ बागबाने गुलशने हस्ती यह क्या किया,

जाने चमन था गुल जो, वही तूने चुन लिया।

वे वास्तव में इस देश की जान थे, हमारे देश-कुन्ज की धड़कन थे और सच्चे हीरे थे। भारत उनके दुःखद निधन से और दीन-हीन हो गया है। महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो के निधन पर वहां के लोगों को हमारी शोक सम्वेदना प्रेषित कर दें तथा हमारे सहकर्मियों के शोक सन्तप्त परिवारों को भी हमारी शोक सम्वेदना भेज दें।

श्री गुलाम रसूल कोचक (अनन्तनाग): महोदय, प्रधानमन्त्री तथा अन्य सदस्यों की तरह मैं भी अपनी और अपने दल की ओर से अपने दिवंगत भाइयों और साथियों की यान में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनमें से कुछ तो महान आन्दोलनों के नेता रहे हैं, कुछ हमारे साधारण सेनानी थे, परन्तु एक बात उनमें समान थी कि वे सभी, जन-साधारण के लिए जिये और सभी ने देश को बड़ा योगदान दिया। मैं यह नहीं मानता कि वे मर चुके हैं। भौतिक रूप में तो वे अब नहीं हैं, परन्तु सेनानियों, नेताओं और राजनीतिज्ञों के रूप में सदैव उनका नाम इतिहास में रहेगा क्योंकि उनकी स्मृति सदा बनी रहेगी। यदि इतनी महान है कि वे इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ गये हैं। हम यह नहीं कह सकते कि वे मर चुके हैं। उनके क्रिया कलाप, उनके कर्म जीवित हैं और उनका योगदान महान है। अतः हम उन्हें मरा हुआ नहीं नान सकते।

जहां तक मार्शल टीटो के जीवन का सम्बन्ध है हमें उनकी छोड़ी हुई कई शिक्षाओं की झलक मिलती है। वे एक आन्दोलन के प्रणेता थे, उसी के लिए संघर्ष किया और उसी के लिए जिए भी। हमें उन्हीं की लगन की तरह इसको आगे बढाना है। श्री जवाहरलाल नेहरू और गमाल अबदेल नागर के साथ-साथ वे भी गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के महाव संस्थापकों में से एक थे। जब उन्होंने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को आरम्भ किया तो इतिहास में कहीं इसका नाम तक न था। यह एक बड़ा ही दुवकर कार्य था और उन्होंने इसके लिये संघर्ष किया और पाया कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन सफल रहा है। उन्होंने इस परिकल्पना को साथ लेकर इस आन्दोलन को चलाया कि बड़े शक्ति-गुट छोटे देशों को न निगल जाएं। चाहे, पंडित नेहरू और टीटो आज हमारे साथ नहीं हैं,

फिर भी गुट-निरपेक्षता का सिद्धान्त आज भी जीवित है। हमें अपनी लगन और प्रयत्नों से इसे सफल बनाना है। हमें यह देखना है कि यह फले-फूले और हमसे दूर न हो जाए। उनके प्रति यही हमारी सर्वोत्तम श्रद्धांजलि होगी।

मैं एक बार फिर प्रधानमन्त्री और अन्य के साथ अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूं। उनमे से कुछ स्वतंत्रता के भक्त रहे हैं और श्री अजीज इमाम और विशेषकर मेरे अपने भाई श्री शमीम अहमद शमीम की तरह उनमें से अनेकों ने सफल संसदविज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं।

श्री शमीम अहमद शमीम के बारे में मैं विशेषरूप से यह कहूंगा कि हमारे राज्य ने एक ऐसा महान बुद्धिजीवी खो दिया है जिसके पास न केवल कलम थी अपितु वह एक बड़े वक्ता भी थे। उनकी बात विनोदप्रिय तो होती थी परन्तु होती थी गहरा कटाक्षा। वे बड़े ही विनोदमय ढंग से अपनी बात कह डालते थे और सच्चाई कहने से कभी नहीं डरते थे।

श्री अजीज इमाम के बारे में भी मैं कहूंगा कि वे जनता के हित के प्रति समर्पित थे! निस्सन्देह वे वड़े विनम्र थे, परन्तु सदा औरों के लिए ही जिए।

प्रधान मंत्री तथा अन्य सदस्यों द्वारा व्तक्त की गई सम्वेदनाओं में मैं भी भागी हूं और आशा करता हूं कि शोक समाप्त परिवारों तक मेरी शोक सम्वेदनाएं भेज दी जायेंगी।

अध्यक्ष महोदय : सदन अपना गहन शोक प्रकट करने के लिये अब कुछ क्षण के लिए मौन खड़ा होगा।

(इसके पश्चात सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े रहे)

नये मंत्रियों का परिचय

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री अपने मंत्री मंडल के सदस्यों का परिचय देगीं।

प्रधान मंत्री (श्री मती इंदिरा गांधी) अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और आपके द्वारा सदन से अपने सहयोगियों का परिचय करती हूं

श्री नारायणदत्त तिवारी, योजना मंत्री।

श्री केदार पाण्डे, सिंचाई मंत्री।

श्री विद्याचरण शुक्ल, नागरिक पूर्ति मंत्री।

श्री मती रामदुलारी सिन्हा, सूचना और प्रसार० मंत्रालय में राज्य मंत्री।

श्री दलबीर, सिंह, पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री।

श्री टी० अंजैया, श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री।

श्री बूटासिंह, नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर, पयर्टन ओर नागर उडड्यन मंत्रालय में राज्य मंत्री।

श्री विक्रम महाजन, ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री।

श्री मल्लिकार्जुन, रेल मंत्रालय में उप-मंत्री

श्री पी० वेंकटा रेड्डी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री।

श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ, निर्माण तथा आवास मंत्रालय में उप-मंत्री

श्री विजय एन० पाटिल, विज्ञान, औद्योगिकी ओर अन्तरिक्ष विभाग मे उप-मंत्री।

श्री पी० के० थुन्गोन पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री।

श्री मगन भाई बरोट को राज्य सभा में जाना था। उनका परिचय में बाद में कराऊंगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गेहूं की वसूली

* 1. श्री अहमद एम० पटेलः क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने को कृपा करेंगे :

(क) गत कटाई मौसम के दौरान गेहूं का उत्पादन करने वाले प्रत्येक राज्य से कुल कितनी मात्रा में गेहूं वसूल किया गया था;

(ख) चालू मोसम के दौरान कितनी मात्रा में गेहूं वसूल किये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या यह सच है कि उत्पादकों को खुले बाजार में समर्थन मूल्यों की तुलना में बहुत अधिक मूल्य मिल रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या इससे वसूली के लक्ष्य पर कोई प्रभाव पड़ेगा; ओर

(ङ) यदि हां, तो यह लक्ष्य पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है? कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

(ख) 5-6-1980 तक प्राप्त सूचनानुसार, वर्तमान रबी मौसम में लगभग कुल 55.[illegible] लाख मीटरी टन की वसूली हुई है। विभिन्न मंडियों में गेहूं की आमद अभी भी जारी है और [illegible] समय वसूली के ठीक-ठीक अनुमान बताना सम्भव नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) सरकार द्वारा गेहूं की वसूली के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं क्योंकि खरीनरी मूल्य समर्थन के रूप में की जा रही हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं ही उठता।

विवरण

1979-80 रबी विपणन मौसम के दौरान गेहूं की राज्यवार वसूली

(हजार मीटरी टन में)

राज्य	मात्रा
1. बिहार	87.9
2. गुजरात	0.3
3. हरियाणा	1388.7
4. हिमाचल प्रदेश	1.5
5. जम्मू और कश्मीर	21.6
6. मध्य प्रदेश	100.2
7. पंजाब	4192.3
8. राजस्थान	301.0
9. उत्तर प्रदेश	1883.2
10. पश्चिमी बंगाल	3.4
11. चण्डीगढ़	0.1
12. दिल्ली	11.8
अखिल भारत	7992.0

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों की शिकायतें

*2. श्री के० पी० सिंह देव :

श्री जनार्दन पुजारी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कुछ वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने साक्षात्कार बोर्डों के सम्मुख उपस्थित होने से इन्कार कर दिया है :

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या है : और

(ग) इस मामले को हल करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन)

(क) भारत कृषि अनुसंधान परिषद को कुछ अभ्यावेदन (रिप्रेजेंटेशन) प्राप्त हुए थे कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कुछ विज्ञानी कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल द्वारा आयोजित पांच वर्षीय मूल्यांकनों के लिए "व्यक्तिगत चर्चा" (साक्षात्कार) के लिए उपस्थित नहीं होना चाहते हैं। तथापि, अभ्यावेदन वरिष्ठ विज्ञानियों से प्राप्त नहीं हुए थे।

(ख) उनके द्वारा जिन शिकायतों का जिक्र हैं, वे हैं :—

(1) पदोन्नति के लिए मूल्यांकन का कोई सही मानदण्ड/दिशा निर्देश निर्धारित नहीं है जिससे कि पदोन्नतियों में एकरूपता तथा समानता का औचित्य स्थापित हो सके।

(2) व्यक्तिगत चर्चा किए गये कार्य तक सीमित नहीं थी, जैसा कि ए० आर० एस० नियमों में बताया गया है और बहुत निरुत्साहित करने वाली थी।

(3) पदोन्नति स्वीकार न करने के कारण अभी तक नहीं बताये गये।

इन विज्ञानियों द्वारा की गयी शिकायतें सच्ची नहीं हैं। इन में से कुछ विज्ञानी पहले ही मण्डल के समक्ष व्यक्तिगत चर्चा हेतु उपस्थित हो चुके हैं। विज्ञानियों के लिए व्यक्तिगत चर्चा ऐच्छिक है और इसे विज्ञानियों की मर्जी पर छोड़ दिया जाता है। मण्डल ने उन सब विज्ञानियों के मामले पर विचार किया जिन्होंने अपनी मूल्यांकन कार्य निष्पक्षता प्रस्तुत की थी, भले ही वे व्यक्तिगत चर्चा के लिए उपस्थित हुए अथवा नहीं।

(ग) उपरोक्त "ख" की दृष्टि से, इसका प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बंगाल में काम के बदले अनाज कार्यक्रम संबंधी अध्ययन दल

***3. श्री नारायण चौबे :**

क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के बदले अनाज योजना का अध्ययन करने तथा उस बारे में प्रतिवेदन पेश करने के लिए पश्चिम बंगान को कोई अध्ययन दल भेजा था :

(ख) यदि हां तो क्या उक्त अध्ययन दल ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ग) प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ? **कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :**

(क) और (ख) जी हां।

(ग) रिपोर्ट की मुख्य बातों को दर्शाने वाला एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

विवरण

पश्चिम बंगाल के दौरे के पश्चात अध्ययन दल की रिपोर्ट में दी गई मुख्य बात।

1. काम के बदले अनाज कार्यक्रम तीन विभिन्न नामों अर्थात ग्रामीण निर्माण कार्य कार्यक्रम, ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम से चलाया जा रहा था। यद्यपि ग्रामीण निर्माण-कार्य कार्यक्रम की मुख्य जिम्मेदारी विकास विभाग की थी लेकिन काम के बदले अनाज कार्यक्रम और ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम की मुख्य जिम्मेदारी राहत तथा पुनर्वास विभाग की थी। राज्य सरकार ग्रामीण निर्माणकार्य कार्यक्रम के लिए नकद निधियों की पर्याप्त व्यवस्था कर रही थी। लेकिन काम के बदले अनाज कार्यक्रम तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी।

2. ग्रामीण निर्माणकार्य कार्यक्रम के अन्तर्गत निष्पादित किए जाने वाले निर्माणकार्य स्थायी स्वरूप के होते थे। तथापि काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत किए जाने वाले कामों के लिए स्थायित्व को अनिवार्य नहीं समझा गया था। यह प्रभाव विशेष रूप से क्षेत्र स्तरों पर अधिक फैला हुआ था।

3. काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत सुधार करने के लिए व्यक्तिगत तालाबों को लिया गया था जो कि इस विषय से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। इनमें यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल सामुदायिक लाभ की परियोजनाओं को ही लिया जा सकता है।

4. काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित खाद्यान्नों को बाढ़ों के दौरान बहे व्यक्तिगत घरों के पुनर्निर्माण के लिए उपयोग में लाया गया था। इसके अलावा व्यक्तिगत किसानों के खेतों में जमा रेत को भी काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए खाद्यान्नों की सहायता से हटाया गया था। ये दोनों वर्तमान अनुदेश के प्रतिकूल थे।

5. अध्ययन दल द्वारा निरीक्षण किए गए अधिकांश निर्माण कार्य तकनीकी विशिष्टताओं तथा निर्धारण मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। हावड़ा जिले में ऊंचाई पर सम्पर्क सड़कें अधिकतर बहुत तंग थीं जोकि केवल 4 फुट से 7 फुट तक चौड़ी थी। इनमें से अधिकांश सड़कें गांव की पगडंडियों की तरह प्रतीत होती थी इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों का भी उल्लंघन किया गया है।

6. काम के बदले अनाज कार्यक्रम से सम्बन्धित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार, जिलाधीशों समाहर्ताओं की अध्यक्षता में जिला स्तर एक संचालन समिति का गठन किया जाना है। सम्बन्धित जिला अधिकारियों के अलावा जिला परिषद अथवा जिला पंचायत के प्रतिनिधि, संसद और राज्य विधान मण्डलों के सभी स्थानीय सदस्य इस समिति के सदस्य हैं। समिति से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किए जाने वाले निर्माण कार्य की योजना बनाने तथा उन्हें अनुमोदित करने और उनके कार्यानवयन की प्रगति की निगरानी करने की अपेक्षा की जाती है। परन्तु ये समितियां अभी तक किसी भी जिले में गठित नहीं की गई है। इसका परिणाम यह है कि पंचायतों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले निर्माण कार्यों पर कोई भी तकनीकी अथवा प्रसासनिक पर्यवेक्षण नहीं है। इस वजह से कार्यान्वित किए गए निर्माण कार्य घटिया किस्म तथा निम्नस्तर के हैं।

7. काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित किए जाने वाले निर्माण-कार्यों के पर्यवेक्षण तथा प्रबोधन के लिए न तो जिला स्तर के अधिकारियों और ना ही खण्ड स्तरीय अधिकारियों को किसी प्रकार की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

8. इस समय पश्चिम बंगाल में अपनाई जा रही प्रणाली में, निर्माण कार्यो के कार्यान्वयन तथा खाद्यान्नों के वितरण के लिए ग्राम प्रधान पर उसे आवश्यव प्रशासनिक तथा तकनीकी सहायता दिए बिना सम्पूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाती है। विकण कूपन प्रणाली द्वारा किया जाता है। कूपन के विवरण तथा निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए कार्यकर्ताओं की एक नवीन संस्था का सृजन किया गया है।

अध्ययन दल के दौरा नोट में ऊपर बताई गई विभिन्न त्रुटियों में सुधार करने के लिए राज्य सरकारें द्वारा विचार करने हेतु अनेक विशिष्ट सुझाव दिये गए हैं।

प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ देना

***4. श्री चित्त बसुः**

श्री मती गीता मुखर्जी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ देने की दर में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रकार स्कूल छोड़ना रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाने के लिए राज्य सरकारों को अन्य बातों के साथ-साथ विशेष रूप से निम्नलिखित कदम उठाने की सलाह दी गई थी :

(i) संपूर्ण प्रारंभिक स्तर (i से viii तक की कक्षाएं) की किसी भी कक्षा में बहु-विषयक प्रवेश की व्यवस्था करना।

(ii) गतिरोध को बहुत कम करना तथा समाप्त करना ताकि प्रत्येक बच्चा प्रति वर्ष एक कक्षा पूरी कर सके तथा कक्षा viii पूरी करने तक उसे अगली उच्च कक्षा में चढ़ाया जा सके किन्तु यह सतत आधार पर आवधिक जांच तथा मूल्यांकन के जरिए पर्याप्त सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।

(iii) प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों की भौतिक सुविधाओं में सुधार करना।

(iv) पाठ्य कर्त्ताओं के विकेन्द्रीकरण के जरिए प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों द्वारा प्रदान की गई शिक्षा की कोटि में सुधार करना ताकि उन्हें विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक परिस्थितियों में बच्चों की आवश्यकताओं, जीवन परिस्थितियों और वातावरण के अनुरूप बताया जा सके।

(v) शैक्षिक योग्यता के बेहतर स्तरों तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण लागू करके शिक्षक की सक्षमता में सुधार करना।

(vi) समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन मुफ्त, पाठ्य-पुस्तकें तथा लेखन-सामग्री मुफ्त, वर्दियां तथा उपस्थिति छात्रवृत्तियां जैसे प्रोत्साहनों की पर्याप्त व्यवस्था करना।

(vii) थोड़ी ही दूरी पर जहां सभी निवासियों की जरूरतें पूरी की जा सकें प्राथमिक तथा मिडिल स्कूल खोलना।

(viii) महिला शिक्षकों की बड़े पैमाने पर नियुक्ति करना तथा प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के बिल्कुल पास शिशु सदनों/पूर्व-स्कूलों की व्यवस्था करना।

(ix) बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा की ओर माता-पिता की उदासीनता को दूर करने के लिए पैतृक-शिक्षा तथा विशेष रूप से ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के सभी स्कूलों में स्कूल समितियां स्थापित करना।

(x) पर्यवेक्षी तन्त्र को मजबूत बनाना तथा ब्लाक स्तर तक प्रारम्भिक शिक्षा के प्रशासन विकेन्द्रीत करना।

(xi) प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों में उपस्थिति की मोनिटरिंग करना।

(xii) शिक्षक प्रशिक्षण ससित प्रारंभिक शिक्षा के लिए जन-संचार साधनों का अधिकाधिक प्रयोग करना।

राज्यों में 10+2+3 शिक्षा पद्धति लागू किया जाना

25. **श्री नारायण चन्द्र पराशर :** क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समूचे देश में 10+2+3 शिक्षा पद्धति लागू करके माध्यमिक शिक्षा की एकरूप पद्धति का होना सुनिश्चित किया है;

(ख) यदि हां, तो जिन राज्यों में यह पद्धति लागू की गई है उनके नाम क्या हैं और वहां किन तारीखों से इस पद्धति को लागू किया गया है;

(ग) ऐसे उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अभी इस पद्धति को लागू करना है और उनके द्वारा इसमें बिलम्ब किए जाने के कारण हैं; और

(घ) शेष राज्यों में इस नई पद्धति को लागू की सम्भावित तिथियां क्या हैं ? **शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद)**

(क) से (घ): शिक्षा आयोग (1966) द्वारा सिफारिश की गई स्कूली शिक्षा की समान प्रणाली को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एक भाग के रूप में स्वीकार किया गया था। अगस्त, 1977 में हुये राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि स्कूली शिक्षा की 10+2 पद्धति को देश भर में छटी योजना के अंत तक लागू किया जाए।

2. निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने शिक्षा की नई पद्धति को अपना लिया है तथा उस वर्ष का उल्लेख कोष्ठकों में किया गया है, जिसमें शिक्षा की नई पद्धति के अन्तर्गत कक्षा 10 की परीक्षा में/पहला बैंच बैठा/ बैठने की संभावना है:---

3. इनके अलावा देश भर के सभी केन्द्रीय विद्यालयों सहित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध सभी स्कूलों ने स्कूली शिक्षा की 10+2 पद्धति को अपना लिया है और शिक्षा की इस पद्धति के अंतर्गत प्रथम बैंच कक्षा की परिक्षा में, वर्ष 77 में बैठा।

1. आन्ध्र प्रदेश	(1969)	2 असम	(1976)
3. बिहार	(1981)	4 गुजरात	(1976)
5. जम्मू व कश्मीर	(1976)	6 कर्नाटक	(1971)
7. केरल	(1964)	8 महाराष्ट्र	(1975)
9. मणिपुर	(1980)	10 नागलैंड	(1981)
11. उड़ीसा	(1981)	12 सिक्किम	(1977)
13. तमिलनाडू	(1978)	14 त्रिपुरा	(1976)
15. पश्चिम बंगाल	(1976)	16 अंडमान तथा निकोबार	(1977)
17. अरुणाचल प्रदेश	(1977)	18 चण्डीगढ़	*(1978)
19. दादरा तथा नागर हवेली	(1976)	20 दिल्ली	(1077)
21. गोवा, दमन और दीव	(1975)	22 लघद्वीप	(1976)
23. पांडिचेरी **			

* +2 स्तर को लागू करना स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों-हरियाणा तथा पंजाब ने स्कूली शिक्षा के 10+2 ढांचे को आरंभ नहीं किया है।

**माहे में (1964) यनम में (1964) तथा ~~कार्माकाल~~ कराइकल में (1978)।

4. मेघालय तथा मिजोरम में कक्षा 10 के पश्चात दो वर्ष का पूर्व-विश्व-विद्यालययी स्तर है, जबकि उत्तर प्रदेश में कक्षा 10 के पश्चात दो वर्ष का इन्टरमीडिएट का स्तर है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य, पंजाब और राजस्थान राज्यों ने भी इस नई पद्धति को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है परन्तु वे अभी इस पद्धति को लागू करने की तारीख से संबंधित अंतिम निर्णय नहीं ले सके हैं। इन राज्यों द्वारा यथा सूचित इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में हुए विलंब के कारण इस प्रकार हैं—प्रशिक्षित अध्यापकों की अनुपलब्धता, समुचित प्रयोगशालाओं और उपकारों का अभाव, धन की कमी तथा अन्य प्रशासकीय कठिनाइयां।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, झांसी की औद्योगिक सम्पदा के लिए टेलीफोन कनेक्शन

*6 : **श्री जय नारायण रोट :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पिछड़े क्षेत्रों का तेजी से उद्योगीकरण करने के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, झांसी की अनुषंगी औद्योगिक सम्पदा को टेलीफोन कनेक्शन देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) (क) और (ख)—भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड झांसी औद्योगिक संपदा को चार लंबी दूरी के टेलीफोन कनेक्शनों के जरिए झांसी टेलीफोन एक्सचेंज

से पहले से ही जोड़ दिया गया है। चूंकि उस क्षेत्र से अतिरिक्त टेलीफोन कनेक्शन के लिए कोई मांग अनिर्णीत नहीं अतः अतिरिक्त कनेक्शन का सवाल ही नहीं उठता।

ग्रामों में चल डाकघर

*7. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि,

(क) क्या सरकार ने 2000 से कम आबादी वाले ग्रामों में चल डाकघर व्यवस्था आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) (क) जिन गांवों में नियमित डाकघर नहीं है, वहां डाक सुविधा प्रदान करने के लिए चल डाकघर शुरू किए गए हैं। जिन गांवों में चल डाकघर द्वारा सेवा प्रदान की जाती है उनके चयन के लिए आबादी का कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं हैं।

(ख) ग्रामीण चल डाकघर योजना के अन्तर्गत शाखा पोस्टमास्टर अपने डाकघर के करीब के विशेष गांवों का वितरण एजेंट के साथ निरीक्षण करते हैं। एक गांव में ठहरने के दौरान शाखा पोस्टमास्टर डाक व्यापार का कार्य पूरा करते हैं तथा वितरण एजेंट, डाक वितरण मनीआर्डर की नदायगी तथा पत्र पेटियों से डाक निकालने का कार्य पूरा करते हैं।

31 मार्च, 1980 तक 37,124 शाखा पोस्टमास्टर 91,677 गांवों को चल डाक सेवा प्रदान कर रहे थे।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनी के मूल्यों में वृद्धि

*8. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी:**

श्री पीयूष तिरकी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चीनी के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कीमतों में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ? **कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन)**

(क) मुक्त बिक्री की चीनी के मूल्यों, जिनमें वृद्धि की प्रवृत्ति देखने को मिली थी, मई, 1980 के प्रथम पखवाड़े में प्रमुख मंडियों में उच्चतम स्तर पर पहुंच गये। बाद में मूल्यों में काफी गिरावट आयी और हालांकि मई के अन्तिम सप्ताह से मूल्यों में वृद्धि हुई लेकिन इस समय मूल्य पहले के उच्चतम स्तर से कम हैं।

(ख)वर्तमान मौसम 1979-80 के दौरान चीनी के उत्पादन में भारी कमी होने तथा अन्य

स्वीटनिंग तत्वों अर्थात् गुड़ और खंडसारी की कम उपलब्धता और उनके ऊंचे मूल्य होने जैसे ऐसे मुख्य कारण कहे जा सकते हैं जिनके फल स्वरूप चीनी के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति आयी।

(ग) सरकार द्वारा चीनी के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए जो कई एक उपाय किए गए हैं वे इस प्रकार हैं।

1. मान्यता प्राप्त व्यापारियों की स्टाक रखने की सीमा को कम कर दिया गया है ;

2. राज्य सरकार के प्राधिकारियों के माध्यम से स्टाक रखने की सीमा को कड़ाई से लाभ करवाना और जमा स्टाक को बाहर निकलवाने के कार्यों में तेजी लाना।

3. जहां कहीं सौदा स्टाक की प्रत्यक्ष सुपुर्दगी के साथ-साथ न किया गया हो वहां एक थोक विकरेता द्वारा दूसरे थोक विकरेता को चीनी बेचने पर प्रतिबन्ध लगाना;

4. 10 दिनों की अवधि के अन्दर स्टाक को बेचने विषयक मान्यता प्राप्त व्यापारियों पर प्रतिबन्ध लगाना ;

5. मुक्त विकरी की चीनी की बिकरी और प्रेषणों से संबंधित सूचना पर निगाह रखना इस संबंध में चीनी मिलों के लिए संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकारियों साप्ताहिक बिकरी और प्रेषणों के ब्यौरे देना अनिवार्य कर दिया गया है ;

6. मई और जून, 1980 के लिए मुक्त बिकरी के अतिरिक्त कोटे निमुक्त करना; और

7. 2 लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने का निर्णय।

राष्ट्रीय हाकी शिविर में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भत्ता

***9. श्री के० मालन्ना:**

श्री छीतू भाई गामित क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मास्को ओलम्पिक के लिए भारतीय टीम के चयन हेतु बंगलौर में होने वाले राष्ट्रीय हाकी शिविर में भाग ले रहे हाकी खिलाड़ियों को भोजन भत्ता के रूप में ग्यारह रुपये प्रतिदिन के हिसाब से स्वीकृत किये गये हैं ;

(ख) यदि हां तो सरकार जबकि खाने-पीने की प्रत्येक वस्तु की कीमत बढ़ती जा रही है, एक राष्ट्रीय खिलाड़ी को अपना रहने का स्तर बनाये रखने के लिए भत्ते की इस कम राशि के दिए जाने से सन्तुष्ट है; और

(ग) क्या सरकार का राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए भत्ते की इस राशि में वृद्धि करने का विचार है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं **शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी०शंकरानन्द)**(क) जी नहीं। सरकार शिविर में भाग ले रहे प्रत्येक हाकी खिलाड़ी को 15/-रुपये प्रतिदिन की दर से भोजन भत्ता देती है। खाने की कुछ वस्तुओं की हाल ही में बढ़ी हुई कीमतों को देखते हुए हाकी शिविर, बंगलौर के मामले में इस दर को संशोधित करके 18/- रुपये कर दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार निश्चय ही इस प्रयोजन के लिए भत्ते की राशि को उचित रूप में बढ़ाना चाहती है, यदि इसे विद्यमान कीमतों तथा आवश्यकताओं के आधार पर तर्कसंगत पाया गया।

राज्यों में सूखा

*/10. श्री समर मुखर्जी :

श्री भीखा भाई :क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में (राज्यवार) कुल कितने क्षेत्रफल और जनसंख्या पर सूखे का असर पड़ा है;

(ख) किन-किन राज्यों को सूखा-ग्रस्त राज्य घोषित किया गया है और राज्यवार कितनी फसल की हानि हुई है ; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या अल्प-कालिक और दीर्घ-कालिक उपाय किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन)

(क) और (ख) : राज्यवार प्रभावित जनसंख्या तथा सदस्यगत क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाला विवरणसंलग्न है।

(ग) : 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान सूखे से प्रभावित राज्यों में राहत प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं।

1979-80 के दौरान

मौके पर जायजा लेने के लिए सूखे से प्रभावित राज्यों का दौरा करने वाले केन्द्रीय दल की रिपोर्टों तथा राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने सूखे से प्रभावित 11 राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रयोजन के लिए 156.95 करोड़ रु० के अधिकतम व्यय की मंजूरी दी थी। इसमें निराश्रित व्यक्तियों के लिए 12.50 करोड़ रु० की निशुल्क राहत तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सक्षम गरीब व्यक्तियों के लाभ के लिए रोजगार पैदा करने वाली योजनाओं के लिए 99.91 करोड़ रु० की रकम भी शामिल है।

काम के बदले अनाज संबंधी सामान्य और विशेष कार्यकरमों के तहत लगभग 25 लाख मीटरी टन खाद्यान्न आवंटित किया गया था। इसके अलावा, दूध पिलाने वाली माताओं तथा गर्भवती महिलाओं, स्कूल न जाने वाले शिशुओं, वृद्ध तथा अशक्त व्यक्तियों और शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों आदि जनसंख्या के अत्यंत दुर्बल वर्गों के निमित्त पोषण के लिए अनाज कार्यकरम शुरु करने हेतू राज्यों को एक लाख मीटरी टन खाद्यान्न भी उपलब्ध किया गया था।

कृषि आदान मुहैया करने के लिए 197 -80 के खरीफ तथा रबी दोनों मौसमों के लिए 136 करोड़ रू० का अल्पकालीन ऋण मंजूर किया गया था।

विशेष रियायतें भारत सरकार ने न केवल लघु कृषक विकास एजेन्सी, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यकरम, सघन ग्राम विकास जैसे विशेष कार्यकरमों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में बल्कि उन क्षेत्रों में भी जहां फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान पहुंचा है, छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए बीजों, कीटनाशी औषधियों तथा उर्वरकों (जिसमें नाइट्रोजन पूरक उर्वरक भी शामिल है)

के लिए राज सहायता की अनुमति दी । छोटे किसानों आदि को नाइट्रोजन पूरक उर्वरकों पर पहली बार राज-सहायता दी गई।

भारी कर्जे के बोझ से दबे हुए छोटे तथा सीमांत किसानों को राहत देने के उद्देश्य से, उन क्षेत्रों में जहां फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान पहुंचा था, खरीफ के ऋण पर ब्याज की देयता से छूट दे दी गई थी बशर्ते कि ऋण की अदायगी पुन: निर्धारित तारीख पर कर दी गई हो। एतत्सम्बन्धी खर्च राज्य सरकारों और भारत सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया गया ।

पशु आहार के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया था । तिलहनों की कोल्हू से निकलने वाली खली तथा तेल रहित चावल की भूसी और मिश्रित पशु तथा कुक्कुट आहार का निर्यात बन्द कर दिया गया था ।

विद्युत तथा पावर सप्लाई

जब मौजूदा सरकार ने कार्यभार संभाला तो राज्य सरकारों को सलाह दी गई कि रबी मौसम के दौरान एक या दो महत्वपूर्ण सिंचाई के लिए किसानों के लिए कम से कम 30 प्रतिशत डीजल निर्धारित करे और वस्तुतः इसे उपलब्ध करें रबी मौसम के दौरान किसानों के लिए डीजल एक आवश्यक आदान होता है, अतः पेट्रोलियम मंत्रालय ने भारी कठिनाइयों के बावजूद पहले के कोटे के अलावा अतिरिक्त नियतन किया और इस अतिरिक्त नियतन का एक बड़ा भाग सूखे से प्रभावित राज्यों को दिया गया है ।

केन्द्र ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे कम से कम 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत बिजली ग्रामीण क्षेत्रों को उपलब्ध करें और इसके लिए यदि आवश्यक हो तो आर्क-फरनेस, रोलिंग मिलों आदि बिजली की अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं की सप्लाई मे कटौती करें। रेल मंत्रालय तथा कोयला विभाग ने विशेषरूप से उत्तरी क्षेत्र के ताप बिजली घरों के लिए कोयले की सप्लाई बढ़ाने के लिए उपाय किए ।

राज्य सरकारों ने भूमि के लगान की वसूली को स्थगित करने तथा भूमि के लगान की बकाया राशि के माफी के बारे में आदेश जारी किए

1980-81 के दौरान

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, बिहार उड़ीसा की सरकारों के अनुरोध पर भारत सरकार ने सूखे की स्थिति का मौके पर जायजा लेने के लिए अप्रैल-मई, 1980 के दौरान केन्द्रीय दल भेजे । केन्द्रीय दलों की रिपोर्टों तथा उस पर राहत सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने इन राज्यों को केन्द्रीय सहायता के उप्रयोजन के लिए 177.37 करोड रू० के अधिकतम खर्च की मंजूरी दी है । इस धनराशि में नि:शुल्क राहत तथा दवाओं आदि की व्यवस्था के लिए 34.45 करोड़ रू०, रोजगार पैदा करने वाली योजनाओं के लिए 79.59 करोड़ रु० तथा पेय जल की व्यवस्था के लिए 37.84 करोड़ रु० की रकम भी शामिल है ।

केन्द्रीय दलों ने हाल ही में गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश का भी दौरा किया और उनकी रिपोर्टों के आधार पर इन राज्यों को भी सहायता देने के बारे में विचार किया जाएगा ।

इसके अलावा, काम के बदले अनाज सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम के तहतहत 1980-81 के दौरान सूखे से प्रभावित सभी राज्यों तथा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश व अन्दमान तथा नीकोबार द्वीप-समूह के संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 6.90 लाख मीटरी टन खाद्यान्न उपलब्ध किया गया है। यह मात्रा काम के बदले अनाज सम्बन्धी सामान्य कार्यकरम के तहत दिए गए 3.10 लाख मीटरी टन खाद्यान्न के अलावा दी गई है। 1979-80 के दौरान शुरू किया गया पोषाहार के लिए अनाज कार्यकरम सितम्बर, 1980 के अन्त तक जारी रखा जाएगा। इस कार्यकरम के कारगर किरयान्वयन हेतु प्रोत्साहन के तौर पर राज्य सरकारों को समान व्यय के लिए माजिन धनराशि को उपयोग में लाने की अनुमति दी गई है। समाज कल्याण मंत्रालय ने भी, जहां संगठनात्मक अवस्थापना का अभाव है, वहां बिना पके हुए आहार के वितरण की अनुमति देकर अपवादजनक परिस्थितियों में पकाया हुआ आहार प्रदान करने की शर्त में ढील दे दी है।

केन्द्रीय सरकार ने दूध पिलाने वाली महिलाओं, बच्चों आदि के लिए सूखे से प्रभावित राज्यों को 2500 मीटरी टन खाद्य तेल तथा 1500 मीटरी टन स्किम दुग्ध चूर्ण उपबन्ध किया है

भारत सरकार ने खरीफ मौसम के दौरान कृषि आदान मुहैया संख्या करने के लिए सूखे से प्रभावित 11 राज्यों के लिए कुल 38.60 करोड़ रु० का अल्पकालीन ऋण मंजूर किया है।

सूखे से प्रभावित मोनो-कराप्ड क्षेत्रों में जहां रबी की कोई फसल नहीं उगाई जा सकी छोटे और सीमांत किसानों को कृषि आदानों (जिसमें नाइट्रोजनपूरक उर्वरक भी शामिल हैं) पर दी जाने वाली वर्तमान राजसहायता की अवधि सितम्बर; 1980 के अन्त तक बढ़ा दी गई है।

पीने का पानी

सूखाग्रस्त राज्यों में पीने के पानी की समस्या को युद्ध स्तर पर हल किया जा रहा है। 1980-81 के दौरान स्वीकृत की गई केन्द्रीय स्थापना में आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश को दिया गया 37.84 करोड़ रुपये का प्रावधान भी शामिल है।

इसके अतिरिक्त, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कुए खोदने के लिए राज्य सरकारी की सप्लाई करने के लिए स्वदेशी रिगो की अधिप्राप्ति तथा त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यकिरम के तहत सामान्य प्रावधानों बढ़ाने के लिए निर्माण एवं आवास मंत्रालय को 11 करोड़ रुपये की राशि दी गई है।

इसके अतिरिक्त, स्वीडन से उपहार स्वरूप 10 रिगों को स्वीकार करने के लिए निर्माण एवं आवास मंत्रालय को प्रतिस्थानी धनराशि के रूप में 4 करोड़ रुपये दिए गये हैं।

रेलवे ने उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के प्रबन्ध किए हैं।

रक्षा मंत्रालय उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश राज्यों के सूखे से प्रभावित गांवों में टैंकरों, ड्रामों, बैरलों, कैनावास टैंकों आदि से पीने का पानी पहुंचाने के लिए हर संभव सहायता दे रहा है।

सूखा-प्रबन्ध के बारे में प्रधान मंत्री को 12-सूत्री कार्यक्रम देश में पड़े अभूतपूर्व सूखे की की स्थिति से युद्ध स्तर पर निपटने के लिए पूल एवं कार्रवाई का मार्गदर्शन करता है। इस कार्य-

क्रम में ये शामिल हैं भयंकर रूप से प्रभावित जिलों में पूर्णकालीन राहत अधिकारियों को नियुक्त करना, राज्य तथा जिला स्तरों पर प्रबोधन सैलों का गठन करना, खाद्यान्नों, खाद्य तेल तथा मिट्टी के तेल की सप्लाई के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना, अभाव की स्थिति का नाजाइज़ा फायदा उठाने का प्रयत्न करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना, पंचायत स्तर पर योजनाओं को सुनिश्चित करके काम के बदले अनाज कार्यक्रम का सुचारु क्रियान्वयन तथा वन रोपण के एक व्यापक कार्यकरम के साथ काम के बदले अनाज कार्यक्रम को जोड़ना । यह कार्यक्रम प्रभावित ग्रामों में पानी की सप्लाई करने के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने तथा ट्रक, ड्रम, बैरेल आदि प्रबन्ध करने के लिए अग्रिम कार्रवाई करने पर भी बल देता है । लोगों को इस आपदा से राहत देने के अतिरिक्त, इस कार्यक्रम में गोपशुओं के लिए कैंपों की स्थापना करने का भी प्रावधान है । 12 सूत्री कार्यक्रम गम्भीरता से क्रियान्वित किया जा रहा और हमने सभी स्तरों पर राज्य-तंत्र को गति प्रदान की है ।

प्रबोधन :

कृषि विभाग में एक कृतिक बल तथा खाद्य विभाग में एक प्रबोधन ग्रुप खाद्यान्नों के संचालन, डीजल के आवंटन, पीने का पानी के प्रबन्धों आदि का नियमित रूप प्रबोधन कर रहा है। सूखा राहत कार्यों का प्रबोधन करने तथा राज्य सरकारों को सूखाराहत कार्यों से सम्बन्धित समस्याओं को शीघ्रता से निपटाने में सहायता देने के लिए कृषि मंत्रालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है ।

दीर्घ कालीन उपाय : सिंचाई :

सूखे की स्थिति को न्यूनतम करने के लिए प्रस्तावित दीर्घकालीन उपायों में एक सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना है । प्राक्कलित लगभग 1700 लाख हैक्टर के कुल सस्यगत क्षेत्र में से मार्च 1978 के अन्त तक वृहत, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं से 520 लाख हैक्टम क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत लाया जा चुका था । अनुमान है कि जून, 1980 के अन्त तक समूचे सिंचाई कार्यक्रमों के द्वारा सृजित क्षमता 570 लाख हैक्टर हो जाएगी, जबकि 1951 में यह,226 लाख हैक्टार थी ।

ऊर्जा एवं सिंचाई मंत्रालय ने वृहत तथा मध्यम स्कीमों से 1980-85 की योजनावधि में 85 लाख हैक्टर क्षेत्र की सिंचाई क्षमता सृजित करने का अस्थाई प्रस्ताव रखा है । लघु सिंचाई योजनाओं के जरिए 85 लाख हैक्टार और क्षेत्र की सिंचाई क्षमता सृजित क्षमता की जाएगी विद्यमान दीर्घ कालीन लक्ष्य 2000 ईसवी के अन्त तक लगभग 1100 लाख हैक्टार क्षेत्र की कुल सिंचाई क्षमता सृजित करने का है ।

सूखा प्रवरण क्षेत्र कार्यक्रम :

भारत सरकार द्वारा 1970-71 में आरम्भ किया गया सूखा प्रवरण क्षेत्र कार्यक्रम 13 राज्यों के 74 जिलो तथा तमिलनाडु और कर्नाटक में चल रहा है । यह कार्यक्रम अवसंरचना पंके एवं फार्म पर विकास कार्यकलापों के माध्यम से इन क्षेत्रों की अर्थ-व्यवस्था को सुधारने का प्रयत्न करता है । इसका: अन्ततोगत्वा उद्देश्य इन क्षेत्रों को निरन्तर पड़ने वाले सूखे से छुटकारा दिला

है। इस नीति के प्रमुख घटक ये है; (1) सिंचाई स्रोतों का विकास तथा प्रबन्ध; (2) मृदा एवं नदी संरक्षण तथा वन रोपण ; (3) सस्य प्रतिमान की पुनर्रचना तथा चरागाह विकास; और (4) राजसहायता के माध्यम से छोटे एवं सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों को सहायता देना।

1979-80 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 4177.50 लाख रुपए का केन्द्रीय योगदान दिया गया तथा 1980-81 के लिए 3960 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। कार्यक्रम पर होने वाला व्यय केन्द्र तथा सम्बन्धित राज्य द्वारा बराबर-बराबर के आधार वहन किया जाता है।

मरुभूमि विकास कार्यक्रम :

गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश (लाहोल स्पीति) तथा जम्मू व कश्मीर (लद्दाख) के 18 जिलों के मरुभूमि क्षेत्रों में 1977-78 से एक मरुभूमि विकास कार्यक्रम आरम्भ किया गया है इस कार्यक्रम के मुख्य घटक ये हैं : (1) वन रोपण, रक्षा पट्टियां, चारगाह निकास तथा बालू के टीलों का स्थिरीकरण; (2) भूमिगत जल विकास उपयोगिता ; (3) जल उपयोग

विवरण-क

प्रभावित जन संख्या व प्रभावित सस्यगत क्षेत्र

1979-80

राज्य	प्रभावित जनसंख्या (लाख)	प्रभावित क्षेत्र (लाख हैक्टार)
1. आन्ध्र प्रदेश	125.00	40.00
2. बिहार	473.00	30.00
3. हरियाणा	30.00	17.00
4. हिमाचल प्रदेश	27.00	4.90
5. जम्मू और कश्मीर	2.69	2.13
6. मध्य प्रदेश	279.00	88.00
7. महाराष्ट्र	53.14	10.23
8. उड़ीसा	115.00	43.18
9. राजस्थन	240.00	30.00
10. उत्तर प्रदेश	774.00	105.00
11. पश्चिमी बंगाल	88.00	15.55
योग	2204.83	385.99

संरचना का विकास ; (5) कृषि, पशु पालन तथा बागवानी का विकास ; तथा (6) निजी लाभकारी योजनाएं। केन्द्र तथा सम्बन्धित राज्यों में बराबर-बराबर के आधार पर प्रत्येक ब्लाक के लिए 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। वर्ष 1979-80 के दौरान लाभानुभोगी राज्यों को 9.77 करोड़ रुपए तथा 1980-81 के दौरान 8 करोड़ रुपए का केन्द्रीय आवंटन किया गया था। राज्य सरकारों को बराबर-बराबर राशि का योगदान करना होता है।

विवरण-ख

प्रभावित जन संख्या प्रभावित सस्यगत क्षेत्र

राज्य	प्रभावित जनसंख्या (लाख)	खरीफ की प्रभावित फसलें (लाख हैक्टार)
1. आन्ध्र प्रदेश	126.00	40.00
2. बिहार	433.00	30.00
3. गुजरात	60.00	11.24
4. हिमाचल प्रदेश	34.00	4.90
5. मध्य प्रदेश	267.00	90.08
6. उड़ीसा	134.00	35.22
7. राजस्थान	240.00	30.00
8. उत्तर प्रदेश	763.00	105.90
योग	2066.00	346.44

एशियाई खेल, 1982 के आयोजन के स्थान

***11. श्री सोमनाथ चटर्जी :**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेल, 1982 का आयोजन कलकत्ता में करने में क्या रुकावटें हैं जबकि 1982 के एशियाई खेल आयोजन समिति के चेयरमैन ने कहा था कि इसके लिए राई नहीं बल्कि कलकत्ता आदर्श स्थान होगा;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि इस मामले में किसी अन्य राज्य या व्यक्ति द्वारा रुचि लिये जाने से पूर्व पश्चिम बंगाल ही एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने जनता शासन के दौरान कलकत्ता में खेलों का आयोजन करने की सर्वप्रथम मांग की थी; और

(ग) यदि हां तो क्या सरकार का विचार इस मामले पर पुनर्विचार करने का है?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) :

(क) 1982 के एशियाई खेलों के लिए स्थान की सिफारिश भारतीय औलम्पिक संघ ने करनी है न कि आयोजन समिति ने। उपलब्ध सुविधाओं और अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय औलम्पिक संघ ने 1982 के एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित करने के लिए 1976 में एशियाई खेल संघ की स्वीकृति मांगी थी और एशियाईखेल संघ सहमत हो गया था तथा दिसम्बर, 1978 में बैंठक में हुई अपनी बैठक में अपने निर्णय की पुष्टि की थी।

(ख) 1976 में पश्चित बंगाल सरकार ने 1982 के एशियाई खेल कलकत्ता में आयोजित करने की पेशकश की तथा 1978 में इस प्रस्ताव की पुन: पेशकश की गई।

(ग) भारतीय ओलम्पिक संघ का खेलों का स्थान बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है

मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये अधिक चीनी का रिलीज किया जाना

*12. श्री गुलाम रसूल कोछक

श्री एन० ई० होरो : क्या: कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये अधिक चीनी रिलीज करने का निर्णय लिया था :

(ख) यदि हां, तो चीनी की कुल कितनी मात्रा रिलीज की गई;

(ग) क्या इस रिलीज के बावजूद भी चीनी के मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है जोकि लगातार बढ़ते जा रहे है;

(घ) क्या इस समय भी चीनी के मूल्यों में बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है और बाजार में इसकी कमी है और

(ङ) यदि हां, तो इस समस्या को हल करने और इसके मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिये सरकार का विचार क्या अन्य कार्यवाही करने का है ? कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री आर० बी० स्वामीनाथन) :

(क) से (घ) अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में तथा मई, 1980 के प्रथम सप्ताह में चीनी के मूल्यों में देखी गई वृद्धि को देखते हुए क्रमश: 1-5-1980 और 13-5-1980 को 50,000 और एक लाख मीटरी टन मुक्त बिकरी की चीनी के अनुपूरक कोटे निर्मुक्त किए गए थे, जोकि मई, 1980 के लिए 1.25 लाख मीटरी टन के प्रारंभिक सामान्य आवंटन के अतिरिक्त थे; जिससे उस्त मास के लिए मुक्त बिकरो की चीनी की कुल निर्मुक्ति को बढ़ाकर 2.75 लाख मीटरी टन कर दिया गया। जून, 1980 के लिए भी 1.75 लाख मीटरी टन मुक्त बिकरी की चीनी का कोटा निर्मुक्त किया गया है, जिसका अभिप्राय है कि 50,000 मीटरी टन अतिरिक्त निर्मुक्ति की गई है। अत: कुल मिलाकर मई और जून, 1980 के लिए मुक्त बिकरी की चीनी की 2 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त मात्रा निर्मुक्त की गई है। यह कहना सही नहीं है कि इस अतिरिक्त निर्मुक्ति से चीनी के मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मई, 1980 के लिए 13-5-1980 को मुक्त बिकरी की चीनी का एक लाख मीटरी टन का दूसरा अनुपूरक कोटा निर्मुक्त करने के

तुरन्त बाद मूल्यों में गिरावट आनी शुरू हुई और 21-5-1980 तक प्रमुख मंडियों में चीनी के थोक मूल्यों में 115/-रु० से 160/-रु० प्रति क्विंटल तक की कमी हुई जोकि बहुत अधिक कमी थी। इस भारी गिरावट की प्रतिक्रिया में बाद में मई के अन्तिम सप्ताह में मूल्यों में आंशिक रूप से वृद्धि हुई लेकिन तब भी प्रमुख मंडियों में मई के दूसरे सप्ताह में पहुंचे उच्चतम मूल्यों की तुलना में वर्तमान थोक मूल्य उल्लेखनीय रूप से कम हैं, जिसका ब्यौरा नीचे की सारणी में दिया गया है :

(रु० प्रति क्विंटल)

बाजार	उच्चतम थोक मूल्य	3-6-1980 को थोक मूल्य
दिल्ली	670 (9-5-80)	620 (5-6-80)
कानपुर	660 (9-5-80)	545
कलकत्ता	655 (13-5-80)	590 (2-6-80)
बम्बई	650 (8-5-80)	575 (2-6-80)
मद्रास	585 (2-5-80)	545 (4-6-80)

अतः हालांकि मूल्यों में व्यापक घट-बढ़ हुई है, लेकिन मई के दूसरे सप्ताह के उच्चतम मूल्यों से चीनी के वर्तमान मूल्य कम हैं और बाजारों में चीनी की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है।

(ङ) ऊपर उल्लिखित मुक्त विकरी की चीनी की अतिरिक्त निर्मुक्ति करने के अलावा चीनी के मूल्यों को नियंत्रित रखने की दिशा में निम्नलिखित पग भी उठाये गए हैं।

1. मान्यता प्राप्त व्यापारियों द्वारा लेवी चीनी के स्टाक को रखने की सीमा को घटाकर अधिकतम 500 क्विंटल कर दिया गया है लेकिन इसमें कलकत्ता के वे व्यापारी शामिल नहीं हैं जोकि पश्चिमी बंगाल के बाहर से चीनी का आयात करते हैं और जिनके लिए स्टाक रखने की सीमा 3,500 क्विंटल है।

2. राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे स्टाक रखने की सीमा को कड़ायी से लागू करवाना सुनिश्चित करें और अपने राज्यों में माल बाहर निकलवाने के कार्य में गति लाएं।

3, ऐसे मामलों में जहां चीनी की प्रत्यक्ष सुपुर्दगी के साथ इस प्रकार की बिक्री नहीं होती है वहां एक थोक विक्रेता द्वारा दूसरे थोक विकरेता को चीनी बेचने पर प्रतिबन्ध लगा दिए गए हैं।

4. प्राप्ति की तारीख से 10 दिनों से अधिक अवधि के लिए मान्यता प्राप्त व्यापारि चीनी का कोई भी स्टाक रखने के लिए सांविधिक रूप से मना कर दिया गया है।

5. चीनी फैक्ट्रियों से सांविधिक रूप से अपेक्षा की जाती है कि वे जिस राज्य को चीनी भेजी जाती है उस राज्य सरकार के प्राधिकारियों को चीनी के विकरी मूल्य और प्रेषणों के बारे में विवरण सुलभ करें।

बाजार में चीनी के मूल्यों और उसकी उपलब्धता की प्रवृत्ति पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है। राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात की गई 2 लाख मीटरी टन चीनी का निपटान करने के तौर तरीके तैयार किए जा रहे हैं ताकि विभिन्न मंडियों में नियमित और समय पर सप्लाई को सुनिश्चित किया जा सके।

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम में संशोधन

***13. श्री डी० पी० जादेजा :**

श्री नवीन रमाणी क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार कई पेचीदगियों को ध्यान में रखते हुए नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम में संशोधन करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) (क तथा ख) भारत सरकार ने नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 के कार्यकरण का संशोधन करने के लिए नवम्बर, 1979 में एक कार्यकारी दल का गठन किया था इसका गठन सरकारों को अधिनियम के प्रशासन में हो रही कठिनाइयों तथा इसके संशोधन के लिए किये गये सुझावों को देखते हुए किया गया था। दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जोकि सरकार के विचाराधीन है।

पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के लिये पटसन के बीज

14. **श्री रूप चन्द पाल : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम ने इस मौसम में 2,50,000 हेक्टेयर भूमि की तुलना में 6,00,000 हैक्टार भूमि पर पटसन की खेती करने में सहायता करने के लिये पश्चिम बंगाल और निकटवर्ती राज्यों के पटसन-उत्पादकों को पटसन के ताजा प्रमाणित बीजों की रिकार्ड सप्लाई करने की व्यवस्था की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) तथा (ख) राष्ट्रीय बीज निगम ने खरीफ 1980 के दौरान पश्चिम बंगाल तथा निकटवर्ती राज्यों में 27,055 क्विंटल पटसन के ताजे प्रमाणीकृत बीजों का वितरण करने की व्यवस्था की है, जो गत वर्ष के 2.3 लाख हैक्टार की तुलना में लगभग 5.4 लाख हैक्टार क्षेत्र के लिए पर्याप्त था।

इस संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

चीनी और गन्ने का उत्पादन।

15. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या कृषि मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन चीनी वर्षों में प्रति वर्ष गन्ने का कुल कितना उत्पादन हुआ और चालू वर्ष में कितना उत्पान होने का अनुमान है ;

विवरण

क्रम सं०	किस्म	बिहार	पश्चिम बंगाल	असम	उड़ीसा	उत्तर प्रदेश	योग
1.	जे० आर० ओ०—632	5,000	9,466	400	200	30	15,096
2.	जे० आर० ओ०—878	5,000	1,257	—	100	10	6,367
3.	जे० आर० ओ०—7835	1,200	2,049	100	—	—	3,349
4.	जे० आर० ओ०—524	1,000	1,003	—	50	—	2,053
5.	जे० आर० सी०—212	—	76	—	—	100	176
6.	जे० आर० सी०—321	14	—	—	—	—	14
7.	जे० आर० सी०—7447	—	—	—	—	—	—
	योग	12,214	13,851	500	450	140	27,055

(ख) प्रति वर्ष चीनी, खाण्डसारी और गुड़ विनिर्माताओं द्वारा गन्ने की अलग-अलग कितनी मात्रा में पेराई की गई और मिलों द्वारा प्रति वर्ष कितनी चीनी का उत्पादन किया गया ;

(ग) गन्ना और चीनी के उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) गन्ने की खेती बढ़ाने और मिलों द्वारा चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं, अथवा किए जाने का विचार है ? कृषि मंत्रालय में राज्य (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) पिछले तीन मौसमों के दौरान प्रत्येक उत्पादन से सम्बन्धित जानकारी नीचे दी गई है :—

(दस लाख मीटरी टन)

वर्ष	गन्ने के रूप में उत्पादन
1977-78	177.0
1978-79	156.5
1979-80	उपलब्ध नहीं

(लाख मीटरी टन)

(ख) वर्ष	चीनी के उत्पादन के लिए गन्ने का उपयोग	गुड़ और खाण्डसारी के लिए उपयोग किये गये गन्ने की अनुमानित मात्रा	चीनी का उत्पादन
1977-78	672.92	886.1	64.62
1978-79	596.94	783.0	58.44
1979-80	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	38.40 (22-5-80 तक)

(ग) 1977-78 मौसम के दौरान देश में गन्ने और चीनी का रिकार्ड उत्पादन हुआ था। इसके बाद, आगामी दो वर्षों में गन्ने तथा चीनी के उत्पादन में गिरावट आई। गन्ने और चीनी के उत्पादन में गिरावट के कारण निम्नलिखित है :—

(1) वर्ष 1978-79 और 1979-40 के दौरान वर्षा की कमी और अनियमित वर्षा की वजह से गन्ने क्षेत्र और उत्पादकता पर काफी प्रभाव पड़ा;

(2) वर्ष 1979-80 की फसल की बुवाई के समय चीनी और अन्य मीठी वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई ; और

3. चीनी के उत्पादन में गिरावट मुख्यतः गन्ने के उत्पादन में कमी की बजह से हुई थी।

(घ) 1980-81 के मौसम के दौरान, गन्ने के उत्पादन में निम्नलिखित के द्वारा वृद्धि करने का प्रस्ताव है :—

(क) क्षेत्र में वृद्धि और (ख) उत्पादकता में वृद्धि के द्वारा। क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों से बुवाई की अवधि को यथा सम्भव आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है। गन्ने की उत्पादकता को उन्नत बीजों के उपयोग अन्तर्वर्तीय खेती खरपतवार नाशी रसायन के उपयोग, कीटों के नाश करने के लिए छिड़काव, उर्वरकों कें अनुकूलतम उपयोग; प्रदर्शन और प्रभावी प्रबन्ध के द्वारा वृद्धि करने का प्रस्ताव है। गन्ने के लिए किए गए उपायों से चीनी के उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। वर्ष 1980-81 में चीनी के उत्पादन को अधिकाधिक बढाने के लिए सरकार पिराई की जल्दी शुरूआत को सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय भी करेगी।

चीनी उद्योग

*16. **श्री अमर पाल सिंह वी० राठवा : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में चीनी उद्योग को अपने नियंत्रण में लेने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ? **कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन)**: (क) : जी नहीं।

(ख) प्रश्न यह उठता।

संस्कृत-विश्वविद्यालय

*17. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में कौन-कौन से संस्कृत विश्वविद्यालय हैं तथा उनके चहुंमुखी विकास के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) देश में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी और के० एस० दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा, नाम के दो संस्कृत विश्वविद्यालय हैं। अतः उनके विकास की जिम्मेदारी, वास्तव में सम्बन्धित राज्य सरकार की है। तथापि, वे इस सहायता का लाभ उठाते हैं क्योंकि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोगों की योजनाओं के अन्तर्गत इसके गांव पात्र है।

केरल को चूहे मारने की योजना का अन्य राज्यों में लागू होना

18. **श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की सरकार ने चूहे मारने में काफी सफलता प्राप्त की है, ताकि खाद्यान्नों की बरबादी कम हो और इस प्रकार समूचे देश के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया है :

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है,

(ग) क्या सरकार ने इस स्कीम को अन्य राज्यों में लागू करने की किसी योजना पर विचार किया है, और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? कृषि मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी ० स्वामीनाथन) : (क), और (ख):— 1989-80 के दौरान, केरल राज्य नियत्रण समिति ने चुनींदा पंचायतों में 46 अभियान आयोजित किए थे । स्थानीय समितियों ने लगभग 300 स्वयंसेवकों को कार्य पर लगाया था जिन्हें विषैले चारे के इस्तेमाल के बारे में प्रशिक्षण दिया गया था और उन्हें कृषि विभाग द्वारा मुफ्त रसायन-पदार्थ सप्लाई किए गये थे। किसान संघ, "सर्विस को आपरेटिव", किसान प्रशिक्षण केन्द्र और केन्द्रीय अन्न सुरक्षा अभियान दल ने इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया था और इसके व्यापक प्रचार की गई थी। यह कार्य लगभग 1.3 लाख मकानों और 1.6 लाख हैक्टार भूमि में हुआ। इसमें रसायन पदार्थ तथा प्रासंगिक खर्च के लिए 1.4 लाख रुपये खर्चे हुए खर्चे लक्ष्य के साथ इस वर्ष भी इस योजना को जारी रखने का विचार है ।

(ग) और (घ) :—केन्द्रीय नियंत्रण सलाहकार बोर्ड ने कम्युनिटी आधार पर चूहों पर कारगर ढंग से निययण करने के लिए विभिन्न राज्यों में राज्य स्तर पर नियंत्रण गठित करने की सिफारिश की है । चूहा-कीट प्रबन्ध के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अधीन विभिन्न सस्थाओं में राज्य के अधिकारियों को "एपेक्स" स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाता है। केन्द्रीय अन्न सुरक्षा अभियान योजना के अधीन, धात्विक बिन, मौजूदा भण्डारण ढाँचों में सुधार करने के लिए आदान तथा कीटनाशक दवाईयां सप्लाई करने और चूहों सहित विभिन्न कारणों से खाद्यनों की क्षति को बचने के लिए राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को तब्दीली तथा वित्तीय सहायता दी जा रही है चूहों के नियंत्रण सें संबंधित विशिष्ट कार्यों पर जोर देने के लिए प्रति वर्ष नियत्रंण सप्ताह का आयोजन किया जाता है ।

***19. श्री अर्जुन सेठी :**

श्री के० प्रधानी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केन्द्र सरकार को मालूम है कि उड़ीसा के सूखाग्रस्त गांवों में पेय जल की भारी कमी है ,

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सहायता मांगी है, और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिकिरिया है ?

श्री आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) : जी, हां ।

(ग) केन्द्रीय सरकार की प्रक्रिया सकारात्मक है। केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा सरकार को निम्नलिखित सहायता दी गई है :—

(i) राज्य सरकार द्वारा सख्त पथरीले क्षेत्रों में कुएं खोदने के लिये मांगें गये 10 रिग उन्हें दे दिये गये हैं। आने वाले महीनों में 6 और रिग देने का प्रस्ताव है।

(ii) 1979-80 में 209 लाख रुपये की राशि केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान के रूप में दी गई है।

(iii) पेय जल के लिये अग्रिम प्लान सहायता निम्नलिखित प्रकार से नतय की गई है :—

1979-80	—	300 लाख रुपये
1980-81	—	200 लाख रुपये

(iv) सभी गांवों में पानी उपलब्ध कराने के लिये आकस्मिक योजना तैयार करने के लिये राज्य सरकार को मार्ग निर्देश उपलब्ध कराये गये हैं। राज्य सरकार को एक जांच सूची भी भेजी गई है।

(v) संबंधित मन्त्रालय से अनुरोध किया गया है कि वे आवश्यकता पढ़ने पर अग्रता के आधार पर राज्य सरकार को हैण्डपम्प, पाइपें, सीमेंट, इस्पात आदि उपलब्ध कराने के प्रबन्ध करें।

(vi) राज्य सरकार को यह भी सलाह दी गई है कि वह रक्षा मन्त्रालय के कमान हेडक्वार्टरों से सम्पर्क बढाये और पेय जल को जमा करने और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिये सेवा की सहायता ले।

विश्व बैंक की सहायता से कर्नाटक में "अमूल" की तरह की एक दुग्ध परियोजना

***20 श्री पी० एम० सईद :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेर मूर्ति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक डेयरी विकास परियोजना ने अपने 8 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से कर्नाटक में "अमूल" की तरह ए दुग्ध परियोजना आरम्भ की है।

(ख) इस योजना के लाभों से राज्य के लोगों की उन्नति और सम्पन्नता में कहां तक सहायता मिली है।

(ग) इस संबंध में विश्व बैंक से कुल कितनी सहायता मिली है, और

(घ) क्या सरकार अन्य राज्यों में "अमूल" परियोजनाएं आरम्भ करने पर विचार कर रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री आर० वी० स्वामीनाथन : [क] आनन्द में चल रही परियोजना की कार्य प्रणाली के आधार पर एक समेकित पशु व डेरी विकास परियोजना को कर्नाटक में क्रियान्वयन हेतु 1974 में स्वीकृति दी गई थी।

(ख) कर्नाटक के 8 दक्षिणी जिलों के दुग्ध उत्पादक, इस परियोजना के माध्यम से, बेहतर

तकनीकी आदानों, पशु आहार, कृत्रिम गर्भाधान, धारा-बीज और पशु चिकित्सा सहायता तथा अपने दूध की लाभकारी कीमत के प्रति आश्वस्त रहने आदि की सुविधान से लाभन्वित हो रहे हैं।

30 अप्रैल, 1980 तक 1025 डेरी सहकारी समितियां बनाई जा चुकी हैं जिनकी सदस्य संख्या 1,57,525 है इन समितियों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 2,00,000 लिटर दूध प्राप्त हो रहा है।

(ग) 50.99 करोड़ रुपये की अनुमानित परियोजना लागत में विश्व बैंक से 24 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त होगी।

(घ) राजस्थान व मध्य प्रदेश में इसी प्रकार की दो अन्य परियोजनाओं को भी क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, आनन्द को कार्य-प्रणाली पर आधारित 485 करोड़ रुपये के परिव्यय से आपरेशन फलड-2 नामक एक अन्य समेकित डेरी विकास परियोजना भी स्वीकृत हो चुकी है। इस परियोजना को देश भर के 155 दुग्ध स्रवण जिलों के आस पास क्रियान्वित किया जाएगा।

बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली में अनियमित जल सप्लाई

1. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाबा खड़गसिंह मार्ग और के० पाकेट क्लाइव स्कवेयर, नई दिल्ली के नये बहु मंजिले फ्लेटों के निवासियों ने हाल ही में सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने अपर्याप्त और अनियमित जल सप्लाई की अपनी समस्या पर ध्यान दिलाया है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान स्थानीय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय द्वारा हाल ही में अपनाई गई पद्धति के कारण निवासियों द्वारा प्रकट किये गये रोष की ओर भी दिलाया गया है; जिसमें वे जल वितरण को विनियमित करने के लिए अपने नैमितिक श्रमिकों को गंदे पैरों और पसीने से लथपथ शरीर के साथ उपरि जल टैंक में जाने की अनुमति देते हैं और इस प्रकार वे पेय जल को स्वास्थ्य के लिए खतरा बना रहे हैं, और

(ग) यदि हां तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार क्या उपचारात्मक कार्यवाही करेगी?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) उत्तर सकारात्मक है।

(ख) ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाई नहीं गई है। केवल एक मामले में एक कर्मचारी संभावित रुकावट को दूर करने के लिए निवासियों के कहने पर लगभग खाली उपरि ट्रैंक के अन्दर गया था।

(ग) जलपूर्ति की कमी का का कारण नगरपालिका की पानी की मुख्य लाइनों से सप्लाई से सप्लाई की समुचय कमी है। क्षेत्र में जल की सप्लाई को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं---

1. 31-5-1980 को नई दिल्ली नगरपालिका से अपेक्षाकृत बड़ा कनेक्शन प्राप्त किया गया है।
2. जल की सप्लाई बढ़ाने के लिए हैवलाक स्कवेयर में एक नलकूप लगाया जा रहा है। यदि यह पानी पीने योग्य हुआ तो स्थिति में और सुधार होगा।
3. बाबा खड़गसिंह मार्ग के क्वार्टरों में 15 हैण्डपम्प उपलब्ध कराए गए हैं।
4. नई दिल्ली नगरपालिका से अनुरोध किया गया है कि वह यथा-संभव सप्लाई के घन्टों वृद्धि करे।
5. कामगारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल तकनीकी स्टाक की निगरानी में ही कुछ त्रुटियों को दूर करने के लिए उपरि टैंक के अन्दर जा सकते हैं।

भारतीय खाद्य निगम की भंडारन क्षमता

2. **श्री जनार्दन पुजारी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1980-81 के दौरान अधिक भंडारन क्षमता बताने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ? **कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :** (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1980-81 के दौरान जितनी भण्डारण क्षमता बढ़ाने की सम्भावना है।

क्र० सं० एजेन्सी का नाम	क्षमता लाख मीटरी टन में	कैफियत
1. भारतीय खाद्य निगम	5.86	इसके अलावा, आशा है कि कि ए०आर० डी०सी० योजना के अधीन लगभग 10 लाख मीटरी टन की क्षमता बढ़ाई जाती है।
2. केन्द्रीय भाण्डागार विभाग	2.00	इसके अलावा, केन्द्रीय भाण्डागार निगम खाद्यान्न भण्डारण परियोजना के अन्तर्गत 1.50 लाख मीटरी टन की क्षमता का निर्माण करने का कार्य शुरू करेगा। इसे भारतीय खाद्‌य निगम के लक्ष्य में शामिल किया गया है।
3. राज्य व्यापार निगम	7.03	यही कुल क्षमता है जिसे 16 राज्य भाण्डागार नियमों द्वारा : बढ़ाया जाना है।

आसनसोल दुर्गापुर और औद्योगिक क्षेत्र से अन्य राज्यों को डायल घुमाकर सीधा टेलीफोन करना

3. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या आसन सोल-दुर्गापुर औद्योगिक क्षेत्र को राष्ट्रीय डायलिंग ग्रिड से जोड़ने के लिए, ताकि अन्य राज्यों को डायल घुमाकर सीधा टेलीफोन किया जा सके, कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ? **संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन)** : (क) जी हां ।

(ख) आसनसोल ग्रुप डायलिंग योजना आसनसोल और दुर्गापुर से जुड़े अंदाल, बरनपुर, रानीगंज इत्यादि जैसे स्थान आसनसोल टी ए एक्स के साथ जुड़े हैं । आसनसोल टी ए एक्स के माध्यम से वे फिलहाल सीमित रूप से बजरिये कलकत्ता टी ए एक्स राष्ट्रीय डायलिंग ग्रिड के साथ जुड़े हैं । चालू वित्तीय वर्ष में आसानसोल और दिल्ली के बीच एक सीधा सम्पर्क चालू करने की योजना बनाई नई है । इससे आसानसोल दुर्गापुर औद्योगिक पेटी से दिल्ली को काल मिलाने की भविष्य में बहुत सीमा तक सुविधा हो जाएगी । आसनसोल टी ए एक्स से कलकत्ता टी ए एक्स को सर्किटों मे वृद्ध करने की भी योजनाएं हैं ताकि भविष्य में आसनसोल-दुर्गापुर औद्योगिक पेटी से भारत के दूसरे बहुत से स्थानों को राष्ट्रीय डालिंग सुविधाएं प्रदान की जा सके ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केले का निर्यात और उसके खाद्य गुण

4. **श्री ए० नीला तो हियादासन बाजार : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पैदा होने वाले असली केले (बेज्यरन) का इस समय भारत से निर्यात किया जा रहा है है :

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान इसका कितने-कितने मूल्य का निर्यात हुआ : और

(ग) भारत में बागानों को अन्य वाणिज्यिक किस्मों की तुलना में केले की इस किस्म में खाद्य गुण क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री आर० बी० स्वामीनायन (क) जी हां, केले निर्यात किए जा रहे हैं ।

(ख) केले की प्रत्येक किस्मी के संबंध में निर्यात के आंकड़े नीचे दिए गए हैं—

वर्ष	लागत (लाखों रुपयों में)
1976-77	12.88
1977-78	0.17
1978-79	5.30

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

भारत में बागानों में केलों की उत्तम (नेन्धरन) तथा अन्य महत्वपूर्ण वाणिज्यिक किस्मों के खाद्य गुण

क्र० सं०	नाम तथा किस्म	गुण तथा शक्ति						
		खाद्य भाग—प्रति 100 ग्राम						
		खाद्य भाग	नमी	रेशा	प्रोटीन	चिकनाई	कार्बो-हाइड्रेड	कालोरी
		प्रतिशत	ग्राम	ग्राम	ग्राम	ग्राम		
	केला नेन्थरान	—	61.4	—	1.3	0.2	36.4	153
	अन्य किस्में							
1.	केला सामान्य	74	73.4	—	1.1	0.1	24.7	104
2.	अनेकोम्ब पहाड़ी किस्म	—	79.9	—	1.2	0.1	18.0	78
3.	चित्रीदार केला	—	79.6	0.4	0.7	0.4	18.2	79
4.	हरी किस्म का केला	—	73.2	—	0.8	0.8	24.4	107
5.	कृष्णा वझाई केला	73	64.8	0.7	1.6	0.5	31.4	136
6.	लेडन केला	68	68.0	0.4	1.0	0.2	29.5	124
7.	पचनादन केला	72	66.4	0.2	1.5	0.2	30.9	132
8.	राजा वझारी केला	64	66.0	0.5	1.2	0.2	31.5	132
9.	रास्थाली केला	83	74.4	0.3	1.1	0.2	23.2	99
10.	लाल किस्म का केला	89	75.6	0.4	1.3	0.3	21.6	94
11.	थेकदाली केला	66	67.2	0.4	1.5	0.2	29.6	127
12.	थेकुन्न केला	79	59.9	0.3	1.5	0.1	37.5	156
13.	वेला कदली केला	67	66.8	0.8	1.4	0.3	29.9	128
14.	पीला बड़ा केला	—	75.4	—	0.8	0.5	22.5	98
15.	पीला छोटा केला	—	69.6	—	0.9	0.5	28.3	121

भारत में बागानों में केलों की उत्तम (नेन्थरन) तथा अन्य महत्वपूर्ण वाणिज्यिक किस्मों के खाद्य गुण—जारी

क्र० सं०	नाम तथा किस्म	खनिज खाद्य भाग—प्रति 100 ग्राम कैलशियम मि० ग्रा०	फास्फोरस मि० ग्रा०	लोहा मि० ग्रा०	विटामिन खाद्य भाग—प्रति 100 ग्राम विटामिन ए आई० यू०	विटामिन बी-1 मि० ग्रा०	विटामिन बी-2 मि० ग्रा०	नाइसिन मि० ग्रा०	विटामिन सी मि० ग्रा०
1	केला नेन्थरन	10	50	0.4	नाममात्र	0.15	0.03	0.3	1
	अन्य किस्में								
1.	केला सामान्य	10	30	0.5	124	0.05	0.17	0.3	6
2.	अनेकोम्बू पहाड़ी किस्म	10	30	0.3	124	—	—	—	9
3.	चित्तीदार केला	10	20	1.0	नगण्य	—	—	0.5	1
4.	हरी किस्म का केला	26	37	2.1	90	0.03	0.03	0.5	0
5.	कृष्णा वझाई केला	20	40	0.6	223	0.02	0.05	0.5	7
6.	लेडन केला	10	30	0.6	28	0.03	0.03	—	6
7.	पंचनादन केला	20	40	0.7	248	0.03	0.06	0.5	6
8.	राजा वझारी केला	20	30	0.6	68	0.03	0.07	0.05	11
9.	रास्थाली केला	10	30	0.4	8	0.04	0.02	—	6
10.	लाल किस्म का केला	16	31	1.5	329	0.09	0.06	0.04	15
11.	थेंकदाली केला	20	40	0.8	470	0.08	0.03	0.6	5
12.	थेंकुन्नन केला	20	50	0.5	54	0.04	0.05	0.8	17
13.	वेला कदली केला	20	40	0.5	189	0.05	0.04	0.05	5
14.	पीला बड़ा केला	25	40	1.7	50	0.03	0.02	0.5	0
15.	पीला कोटा केला	23	41	2.1	80	0.05	0.01	0.8	8

स्रोत : भारतीत खाद्यान्नों के पोषक तत्व की लगात तथा संतोषजनक आहरों की योजना :1 आई० सी० एम० आर० प्रकाशन 1963: विशेष रिपोर्ट सीरिज सं० 426.

गैर यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा मछलियां पकड़ने के आरक्षण हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त

5. प्रो० मधु दण्वते :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार केरल, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र आदि जैसे विभिन्न राज्यों को पुनरीक्षित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने का है जिससे वे गैर यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा मछलियां पकड़ने वाले व्यक्तियों के लिए समुद्र तट से पर्याप्त दूरी तक आरक्षण करें ताकि यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा मछलियां पकड़ने वाले व्यक्तियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा से छोटे मछेरों के हितों की रक्षा की जा सके : और

(ख) यदि हां, तो इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन)

(क) तथा (ख) भारत सरकार ने 29 मार्च, 1978 को समुद्र-तटीय राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं :—

1. गैर-यंत्रीकृत परम्परागत मत्स्यन नौकाओं को बिना किसी प्रतिबंध के स्वछन्द रूप से कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए, परन्तु तट से 5 किलोमीटर दूर तक के जल क्षेत्र को केवल ऐसी मत्स्यन नौकाओं के लिए ही सुरक्षित रखा जाए और किसी अन्य प्रकार की मत्स्यन नौकाओं को इस क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

2. यंत्रीकृत मत्स्यन जलयानों को समुद्र तट से 5 किलोमीटर से आगे के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए।

3. समुद्र तट से दूर तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों अर्थात् 25 मीटरी टन तथा उससे अधिक भारत के जलयान, जिनमें एक स्किपर की आवश्यकता होती है, को विद्यमान स विधिक नियमों के अनुसार समुद्र तट से 10 किलोमीटर से आगे के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। सामान्यतः 15 मीटर से लम्बे जलयान इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सामाजिक वन-रोपण

6. श्री मनफूल सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने पारिस्थितिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों को सामाजिक वन-रोपण को हाथ में लेने का सुझाव दिया है।

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए राज्यों को दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता क्या है।

(ग) क्या उन व्यक्तियों, जो सामाजिक वन क्षेत्रों के कार्यक्रम को अपनाने के इच्छुक हैं, को भूमि तथा वित्तीय सहायता दी जा रही है, और

(घ) क्या सामाजिक वन-रोपण को प्रमुखता देने वालों को उत्साहित करने के लिए राज्यों को कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन)

(क) जी हां।

(ख) इस कार्य के लिए भविष्य में कोई भी केन्द्रीय सहायता देने का प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णयानुसार 1-4-1979 से सामाजिक वानिकी से संबंधित योजनाओं को राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया गया है।

(ग) अपेक्षित जानकारी राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के अनुसार "फार्म वानिकी" अर्थात् निजी फार्मों में वृक्षारोपण एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे "सामाजिक वानिकी" के अंतर्गत शुरू किया जाना है। सभी राज्यों को इस कार्यक्रम की सिफारिश की गई है। फार्म वानिकी को अपनाने के लिए किसानों को अनुप्रेरित करने हेतु राज्य सरकारों से वृक्षारोपण के महत्व, जाति का ठीक चुनाव और रोपण की उपयुक्त तकनीक इत्यादि के लिए किसानों को शिक्षित करने हेतु वन विस्तार स्कन्धों की स्थापना करने का अनुरोध किया गया है। निशुल्क या रियायती दरों पर पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त जाति के पौधों की सप्लाई को सुनिश्चित करने का भी राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

7. श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् में किन-किन राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है;

(ख) यदि इस मामले में कोई भेदभाव रखा गया है तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की गत पांच वर्षों के दौरान कितनी बैठकें हुई तथा प्रत्येक बैठक कितनी देर चली;

(घ) इस संस्था ने शासक निकाय के लिए कृषि के किन-किन विषयों तथा क्षेत्रों के बारे में नीतियां तथा मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किये उन्हें किस प्रकार कार्यान्वित किया गया और क्या शासक निकाय ने इस मामले में संस्था को सूचित किया; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् सोसायटी में कृषि पशु पालन मत्स्य पालन के प्रभारी अपने-अपने मंत्रियों के माध्यम से सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है। भा० कृ० अ० प० में केन्द्र शासित क्षेत्रों के हितों की देख-भाल भा० कृ० अ० प० का कार्य देखने वाले केन्द्रीय कृषि मंत्री और केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री द्वारा की जाती है, जो भा० कृ० अ० प० क्रमशः अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष भी हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) विगत छः वर्षों के दौरान भा० कृ० अ० प० सोसायटी की 6 वार्षिक सामान्य बैठकें

और 3 विशेष सामान्य बैठकें हुई हैं। इन सभी बैठकों की अवधि एक दिन की रही सिवाय एक के जो दूसरे दिन भी चली थी।

(घ) और (ङ) भा० कृ० अ० प० सोसायटी कृषि, पशु विज्ञान, मत्स्य पालन, कृषि इन्जीनियरिंग और कृषि शिक्षा की विभिन्न शाखाओं में कार्य की नीतियों और दिशा-निर्देशों में सिफारिश करती रही है और इन सिफारिशों पर अमल की रिपोर्ट सोसायटी को अगली सामान्य निकाय की बैठक में दी जाती है। भा० कृ० अ० प० सोसायटी की सिफारिशों पर की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट पिछली बार सामान्य निकाय और सोसायटी की सामान्य निकाय की 21 मार्च, 1980 को हुई बैठक में और 22 मार्च, 1980 को वार्षिक सामान्य बैठक में दी गयी जो परिशिष्ट में दी गयी है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 824/80]

दिल्ली विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ और दिल्ली विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ की मांगें

8. **श्री सुनील भट्टाचार्य :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ और दिल्ली विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ की मांगें क्या-क्या हैं; और

(ख) उन मांगों पर सरकार द्वारा कार्यवाही की गई है।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरानंद) :

(क) और (ख) : दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ तथा कर्मचारी संघ की मुख्य मांगों तथा उस पर की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। (ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 835/80

पुल बंगश, दिल्ली में खाली भूमि खण्ड

9. **श्री अर्जुन सेठी :**

क्या निर्माण और आवास मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुल बंगश, नई दिल्ली में मुख्य सड़क पर स्थित भूमि का एक टुकड़ा, जिस पर कि पहले एक पाठशाला भवन था, पिछले तीन वर्षों से खाली पड़ा हुआ है ;

(ख) क्या भूमि के इस टुकड़े पर कूड़ा करकट तथा मल आदि डाला जा रहा है जिससे निकटवर्ती वस्ती में वातावरण दूषित होता जाता रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो वहां के लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए दिल्ली वि प्राधिकरण का इस भूमि खण्ड का बेहतर उपयोग किस प्रकार करने का है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) तक :इस प्ल भाग का उपयोग प्राथमिक स्कूल के निर्माण के लिए किया जा रहा है और उसके बु से गांवों में झुग्गियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है और वह घटिया हालत में है। अतिक्रमणों क पश्चात् प्लाट के इस भाग का उच्चतम माध्यमिक स्कूल के निर्माण करने के उपयोग मे कार्यवाही प्रस्ताव है। दिल्ली नगर निगम इस प्लाट की सफाई सप्ताह में एक बार करता है।

एशियाई खेल 1982

10. **श्री चित्त महाटा :**
श्री अमर राय प्रधान
श्री हन्नान मल्लाह :
श्री सैफुद्दीन चौधरी

क्या शिक्षा मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन भारत में किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो खेलों और उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां वे खेल होंगे ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार से केन्द्र को ऐसा कोई प्रस्ताव मिला है कि फुटबाल, बैडमिंटन और बास्केटबाल खेलों का आयोजर कलकत्ता में किया जाए ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द] :

(क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित 19 खेल आयोजित किए जाएंगे :

(1) तीरन्दाजी	(2) एथलैक्सि	(3) बैडमिंटन
(4) बास्केटबाल	(5) मुक्केबाजी	(5) साईकिलंग
(7) घुड़सवारी	(8) फुटबाल	(9) गोल्फ
(10) जिमनास्टिक्स	(11) हाकी	(12) निशानेबाजी
(12) तैराकी	(14) टेबल टेनिस	(15) टेनिस
(13) वाली बाल	(17) भारोत्तोलन	(18) कुश्ती
(19) नौका विहार (येंचिग)		

येंचिग को छोड़कर जो बम्बई में आयोजित की जाएगी, ये सभी खेल नई दिल्ली में या इसके आसपास आयोजित किए जाएंगें (ग) और (घ) ये खेल अथवा इनमें से कुछ खेल कलकत्ता में आयोजित करने से सम्बन्धित पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि भारतीय ओलम्पिक संघ के अनुरोध पर एशियाई खेल संघ ने खेल नई दिल्ली को आवंटित किए हैं और एशियाई खेल संघ के नियमों के अन्तर्गत ये केवल नई दिल्ली · इसके आसपास ही आयोजित किए जा सकते हैं। केवल येंचिग को छोड़कर क्योंकि नई ना इसके आसपास येंचिग की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

प्रभारी अप**ष मूल्य आयोग के 1976 के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों की क्रियान्विति**
केन्द्र शासित. **श्री बी० एस० विजय राघवन :**
और केन्द्रीय· **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
उपाध्यक्ष (क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में राज्यों ने राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा वर्ष 1976 (न्तिम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है : और
(

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि इन सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाये ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) तथा (ख) : राज्यों के बारे में राष्ट्रीय कृषि आयोग की 1976 की रिपोर्ट में की गई अधिकांश सिफारिशों को उनके द्वारा उपयुक्त कार्यक्रमों/योजनाओं में कार्य रूप दिया जाएगा और उन्हें राज्य प्लानों के एक भाग के रूप में या पहले से ही चल रहीं विद्यमान योजनाओं में संशोधन करके क्रियान्वित किया जाएगा । छठी पंचवर्षीय योजना के लिए राज्य योजनाएं तैयार की जा रही हैं, अतः इस स्तर पर यह बताना कठिन है कि आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रस्तावों को शामिल करने के लिए कितने राज्यों ने कदम उठाए हैं ।

मई, 1980 के अन्त तक केन्द्र में विभिन्न विभागों से प्राप्त हुई प्रगति रिपोर्टों के अनुसार सिफारिशों के क्रियान्वयन से सम्बंधित समूची प्रगति इस प्रकार है :

सिफारिशों की कुल संख्या	2361
उक्त सिफारिशों में से	
(क) स्वीकार की गई हैं और उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है ।	1614
(ख) स्वीकार की गई हैं, लेकिन जिन्हें अभी कार्यान्वित किया जाना है	306
(ग) अस्वीकार की गई	25
(घ) जांच की जा रही है	416

इससे यह पता चलता है कि दो तिहाई से अधिक सिफारिशें भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं और उनमें से 816 क्रियान्वयन के लिए राज्यों को भेज दी गई हैं । इन सिफारिशों को, जिनमें राज्यों को भेजी गई सिफारिशें भी शामिल हैं, तेजी से कार्यान्वित करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में राज्यों के मुख्य सचिवों पर एक से अधिक बार जोर दिया गया है । गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार राज्य सरकारों ने कार्यान्वयन एजेंसियां गठित की है या अपनी विद्यमान एजेंसियों में से एक को यह कार्य सौंपा है । इन राज्यों द्वारा भेजी गई प्रगति रिपोर्टों से यह पता चलता है कि शिफारिशों के क्रियान्वयन के निरन्तर प्रगति की जा रही है और क्रियान्वयन की प्रक्रिया तेज हो रही है ।

बीरभूम जिले के गांवों में डाक घर

12. **श्री गदाधर साहा :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बहुत से गांवों में डाकघर नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो गांवों में डाकघर खोलने के लिये सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) :

(क) जी हां।

(ख) ग्रामीण डाकघरों को क्रमिक वार्षिक योजनाओं में रखे गए लक्ष्यों के आधार पर और सरकार द्वारा ग्रामीण डाकघरों को खोले जाने के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार चरणबद्ध ढंग से खोला जा रहा है। जहां तक चालू वर्ष 1980-81 का सम्बन्ध है बीरभूमि जिले में 15 ग्रामीण डाकघरों के खोले जाने का प्रस्ताव है।

महानगरीय शहरों में टेलीफोन कनेक्शन के लिए विचाराधीन पड़े आवेदन

13. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और बंगलौर शहरों में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में आवेदनों की संख्या 31 दिसम्बर, 1978, 30 जून, 1979, 31 दिसम्बर, 1979 और 30 अप्रैल, 1980 तक कितनी-कितनी थी; और

(ख) उक्त प्रतीक्षा सूचियों में दर्ज सभी आवेदकों को कनेक्शन देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और ऐसा करने में कितना समय लग जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री सी०एम० स्टीफन) :

(क) चालू कनेक्शनों तथा प्रतीक्षा सूचियों में दर्ज आवेदकों को विवरण में दी गई है।

(ख) वर्तमान एक्सचेंजों का विस्तार किया जा रहा है तथा नये एक्सचेंज खोले जा रहे हैं। सामान्य रूप से यह आशा की जाती है कि 31-12-79 तक दर्ज अधिकांश आवेदकों को 1982-83 के अन्त तक उत्तरोत्तर टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त इन शहरों के कुछ विशेष क्षेत्रों में जहां राहत एक्सचेंज खोले जाते हैं और भूमि अधिग्रहण तथा इमारत निर्माण का कार्य चल रहा है बहुत थोड़े अनुपात में मांग पूरी नहीं की जा सकेंगी। यह संलग्न हैं

देश में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

14. **श्री रामावतार शास्त्री : डा सुब्रह्मण्यम स्वामी :**

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गन्दी बस्तियों को हटाने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार का इसे कब तक लागू किए जाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) :

(क) तथा (ख) गन्दी बस्ती सफाई। सुधार योजना 1956 में केन्द्रीय क्षेत्र में आरम्भ की गई थी और वह 31 मार्च, 1969 तक इसी प्रकार चलती रही। 1-4-1969 से योजना राज्य क्षेत्र को हस्तान्तरित कर दी गई थी जिसका वित पोषण, राज्य सरकारों को अपनी राज्य प्लान योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये समेकित ऋण और समेकित अनुदान में से किया जाता है। योजना की मूलभूत विशेषता गन्दी बस्ती के निवासियों को उनके मौजूदा स्थलों पर या

विवरण

चालू कनेक्शन तथा प्रतीक्षा सूची को विवरणी

क्रम संख्या	स्थान का नाम			31-12-78		30-6-79	31-12-79		30।4-80
		चालू कनेक्शनः	प्रतीक्षा सूची	चालू कनेक्शनः	प्रतीक्षा सूची	चालू कनेक्शनः	प्रतीक्षा सूची	चालू कनेक्शनः	प्रतीक्षा सूची
(1)	बम्बई	231169	63784	243900	93366	248069	97749	261313	111349
(2)	कलकत्ता	152397	24602	160675	23609	162204	24026	168306	212091
(3)	दिल्ली	146711	42852	152775	51074	164048	48479	174493	65234
(4)	मद्रास	74249	4850	76296	5724	77166	8212	78924	9341
(5)	बंगलूर	41923	5382	44590	5562	47168	5563	48720	5520

आस-पास पुनः बसाना है और उन्हें पर्यावरणीय स्वच्छता का न्यूनतम स्तर मुहैया करना है। इस योजना के तीन मूल घटक निम्नलिखित हैं :—

1. गन्दी बस्ती क्षेत्रों में रह रहे पात्र परिवारों को विकासित प्लाट, स्कैलेटल मकान और पक्का टेनामेन्ट देकर पुनः बसाया।

2. पटरी पर रहने वालों की गम्भीर समस्या वाले शहरों तथा कस्बों में रैन बसेरों का निर्माण।

3. गन्दी बस्ती क्षेत्रों में पर्यावरणीय स्थिति का सुधार तथा गन्दी बस्ती क्षेत्रों में पक्के निर्मित मकानों का सुधार।

(ग) साधनों की कमी के कारण ऐसी कोई समय सीमा बताना सम्भव नहीं है जिसके भीतर समस्त गन्दी बस्ती की जनसंख्या को अनिवार्यतः मूलभूत सेवाओं और सुविधाओं को देना सम्भव हो जाएगा।

ओ० वाई० टी० स्कीम

15. **श्री अमर राय प्रधान :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ओ० वाई० टी० स्कीम पुनः आरम्भ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) :

(क) और (ख) ओ० वाई० टी० योजना अभी बन्द नहीं हुई है। केवल दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और लुधियाना में 15-7-78 से ओ० वाई० टी० के अन्तर्गत नये पंजीकरण अस्थायी रूप से बन्द कर दिए गये थे। देश के अन्य स्थानों पर ओ० वाई० टी० के अन्तर्गत पंजीकरण की सुविधा निरन्तर चालू है। ओ० वाई० टी० के अन्तर्गत चार नगरों में पंजीकरण बन्द करने का कारण इन नगरों में लम्बे समय से अनिर्णीत पड़े ओ० वाई० टी० मामलों का निपटान करना था। यह लक्ष्य अंशतः पूरा हो गया है और ओ० वाई० टी० के अन्तर्गत जो पंजीकरण बन्द कर दिए गए थे उन्हें 2-6-80 से पुनः चालू कर दिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि देश भर में 2-6-80 से आवंटन की प्रतिशतता 75 से घटाकर 25 कर दी जाए ताकि गैर ओ० वाई० टी० उम्मीदवारों को टेलीफोन कनेक्शन मिलने के बेहतर अवसर मिल सकें।

पश्चिम बंगाल के लिए अनाज का कोटा

16. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के इस अनुरोध पर विचार कर लिया है कि पश्चिम बंगाल, में अत्यधिक सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 20 लाख टन अनाज और दे दिया जाय ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) पश्चिमी बंगाल को 1980 के दौरान लगभग 24 से 30 लाख मीटरी टन खाद्यान्न

भेजने के बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार से अप्रैल, 1980 में एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। इस अनुरोध को ध्यान में रखते हुए उत्तरी जोन से पश्चिमी बंगाल को प्रतिमास 2 से 2·5 लाख मीटरी टन खाद्यान्न भेजने की व्यवस्था करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल को अन्न की सप्लाई

17. **श्री सत्य गोपाल मिश्र :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने पश्चिम बंगाल को उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक माह में अनाज के 150 रैक देने का वचन दिया था।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फरवरी में 93 रैक अनाज तथा मार्च में 122 रैक अनाज ही दिया गया था और केन्द्र अब कम से कम 3·5 रैक प्रति दिन की सप्लाई करने में भी असफल होता जा रहा है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) जी हां ! राज्य की मांग को ध्यान में रखते हुए, प्रति मास 150 रैकों का संचलन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) फरवरी से मई, 1980 के दौरान वास्तव में क्रमशः 94, 122, 116 और 112 रैक प्राप्त हुए।

(ग) पंजाब और हरियाणा में इस समय के प्रति मास लगभग 7.3 लाख मीटरी टन से 10 लाख मीटरी टन से भी अधिक मात्रा में प्रेषण करने की दिशा में सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि केवल ऐसा करने से ही बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल आदि जैसे राज्यों की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मांग को पूर्णतया पूरा करने विषयक आवश्यकताओं को सन्तोषजनक ढंग से पूरा किया जा सकता है।

आयातित कोको पर उत्पादन शुल्क

18. **श्री के० ए० राजन :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयातित कोको पर से उत्पादन शुल्क हटा देने का निर्णय किया है; .

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इससे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि के कोको उत्पादकों को हानि होगी, जो इस समय अतिरिक्त उत्पादन के कारण संकटग्रस्त हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार कोको आयात करने सम्बन्धी अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) और (ख) सम्भवतः माननीय सदस्य आयातित कोको पर लगने वाले सीमा-शुल्क का

हवाला दे रहे हैं क्योंकि आयात पर उत्पाद-शुल्क नहीं लगता है। हाल ही में एक योजना शुरू की गई है जिसके तहत निर्यात करने के लिए उत्पादन के प्रयोजन हेतु, बिना ड्यूटी के आयात की अनुमति है। इस योजना के तहत कोको उत्पादों के निर्यातकर्ता बिना सीमा शुल्क दिए कोको की फलियों का आयात कर सकते हैं।

इस योजना के तहत किए जाने वाले आयात से देश में कोको की खेती करने वाले किसानों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है क्योंकि आयात की जाने वाली मात्रा केवल निर्यात के प्रयोजन के लिए खाद्य उत्पादकों के उत्पादन के लिए होती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

थ्रेशर से हुई दुर्घटनायें

19. **श्री झारखण्डे राय :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आदि में थ्रेशर से हजारों दुर्घटनाओं से सम्बन्धित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और ऐसी दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा कृषि मजदूरों पर औद्योगिक सुरक्षा अधिनियम लागू करने और क्षतिपूर्ति को अनिवार्य बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) जी, हां। सरकार को थ्रेशर से हुई दुर्घटनाओं के बारे में समाचार पत्रों की रिपोर्टों की जानकारी है।

(ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

थ्रेशर से हुई दुर्घटनाओं की संख्या :

मई, 1980 में कुछ समाचार पत्रों में गहाई मशीनों से हुई दुर्घटनाओं की रिपोर्टें देखने में आई हैं। ये रिपोर्टें मुख्यतः हरियाणा से सम्बन्धित हैं, जहां प्रेस रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक वर्ष रबी की कटाई के मौसम के दौरान लगभग 1000 मजदूर जख्मी हो जाते हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सर्वेक्षण का उल्लेख हुये दूसरी प्रेस रिपोर्ट से पता चलता है कि बिजली से चलने वाली प्रति 1000 गहाई मशीनों के उपभोग से 25 दुर्घटनायें होती हैं। अन्य प्रेस रिपोर्ट में उल्लेख था कि देश में बिजली से चलने वाली गहाई मशीनों से प्रति वर्ष 1200 व्यक्ति विकलांग हो रहे हैं। एक प्रेस रिपोर्ट से पता लगा है कि दिल्ली के दो हस्पतालों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गहाई की मशीनों से दुर्घटनाग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या में गिरावट आई है। हरियाणा में और देश दुर्घटनाओं की संख्या के बारे में समाचार पत्रों में जो रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं वे गलत हैं। राज्य सरकारों की रिपोर्ट से पता ललता है कि बिजली से चलने वाली गहाई मशीनों से हुई दुर्घटनाओं की संख्या में उतार-चढ़ाव रहा है। उदाहरणार्थ हरियाणा में, राज्य सरकार के अनुसार 1977 में 280, 1978 में 281 और 1979 में 127 दुर्घटनायें

हुई। इसी प्रकार से पंजाब ने सूचित किया है कि गहाई मशीनों से 1978 में 391 और 1979 में 396 दुर्घटनायें हुई।

2. भारत सरकार ने गहाई की मशीनों से दुर्घटनाओं को कम करने के लिये निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं।

(1) गेहूं उगाने वाले राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे कटाई के मौसम से पहले प्रशिक्षण कैम्प आयोजित करने के लिये अभियान शुरू करें और गहाई मशीनों के सुरक्षित उपयोग के लिये किसानों और उपभोग करने वालों को प्रशिक्षत करने के लिये विस्तार और दृश्य श्रव्य माध्यम का उपयोग करें।

(2) राज्यों को सलाह दी गई है कि वे गहाई की मशीनों के विनिर्माताओं, विक्रेताओं और उपभोग करने वालों के लिये गहाई मशीनों में सुरक्षा की व्यवस्था अनिवार्य करने नेतु कानूनी उपायों, पर विचार करें।

(3) सुरक्षित ढंग से सामग्री डालने के तरीके विकसित और तैयार कर लिये गये हैं और तैयार कर लिये हैं और भारतीय मानक संस्थान ने सम्बन्धित मानक तैयार कर लिये हैं। विनिर्माताओं को मानक रिजाहनों के बारे में जानकारी दे दी गई है।

(4) चेतावनी पोस्टर और विस्तार बुलेटिन तैयार कर लिये गये हैं और राज्यों को वितरित कर दिये हैं। इसके अतिरिक्त अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में पोस्टर और बुलेटिन भी तैयार किये जा रहे हैं।

(5) केन्द्रीय सरकार ने गहाई मशीनों के सुरक्षतमक उपयोग करने के बारे में निदेशात्मक फिल्म तैयार करके राज्यों को वितरित कर दी है।

3. केन्द्रीय सरकार ने प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों को सुझाव दिया है कि वे गहाई की मशीनों में सुरक्षात्मक व्यवस्था का अनिवार्य रूप से निर्धारण करने के लिये उचित कानून बनायें। फिलहाल, कोई औद्योगिक सुरक्षा अधिनियम नहीं है और इस प्रकार इसे कृषि श्रमिकों पर लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता। कुछ जोखिम वाले रोजगारों में, जिसमें ट्रैक्टर द्वारा अथवा भाप या अन्य यांत्रिक शक्ति, या बिजली से चलाये जाने वाले कन्ट्राविन्स द्वारा कृषि कार्य भी शामिल है, 1000 रु० प्रति मास से कम मजदूरी पर काम करने वाले मजदूरों के मामलों में दुर्घटना से घायल होने के फलस्वरूप विकलांग हो जाने अथवा मृत्यु हो जाने पर कामगार मुआवजा अधिनियम 1923 में भी मुआवजे के भुगतान की व्यवस्था है।

सरकारी कर्मचारी सहकारी भवन निर्माण समिति लि०, बसन्त विहार नई दिल्ली

21. **श्री एस० एम० कृष्ण :**

क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सरकारी कर्मचारी सहकारी भवन निर्माण समिति लि० बसन्त बिहार, नई दिल्ली को 82 अतिरिक्त प्लाट काटने की अनुमति दे दी थी क्योंकि इसे 10 लाख रुपये के बढ़ी हुई प्रतिकर राशि का भुगतान करना था ;

(ख) ये प्लाट किस ढंग से बेचे गये और 'एलाटी' कौन-कौन थे और इस बिक्री से वास्तव में कितनी राशि प्राप्त हुई और समिति ने इसको किताबों में किस प्रकार दिखाया ;

(ग) क्या यह दस लाख रुपये की बढ़ी हुई प्रतिकर राशि समिति की शान्ति निकेतन कालोनी के बारे में थी और इस समित को इन प्लाटों की बिक्री से प्राप्त राशि में समायोजित नहीं किया परन्तु शान्ति निकेतन कालोनी के एलाटियों से वसूल किया ;

(घ) क्या शान्ति निकेतन के एलाटियों में दिल्ली विकास प्राधिकरण से अभ्यावेदन किये हैं कि वह उक्त समिति को यह निर्देश दें कि वह एलाटियों से इस प्रकार प्राप्त प्रतिकर राशि को वापस करें ; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले को ठीक करने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण न क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी)

(क) जी हां, बसन्त विहार में 82 अतिरिक्त प्लाट काटने की इजाजत दी गई थी।

(ख) (i) प्लाटों को बेचा नहीं गया अपितु समिति द्वारा आबंटित किया था।

(ii) आवंटितियों के नामों की सूची विवरण के रूप में दी गयी है।

(iii) समिति की रिपोर्ट के अनुसार कुल 13,56,190 रु० के प्लाट आबंटित किए गए। समिति की रिपोर्ट के अनुसार राशि का हिसाब निम्नलिखित है :

नये प्लाटों के लिए सरकार को दिया गया गया अधिकार 57,260 रुपये समिति

के विकास तथा रख-रखाव खाते में जमा किया गया	10,31,538 रुपये
मस्जिद मोठ क्षेत्र में पुनर्वास मन्त्रालय से समिति द्वारा पहले खरीदे गए नए क्षेत्रों के सरकारी अर्जन की प्रक्रिया में हुए घाटे को पूरा करने के लिए समिति द्वारा विनियोजित	1,29,198 रुपये
बसंत विहार की भूमि के लिए कोर्ट द्वारा बढ़ायी गई प्रतिपूर्ति राशि की पूर्ति के लिए सुरक्षित की गई	1,38,194 रुपये

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) यह समिति का आन्तरिक झगड़ा होने के कारण, समिति तथा शान्ति निकेतन एसोसियेशन को यह सलाह दी गई थी कि वे इस मामले को रजिस्ट्रार सरकारी समिति दिल्ली के साथ उठायें।

विवरण

सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड

बसन्त बिहार में काटे गये अतिरिक्त प्लाटों के आवंटितियों की सूची

1. श्री जे० सी० अग्रवाल
2. श्री आर० पी० अग्रवाल
3. श्री सी० एल० आनन्द

4. श्री वी० के० भटनागर
5. श्री एस० एम० एच० बर्ने
6. श्री दलीप खोसला
7. श्री दलजीत सिंह
8. श्री वी० आर० दमले
9. श्री के० एन० डावर
10. श्री आर० के० धवन
11. केप्टन आर० के० एस० गांधी
12. मेजर पी० सी० गोयल ।
13. मेजर एस० पी० गुलाटी
14. डा० जी० पी० गुप्ता
15. श्री आई० पी० गुप्ता
16. श्री आर० डी० गुप्ता
17. श्री हरबंस सिंह
18. श्री हरीश चन्द्र
19. श्री ए० बी० जोशी
20. श्री करतार सिंह
21. श्री बी० एन० जोशी
22. श्री कौशल कुमार
23. श्री आर० के खण्डेलवाल
24. श्री ललित मोहन
25. श्री एन० एस० मैनी
26. श्री एस०. मल्होत्रा
27. श्री आई० पी० माथुर
28. श्री एन० पी० माथुर
29. श्री मनोहर केशव
30. श्री वाई० आर० मेहता
31. श्री जी० ए० मिन्हास
32. केप्टन एस० पी० मुर्गई
33. मेजर के० बी० पार्टी
34. लैफ्टीनेन्ट परमिन्दर सिंह
35. श्री ए० पी० पुरी
36. श्री आर० आर० पुरी
37. डा० एस० एस० सचदेव
38. श्री टी० एन० सराफ
39. श्री सरन सिंह

40. श्री बी० सेन
41. श्री आर० पी० एन० सिन्हा
42. श्री वी० शंकर
43. डा० ए० एन० शर्मा
44. श्री एस० स्वरूप
45. लैफ्टीनेन्ट जनरल बी० डी० त्यागी
46. मेजर जनरल आई० डी० वर्मा
47. श्री एस० सी० वर्मा
48. श्री आर० सी० शर्मा
49. श्री एस० पी० मुखर्जी
50. श्री सुभाष दुआ
51. श्री ईश्वर सिंह
52. श्री एस० टण्डन
53. श्री ओ० पी० भाटिया
54. श्री आर० एस० गंगल
55. श्री जी० सी० एन० चहल
56. श्री प्रतापसिंह ज्ञानी
57. श्री एच० के० एल० कपूर
58. श्री राजेन्द्र नाथ
59. श्री बी० एन० स्वरूप
60. श्री बी० आर० पटेल
61. श्री जी० एल० सेठी
62. श्री ए० एल० दियस
63. श्री एम० एल० विधानी
64. श्री वाई पी० खन्ना
65. श्री जिले सिंह
66. श्री प्यारे लाल
67. श्री एम० आर० शर्मा
68. श्री वी० एच० गोयलहु
69. लेफ्टीनेन्ट ज़नरल एस० एन० चटर्जी
70. श्री एस० एस० अहलुवालिया
71. श्री एच० एस० कपूर
72. श्री एस० सी० कपूर
73. श्री डी० पी० बहुगुणा
74. श्री टी० बक्शी
75. श्री जसटिस वी० भार्गव
76. श्री आर० पी० कपूर

77. श्री चन्द्र गुप्त
78. श्री बी० एस० चोहान
79. श्री ए० एस० चीमा
80. लैफ्टीनेन्ट जनरल टी० आर० चोपड़ा
81. श्री एम० एस० गौड़
82. श्री के० पी० जैन
83. श्री एन० सी० जैन
84. श्री आर० सी० जैसवाल
85. श्री एच० सी० जरव
86. श्री आर० के० कोचड़

देश में गन्दी बस्ती हटाने और कम लागत के मकान बनाने पर किया गया व्यय

22. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :

क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गन्दी बस्ती हटाने तथा निम्न आय वर्ग के लिये कम लागत के मकान बनाने के लिये वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान कितनी धनराशि नियत की गई तथा वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई; और

(ख) इसका राज्यवार ब्योरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) :

क तथा ख : आवास राज्य का विषय है । राज्यों को राज्य योजना स्कीमों (आवास सहित) के लिए केन्द्रीय सहायता समग्र राज्य योजना के लिए समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह राज्य योजना के किसी विकास शीर्ष विशेष या योजना विशेष से सम्बन्धित नहीं होती । राज्य सरकारें उनके द्वारा निर्धारित की गई अग्रताओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार इस सहायता का उपयोग करने में स्वतंत्र हैं । इसलिए गन्दी बस्ती तथा निम्न आय वर्गों के लिए निम्न लागत आवास के लिए दी गई सहायता की राशि तथा उन पर उपयोग की गई राशि को अलग से बतलाना सम्भव नहीं है ।

वर्ष 1978-80 के लिए सरकारी मकानों का आबंटन

23. श्री उत्तमराव पाटिल :

क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सम्पदा निदेशालय के परिपत्र संख्या 28(1)177 सी० डी० एन० I दिनांक 1 जुलाई, 1978 और इसके बाद के दिनांक 24 अगस्त, 1978 के परिपत्र की ओर दिलाया गया है जिनमें आवंटन वर्ष 1 अक्तूबर, 1978 से 31 दिसम्बर, 1980 के लिए टाइप 'ए' 'बी' और 'सी' के सरकारी क्वार्टरों के लिए आवेदन पत्र मांगें गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो एक वर्ष के बदले दो वर्ष से अधिक समय के लिए आवंटन वर्ष निर्धारित करने के क्या कारण हैं :

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे कर्मचारियों से आगामी आबंटन वर्ष के लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित करने का है जो 1 जुलाई, 1980 से पूर्व उच्च टाइप के क्वार्टर के पात्र हो गए हैं और जिनके लिए आवंटन 1 अक्तूबर, 1980 से आरम्भ होने हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या उपचारात्कक कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी)

(क) आबंटन वर्ष निर्धारण करने के लिए ध्यान दिलाने का कोई विशिष्ठ संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है '

(ख) आबंटन नियमों के अनुसार, आबंटन वर्ष का तात्पर्य 1 जनवरी को आरम्भ होने वाले वर्ष से है या ऐसी अन्य अवधि से है जो अधिसूचित की जाय, और, इसलिए यह सरकार पर निर्भर है कि वह आवंटन वर्ष की ऐसी अवधि का निर्धारण करे जोकि प्रशासनिक तौर पर सुविधाजनक समझी जाय।

(ग) वर्तमान आवंटन वर्ष 31 दिसम्बर, 1980 तक है। आगामी आवंटन वर्ष के लिए नये आवेदन तब मांगे जायेंगे जब कभी सरकार द्वारा, संबंधित अवधि तथा पात्रता का निर्धारण के लिए मूल तारीख निर्धारित कर दी जायेगी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

जावरा शुगर मिल का अधिग्रहण

24. **श्री आनन्द पाठक :**

क्या कृषि मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्रमिकों और गन्ना उत्पादकों को बकाया राशियों का निपटान करने करने में प्रबन्धकों की असफलता, जिसके कारण उत्पादन में बाधा पड़ती है, को ध्यान में रखते हुए जावरा शुगर मिल्स (मध्य प्रदेश) के अधिग्रहण के लिये पेशे अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां तो सरकार का इस मिल का अधिग्रहण कब तक करने का विचार है !

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन)

(क) और (ख) कामगारों और गन्ना उत्पादकों के बकायों के बारे में चीनी मिल मजदूर संघ से 9 मार्च, 1980 को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। क्योंकि बकायों का भुगतान न करने के बारे में कर्मचारियों की शिकायतें राज्य सरकार से संबंधित हैं, इसलिए उक्त अभ्यावेदन मध्य प्रदेश सरकार को उपयुक्त कारंवाई के लिए भेज दिया गया था।

जहां तक गन्ने के बकायों का सम्बन्ध है, चीनी उपक्रम (प्रबन्ध अधिग्रहण) अधिनियम 1978 में चीनी उपक्रमों के प्रबन्ध को निर्धारित कार्यविधि का अनुपालन करने के बाद विशेष परिस्थितियों में वशिष्ट अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार को सौंपने की व्यवस्था है। अधिनियम के अधीन जारी किए गए नोटिस का जो उत्तर जावरा शुगर मिल्स से प्राप्त हुआ है, उस पर विचार किया गया है और राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि विशेष कर इस समय चीनी

के ऊंचे मूल्यों को ध्यान में रखते हुए वे गन्ने के बकायों को और कम करने के लिए आवश्यक पग उठाएं। इस सम्बन्ध में प्रगति पर निगरानी रखी जा रही है।

चीनी उद्योग द्वारा मुक्त बिक्री के लिए चीनी का दिया जाना

25. **श्री पी० के० कोडियन**

क्या कृषि मन्त्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ महीनों में खुले बाजार में चीनी के मूल्यों में लगातार वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि चीनी उद्योग ने खुले बाजार में बिक्री के लिए चीनी देना रोक दिया है, जिससे कृत्रिम कमी पैदा हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस उद्योग के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

(क) : जी हां। लेकिन बहुत से प्रमुख केन्द्रों में इस समय जो मूल्य चल रहे हैं वे मई 1980 के पहले पखवाड़े के अधिकतम स्तर से अपेक्षाकृत कम है।

(ख) और (ग) कुल मिलाकर फैक्ट्रियों से प्रेषण का कार्य सन्तोषजनक रहा है। आमतौर पर जहां तक चीनी उद्योग का सम्बन्ध है, वर्तमान नियमों के अनुसार फैक्ट्रियों को प्रति सप्ताह आवंटित मात्रा की कम से कम 20 प्रतिशत मात्रा भेजनी पड़ती है। इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत फैक्ट्रियो द्वारा चूक करने की दशा में ऐसी फैक्ट्रियों के बारे में आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कार्रवाई की जा रही है, जहां कहीं भी जान-बूझ कर चूक करने की बात सिद्ध होती है।

पाली (राजस्थान) में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन पत्र

26. **श्री मूलचंद डागा**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पाली (राजस्थान) में टेलीफोन कनेक्शनों के कितने आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े हैं; और

(ख) वर्ष 1980 के अन्त तक पाली में कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन

(क) इस समय पाली मारवाड़ (राजस्थान) में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में आवेदन पत्रों की संख्या 191 है।

(ख) दिसम्बर, 1980 तक लगभग 32 टेलीफोन कनेक्शनों के दिये जाने की सम्भावना है जिससे चालू कनेक्शनों की कुल संख्या 1315 हो जाएगी। सम्भावना है कि लगभग जून 1981 तक अन्य 90 कनेक्शन प्रदान कर दिए जाएंगे।

खाद्यान्न की उपलब्धता तथा चीनी के मूल्य के बारे में राज्यों के साथ बात-चीत

27. **श्री ओस्कर फर्नान्डीस :**

श्री एस० बी० चंद्रशेखर मूर्ति

श्री गुलाम रसूल कोचक :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों के खाद्य मंत्रियों तथा उन राज्यों के राज्यपालों के सलाहकारों के जिनमें राष्ट्रपति शासन था खाद्यान्न की उपलब्धता तथा चीनी के मूल्य के बारे में विचार-विमर्श किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किये गये है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) जी हां।

(ख) आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की स्थिति की सामान्य समीक्षा करने के बाद मुक्त बिक्री की चीनी के मूल्यों को स्वेच्छा से विनियमित करने के बारे में चीनी उद्योग की पेशकश पर 24-4-80 को हुए सम्मेलन में विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श हुआ। सम्मेलन में इस बात पर मतैक्य था कि मुक्त बिक्री की चीनी के निकासी मूल्य में स्वेच्छा से कमी करने विषयक उद्योग की पेशकश इस बात को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक नहीं है कि कुछेक राज्य तो कमी वाले राज्य हैं जबकि अन्य अधिशेष राज्य हैं और सांविधिक नियंत्रण के बिना कमी वाले राज्यों को आश्वासित संचलन नहीं किया जा सकता। जहां तक खाद्यान्नों की सप्लाई का सम्बन्ध है, राज्यों को आश्वासन दिया गया था कि खाद्यान्नों के पर्याप्त आरक्षण होने से केन्द्रीय सरकार सभी सम्भव सहायता देगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्यों की आवश्यकताओं को अधिकतम स्तर तक पूरा किया जा सके।

सूखे से प्रभावित राज्यों में रिग

28. **श्री के० प्रधानी :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सूखे से प्रभावित राज्यों को रिग देकर उन्हें कोई सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों से यह भी कहा है कि वे सभी उपलब्ध रिग जुटायें और कम से कम उन्हें दो पारियों में चलायें; और

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य में इसकी प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने सूखे से प्रभावित राज्यों को विभिन्न स्रोतों से रिगें प्रदान करके उन्हें निम्नलिखित रूप से सहायता पहुँचाई है :—

राज्य	स्रोत जिनसे रिगें उपलब्ध की गई			योग
	यूनिसेफ	केन्द्रीय भूमिगत जल मण्डल	अन्य राज्यों से	
बिहार	2	3	6	11
मध्य प्रदेश	3	2	47	52
उड़ीसा	2	—	7	9
राजस्थान	—	2	3	5
उत्तर प्रदेश	2	3	9	14
पश्चिम बंगाल	1	—	—	1
योग	10	10	72	92

राज्य सरकारों ने पूर्ति तथा निपटान के महानिदेशक के माध्यम से रिगों की खरीद करने के लिए मांग-पत्र भेजे हैं। पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय ने देशी विनिर्माताओं को 106 रिगों के लिए मांग-पत्र भेजे हैं। इनमें से अभी तक राज्यों को निम्नलिखित रिगें सप्लाई की गई हैं :—

मध्य प्रदेश	—	14
बिहार	—	11
उत्तर प्रदेश	—	6
राजस्थान	—	5
पश्चिम बंगाल	—	1
उड़ीसा	—	1

भारत सरकार, राज्यों से अनुरोध करती रही है कि वे अपने पास उपलब्ध रिगों का इष्टतम आधार पर उपयोग करें। राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे रिगों को कम से कम दो पारियों में चलायें।

(ग) उड़ीसा सरकार के पास 28 आधुनिकतम रिगें, 262 कालिक्स रिगें तथा हाथ से वेधन करने वाली 117 रिगें हैं। उड़ीसा सरकार ने प्रत्येक आधुनिकतम रिग के कार्य निष्पादन का प्रबोधन करने की व्यवस्था की है। उड़ीसा सरकार ने जनवरी, 1980 से अप्रैल, 1980 तक 2774 वेधन किए, जिसमें से 2666 वेधन सफल सिद्ध हुए हैं तथा पेय जल की सप्लाई करने के लिए 2427 वेधन चालू हो गए हैं।

त्रिपुरा के लिये पृथक डाक-घर सर्किल

29. **श्री बाजू बन रियान :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा राज्य सरकार की ओर से तथा वहां की जनता की ओर से केवल त्रिपुरा के लिए एक पृथक डाक-तार सर्किल स्थापित करने की मांग है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) :

(क) जी हां, त्रिपुरा राज्य सरकार की ओर से त्रिपुरा राज्य हेतु एक पृथक डाक-तार सर्किल बनाने का प्रस्ताव था।

(ख) प्रस्ताव की जांच की गई परन्तु कार्य-भार की दृष्टि से इसका औचित्य नहीं पाया गया।

चीनी के मूल्य कम करने के लिए चीनी उद्योग और व्यापारियों को चेतावनी

30. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने भारतीय चीनी उद्योग और व्यापारियों को यह चेतावनी दी थी कि यदि उन्होंने चीनी के खुले बाजार मूल्यों को कम करके उन्हें उचित दर स्तर तक लाने से इन्कार किया तो सरकार उनके खिलाफ कडी कार्यवाही करने में संकोच नहीं करेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके बाद मूल्यों में गिरावट आई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या 'कडे' कदम उठाए गये हैं ?

कृषि मंत्रालय राज्य मंत्री में (श्री आर० वी० स्वामीनाथन)

(क) जी हां।

(ख) और (ग) हालांकि चीनी के मूल्यों में मई के पिछले कई दिनों से घट-बढ़ और वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई थी, लेकिन मई के दूसरे सप्ताह में प्रमुख मंडियों में देखे गए उच्चतम मूल्यों से ये मूल्य काफी कम हैं क्योंकि सरकार द्वारा किए गए कई एक उपायों के कारण मूल्यों को उक्त स्तर से काफी नीचे ला दिया गया था। सरकार चीनी के मूल्यों की प्रवृत्ति पर बराबर निगाह रखे हुए है और हाल ही में मिलों के लिए संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकारियों को मुक्त बिक्री की चीनी की बिक्री के ब्यौरे देना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार उन चीनी मिलों के विरुद्ध और कार्रवाई करने के बारे में भी विचार कर रही है, जो उचित मूल्यों पर चीनी सप्लाई करने में सहयोग नहीं करती हैं। ऐसी मिलों को शीघ्र पिराई करने के लिए प्रोत्साहन देने और वर्तमान क्षमता में विस्तार करने के लिए लाइसेंस देने विषयक प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा।

दिल्ली में नान ओ० वाई० टी० स्कीम के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची

31. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन विभाग ने ओ० वाई० टी० स्कीम पुनः आरम्भ कर दी है;

(ख) ओ०वाई०टी०स्कीम पुनः आरम्भ करने के समय दिल्ली के विभिन्न एक्सचेंजों में नान ओ० वाई० टी० स्कीम के अधीन कितने व्यक्ति पंजीकृत थे ;

(ग) इन दो श्रेणियों में कनैक्शन देने का क्या मानदंड होगा और

(घ) क्या दिल्ली टेलीफोन विभाग के वायदे के अनुसार नान ओ० वाई० टी० स्कीम के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को कनेक्शन पहले प्रदान किए जाएंगे और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) (क) ओ० वाई०टी० स्कीम अभी तक बंद नहीं की गई थी। दिल्ली में 15.7.78 से ओ० वाई० टी० के अंतर्गत केवल नये पंजीकरण अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए थे परन्तु ओ० वाई० टी० के अन्तर्गत नये पंजीकरण 2.6.80 से पुनः चालू कर दिये गये हैं।

(ख) गैर ओ० वाई० टी० श्रेणी के अंतर्गत 30.4.80 के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की कुल संख्या 64431 है।

(ग) एवं (घ) दिल्ली टेलीफोन ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है। जिन आवेदकों की पंजीकरण 31.5.80 तक ओ०वाई०टी०के अंतंगत हो गया है उनको विभिन्न एक्सचेंजों में दिये जाने वाले नये कनेक्शनों का 75 प्रतिशत दिया जाएगा और परिणामस्वरूप 25 प्रतिशत कनेक्शन उन्हें मिलेंगे जिनका पंजीकरण गैर ओ०वाई०टी०श्रेणी के अंतर्गत हुआ है। जिनका पंजीकरण 2.6.80 या उसके बाद ओ० वाई० टी० के अन्तर्गत हुआ है उन्हें नये टेलीफोन कनेक्शनों का 25 प्रतिशत आवंटित किया जाएगा और बकाया 75 प्रतिशत गैर ओ० वाई० टी० आवेदकों को दिया जाएगा।

साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली में सर्वेंट क्वाटरों का रख रखाव

32. **श्री निहाल सिंह क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि साउथ एवेन्यू के सर्वेंट क्वार्टरों में पीने के पानी की सप्लाई सवेरे 4 घन्टे यथा 6 बजे से 10 बजे तक और शाम को केवल 4 घन्टे यथा 5 बजे से 9बजे तक रहती है जिसके परिणामस्वरूप इन क्वार्टरों के निवासी अपना घर का काम आदि पूरा नहीं कर पाते हैं; और

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है कि इन क्वार्टरों खिड़कियों और दरवाजों के फिक्सचर्स और फिटिंग खराब है और इनकी काफी दिनों से पालिश नहीं की गई और दीवारों तथा फर्शों की हालत भी खराब है; और जमादार इनकी छतों और सीढ़ियों की सफाई कभी नहीं करता है?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी)

(क) साउथ एवेन्यू के संसद् सदस्यों के फ्लैटों तथा उनके सर्वेंट क्वार्टरों में नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा पानी की सप्लाई एक ही समय अवधि के लिए दी जाती है, अर्थात् प्रातःकाल 5.30 बजे से 10.30 बजे पूर्वाह्न तक और सायंकाल 5.00 बजे से 9.00 बजे रात्रि तक।

(ख) सर्वेंट क्वार्टरों में फिटिंग तथा फिक्सचरों की हालत समग्र रूप से अच्छी है। इनके बारे में शिकायत मिलने पर तत्काल उसे देखा जाता है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दरवाजों तथा खिड़कियों पर 3 वर्ष में एक बार रंग—रोगन किया जाता है। छत की सफाई, जब कभी जरूरत पड़ती है की जाती है,और सीढ़ियां प्रतिदिन साफ की जाती हैं।

दिल्ली मे गैर-सहायाता प्राप्त स्कूल

33. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की राजधानी में कितनी गैर-सरकारी सहायता प्राप्त निजी संस्थाएं चल रही हैं;

(ख) इन संस्थाओं का नियंत्रण कौन करता है;

(ग) इन संस्थाओं के कार्यों और उनमें प्रवेश के क्या नियम तथा विनियम हैं; और

(घ) क्या उनके कार्यों पर सरकार कोई निगाह रखती है अथवा इन संस्थाओं में पढ़ाई जा रही किताबों आदि के बारे में ये पूरी तरह से स्वतन्त्र हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) से (ख) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जातियों/जन जातियों के लिए रोजगार क्षमता का कार्यक्रम

34. **श्री लक्ष्मण मलिक :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए रोजगार के अवसरों के विषय में कोई कार्यक्रम बनाया है : और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और इन कार्यक्रमों को कब तक कार्य रूप दिए जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों द्वारा जो विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं, उनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष तथा आंशिक रोजगार सूचित करने की क्षमता है। इस वर्ग में आने वाले कुछ महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

क. **कृषि मन्त्रालय**

1. **अन्तर्देशीय मात्स्यिकी परियोजना के अन्तर्गत मछुआ विकास एजेंसियां**

इस परियोजना के अन्तर्गत लाए जाने वाले 1,33,500 हैक्टार जल क्षेत्र में लगभग 40,000 हैक्टार जल क्षेत्र को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के इतने ही मछुआ परिवारों के सदस्यों में बांटे जाने का प्रस्ताव है।

2. **अरुणाचल तथा मिज़ोरम में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम**

1979-80 में कुल 23.50 लाख रुपये के परिव्यय की तुलना मे आदिवासी क्षेत्रों के लिए 19.50 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई थी।

3. **लघु सिंचाई**

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सहित समाज के कमजोर वर्गों के लिए लघु सिंचाई कार्यों के तहत निम्नलिखित पद्धति के अनुसार राज सहायता की व्यवस्था की गई है।

(1) एक हैक्टार से कम की जोत वाले सीमान्त कृषक	33 1/2 प्रतिशत
(2) एक से दो हैक्टार के बीच की जोत वाले लघु कृषक	25 प्रतिशत
(3) दो से चार हैक्टार के बीच की जोत वाले माध्यम कृषक	25 प्रतिशत

(4) अनुसूचित जनजाति के कृषक	50 प्रतिशत
(5) 2 हैक्टार से कम की जोत वाले लघु कृषकों के सम्बंध में सामुदायिक निर्माण कार्य	50 प्रतिशत
(6) 2 हैक्टार से कम की जोत वाले मध्यम कृषकों के लिए सामुदायिक निर्माण कार्य	40 प्रतिशत

(ख) छोटे कृषकों को सिंचाई के लाभ पहुंचाने के लिए मिलकर कराए पर लिए गए पम्पसेटों द्वारा सामुदायिक कुएं/नलकूपों तथा निजी खुदाई के कार्य को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ग) जिन क्षेत्रों में छोटे कृषक अधिक हैं, उनमें सार्वजनिक नलकूपों का निर्माण किया जा रहा है।

(घ) आदिवासियों की आबादी वाले राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने के लिए विशेष उप-योजना है।

(ङ) संचयन तालाबों, पथान्तरणी जल वाहिकाएं, आदि लघु सिंचाई निर्माण कार्य समाज के कमजोर वर्गों को रोजगार प्रदान करते हैं तथा इन कार्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

4. कमान के क्षेत्र विकास कार्यक्रम

5. फसल उत्पादन

केवल आदिवासियों को ही लाभ पहुंचाने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में मक्का के प्रदर्शनों के लिए एक विशेष योजना तैयार की गई है। इस योजना का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में सिफारिश की गई प्रबंध प्रणालियों के प्रचार के माध्यम से प्रति हैक्टार पैदावार बढ़ाना है।

6. डेरी विकास कार्यक्रम :

आपरेशन फ्लड 1 तथा आपरेशन फ्लड-2 से जिसके माध्यम से दुधारु-पशु-पालक अपने गोपशुओं को बेहतर रूप से पाल सकेंगे और दूध के उत्पादन को बढ़ा सकेंगे, लाभकारी रोजगार के रूप में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों आदि के उन सदस्यों को लाभ पहुंचेगा, जो सरकारी समितियों के सदस्य बन सकते हैं।

7. पशुपालन कार्यक्रम :

हाल ही में सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से निम्नलिखित बातों के विषय में अनुरोध किया गया है :—

(क) हिमित वीर्य की डोजों का लगभग 20 प्रतिशत भाग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के गोपशुओं के गर्भाधान के लिए आरक्षित रखना;

(ख) राज्य फार्मों में पैदा किए गए संकर प्रजनन 'विदेशी नस्ल के मेढों का 25 प्रतिशत भाग अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में वितरित करने के लिए आरक्षित करना।

(ग) राज्य फार्मों में पैदा किए गए वाणिज्यिक संकर चूजों का 20 प्रतिशत भाग अनुसूचित जातियों। अनुसूचित जन/जातियों को आवंटित करना (10 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों को)

(घ) खुर पका तथा मुंह पका रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कुल योजना आवंटन का 10 प्रति अनुसूचित जातियों के लिए तथा 10 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारण करना,

(ङ) मिनीकित प्रदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाने वाले कुल 10,000 प्रदर्शनों में से 2500 प्रदर्शन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित करना,

(च) चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन के लिए क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा किए जाने वाले प्रदर्शनों के 25 प्रतिशत प्रदर्शन अनुसूचित जातियों यथा अनुसूचित जन जातियों के खेत में आयोजित करना।

(ख) ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय

(1) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

(2) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यकरम

(3) लघु कृषक विकास एजेंसियां

(4) मरु विकास कार्यकरम

(5) विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम

6. लघु सिंचाई कार्यक्रम

वर्ष 1979-80 के दौरान केन्द्र द्वारा उपरोक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत 134,75 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई। समेकित ग्रामीण विकास, लघु कृषक विकास एजेन्सियां तथा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रमों के अन्तर्गत जनवरी, 1980 तक के कुल 21,14,331 लाभानुभोगियों में से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लाभानुभोगियों की संख्या 7,17,910 है।

यमुनापार क्षेत्र, दिल्ली में बस्तियों का नियमित किया जाना

35. **श्री फूल चन्द वर्मा :**

क्या निर्माण आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यमुनापार क्षेत्र में अनधिकृत बस्तियों को नियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन बस्तियों के नाम क्या हैं जिनसे नियमित किये जाने के ले-आउट प्लान' प्रकाशित किये जा रहे हैं तथा कब तक;

(ग) क्या इन बस्तियों के निवासियों को मरम्मत कार्यों के लिये सरकार द्वारा सीमेंट के दो बोरे सीमेंट की कमी के कारण नहीं मिलते;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है; और

(ङ) संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? **निर्माण और आवास मंत्री श्री पी० सी० सेठी),**

(क) जी हां। इस विषय की नीति के अनुसार गैर सरकारी भूमि पर बनी अनधिकृत बस्तियों में 30-6-1977 तक बनी रिहायशी संरचनाओं और 16-2-1977 तक बनी वाणिज्यिक संरचनाओं को नियमित कर दिया जाएगा।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 68 अनधिकृत कालोनियों के नक्शे पहले ही प्रकाशित कर दिए हैं और और उन्होंने उनके बारे में लोगों से आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हो गये हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए संलग्न सार्वजनिक सूचना के क्रम सं० 7 से 20 तक में दर्शाए गए 14 अंचलों में गैर सरकारी भूमि पर मौजूद अन्य 197 अनधिकृत बस्तियों के नक्शों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एक वर्ष में या इसके आस-पास अन्तिम रूप दे दिए जाने की आशा है। (ग्रन्थालय में रखा गया; देखिये संख्या एल० टी-826-80)

(ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि सीमेंट के दो या अधिक बोरों के परमिट मरम्मत के लिए जा रहे हैं, लेकिन कम सप्लाई के कारण, सभी आवेदनों की आवश्यकताओं को पूरा करना सम्भव नहीं हो रहा है।

(घ) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने के लिए सीमेन्ट प्राप्त करने और सप्लाई बढ़ाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

एशियाई खेल, 1982

36. **श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : श्री एस० आर० ए० एस० अप्पाला नायडू :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई खेल, 1982 के स्थान में परिवर्तन करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) वर्ष 1982 में आयोजित होने वाले एशियाई खेलों की तैयारी की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उस पर अनुमानतः कितना खर्च आयेगा; और

(घ) क्या यह खर्च केन्द्र सरकार द्वारा अकेले ही वहन किया जाएगा अथवा किन्हीं राज्य सरकारों के साथ मिलकर वहन किया जाएगा ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

(क) 1982 के एशियाई खेलों के स्थान को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नौका-विहार, जोकि बम्बई में होनी है के अलावा, ये खेल नई दिल्ली और इसके आस-पास खेले जाएंगे।

(ख) शामिल किए जाने वाली खेलों के लिए तारीखें तय हो चुकी हैं; विभिन्न खेलों के लिए पता लगाए गए स्थानों तथा योजनाओं और बनाए जाने वाले स्टेडियनों के डिजाइन अधिकांश

मामलों में पूरे कर लिए गए हैं। खेलों के लिए अपेक्षित उपकरणों की सूचियां तैयार कर ली गई है और उन्हें प्राप्त करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। भारतीय पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए तैयार की योजनाओं को भी बहुत से मामलों में अन्तिम रूप दे दिया गया है।

(ग) इनको अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) खेलों पर होने वाले व्यय को भारत सरकार तथा राज्य सरकार संघ शासित क्षेत्र द्वारा संयुक्त रूप से वहन किया जायेगा।

त्रिपुरा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की परियोजना

37. **श्री अजय विश्वास:**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने त्रिपुरा में कोई परियोजना शुरू की है और अब तक कोई कार्य आरम्भ है; और

(ख) यदि हां, तो वहां भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाओं के नाम क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) जी हां, श्री मान। जनर द्रव्य के संकलन और मूल्यांकन, कृषि तथा बागवानी फसलों की नस्लों अनुकूलनीयता, सस्य और पौध रक्षा के पक्षों पर कार्य प्रारम्भ हो गया है। पौध और पशु रोगों पर सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।

(ख) 1. अगरतला के निकट लेम्बोचेरा में उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भा० कृ० अ० प० अनुसंधान कम्पलेक्स का क्षेत्रीय केन्द्र है।

2. अखिल भारतीय समन्वित सस्य अनुसंधान प्रायोजना (किसानों के खेतों में परीक्षण के आधार पर) त्रिपुरा, और

3. खोवाली में कृषि विज्ञान केन्द्र।

पश्चिम बंगाल की आटा मिलों को गेहूं की कम सप्लाई

38. **श्री सुधीर कुमार गिरि :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल राज्य की आटा मिलों में गेहूं की कम सप्लाई के कारण उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है जिसके परिणाम स्वरूप बाजार में आटा नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिकिरिया है; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीआर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) और (ख) : 15-5-1980 को पश्चिमी बंगाल में 120.3 हजार मीटरी टन गेहूं

स्टाक था और यह स्टाक स्थिति सुगम समझी जाती है। प्रतिमास 55,000 मीटरी टन के आवंटन के प्रति, आटा मिलों ने मार्च और अप्रैल, 1980 के दौरान वास्तव में क्रमशः लगभग 34,000 और 39,000 टन गेहूं उठाया था राज्य में गेहूं के उत्पादों के उत्पादन को औसतन 33,000 मीटरी टन के स्तर पर बनाए रखा गया। इसके अलावा एक राज्य से; दूसरे राज्यों को गेहूं के उत्पादों को लाने ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ग) : जून, 1980 के दौरान राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, पश्चिमी बंगाल को 80 हजार मीटरी टन गेहूं भेजने के लिए संचलन संबंधी योजना तैयार की गई है।

राष्ट्रीय सूखा नीति

39. **श्री निरेन घोष :**

क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में सूखे की प्रति वर्ष पुनरावृत्ति रोकने के लिये एक राष्ट्रीय सूखा नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) सरकार ने सुखे से बार-बार प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के विकास के लिए कुछेक योजनाएं अर्थात् सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यकरम, मरुभूमि विकास कार्यकरम तथा अखिल भारतीय समन्वित शुष्क भूमि कृषि परियोजना शुरू है। इन योजनाओं का उद्देश्य सूखे के प्रभाव की तीक्ष्णता को कम करना तथा परिस्थितिक व उत्पादन के हालातों में सुधार करना है जिससे सूखे की पुनरावृत्ति कम होगी।

(ख) व (ग) इन योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम

देश के कुछ भागों में सूखे की घटना बारम्बार होती रही है। स्वतन्त्रता से पहले, उन विभिन्न समस्याओं जो सूखे और कमी के कारण सामने आती थी, को तदर्थ आधार पर उसी समय हल किया जाता था जब कभी ऐसे संकट की घटना होती थी और जब तक यह मौजूद रहती थी। 1960-70 के बीच में पड़े व्यापक सूखे ने लगातार सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं को संगठित आधार पर हल करने की आवश्यकता की और सरकार का ध्यान आकर्षित किया ताकि इन क्षेत्रों की जनसंख्या के लिए सूखे के मुकाबले में कम से कम कुछ सुरक्षा तो सुलभ की जा सके। सूखाग्रस्त के रूप में चुने क्षेत्रों में, ग्रामीण निर्माण-कार्य कार्यक्रम को वर्ष 1970-71 से इस प्रमुख उद्देश्य से शुरू किया गया था कि कमी की परिस्थितियों की तीव्रता को धीरे-धीरे कम किया जा सके। कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रम प्रधान तथा उत्पादन उन्मुख निर्माण कार्यों को शुरू किया गया था। इनमें मध्यम तथा लघु सिंचाई योजनाएं, भूमि संरक्षण, वनरोपण

सड़कें तथा पेय जल परियोजनाएं शामिल हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के पश्चात इस कार्यक्रम को क्षेत्र विकास पहुंच पर पुनर्स्थापित किया गया था और इसे सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के रूप में पुन: नाम दिया गया था।

सरकार ने पांचवीं योजना के दौरान समन्वित ग्राम विकास की व्यापक नीति के मुख्य तत्वों को स्पष्ट करने हेतु अक्तूबर 1971 में समन्वित ग्राम विकस सम्बन्धी एक कार्यदल का गठन किया था। कार्यदल ने विभिन्न विशेष गाम विकास कार्यक्रमों की विषय-वस्तु, कार्य क्षेत्र तथा प्रगति की पुनरीक्षा की तथा उनकी जांच की और सूखागस्त क्षेत्र कार्यक्रम के दृष्टिकोण तथा नीति के बारे में सिफारिशें कीं। कार्यदल ने सुझाव दिया कि इस कार्यक्रम जिसके अर्न्तगत 13 राज्यों के आंशिक अथवा पूर्ण रूप से 74 जिले आते हैं, के अधीन किए गए प्रयासों में मुख्य बल उचित पारिस्थितिक संतुलन को पुर्नस्थापित करने की दिशा में होना चाहिए। इस कार्यक्रम के कुछेक महत्वपूर्ण तत्वों का निम्न प्रकार चयन किया गया था।

(1) पारिस्थिनिक संतुलन का पुर्नस्थापन ;

(2) सिंचाई संसाधनों का विकास तथा प्रबन्ध ;

(3) फसल प्रतिमान की पुनसंरचना तथा चरागाह विकास ;

(4) भूमि तथा नमी संरक्षण और वनरोपण ;

(5) कृषि पद्धतियों में परिवर्तन ;

(6) पशुधन विकास ;

(7) पेय जल आपूर्ति की व्यवस्था ;

(8) छोटे तथा सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों का विकास।

चौथी योजना के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 92 करोड़ रुपये का व्यय हुआ था जिससे लगभग 164 लाख हैक्टेयर की सिंचाई सम्भाव्यता के सृजन, के 4.62 लाख हैक्टेयर से भी ऊपर भूसंरक्षण उपाय लगभग 0.97 लाख हैक्टेयर में वनरोपण और लगभग 9000 किलोमीट सड़कों से निर्माण विकास करने में सहायता प्राप्त हुई।

पांचवी योजना (1974-79) के दौरान लगभग 269 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। वर्ष 1979-80 के दौरान जनवरी, 1980 तक 38 40 करोड़ रुपये का व्यय सूचित किया गया है। वर्ष 1974-79 के दौरान लगभग 2.51 राख हैक्टेयर की सिंचाई सम्भाव्यता सृजित की गई, लगभग 12.53 लाख हैक्टेयर भूमि की कृषि सिंचाई संरक्षण उपाय किए गए, लगभग 3.12 लाख हैक्टेयर भूमि वनरोपण और चरागाह विकास के अन्तर्गत लाई गई, 3325 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सोसायटियों की स्थापना की गई, तथा 62193 दुधारु पशु छोटे तथा सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिकों को वितरित किए गए। कार्यक्रम के अन्तर्गत 1008 भेड़ सोसायटियों की स्थापना की गई। इस अवधि के दौरान लगभग 180 मिलियन श्रमदिनों का मजूदरी रोजगार सृजित किया गया। वर्ष 1979-80 (दिसम्बर 1979 तक) के दौरान लगभग 21000 हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई सम्भाव्यता सृजित की गई, 1,65 लाख हैक्टेयर में वनरोपण और चरागाह

विकास शुरू किया गया तथा लगभग 83000 हैक्टेयर भूमि में भू एवं नमी-संस्करण उपाय किए। 329 दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटियां तथा 203 भेड़ सहकारी सोसायटियां स्थापित की गई थी। 9417 दूधारु पशु वितरित किए गए तथा लगभग 20.65 मिलियन श्रमदिनों का रोजगार सृजित किया गया।

मरुभूमि विकास कार्यक्रम

मरुभूमि क्षेत्रों के विकास के लिए मरभूमि विकास कार्यकरम 1977-78 से शुरू किया गया था। इस कार्यकरम के अन्तर्गत गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू व काश्मीर के राज्यों के 20 जिले आते है। इन राज्यों में इस कार्यकरम के अन्तर्गत लगभग 18 करोड़ रुपये तक का व्यय किया गया है। वनरोपण, सिचाई, भू, एवं जल संरक्षण, कृषि एवं पशुपालन का विकास इस कार्यकरम के मुख्य घटक हैं। राजस्थान में, नलकूपों को शक्तिचालित करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण का विकास भी इस कार्यकरम के अन्तर्गत शुरू किया गया है।

अखिल भारतीय समन्वित शुष्क भूमि कृषि परियोजना

सूखे और वर्षा की अनिश्चितता की समस्या के बारे में व्यापक अनुसंधान परिषद् ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान अखिल-भारतीय समन्वित शुष्क भूमि कृषि परियोजना शुरू की। इस परियोजना के अधीन 23 मुख्य और उपकेन्द्र हैं। इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य कार्यक्रम करने के लिये करीनें दिए उत्पादन का स्थरीकरण एवं वृद्धि करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए तीन मूलभूत सिद्धान्त विकसित किए गए हैं :—

(1) भू एवं नमी संरक्षित करना।

(2) फसल उत्पादन के लिए संरक्षित नमी का सर्वोत्तम उपयोग करना;

(3) मौसमी असमान्तताओं का मुकाबला करने के लिए आपातित योजनाओं का मूल्यांकन करना।

गत एक दशाब्दी में इस परियोजना में पर्याप्त प्रगति हुई है। मुख्य उपलब्धियां विभिन्न कृषि-जलवायु विषयक परिस्थितयों के लिए उपयुक्त फसलों और किस्मों की पहचान तथा मौसमी असमान्यताओं का मुकाबला करने के लिए आनुषांगिक योजनाओं का विकास तथा अद्यतन शुष्क-भूमि प्रौद्योगिकी का प्रचार के रूप में है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा
बृहद योजना के अधीन भूमि का अर्जन

40. श्री के० टी० कोसलराम :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकारी ने बृहत योजना के अधीन कुल कितने एकड़ भूमि का विकास और बस्ती बनाने के लिये अर्जन किया ;

(ख) अब तक कितनी भूमि का विकासकिया गया है तथा बस्ती बनाई गई है तथा कितने मकान बनाये गये हैं और पृथक पंजीकरण और उसके बाद में नाम दर्ज कराने पालों को आवंटित किये गये हैं; और

(ग) कितने व्यक्तियों को जिन्होंने अपने आप दर्ज कराये हैं अभी फ्लैटों का आवंठन किया

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी)

(क) दिल्ली विकास प्राधिकारी ने सूचित किया है कि उनके रिकार्ड के अनुसार, 31 मार्च, 1980 तक 30,439 एकड़ का क्षेत्र इस प्रकार उनके सुपुर्द किया गया है।

(ख) (i) अब तक 10,420 एकड़ भूमि का विकास किया गया है और अन्य 6375 एकड़ भूमि का विकास हो रहा है।

(ii) प्रथम पूंजीकरण और उसके बाद से नाम दर्ज कराने वालों के लिए निर्मित और आवंटित मकानों फ्लैटों (झुग्गी-झोंपड़ी और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों सहित) की संख्या की इस प्रकार है; —

(i) 31-3-80 तक बनाए गए मकानों फ्लैटों की संख्या	49,416
(iii) विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत जब तक आवंटित फ्लैटों की संख्या	42,163
(iii) आबंटन की प्रक्रिया के अन्तर्गत फ्लैटों की संख्या	7,153

(ग) आबंटन के लिए अभी भी प्रतीक्षा कर रहे नाम दर्ज कराने वालों के ब्यारे इस प्रकार है :—

i) पहली पंजीकरण योजनाओं में दर्ज करने वाले (अर्थात 1976 तक पंजीत्तत)	16,14,12
ii) स्व-वित्त पोषित योजनाओं के अन्तर्गत नाम दर्ज कराने वाले	6,880
iii) 1979 में चलाई गई हुडको पैटर्न की योजना ओं के अन्तर्गत नाम दर्ज कराने वाले	1,71,131

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित भूमि का विकास

41. **श्री के० राममूर्ति :**

क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली बृहद योजना के अधीन 54,000 एकड़ भूमि अर्जित की गई है और उसमें से अब यक केबल 5400 एकड़ भूमि को विकसित किया गया है तथा बस्तियां बनाई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इतनी धीमी प्रगति के कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी)

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिन्दी आशुलिपि के लिये राष्ट्रपति पुरस्कार

42. श्री कृष्ण चंद्र पांडे :

श्री नन्द किशोर शर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि हिन्दी आशुलिपि में 250 शब्द प्रति मिनट का सर्वाधिक कीर्तिमान स्थापित किया जा चुका है,

(ख) यदि हां, तो इस कीर्तिमान को स्थापित करने वाले व्यक्ति को मन्त्रालय द्वारा क्या प्रोत्साहन दिया गया है :

(ग) क्या अन्य कलाओं की भांति हिन्दी आशुलिपि के लिये भी कोई राष्ट्रीय पुरस्कार देनें का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद)

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठाता ।

(ग) और (घ] इस मन्त्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

सरकारी आवास का आबंटन

43. श्री दयाराम शाक्य :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एम० वी० रोड, गोल मार्केट एरिया और सादिक नगर में कुल कितनी संख्या में टाईप 'बी' क्वाटर निर्माणाधीन हैं,

(ख) इस श्रेणी में कुछ मकानों का निर्माण पूरा हो गया है जिन्हें अभी तक आबंटन हेतु सम्पदा निदेशालय को हस्तांतरित नहीं किया गया है,

(ग) उन्हें आवंटन हेतु हस्तांतरित न करने के क्या कारण हैं और उन्हें आबंटन के लिए कब हस्तांतरित किया जा रहा है, और

(घ) इन मकानों के आबंटन हेतु हस्तांतरित न किए जाने मे सरकार को कुल हानि कितनी हुई है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) :

(क) इन क्षेत्रों में टाइप-बी० (टाइप-II) के 2,519 क्वार्टर निर्माणाधीन थे ।

(ख)तथा (ग) : इन 2,519 क्वार्टरों में से गोल मार्केट क्षेत्र में 90 क्वार्टरों को पूर्ण रूपेण तैयार कर लिया गया है तथा इन्हें सम्पदा निदेशालय को सौंप दिया गया है ।

गोल मार्केट में 345 क्वार्टर तैयार हैं, उनके केवल स्थानीय निकाय द्वारा बिजली का कनेक्शन तथा प्रमाण-पत्र दिया जाना है। इनको जून, 1980 के अन्त तक सम्पदा निदेशालय को सौंप दिए जाने की सम्भावना है।

इस प्रकार से सादिक नगर के 170 क्वार्टर जो निर्माण के अन्तिम चरण में हैं, उनको जून, 1980 के अन्त तक सम्पदा निदेशालय को सौंप दिये जाने की सम्भावना है।

अन्य क्वार्टरों को उनके पूर्णरूपेण तैयार होने के तुरन्त बाद ही सौंप दिया जायेगा।

(घ) भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

महानगरों में गंदी बस्तियों को हटाया जाना

44. **श्री टी० आर० शामन्ना :**

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बम्बई, बंगलौर आदि महानगरों में पिछले कुछ दिनों से बहुत सी नई गन्दी बस्तियों न बनती जा रही है।

(ख) क्या नई गन्दी बस्तियों को न बनने देना सुनिश्चित करने के लिए सरकार पर्याप्त उपाय कर रही है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार का चरणबद्ध कार्यक्रम के रूप में विद्यमान अधिकृत गन्दी बस्तियों को हटाने अथवा विकसित करने या उन्हें अन्य स्थान पर ले जाने के लिए क्या कदम उठाका ने विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी)

(क) सरकार को इस तथ्य का पता है कि बड़े शहरों में गन्दी बस्ती आपेक्षाकृत अधिक गम्भीर समस्या है।

(ख) तथा (ग) : स्थानीय निकायों को सरकारी भूमि पर अतिक्रमणों को रोकने और उन्हें हटाने की पहले ही पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई हैं। गन्दी बस्ती सफाई सुधार और शहरों में गन्दी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की योजनाएं, जिन्हें गन्दी बस्तियों की समस्या को हल करने के लिये बनाया गया है, राज्य क्षेत्र में है जो राज्य सरकारों द्वारा उन्हें योजनाओं के लिये दिये गये वार्षिक प्लान नियतनों में से ली गई निधियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। मद्रास और कलकत्ता में बहु क्षेत्रीय नगर परियोजनाओं के एक अंग के रूप में गन्दी बस्ती सुधार योजनाओं को भी हाथ में लिया गया है जिसकी ऋण सहायता अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन करती है जो विश्व बैंक से संबद्ध है। इन दो योजनाओं के आलावा, दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी हटाओ योजना भी चलाई जा रही है। एक ओर गन्दी बस्ती समस्या के इस बड़े आकार को देखते हुए और दूसरी ओर साधनों की कमी को देखते हुए इन योजनाओं को कार्यान्वय के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

बम्बई में सेवारत केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के लिए सरकारी आवास

45. श्री आर० के० महालगी :

क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में केन्द्रीय सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस दिये गये हैं कि वे सरकार द्वारा उनके लिये बनाये गये मकानों में आवास के लिये आवेदन करें;

(ख) यदि हां, तो ये नोटिस कब दिये गये और कितने अधिकारियों को दिये गये;

(ग) क्या सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व ऐसे अधिकारियों जिनके अपने मकान-फ्लैट आदि हैं, को सरकारी मकान छोड़ कर चले जाने को कहा था और जिसके परिणामस्वरूप ऐसे सभी अधिकारी तदनुसार मकान छोड़ कर चले गये थे;

(घ) भाग (क) में बताये गये आदेश देने के क्या कारण हैं जिनमें सरकारी अधिकारियों को आवेदन करने और सरकारी मकान लेने के लिये विवश किया गया है; और

(ङ) क्या सरकार उनके द्वारा उसके स्वयं के मकानों के रख रखाव पर किये जाने वाले व्यय तथा सरकारी मकान के लिये उनके द्वारा अदा किये जाने वाले किराये को ध्यान में रखते हुए ऐसे सरकारी अधिकारियों को होने वाले घाटे का मुआवजा देगी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी)

(क) तथा (ख) : जी, नहीं 1 मई, 1979 में बम्बई में सभी सरकारी विभागों को एक परिपत्र परिचालित किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि उन सरकारी कर्मचारियों को जो ई०, ई०-I और ई०-II टाईप वास के पात्र है यदि वे सामान्य पूल के वास के आवंटन के लिये आवेदन पत्र नहीं देते या वास का आवेदन करने के बाद उन्हें पेश किया गया। आवंटित किया गया वास लेने से इंकार करते हैं या स्वीकार करके वापस कर देते हैं तो उन्हें आवास किराया भत्ता नहीं दिया जाना चाहिये। उसमें यह भी लिखा गया था कि बम्बई के सम्पदा प्रवन्धक से वास न होने का "प्रमाण पत्र" प्राप्त किए बिना ऐसे अधिकारियों को मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाना चाहिये। इन आदेषों को अप्रैल, 1980 में 'डी' टाइप वास के पात्र अधिकारियों पर भी लागू कर दिया गया था।

(ग) सरकार द्वारा लिये गये एक निर्णय के अनुसार 1975 में उन अधिकारियों को जिनका अपना मकान है, सामान्य पूल के वास के आबंटने के लिये अपात्र घोषित कर दिये गये थे। यह बताया गया था कि वे व्यक्ति जो सरकारी वास को दखल में रखे रहेंगे उनसे 1-1-1976 से बाजार दर लाइसेन्स फीस ली जाएगी तथापि, सभी उन अधिकारियों ने सरकारी वास खाली नहीं किया जिनके अपने मकान थे। 1-6-1977 से अपना मकान रखने वाले अधिकारियों को पुनः सामान्य पूल वास के आवंटन का पात्र घोषित कर दिया गया था लेकिन उनकी अगता की तारीख 1-6-1977 से मानी गई है या उसके बाद की तारीख जैसी भी स्थिति हो।

(घ) विभिन्न स्थानों पर सरकारी वास का निर्माण सरकारी पूल में रिहायशी मकानों की मांग को ध्यान में रखकर किया जाता है। यह महसूस किया गया कि यदि बम्बई में सभी पात्र सरकारी कर्मचारी वास के लिये आवेदन न करे तो बम्बई में सरकारी वास के आधिक्य हो जाने

की सम्भावना थी और इससे सरकार को राजस्व की हानि होगी। इस पर काबू पाने के लिये मई, मई, 1979 में निर्देश जारी किये गये कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता उस समय तक न दिया जाए जब तक कि वे सम्पदा प्रबन्दा बम्बई से आवास न होने का प्रमाण पत्र प्राप्त न कर लें।

(ङ) यदि सरकारी कर्मचारी अपने बनाये मकानों में रहने के इच्छुक है तो उन्हें ऐसा करने पर रोक नहीं है लेकिन उस स्थिति में वे मकान किराया भत्ता लेने के पात्र नहीं होंगे और इस प्रकार उन्हें क्षतिपूर्ति अदा करने का प्रश्न नहीं उठता।

दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, दिल्ली को अनुदान

46. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :**

क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय की पीपुल्स एक्सन डेवलपमेंट आफ इण्डिया जैसी जैसी एजेन्सियों ने गोंडा एजेन्सियों ने गोंडा (उत्तर प्रदेश) में परियोजना के लिये दीनदयाल अनुसंधान, दिल्ली को वर्ष 1977-80 के दौरान अनुदान दिया था, और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन)

(क) जी हाँ,

(ख) गोण्डा, उत्तर प्रदेश में कमजोर वर्गों के लिए सिंचाई सम्भाव्यता के विकास के लिए संस्वीकृत धनराशि :

1) प्रतिकार्यकर्त्ता 500/- रुपये प्रतिमास की दर से दो वर्षों की अवधि के लिए 60 सामाजिक कार्यकर्त्ता का वेतन	7.20 लाख रुपये
2) उथले नलकूप लगाने के लिए उपकरण खरीदने हेतु आवर्ती विधि	10.00 लाख रुपये
योग	17.20 लाख रुपये

17.20 लाख रुपये की धन राशि में से 11.80 लाख रुपये की धनराशि बंटित की की गई थी।

पब्बोवाल, हिमाचल प्रदेश में खुदाई के लिए वर्मे

47. **श्री नारायण चन्द पाराशर :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के पब्बोवाल गांव में भूमि जल संगठन द्वारा जो बर्मा लगाया जा रहा था उसे वहाँ से हटा लिया गया है और खुदाई का कार्य बन्द कर दिया गया है :

(ख) क्या सरकार को पर्याप्त गहराई तक खुदाई न किये जाने के विरुद्ध स्थानीय प्रतिनिधियों से कोई विरोध-पत्र प्राप्त हुआ है :

(ग) यदि हां, तो खुदाई के कार्य को रोक देने तथा वर्मा को वहां से ले जाने के क्या कारण हैं : और ?

(घ) क्या सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए वर्मा फिर से लगाया जायेगा और खुदाई का कार्य फिर से शुरू किया जायेगा तथा इस कार्य को कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) जी हां।

(ख) जी हां। श्री विजय कुमार जोशी, एम० एल० ए० ने पर्याप्त गहराई तक खुदाई न किए जाने के विरुद्ध एक विरोध-पत्र भेजा है।

(ग) बेदन सम्बन्धी कार्य बन्द कर दिया गया, क्योंकि यह पता लगा कि 100 मीटर की गहराई पर शिवालिक की पहाड़ियों को भूमि की परत पिंजोर स्टेज से मिली हुई है, जो बिना-जल वाले क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। एक ही परत में बार-बार वेधन जिद्रण होने की पुष्टि हो जाने के बाद ही 117 मीठर की गहराई नर खुदाई का कार्य बन्द किया गया था।

(घ) ऊना जिले के बीट क्षेत्र में दो अतिरिक्त समन्वेषी बेधन छिद्रण एक बढ़ेरा ग्राम में और दूसरा दलेहाए ग्राम में करने का प्रस्ताव है। नये स्थान पर सभीसामग्री/उपस्कर पहुंचने ही छिद्रण का कार्य आरम्भ किया जाएगा।

गैर सरकारी तौर पर संचालित और मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं को वित्तीय सहायता

48. **श्री नारायण चंद पराशर :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में गैर सरकारी तौर पर संचालित और मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों, कलेजों आदि जैसी शिक्षा संस्थाओं की वित्तीय कठिनाइयों की जानकारी है।

(ख) यदि हां तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करेनी कि ऐसे सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों और कालेजों को पर्याप्त वित्तीय सहायता मिले जो राज/केन्द्रीय सरकार से वार्षिक अनुदान आदि पाने के उत्सुक हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को मालूम है कि कुछ राज्यों में इन संस्थाओं को किसी तरह की वित्तीय सहायता प्रदान करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो ये राज्य कौन-कौन से हैं और शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किए जाने के कारण संघ सरकार के उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए इन संस्थाओं को बनाए रखने और उनके कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए संघ करकार द्वारा क्या उपाय किये गये है अथवा किए जाने का विचार है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

(क) से (घ) : सरकार को, देश के विभिन्न भागों में निजी तौर पर संचालित और मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों, कालेजों आदि जैसी शिक्षा संस्थाओं की वित्तीय कठिनाइयों की जानकारी नहीं है, क्योंकि इन संस्थाओं को संचालित करने के लिए अनुरक्षण अनुदान सम्बन्धित राज्य सरकारों

द्वारा उनके निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं। केवल विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग के कार्यक्षेत्र में आने वाले कालेजों के मामले में, कुछ अनुदान ऐसे कालेजों को विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए दिए जाते हैं। समवर्ती सूची में शिक्षा को शामिल करने से केन्द्र की इन संस्थाओं को संचालित करने के लिए वित्तीय सहायता देने की जिम्मेदारी नहीं हो जाती।

केन्द्रीय विद्यालय

49. **श्री नारायण चन्द पाराशर : श्री जनार्दन पुजारी :**

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम (जिलों तथा राज्यों सहित जहां विद्यालय स्थित हैं) क्या हैं जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, केन्द्रीय विद्यालय खोले गये हैं; और

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने का विचार है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय खोले गये थे :

1977-78

1. दुलियाजान, जिला डिब्रूगढ़, असम
2. बोकारो, जिला धनबाद, बिहार (द्वितीय स्कूल)
3. अमझोर, जिला रोहतास, बिहार
4. बरौनी, जिला बेगूसराय, बिहार (द्वितीय स्कूल)
5. रांची, जिला रांची, बिहार
6. फरीदाबाद, जिला फरीदाबाद, हरियाणा
7. पिंजौर, जिला अम्बाला, हरियाणा
8. होल्टा केम्प, जिला पालमपुर, हिमाचल प्रदेश
9. कुन्द्रमुख, जिला चिकमंगलूर, कर्नाटक
10. साम्ब्रा, जिला बेलगांम, कर्नाटक
11. ग्वालियर, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश (द्वितीय स्कूल)
12. जबलपुर, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश (द्वितीय स्कूल)
13. फरीदकोट, जिला फरीदकोट, पंजाब
14. राजपुरास्थान, दरीबा माईन्स, जिला उदयपुर, राजस्थान
15. जोधपुर, जिला जोधपुर, राजस्थान
16. इन्दुनगर, ओक्टाकमण्ड, तमिलनाडु
17. मथुरा, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश (द्वितीय स्कूल)
18. साल्ट लेक, जिला कलकत्ता, पश्चिम बंगाल
19. खपरेल, जिला दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल

1978-79

1. सी० आर० पी० एफ० हैदराबाद, जिला हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश

2. दिपू, जिला कर्बी अंगलोंग, असम
3. तेजपुर, जिला दारांग, असम
4. भण्डरीदेह, जिला गिरिदीह, बिहार
5. मस्जिद मोठ, जिला नई दिल्ली, दिल्ली
6. अहमदाबाद, जिला अहमदाबाद, गुजरात, (द्वितीय स्कूल)
7. बन्टालब, जिला जम्मू, जम्मू तथा काश्मीर
8. ज्योतीपुरम, जिला उदयपुर, जम्मू तथा काश्मीर
9. भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर, जिला बंगलौर, कर्नाटक
10. वैलिंगटन द्वीपसमूह कोचीन ।।। जिला एर्नाकुलम, केरल
11. सेक्यूरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश
12. मलांजखण्ड, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश
13. कोलाबा, जिला कोलाबा, महाराष्ट्र (द्वितीय स्कूल)
14. चन्द्रपुर आर्दिनेन्स फैक्ट्री चान्द, जिला चन्द्रपुर, महाराष्ट्र
15. तुली, जिला मोकाकचुंग, नागालैण्ड
16. भटिण्टा कैन्ट, जिला भटिण्डा, पंजाब
17. अवाडी, जिला मद्रास, तमिलनाडु
18. रानीपुर, जिला हरिद्वार, उत्तर प्रदेश
19. ऋषीकेश, जिला देहरादून, उत्तर प्रदेश
20. डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश
21. शाहजहांनपुर, जिला शाहजहांनपुर, पश्चिम बंगाल
22. कंचारपारा, जिला 24 परगना
23. चुका हाईडल, प्रोजक्ट पो० आ० चिमकोटी, भूटान

1979-80

1. मालीगांव, जिला गोहाटी, असम
2. नवगांव, जिला नवगांव, असम
3. मल्कापुरम, जिला विशाखापटनम, आन्ध्र प्रदेश
4. पहाड़पुर मिलट्री केम्प, जिला गया, बिहार
5. डिपटोली, जिला रांची, बिहार
6. बी० एस० एफ० हजारीबाग, जिला हजारीबाग, बिहार
7. ए० एफ० एस० नलिया, जिला कच्छ, गुजरात
8. आइल एण्ड नैचुरल गैस कमीशन, अंकलेश्वर, जिला अंकलेश्वर, गुजरात
9. रिवाडी, जिला महिन्द्रगढ़, हरियाणा
10. नागरोटा (आर्मी) जिला जम्मू, जम्मू तथा काश्मीर
11. साम्बा, जिला जम्मू, जम्मू तथा काश्मीर
12. मेवालूर, जिला कोटायम, केरल
13. किरान्दुल, बालाडीला आयरन ओर प्रोजेक्ट जिला बस्तर, मध्य प्रदेश
14. नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट बिलासपुर, जिला बिलासपुर, मध्य प्रदेश

15. सरगुजा, जिला सरगुजा, मध्य प्रदेश
16. आर्डिनेन्स फैक्ट्री एस्टेट, अम्बाभारी, जिला नागपुर, महाराष्ट्र
17. ओझार, जिला नासिक रोड, महाराष्ट्र
18. लोकटक, जिला लोकटक, मणिपुर
19. सुरानूसी, जिला जालन्धर, पंजाब
20. दण्डकारण्य प्रोजेक्ट कोरापुट, जिला कोरापुट, उड़ीसा
21. माउन्ट आबू, जिला सिरोही, राजस्थान
22. खेतड़ी कोपर कमप्लेक्स, खेतड़ीनगर, जिला झुंझनू, राजस्थान
23. प्रताप लाइन्स जयपुर कैन्ट, जिला जयपुर, राजस्थान
24. सरस्वा, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
25. फूलपुर, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
26. सिंगरौली, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान अपेक्षित भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा सम्बन्धित प्रायोजित प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन की शर्तों को स्वीकार करने की शर्त पर निम्नलिखित स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है :

1980-81

1. गुन्टूर, जिला गुन्टूर, आन्ध्र प्रदेश
2. वाल्टेयर, जिला विशाखापटनम, आन्ध्र प्रदेश
3. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, रामागुनडम, आन्ध्र प्रदेश, जिला करीमनगर आन्ध्र प्रदेश
4. बोलारम, जिला सिकन्दराबाद, आन्ध्र प्रदेश
5. सिलचर, जिला कच्छार, असम
6. चक्रधरपुर, बिहार
7. सेन्ट्रल कोलफील्ड, लि० ढकरा बुकबुका, जिला रांची, बिहार
8. सी० सी० एल० कारो स्पेशियल प्रोजेक्ट, जिला गिरीडीह, बिहार
9. चण्डीगढ़
10. प्रीतनगर, शाहदरा, दिल्ली
11. आइल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन, मेहसाना, जिला मेहसाना, गुजरात
12. ए० एफ० एस० भुज, जिला कच्छ, गुजरात
13. स्पेस एप्लीकेशन सेन्टर, अहमदाबाद, जिला अहमदाबाद, गुजरात
14. अम्बाला केन्ट, जिला अम्बाला, हरियाणा
15. नेशनल, ऐरोनौटिक, बंगलौर, जिला बंगलौर, कर्नाटक
16. सेन्ट्रल प्लान्टेशन, रिसर्च इन्स्टिट्यूट केशरगोड, कनानोर, केरल
17. पन्गोडा, जिला त्रिवेन्द्रम, केरल
18. इटारसी, जिला इटारसी, मध्य प्रदेश
19. मोरार केन्ट, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश
20. सी० आर० पी० एफ० नागपुर, जिला नागपुर, महाराष्ट्र

21. कोलाबा, बम्बई जिला कोलाबा, महाराष्ट्र
22. कोहिमा, जिला कोहिमा, नागालैण्ड
23. कटक, जिला कटक, उड़ीसा
24. चाकी, पठानकोट, जिला पठानकोट, पंजाब
25. आर्मी स्टेशन, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान
26. काल्पाकम रिएक्टर रिसर्च सेन्टर, जिला चंग्लापुर, तमिलनाडु
27. के० के० नगर मद्रास तमिलनाडु
28. सी० आर० पी० एफ० रामपुर, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश
29. आइल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन, देहरादून, जिला देहरादून उत्तर प्रदेश
30. मेमौरा, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश
31. बिनागुरी, जिला जलपायगुरी, पश्चिम बंगाल
32. बेलिमगंज, जिला कलकत्ता, पश्चिम बंगाल

महत्वपूर्ण विभूतियों के सम्मान में स्मारक डाक टिकट

50. **नारायण चन्द्र पराशर :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन महत्वपूर्ण विभूतियों के नाम क्या हैं तथा उनमें से प्रत्येक ने राष्ट्रीय जीवन में क्या-क्या योगदान दिया है, जिसकी स्मृति में सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं;

(ख) उक्त डाक टिकट किन-किन अवसरों तथा तारीखों पर जारी किए गए, और

(ग) उन विभूतियों के नाम क्या हैं जिनकी स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी करने के लिए सरकार को अनुरोध प्राप्त हुए थे परन्तु अस्वीकृत कर दिए गए थे और प्रत्येक मामले मे अस्वीकृति के क्या कारण थे ?

संचार मत्री (श्री सी० एम० टीफन) :

(क) एवं (ख) अपेक्षित सूचना विवरण (i) में दी गई है।

(ग) अपेक्षित सूचना विवरण (ii) में दी गई है, इन प्रस्तावों पर फिलैटलिक सलाहकार समिति द्वारा अच्छी तरह विचार किया गया और समिति ने इनको स्वीकार नहीं किया। यह संलग्न है।

विवरण II

उन महान विभूतियों की सूची जिसके सम्बन्ध में वर्ष 1977, 1978 और 1979 के दौरान स्मारक डाक टिकट निकालने हेतु सरकार से अनुरोध किया गया तथा जिन्हें फिलैटरी सलाहकार समिति द्वारा अस्वीकार किया गया।

1. श्रीमन नतना गोपाला नायकी स्वामीन
2. बृजकिशोर प्रसाद
3. एस० एन० बोस
4. कालीचरन वर्मा

विवरण I

वर्ष 1977, 1978 और 1979 के दौरान महान् विभूतियों के सम्मान में निकाले गए स्मारक डाक टिकटों की सूची।

क्रम संख्या	विभूति का नाम	राष्ट्रीय जीवन में योगदान	जारी करने की तिथि	जारी करने का अवसर
1.	तरुनराम फूकन	स्वतंत्रता सेनानी	22-1-77	जन्म शताब्दी
2.	परमहंस योगानन्द	धार्मिक नेता	7-3-77	25वीं पुण्य-तिथि
3.	फखरुद्दीन अली अहमद	भारत के राष्ट्रपति	22-3-77	पुण्यतिथि
4.	नरोत्तम मोरारजी	आधुनिक भारतीय जहाजरानी वास्तुविद	2-4-77	जन्म शताब्दी
5.	माखनलाल चतुर्वेदी	कवि एवं स्वतंत्रता सेनानी	4-4-77	10वीं पुण्य-तिथि
6.	महाप्रभु बल्लभाचार्य	कवि और दार्शनिक	14-4-77	49वां जन्मदिवस
7.	आनन्द कॅटिश कुमारस्वामी	भाषाविद एवं दार्शनिक	22-8-77	जन्म शताब्दी
8.	गंगाराम	इन्जीनियर एवं समाज सुधारक	4-9-77	50वीं पुण्य तिथि
9.	डा० राम मनोहर लोहिया	स्वतंत्रता सेनानी	12-10-77	10वीं पुण्य-तिथि
10.	कित्तूर रानी चेन्नम्मा	स्वतंत्रता सेनानी	23-10-77	200वां जन्म-दिवस
11.	सेनापति बापत	क्रांतिकारी	28-11-77	10वीं पुण्य-तिथि
12.	जोतिराव फूले	समाज सुधारक	28-11-77	150वां जन्म दिवस
13.	कामताप्रसाद गुरु	महान साहित्यकार	25-12-77	30वीं पुण्य-तिथि
14.	मदर पाण्डिचेरी	संत	21-2-78	जयंती

	1	2	3	4
15.	मानालाल टलपत्रम कवि	कवि	16-10-78	100वां जन्म दिवस
16.	सूर्य सेन	क्रांतिकारी	23-3-78	84 वां जन्म दिवस
17.	रूबेन्स	कलाकार, राजनयिक और मानवतावादी	4-4-78	400वां जन्म दिवस
18.	चार्ली चेपलिन	विश्व प्रसिद्ध हास्य-कलाकार	16-4-78	पुण्य-तिथि पर
19.	दीनदयाल उपाध्याय	राजनीतिज्ञ	5-5-78	11 वीं पुण्य-तिथि
20.	श्यामप्रशाद मुखर्जी	राजनीतिज्ञ	6-7-78	25वीं पुण्य-तिथि
21.	ई० वी० रामास्वामी	क्रांतिकारी एवं तर्क शास्त्री	17-9-78	100वां जन्म दिवस
22.	उदयशंकर	महान भारतीय नर्तक	26-9-78	प्रथम पुण्य-तिथि
23.	लियो टालस्टाय	लेखक	2-10-78	150वां जन्म दिवस
24.	वल्लोल नारायण मेनन	कवि एवं कथककली व्याख्याता	15-10-78	100वां जन्म दिवस
25.	सी० राजगोपालाचार्य	देशभक्त, राजनीतिज्ञ और भारत के गवर्नर जनरल	10-12-78	100वां जन्म दिवस
26.	मोहम्मद अली जोहर	राजनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी	10-12-78	100वां जन्म दिवस
27.	फैन्ज शूबर्ट	आस्ट्रिया के संगीतज्ञ	18-12-78	150वीं पुण्य-तिथि
28.	भाई परमानन्द	क्रांतिकारी	24-2-79	102वां जन्म दिवस
29.	अलबर्ट आंईस्टीन	महान वैज्ञानिक	14-3-79	100वां जन्म दिवस
30.	राजऋषि शाहू छत्रपति	समाज सुधारक	1-5-79	105वां जन्म दिवस
31.	राज महेन्द्र प्रताप	क्रांतिकारी एवं देशभक्त	15-8-79	पुण्य-तिथि पर
32.	यतीन्द्रनाथ दास	क्रांतिकारी	13-9-79	शहादत की 50वीं पुण्य-तिथि
33.	गुरु अमरदास	धार्मिक नेता	21-12-79	500वां जन्म दिवस

5. गाडगे महाराज
6. मनीराम दीवान
7. कृष्णचन्द्र
8. डा० विश्वांथा सत्यनारायणा
9. हेमु कलानी
10. ए० के० गोपालन
11. एम० एन० राय
12. महाराजा सूरजमल
13. राहुल सांकृत्यायन
14. मास्टर रुद्र नारायणसिंह
15. सूरदास
16. स्वदेश विभानी रामकृष्ण पिल्लै
17. श्रीमती प्रभावती
18. बी० सी० राय
19. अब्दुल क्वाम अंसारी
20. चन्द्र शेखर आजाद
21. खानबहादुर खुदाबक्शखां
22. श्रीप्रकाश
23. टी० एन० चक्रवर्ती
24. श्यामलाल गुप्ता
25. स्वामी किरनचन्द दरवेश
26. दयाराम
27. एस० सत्यमूर्ति
28. प्रणव भट्टांक श्री विद्याधिराज तीर्थपद (चत्ताम्पी)
29. मर्थीमोथियूस आर्कविशप
30. कलाकी आर० कृष्णामूर्थि
31. रानी रक्षमोनी
32. हनुमान प्रसाद पोद्दार
33. राजेश्वरदास गुप्त
34. डा० रामधारीसिंह दिनकर
35. श्यामजी कृष्ण वर्मा
36. एम० एन० शाह
37. बेगम अख्तर
38. ए० रामास्वामी मुदालियर
39. ए० एल० मुदालियर
40. शिरडी के सांई बाबा
41. बाबा बांडा बहादुर

42. विश्वनाथ मिश्र
43. बेसलियस मार थोमा मैथ्यू
44. शेख मोहम्मद इकबाल
45. गोविन्द नारायण मिश्र
46. काव्य कंठवशिष्ठ गणपति मुनि
47. जी० एस० अरुनडाले
48. यशपाल
49. सर तेजबहादुर सप्रू
50. राम प्रसाद बिस्मिल
51. बाबा राघव दास
52. धर्मवीर बी० एस० मुंजे
53. अशफक उल्लाह खां
54. रोशनसिंह
55. रामवृक्ष बेनीपुरी
56. डब्ल्यू० सी० बनर्जी
57. देशकर्मी डा० चारुचन्द्र चट्टोपाध्याय
58. श्रीमती मारग्रेट कुजिन
59. चैतन्य महाप्रभु
60. चन्द्र बरदाई
61. महाकवि बिहारी
62. आदि शंकराचार्य
63. साने गुरुजी
64. पंडित रमा बाई
65. श्रीमती ईदा स्कूदर
66. रेहाना तयाबजी
67. महाराजा हरिश्चन्द्र
68. रामानुजाचार्य
69. माधवाचार्य
70. वराह मिहिर
71. मन्नाथु पदमानाभन
72. श्री ममता शंकरादेव
73. मौलाना मजरुल हक
74. गोवर्धन त्रिपाठी
75. त्रिभुवनदास के० गज्जर
76. अब्बास तयाबजी सईद
77. महादेव देसाई
78. दरवार गोपाल दास

79. जी० वी० मावलंकर
80. इन्दुलाल यगनीक
81. खंडू भाई देसाई
82. परमानन्द
83. डेविड हरे
84. हसरत मोहिनी
85. श्री एकनाथ
86. तुकाराम
87. ध्नेश्वर
88. नाथ पै
89. सी० विजयाराघवा चैरियर
90. सामंत चन्द्र शेखर
91. अयप्पा दीक्षता
92. एस० गुरुस्वामी
93. पोयकाईलियोनन (श्री कुमार गुरु दीवान)
94. पाठक गुरुजी
95. टी० एल० वासवानी
96. एस० एच० सोरफोग महाराज
97. जयप्रकाश नारायण
98. डा० मोहम्मद इकबाल
99. ए० सी० भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभु पाडा
100. कार्य कंठा वशिष्ठ गनपति मुनि
101. प्रकाश वीर शास्त्री
102. यशपाल
103. चोईथराम पी० गिडवानी
104. विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़ा
105. नारायण गुरु
106. श्रीमती इन्दिरा गांधी
107. जल कूपर
108. सावित्री बाई फूले
109. अमर शहीद मंगल पांडे
110. लेडी बदेन पोवेल्ल
111. पिताश्री ब्रह्म लेखराज
112. बलवंत राय मेहता
113. मदर एम० टेरेसा
114. लार्ड बुद्धा

115. सुमित्रा नन्दन पंत
116. भारती दासन
117. मैथ्यू एम० बुदजीवाली
118. पोपट मरमद
119. भगवान बाहुबली
120. एलविस प्रेसले
121. पी० के० पारीजा
122. पी० वी० काने
123. सवाई मानसिंह महाराजा जयपुर
124. वीरामामुनिवर
125. नेताजी सुभाषचन्द्र बोस
126. सेठ गोविन्ददास
127. संत रविदास
128. नरोत्तम घई
129. महाराज संसा रचन्द
130. चन्द्रधर शर्मा गुलेरी
131. रामसिंह पथारिया
132. डा० हेडगेवार
133. पुरुषोत्तम दास टंडन
134. सरदार उधमसिंह
135. रायबहादुर सालिगराम
136. विराट पोथूलूरी वीरा ब्रह्मेन्द्रा स्वामी
137. स्वामी हरिदासजी
138. डा० पी० जी० सोलंकी
139. अल्दो मोरा
140. राव तुलाराम
141. जगन्नाथ उर्फ नानाशंकर सेट्ट
142. पं० ओंकारनाथ ठाकुर
143. श्रीवीना शेषना
144. पी० एस० कुमार स्वामीराजा
145. हरविलास शारदा
146. भाई महावीर
147. मुन्शी कालीप्रसाद कुलभास्कर
148. महागुरु बधीराजा तीर्थ
149. पं० अम्बिका प्रसाद वाजपेयी
150. स्वामी लीलाशाह महाराज

151. भगवान स्वामी नारायन
152. राबर्ट डी० नोबिली
153. स्वामी रामतीर्थ
154. श्रीमती बसंतीदेवी
155. प्रो० बी० एन० प्रसाद
156. हरिनाथ डे
157. हकीम सैयद समशुल्लाह कादी
158. महात्मा गांधी
159. अजात शत्रु
160, अशोक
161. पुश्य मित्र शुंग
162. कनिष्क
163. समुद्रगुप्त
164. हर्षवर्धन
165. पुलकेशन—11
166. राजेन्द्र चोल
167. पृथ्वीराज चौहान
168. अकबर
169. हजरत बेखुद देहलवी
170. लायन मोलविन जोन्स
171. शुभारे
172. डा० सी० पी० रामस्वामी अय्यर
173. गिरीराज किशोर कपूर
174. वेलेरियन कार्डिनल ग्रेसिआस
175. फादर आगस्त्स मुलर
176. डा० रघुवीर
177. महावीर स्वामी जी
178. के० पी० केशव मेनन
179. पोत्ती श्रीरेममुलु
180. त्यागी एन० बी० रामास्वामी
181. पांडितुरै थेवर
182. पूज्य दादा चेलाराम जी
183. वीर सुरेन्द्र सहाय
184. एम० एम० अने
185. देवी दानजी
186. ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद जी

187. सर सयाजीराव गायकवाड़
188. महायोगी लक्षम्मा
189. पं० सुखराज संघवी
190. डा० काशीप्रसाद जायसवाल
191. सायमन बोलीवर
192. बलवंत पांडुरंग किर्लोसकर
193. वैद्यनाथ अय्यर
194. वेल्लारी राघव
195. जनरल जोरावरसिंह
196. गणेश दामोदर सावरकर
197. डा० यू० वी० स्वामीनाथ अय्यर

डी० आई० जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली में हाथ के पम्पों का लगाया जाना

51. **श्री मनोरंजन भक्त :**

क्या निर्माण और आवास मन्त्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० आई० जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली में उस क्षेत्र में पीने के पानी की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से हाल ही में काफी संख्या में हाथ के पम्प लगाये गये है।

(ख) यदि हां, तो इन हाथ के पम्पों की संख्या कुल कितनी है, उस ऐजेन्सी का नाम क्या है जिसके माध्यम से इनको खरीदा गया है और उन पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि बाबा खड़क सिंह मार्ग के बहुवंजिल फलटी के लिए लगाये गये अधिकांश हाथ के पम्प खराब और घटिया किस्म के हैं; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इन हाथ के पम्पों को ठीक कराने और चालू करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है जिससे उनका प्रयोजन सिद्ध हो।

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी)

(क) डी० आई० जेड० एशिया में बाबा खड़गसिंह मार्ग पर इस कालोनी में हाल ही में बारह हैण्डपम्प लगाए गए हैं। नए स्थानों पर भी तीन हैण्डपम्प लगाए गए हैं।

(ख) नए हैण्डपम्प दो अभिकरणों नामतः मैसर्स जी० एस० इंजीनियरिंग और श्री पी० आर० मदान द्वारा लगाए गए । कुल लागत 7,000,00 रुपये में से, अब तक 3,100,00 रु० खर्च किए गए हैं।

(ग) तथा (घ) : तीन हैण्डपम्प चालू हैं और के० लो० नि० नि० की विशिष्टियों के मुताबिक है। तथापि, उनके कार्य की निगरानी अभी भी के० लो० नि० वि० के कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। हैण्डपम्पों के कार्य एवं कोटी पुरी तरह से सन्तोषजनक पाए जाने के पश्चात् ही ठेकेदारों की पुरी राशि दे दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल के गांवों में डाकघर

52. **श्री सुशील भट्टाचार्य क्या संचार मन्त्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पश्चिम बंगाल के बहुत से गांवों में डाकघर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उन गांगों के जिलावाररर संख्या कितनी है :

(ग) उन गांवों में डाकघर खोलने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां,

(ख) ऐसे गांगों की जिलावार सूचना जिनमें डाकघर नहीं है; निम्नानुसार है :—

क्रम सं० जिले का नाम	उन गांवों की संख्या जहां कि डाकघर नहीं है।
1. बर्दवान	2008
2. बांकुरा	3123
3. बीरभूम	1842
4. कूच बिहार	886
5. दार्जिलिंग	385
6. हुगली	1486
7. हावड़ा	508
8. जलपाइगुड़ी	507
9. मिदनापुर	9164
10. माल्दा	1355
11. मुर्शिदाबाद	1464
12. नादिया	924
13. पुरुलिया	2082
14. प० दीनाजपुर	2889
15. 24-परगना	2782

(ग) आयोग क्षेत्रों में क्रमिक पंचवर्षीय-वार्षिक योजनाओं के लिए निश्चित किए गए लक्ष्यों के अनुसार तथा सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर चरण बद्ध ढंग से डाकघर खोले जाते हैं। 1980-81 के दौरान प० बंगाल सर्किल में 250 ग्रामीण डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

आसनसोल और दिल्ली ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज के बीच सीधा संपर्क

53: **श्री कृष्न चन्द्र हाल्दर श्री समर मुखर्जी क्या संचार मन्त्री** :यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख)आसनसोल ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज और दिल्ली ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने में क्या प्रगति हुई,और

(ख) उसका ब्योरा क्या है ?

संचर मन्त्री (श्री सी०एम0 स्टीफन)

(क) एवं (ख): आसनसोल तथा दिल्ली में ट्रंक स्वचल एक्सचेंज उपस्कर स्थापित कर दिया गया है। दोनों स्थानों के बीच अपेक्षित संख्या में परिपथ प्रदान करने के लिए लंबी दूरी के उपस्कर की स्थापना करने के लिए कार्यवाही चल रही है। चालू वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान रूट के चालू हो जाने की आशा है।

डाकघर रहित गांव

54. **श्री समर मुखर्जी :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में ऐसे कितने गांव हैं जहां डाकघर नहीं हैं,. और

(ख) 1971 इन गांवों में डाकघर खोलने के लिए सरकार द्वाराअब तक क्या कार्यावाही की गई है ?

संचार मन्त्री (श्री) सी० एम० स्टोफन)

(क) 1971 की जनगणना के आधार पर प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुसार 4, 27 751 ग्रामों में अभी तक डाकघर नहीं खोले गए हैं।

(ख) सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों केसाथ-साथ पहाड़ी पिछड़े तथा जनजाति क्षेत्रों में, जन संख्या आय तथा दूरी की कुछ शर्तों के अधीन आर्थिक सहायता देकर डाकघर खोलने का एक कार्यक्रम चालू है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तरोत्तर पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार चरणबद्ध ढंग से डाकधर खोले जाते हैं। 3103080 तक भारत में डाकघरों की कुल संख्या 1'37,013 थी जिनमें से 1,22,827 ग्रामीण क्षेत्रों में थे।

"टूना" किस्म की मछली पकड़ना

55. **श्री ए० नीलालो हियादसन नडार :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय भारत में "टूना" किस्म की मछली किसी संगठित रूप से पकड़ी जाती है।

(ख) यदि हां तो इसे पकड़ रही एजेंसी का नाम क्या है,

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि विदेशों के पोतों द्वारा हिन्द महासागर में भारी मात्रा में "टूना" किस्म की मछली पकड़ी जाती है, और

(घ) यदि हां, तो गैर-भारतीय उद्यमों द्वारा "टूना" किस्म की पकड़ी गई मछली का मूल्य क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) और (ख) केन्द्रीय समुद्रीमात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार 1978 में सारे भारत में 13748 मीटरी टन टूना मछली पकड़ी गई थीं। तथापि, टूना मछली को संगठित आधार पर पकड़ने का काम लक्षद्वीप प्रशासन के मात्स्यिकी विभाग ने

शुरू किया है। इसने द्वीप समूह के निकट टूना मछली के संसाधनों का उपयोग करने के लिए मछुओं द्वारा नौकाओं की खरीद करने के लिए उन्हें राजसहायता और ऋण देकर पोल तथा लाइन जलयानों, लांग लाइनरों तथा ट्रॉलिंग जलयानों से युक्त लगभग 191 यंत्रीकृत नौकाओं से मछली पकड़ने का कार्य प्रारम्भ किया है। द्वीपसमूह के निकट प्रति वर्ष कुल 2000 से 4000 मीटरी टन मछली का उत्पादन होता है, जिसमें लगभग 54 प्रतिशत टूना मछली होती है।

(ग) और (घ) भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशों के जलयान हिन्द महासागर में भारी मात्रा में टूना मछली पकड़ते हैं। खाद्य तथा कृषि संगठन के मात्स्यिकी केन्द्रों के अनुसार 1977 के दौरान समूचे हिन्द महासागर में लगभग 1.65 लाख मीटरी टन टूना मछली पकड़ी गई थी। 1978 के दौरान भारत के पश्चिमी तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक हिन्द महासागर के पश्चिमी भाग में 1·17 लाख मीटरी टन टूना मछली पकड़ी गई थी। टूना की किस्मों तथा खपत करने वाले विभिन्न देशों में उनके मूल्य के कारण मछली के मूल्य का अनुमान लगाना कठिन है।

नारियल के पेड़ों के रोग

56. श्री ए० नीलालोहिथासन नडार :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कायनकुलम के निकट कृष्णपुरम स्थित भारत सरकार के नारियल अनुसंधान केन्द्र द्वारा किए गए अनुसंधान और अध्ययन से केरल राज्य में नारियल के पेड़ों के रोगों का कोई स्थायी इलाज पाया गया है ; और

(ख) उक्त संस्थान पर 1 जनवरी 1980 तक कुल कितनी राशि खर्च की गई ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) नारियल के अनेक रोग हैं। प्रमुख रोगों में से कली, तना और पत्तों को गलन के सम्बन्ध में संतोषजनक रूप से नियन्त्रक उपाय विकसित किये जा चुके हैं। "मुरझा रोग की एक बड़ी जटिल समस्या है और इस पर नियन्त्रण पाने के लिए तथा इसके फैलाव को रोकने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

(ख) दिनांक 1.4.75 से 31.3.80 तक के पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान के कायांगुलम केन्द्र पर 1, 15,60,427/-रुपये खर्च हुए जबकि इसी अवधि के दौरान इस संस्थान तथा कायांगुलम सहित इसके क्षेत्रीय केन्द्रों पर 5,74,06,507/-रुपये खर्च हुए।

भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, बम्बई

57. श्री मधु दण्डवते :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, बम्बई से चार छात्रों को निकाले जाने के बाद इसके निदेशक को चार सूत्रीय मांग-पत्र दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस मांग-पत्र में उल्लिखित मांगें क्या थी ; और

(ग) इस मांग-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

(क) जी, हां।

(ख) मांगें निम्नलिखित थीं :

1. उन चार छात्रों को वापिस लिया जाना चाहिए जिन्हें उनके सतत् कमजोर शैक्षणिक निष्पादन के कारण संस्थान से निकाल दिया गया था।

2. एक छात्र को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 8 वर्ष तक अध्ययन करने की अनुमति दी जानी चाहिए और उस अवधि से पहले शैक्षणिक आधार पर उसे संस्थान छोड़ने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। और यदि आवश्यक हो तो उसे उस अवधि के बाद भी एक प्राइवेट छात्र के रूप में पंजीकृत कराने की अनुमति दी जानी चाहिए।

3. ऐसे छात्रों की सहायता करने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए जो शैक्षणिक तौर पर कमजोर हैं और जिन्हें अतिरिक्त शिक्षण देने की आवश्यकता हो।

4. सभी निर्णय लेने वाले निकायों में छात्रों को उपयुक्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करें जिन्हें वोट देने के पूर्ण अधिकार प्राप्त होने चाहिए।

(ग) उपर्युक्त मांगों पर संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा विचार किया गया था। वे मांग संख्या 1,2 और 4 से सहमत नहीं थे। शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों की सहायता करने के लिए संस्थान में पहले ही पर्याप्त सुविधायें/प्रबन्ध विद्यमान हैं।

केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को आवास सहायता

58. छतुभाई गामित :

क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत छह-महीनों के दौरान कुछ राज्यों को उनकी आवास सम्बन्धी समस्या का समाधान करने के लिये कुछ उपाय सुझाये हैं ; अथवा वित्तीय सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए गुजरात सरकार को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) (क) राज्य सरकारें 'आवास' सहित अपने अपने राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए केन्द्र से 'समेकित ऋणों' और 'समेकित अनुदानों' के रूप में वित्तीय सहायता ले रहे हैं। आवास तथा नगर विकास निगम भी उनकी आवास योजनाओं की वित्त व्यवस्था कर रहा है। पिछले छः महीनों के दौरान, केन्द्र ने वर्ष 1979-80 के लिए 25.66 करोड़ रुपये का जीवन बीमा निगम ऋण और 14 करोड़ रुपये का सामान्य बीमा निगम ऋण विभिन्न राज्यों को उनके आवास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए दिए हैं।

(ख) इस अवधि के दौरान गुजरात सरकार को 1.66 करोड़ रुपये का जीवन बीमा निगम ऋण और 1.60 करोड़ रुपये का सामान्य बीमा निगम के अतिरिक्त रूप से ऋण दिया गया था।

दिल्ली में सहायता प्राप्त विद्यालयों द्वारा नियुक्त, चपरासियों को वेतन दिया जाना

श्री चित्त बसु : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सहायता प्राप्त उन विद्यालयों के नाम क्या हैं जिनमें मामले में गत वर्ष शिक्षा निदेशक द्वारा सम्बन्धित विद्यालयों को कोई भी उत्तर नहीं दिया गया है, हालांकि उन्होंने शिक्षा निदेशक को चपरासी की नियुक्ति की सूचना दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियम, 1973 के नियम 78 के उपनियम (3) के अधीन दे दी थी और ऐसी सूचना देने के बाद तीन माह का समय बीत गया है, तथा उक्त नियुक्ति का निदेशक द्वारा उक्त नियम के उपनियम (4) के अधीन अनुमोदन भी कर दिया गया था ;

(ख) क्या शिक्षा निदेशक को ऐसे चपरासियों और सम्बन्धित सहायता प्राप्त विद्यालयों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें शिक्षा निदेशक से सहायता अनुदान देने के सम्बन्ध में मांग की गई है, जिससे कि ऐसे चपरासियों को वेतन दिया जा सके ;

(ग) ऐसे चपरासियों की संख्या क्या है जिन्हें पिछले नौ महीनों से उक्त नियमों के नियम 98 के उप-नियम (4) के उल्लंघन में सहायता अनुदान न मिलने के कारण वेतन नहीं मिला है ; और

(घ) सहायता अनुदान के अब तक न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) निम्नलिखित दो मामलों में शिक्षा निदेशालय में चपरासी नियुक्ति के लिए ब्यौरे प्राप्त होने के तीन महीने के पश्चात् उत्तर भेजे गए थे :

क्र० सं० स्कूल का नाम	ब्यौरे प्राप्त तारीख	उत्तर देने की तारीख	कैफियत
1. जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धर्मपुरा ।	24-9-79	16-1-80	प्रबन्ध से कहा गया था कि रिक्त स्थान पर हरकोर्ट बटलर सिनियर माध्यमिक स्कूल के फालतू चपरासी को समायोजित करेंगे ।
2. सेंट एन्थोनी उच्चतर माध्यमिक बाल-विद्यालय	4-10-79	30-1-80	डी० ए० बी० उच्चतर माध्यमिक स्कूल सं० 1, गांधी नगर के फालतू चपरासी को रिक्त स्थान पर समा-योजित किया था ;

ये दोनों संस्थाएं अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं ।

एस० एस० जैन सभी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्यों के मामले में 5 दिसम्बर, 1975 को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में दिए गए निर्णय के अनुसार न्यायालय का यह विचार है कि दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 के नियम 98 की शर्तों के अनुसार सरकारी सहायता प्राप्त अल्प संख्यक स्कूल की प्रबन्ध समिति द्वारा की गयी नियुक्ति के लिए निदेशक का अनुमोदन जरूरी नहीं होगा । अत: स्पष्ट है नियम 98 के उपनियम 4 के उपबन्ध के प्रारम्भ

में की गयी यह व्यवस्था कि निदेशक का अनुमोदन संसूचित समझा जायेगा, यहां लागू नहीं होता।

(ख) जी हां, । जैन कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल, धर्मपुरा, दिल्ली में चपरासी के रूप में नियुक्त व्यक्ति और प्रबन्ध से।

(ग) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों को अनुदान दिये जाने में नियम 98 (4) लागू नहीं होता है।

(घ) दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 के नियम 64 के अन्तर्गत, कोई भी स्कूल सहायक अनुदान का पात्र तब तक नहीं होगा जब तक कि प्रबन्ध समिति इस आशय का लिखित रूप से शपथपत्र नही देती कि वह दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के उपबन्धों तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और सहायक-अनुदान के सम्बन्ध में निदेशक द्वारा समय समय जारी किये गये इस प्रकार के अनुदेशों का पालन करेगी। जैन कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल, धर्मपुरा, दिल्ली के प्रबन्ध ने रिक्ति में खपाये गये अतिरिक्त चपरासी को समायोजित करने से इन्कार कर दिया है, और अतः सहायक अनुदान की अदायगी के प्रयोजन के लिए प्रबन्ध द्वारा चपरासी की नियुक्ति के लिए अनुमोदन नहीं किया गया था, और तदनुसार, इस सम्बन्ध में कोई सहायक अनुदान की अदायगी नहीं की गयी है।

पश्चिमपुरी, नई दिल्ली में कोयले का डिपो

60. **श्री चित्त बसु : क्या निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पश्चिमपुरी, नई दिल्ली-63 में कोयले के डीपों के लिये प्लाट की व्यवस्था की थी और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ख) क्या लाइसेंसधारी इस प्लाट को रिहायश के साथ-साथ अन्य व्यापार आरम्भ करने अथवा अन्य व्यापार आरम्भ करने की व्यवस्था करने के लिये उपयोग में ला सकता है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि मादीपुर पश्चिमपुरी योजना में 3 स्थल प्रत्येक 125 वर्ग गज के आबंटित किये गये हैं लेकिन पश्चिमपुरी रिहायशी योजना में कोई आबंटित नहीं किया गया।

(ख) जी, नहीं।

चीता परियोजना और चीतों की संख्या :

61. **श्री मनफूल सिह :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कौन-कौन सी और कितनी चीता परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं :

(ख) क्या इन परियोजनाओं के परिणामस्वरूप चीतों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है : और

(ग) चीता परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि करने तथा वर्तमान परियोजनाओं में सुधार करने के लिए क्या-क्या और उपाय करने का विचार है ;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) इस समय बाघ परियोजना स्कीम के अन्तर्गत 11 बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। इन बाघ आरक्षित क्षेत्रों के नाम निम्नलिखित हैं :

1. मानस बाघ आरक्षित क्षेत्र (असम)
2. कान्हा बाघ आरक्षित क्षेत्र (मध्य प्रदेश)
3. कारबेट बाघ आरक्षित क्षेत्र (उत्तर प्रदेश)
4. बान्दीपुर बाघ आरक्षित क्षेत्र (कर्नाटक)
5. सिमलीपाल बाघ आरक्षित क्षेत्र (उड़ीसा)
6. मेलघाट बाघ आरक्षित क्षेत्र (महाराष्ट्र)
7. रणथंबोर बाघ आरक्षित क्षेत्र (राजस्थान)
8. पलाग बाघ आरक्षित क्षेत्र (बिहार)
9. सुन्दरबन बाघ आरक्षित क्षेत्र (पश्चिम बंगाल)
10. पेरिया बाघ आरक्षित क्षेत्र (केरल)
11. सरिसका बाघ आरक्षित क्षेत्र (राजस्थान)

(ख) जी हां, इन परियोजनाओं के परिणामस्वरूप, बाघों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जबकि 1972 में 9 बाघ आरक्षित क्षेत्रों में बाघों की संख्या केवल 268 थी, 1979 में 11 बाघ आरक्षित क्षेत्रों में इनकी संख्या बढ़कर 711 हो गई।

(ग) 100 प्रतिशत से 50:50 हिस्सेदारी के आधार पर और बाघ परियोजना के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की हिस्सेदारी की राशि सीमित होने के फलस्वरूप सम्बंधित राज्यों को वित्तीय सहायता के प्रतिमान में परिवर्तन के कारण इस समय बाघ परियोजना के कार्य क्षेत्र को नये क्षेत्रों में बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है।

परियोजना के विद्यमान हिस्सों में सुधार लाने के लिए प्रस्तावित उपायों के सम्बन्ध में इस समय यह योजना समस्त कोर क्षेत्रों में पूरी गति से चल रही है। तथापि, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उपयुक्त उपाय करके जैसे आग से बचाव और चोरी-छिपे शिकार को रोकने के उपायों को मजबूत करना, वास स्थलों में सुधार और हानिकर मानवीय हस्तक्षेप को दूर करके आरक्षित क्षेत्रों में बफर क्षेत्रों को सम्पूर्ण संरक्षण प्रदान करने पर बल दिया जाएगा।

दिल्ली में उर्दू अकादमी की स्थापना

62. श्री अहमद एम० पटेल : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उर्दू अकादमी की स्थापना करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) : दिल्ली में उर्दू अकादमी की स्थापना को सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया है। प्रस्ताव पर सभी सम्बन्धितों के परामर्श से और आगे विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में कोई समय सीमा बताना कठिन है।

मोलेस्ट गर्ल्स, गेट प्रमोशन शीर्षक से समाचार

63. **श्री के० पी० सिंह देव :**

श्री झारखण्डे राय :

श्री एस० एम० कृष्णा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 मई, 1980 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित मोलेष्ट गर्ल्स, गैट प्रमोशन शीर्षक के अन्तर्गत छपे उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें एक हरिजन टेलीफोन ऑपरेटर लड़की के साथ ड्यूटी के समय सहायक अभियन्ता द्वारा छेड़खानी मोलेष्ट किये जाने को मर्मस्पर्शी कथा कही गई हैं ;

(ख) क्या मामले की पूरी जांच कराली गई है, और

(ग) यदि हां तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं और इस मामले में दोषी व्यक्ति को क्या सजा दी गई हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां, समाचार का अवलोकन किया गया और इसका उत्तर सूचना अधिकारी (डाक तार) पी० आई० बी० के माध्यम से जारी किया था जो दिनांक 16-5-80 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपा था ।

(ख) छेड़खानी किये जाने के मामले की जांच की गई परन्तु इसका कोई मामला प्रत्यक्ष एवं (ग) मामला प्रत्यक्ष रूप में सिद्ध नहीं हुआ ?

वसूली के समय किसानों को परेशान किया जाना

64. **श्री के० पी० सिंह देव : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वसूली के दिनों में फसल का वर्गीकरण करते समय भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा किसानों को परेशान किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या अतिरिक्त उपाय करने का विचार है कि रबी की वर्तमान फसल की वसूली के समय इस प्रकार की घटनाएं न हों, और

(ग) किसानों की कठिनाइयों के लिए दोषी अथवा वसूली करने के दौरान वर्गीकरण करते समय रिश्वत लेने के आरोप में गत तीन वर्षों के दौरान कितने कर्मचारियों को दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) : चालू रबी विपणन मौसम के दौरान, ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, पिछले वर्ष, किसानों को परेशान किए जाने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जांच करने पर वे या तो बढ़ा-चढ़ा कर बतायी गयी पाई गई थीं, अथवा निराधार थी ।

(ख) रबी (1980-81) मौसम के दौरान वसूली केन्द्रों की अचानक जांच करने के लिए क्षेत्रीय/जोनल और मुख्यालय स्तर पर विशेष दल बनाए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसानों को परेशान नहीं किया जाता है ।

(ग) वसूली के समय पर किसानों के लिए कठिनाई पैदा करने अथवा उन्हें परेशान करने के किसी विशिष्ट आरोप पर भारतीय खाद्य निगम के किसी अधिकारी को कोई सजा नहीं दी गई है।

उर्वरक और चीनी से सम्बन्धित कार्यों के लिए नये निगम की स्थापना

65. **श्री के० पी० सिंह देव :**

श्री जी० वाई कृष्णन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार एक नया निगम बनाने का है जो उर्वरक और चीनी से सम्बन्धित कार्यों को भारतीय खाद्य निगम से अपने हाथ में लेगा, और

(ख) क्या इस योजना पर होने वाले व्यय का हिसाब लगा लिगा गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या इस मामले में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस निगम का विभाजन करने से यह भारतीय उर्वरक निगम की स्थिति में न आ जाये जो वर्ष प्रति वर्ष घाटा उठाता जा रहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) जी नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई निर्णय लेने से पूर्व इस मामले पर सभी पहलुओं से विचार किया जाएगा।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्य प्रभारित कर्मचारी :

66. **श्री नारायण चौबे : क्या निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग दिल्ली में बड़ी संख्या में नैमित्तिक/कार्य प्रभारित कर्मचारी नियुक्त करता है ;

(ख) यदि हां, तो उनको वर्ष 1977 से 1979 तक वर्षवार संख्या कितनी है ;

(ग) श्रेणी तीन और श्रेणी चार के लिए नैमित्तिक/कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मंजूरी अनुपात क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन कर्मचारियों को जो लगातार वर्षों से काम कर रहे हैं स्थाई रोजगार देने का है ;

निर्माण और आवास मन्त्री (पी० सी० सेठी) :

(क) तथा (ख) : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने दिल्ली में इस समय लगभग 11,000 कार्य प्रभारित कर्मचारी और लगभग 2000 आकस्मिक स्टाफ तैनात कर रखा है। सही सूचना तथा 1977 से 1979 तक की गई नियुक्तियों के बारे में सूचना क्षेत्रीय एककों से एकत्र की जा रही है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में आकस्मिक स्टाफ को मस्टर रोल स्टाफ कहा जाता है। उनकी नियुक्ति अल्प अवधि के आधार पर की जाती है।

(ग) आकस्मिक कामगार जिन्हें मस्टर रोल कामगार कहा जाता है, की मजदूरी दैनिक आधार पर निश्चित की जाती है जबकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य प्रभारित स्टाफ नियमित वेतनमान में नियुक्ति किया जाता है। मस्टर रोल के कामगारों के लिए दैनिक मजदूरी 9.25 रुपये से लेकर 14.95 रुपये तक भिन्न-भिन्न हैं जो इस बात पर निर्भर है कि क्या वह कार्य अकुशल, अर्ध कुशल है या अत्यधिक कुशल प्रकृति का है और कुल मिलाकर कुल चार दरें

हैं। कार्य प्रभारित कर्मचारियों के लिए जहां हमारे पास 67 वर्ग हैं, 196-230 रुपये 380-560 रुपये तक सात वेतनमान हैं। अत: आकस्मिक स्टाफ की मजदूरी और कार्य प्रभारित स्टाफ की मजदूरी के बीच कोई अनुपात रखना संभव नहीं है।

(घ) जहां तक कार्य प्रभारित स्टाफ का संबंध है, उनकी नियुक्ति पहले ही नियमित आधार पर है। आकस्मिक कामगारों के बारे में उन्हें स्थायी कार्यों पर लगाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय क्षेत्रों में वाणिज्य कार्यालयों की मौजूदगी का सर्वेक्षण

67. **श्री नारायण चौबे : क्या निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने करौल बाग, राजेन्द्र नगर, पूसा रोड और पटेल नगर दिल्ली के आवासीय क्षेत्रों में वाणिज्य कार्यालयों की मौजूदगी की जानकारी के लिए कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में ऐसे कितने प्रतिष्ठान हैं ;

(ग) ऐसे प्रतिष्ठानों को वाणिज्य क्षेत्रों में कितने स्थानान्तरित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ;

(घ) आवासीय क्षेत्रों से वाणिज्य क्षेत्रों में कितने कार्यालय स्थानान्तरित किए गए हैं ; और

(ङ) इस मामले में यदि कोई उपाय किए जा रहे हैं, तो वे क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि केवल करौल बाग और पूसा रोड के रिहायशी क्षेत्रों का एक विस्तृत सर्वेक्षण जून/जुलाई, 1979 में किया गया था। राजेन्द्र नगर और पटेल नगर जैसे रिहायशी क्षेत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण के क्षेत्र अधिकार में नहीं आते हैं।

(ख) करौल बाग क्षेत्र में लगभग 2500 प्लाटों और पूसा रोड क्षेत्र में 19 प्लाटों का रिहायशी परिसरों में दुकानों/वाणिज्यक/कार्यालयों के रूप में दुरुपयोग किया जा रहा है।

(ग) (घ) तथा (ङ) : ऐसे प्रतिष्ठानों को स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु पट्टों की शर्तों के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है और दुरुपयोग न करने के लिए दोषी व्यक्तियों को कहा जा रहा है।

शिक्षा व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए अमरीका और अन्य एजेंसियों से प्राप्त धन

68. **श्री चित्त बसु : क्या शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से अमरीका और फोर्ड फांउनडेशन, राकफेलर फाउंडेशन जैसी अन्य प्राइवेट एजेंसियों से अब तक कितनी राशि प्राप्त हुई है ;

(ख) इस देश में ऐसे धन का उपयोग किस तरीके से किया गया ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में इसके कार्यनिष्पादन और उपयोग का कोई मूल्यांकन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके मूल्यांकन के क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) : यद्यपि भारत में शिक्षा प्रणाली का आधुनिकीकरण करने के लिए अमेरिका अथवा उस देश की किसी अन्य प्राईवेट एजेंसी से कोई विदेशी सहायता प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी उपस्कर, विशेषज्ञों और अलग अलग परियोजनाओं के लिए अथवा विशेष कार्यक्रमों के सम्बन्ध में भारतीयों को प्रशिक्षण सुविधाओं के रूप में अमेरिका सहित अनेक स्रोतों से सहायता समय-समय पर प्राप्त की गई है। दशकों से प्राप्त की जाती रही इस सहायता के ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं।

राजस्थान में सूखा

69· श्री जय नारायण रोट :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में वहां की 94 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या पर सूखे का गम्भीर प्रभाव पड़ा है, और

(ख) यदि हां, तो उस राज्य के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि लगभग 2.40 करोड़ लोग सूखे से प्रभावित हुए हैं, जोकि 1971 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 2.57 करोड़ की जनसंख्या का लगभग 93.3 प्रतिशत है।

(ख) सरकार द्वारा अपनाए गए राहत उपायों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :

(1) एक केन्द्रीय दल की, जिसने 28.4.80 1.5.80 के दौरान राजस्थान का दौरा किया था, रिपोर्ट के आधार पर तथा राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर, निशुल्क: राहत देने के लिए, पोषण कार्यक्रम और मानव तथा पशुओं को चिकित्सा सुविधाएं देने, पेयजल की व्यवस्था करने, पशु संरक्षण तथा चारे की व्यवस्था करने और रोजगार सृजन करने की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए 20.10 करोड़ रुपये की व्यय की अधिकतम सीमा की स्वीकृति दी गई है। अप्रैल, 1980 में काम के बदले अनाज देने के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 लाख मीटरी टन खाद्यान्न और काम के बदले अनाज देने के सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 10000 मीटरी टन खाद्यान्न का आबंटन किया गया है।

(2) खरीफ मौसम के लिए कृषि आदानों की खरीद और वितरण हेतु कुल मिलाकर 4 करोड़ रुपयों का अल्पावधि ऋण स्वीकृत किया गया है।

(3) शिशुओं, गर्भवती महिला एवं दूध पिलाने वाली माताओं, बूढ़ों और अशक्त बेसहारा लोगों, और विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित 3.90 लाख लाभानुभोगियों के लिए पोषण

हेतु खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 5900 मीटरी टन खाद्यान्नों का आवंटन किया गया है। सरकार ने विभिन्न स्रोतों से कई रिगों का संग्रह किया है और उन्हें राजस्थान भेजा है। आपूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय देशी विनिर्माताओं से 20 रिगों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है।

(4) राजस्थान के 4 सूखाग्रस्त जिलों में पेय जल की आपूर्ति के लिए सेना के अधिकारी राज्य सरकार की सहायता कर रहे हैं।

राज्य सरकार भी लगान तथा सरकारी देनदारियों को स्थगित/माफ करके, अल्पावधि सहकारी ऋणों को पुन:निर्धारित करके, स्वस्थ्य व्यक्तियों के लिए राहत कार्यों और बेसहारा लोगों के लिए भोजन केन्द्रों की व्यवस्था करके, टेंकरों और ऊंट गाड़ियों के द्वारा पेयजल का परिवहन करके राहत पहुंचा रही है।

राजस्थान में जनजाति वाले स्थानों तथा पिछड़े जिलों में डाक तथा दूर संचार की सुविधाएं

70. **श्री जयनारायण रोट :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

राजस्थान में उन जनजाति वाले स्थानों तथा पिछड़े जिलों के नाम क्या हैं जहां सरकार का विचार प्राथमिकता के आधार पर डाक तथा दूर संचार की सुविधाएं देने का है ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : डाक सुविधाएं—

राजस्थान के पिछड़े इलाके जो उदारीकृत मानदण्ड के आधार पर डाकघर खोलने के योग्य हैं निम्न हैं :

बाड़मेर जिला, जैसलमेर जिला, चुरु जिले में तारानगर तथा दूनागढ़ की तहसीलें। उदयपुर जिले की गोगुण्डा, लसादिया तथा संपरा तहसीलें और बांसवाड़ा जिले की कोशलगढ़ तहसील।

ये मानदण्ड राज्य के जनजाति इलाकों पर भी लागू होते हैं।

वर्ष 1980-81 के दौरान राज्य के पिछड़े इलाकों के 5 गांवों तथा जनजाति क्षेत्रों के 18 गांवों में डाकघर सुविधा दिये जाने का प्रस्ताव है। इन गांवों के नाम विवरण में दिए गए हैं।

दूरसंचार सुविधाएं

राजस्थान के निम्नलिखित जनजातीय तथा पिछड़े इलाके में जहां दूर संचार सुविधाएं रियायती तथा उदारीकृत मानदण्डों के आधार पर दी जानी हैं, निम्नलिखित हैं :

(क) **जनजातीय इलाके**

(i) बांसवाड़ा जिला

(ii) डूंगरपुर जिला

(iii) उदयपुर जिले की फलासिया, खेरवाड़ा, कोत्रा, सारदा, सालुंबर तथा दसाछिला तहसीलें।

(iv) चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़ तहसील

(v) सिरोही जिले की आबूरोड तहसील का आबूरोड ब्लाक

(ख) पिछड़े जिले :

(1) अलवर, (2) बांसवाड़ा, (3) बाड़मेर, (4) भीलवाड़ा, (5) चुरु, (6) डूंगरपुर, (7) जैसलमेर, (8) जालौर, (9) झुंझनू (14) झालवाड़ (11) जोधपुर, (12) नागोर, (13) सीकर, (14) सिरोही, (15) टांक, (16) उदयपुर ।

विवरण

पिछड़े इलाके

क्र० सं०	ग्रामका नाम	हतसील	जिला
1.	सुनरखिया पुर्दीतान	पचपदां	बाड़मेर
2.	कनरला	वही	वही
3.	मोतिसारा	सिवान	वही
4.	सतवातों का गुढ़ा	सरारा	उदयपुर
5.	चारी	धारीवाल	वही

जनजाति इलाके

1.	खैराखास	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
2.	मोडवारा नारंग	कोशलगढ़	वही
3.	सेवारा	बांसवाड़ा	वही
4.	मादेलदा	गढ़ी	वही
5.	सुंदरी	गढ़ी	वही
6.	बामनपर्दा	घाटोल	वही
7.	कुवालिया	वही	वही
8.	ध्रुवाद	डूंगरपुर	डूंगरपुर
9.	सदारिया	वही	वही
10.	खोचड़ी	सागवाड़ा	वही
11.	अंबादा	वही	वही
12.	पोहली खटवान	डूंगरपुर	वही
13.	पगारा	वही	वही
14.	दोदावली	झाडोल (फलासिया)	उदयपुर
15.	वेमला	वही	वही
16.	मकरदेव	वही	वही
17.	बीछीवाड़ा	वही	वही
18.	अमलिया	वही	वही

जनजाति के लोगों में शिक्षा का प्रसार

71. **श्री जयनारायण रोट :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश की जनजातियों के लोगों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है और गत तीन वर्षों में राज्यवार इस कार्य के लिए कितना धन आवंटित किया गया है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : संवैधानिक व्यवस्था के अनुसरण में, केन्द्रीय और राज्य सरकारें अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा की प्रोन्नति के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में तथा उनके बाहर के क्षेत्रों में जहां कहीं भी वे रह रहे हैं विशेष ध्यान देती रही है। अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्रारंभिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा तथा पूर्व मैट्रिक और मैट्रिकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्ति सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध हैं। विभिन्न राज्यों द्वारा अन्य वित्तीय रियायतें भी प्रदान की जाती हैं। लड़कियों के लिए विदेशों में प्रशिक्षण के लिए छात्रावास, शिक्षण सुविधाएं तथा छात्रवृत्तियां प्रदान करने की योजनाएं हैं।

सभी राज्य जिनमें जनजाति जनसंख्या अधिक है जनजातीय क्षेत्रों के समेकित विकास के लिए उप-योजना तैयार करते है। इन योजनाओं में शिक्षा का एक प्रमुख स्थान है। इसके फलस्वरूप, जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार किया गया है और राज्यों द्वारा संस्थाओं में दाखिले की संख्या बढ़ाने के लिए निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों, लेखन सामग्री, निःशुल्क वर्दियों, मध्यान्ह भोजन, उपस्थिति छात्रवृत्तियों आदि के रूप में प्रोत्साहन दिए जाते हैं। आश्रम स्कूल भी खोले गए हैं। यह बताया गया है कि जनजातीय बच्चों के दाखिले की दर से i से v और vi से viii कक्षाओं में क्रमशः वर्ष 1968-69 में 22.3% और 3.7% से बढ़ाकर वर्ष 1978-79 में 66.4% और 17.9% हो गई।

उप-योजना क्षेत्रों के विकास के लिए शिक्षा सम्बन्धी राज्य योजनाओं के लक्ष्य तथा परिव्यय को अलग मात्रा के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में उनके प्रयासों को समृद्ध करने के लिए राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है। राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किए गए परिव्यय तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान शैक्षिक विकास के लिए राज्यों को दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

ग्रामीण गरीबों के लिए मकान

72. **श्री जयनारायण रोट :**

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण गरीबों (भूमिहीन मजदूरों) को कुल कितने मकान उपलब्ध कराये गए हैं और निकट भविष्य में उन्हें कुल कितने मकान उपलब्ध कराए जाएंगे ?

निर्माण और आवास मंत्री (पी० सी० सेठी) : ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बिना मूल्य आवास स्थित आवंटित करने के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना अक्तूबर, 1971 में आरम्भ की गई थी, इसमें भूमि के अर्जन और आवास स्थलों के विकास के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को शत-प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था है। अप्रैल, 1974 से योजना राज्य क्षेत्र में हस्तान्तरित कर दी गई थी और बाद में इसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

जनजातीय उप-योजना के लिए वर्ष 1977-78 से 1979-80 तक
शिक्षा के लिए परिव्यय

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1977-78 (परिव्यय) द्वारा दी जाने वाली राशि			1978-79 (परिव्यय) द्वारा दी जाने वाली राशि			1879-80 (परिव्यय) द्वारा दी जाने वाली राशि		
	राज्य योजना	विशेष केन्द्रीय सहायता	जोड़	राज्य योजना	विशेष केन्द्रीय सहायता	जोड़	राज्य योजना	विशेष केन्द्रीय सहायता	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. आन्ध्र प्रदेश	34.55	10.00	44.55	50.00	25.00	75.00	57.03	40.00	97.03
2. असम	50.00	10.00	60.00	125.00	—	125.00	123.00	—	123.00
3. बिहार	408.00	55.00	463.00	518.00	85.00	603.00	468.00	70.00	538.00
4. गुजरात	263.00	10.00	273.00	320.60	14.00	334.60	185.00	15.00	200.00
5. हिमाचल प्रदेश	14.14	3.98	18.12	20.00	7.00	27.00	22.00	13.50	35.50
6. कर्नाटक	12.00	—	12.00	24.00	—	24.00	35.00	4.00	39.00
7. केरल	—	—	—	—	—	—	12.00	7.00	19.00
8. मध्य प्रदेश	334.00	125.00	459.00	460.00	150.00	610.00	360.00	300.00	660.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. महाराष्ट्र	200.00	72.77	27.77	190.20	83.50	273.70	196.00	50.00	246.00
10. मणिपुर	48.00	6.85	54.85	64.00	7.00	71.00	37.96	4.00	41.96
11. उड़ीसा	301.00	26.00	327.00	349.77	100.00	449.77	252.64	150.00	402.64
12. राजस्थान	66.81	25.00	91.81	78.37	49.00	127.37	74.00	53.00	127.00
13. तमिलनाडु	21.24	—	21.24	20.50	—	20.50	20.00	—	20.00
14. त्रिपुरा	31.00	—	31.00	78.00	1.00	79.00	50.00	4.59	54.59
15, उत्तर प्रदेश	2.83	1.13	3.96	1.64	0.66	2.30	5.05	—	5.05
16. पश्चिम बंगाल	100.00	10.00	110.00	78.00	15.00	93.00	130.82	7.38	138.20
17. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	3.33	0.60	3.93	12.88	6.35	19.23	11.31	8.55	19.86
18. गोवा, दमण दीव	3.50	—	3.50	6.50	8.50	15.05	4.84	3.85	8.69
कुल जोड़	189.40	356.33	1249.73	2397.47	552.01	2959.48	2044.65	730.87	2775.52

स्रोत : 1. योजना आयोग के कार्यक्रम सलाहकार की सिफारिश ।

2. जनजातीय उप-योजनाएं 1978-83 तथा 1978-79 ।

का एक अंग बना दिया गया था। जुलाई, 1975 में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित बीस सूत्री कार्यक्रम में इसे शामिल कर लिया गया था। तत्पश्चात् योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सभी भूमिहीन मजदूरों/शिल्पकारों पर लागू कर दी गई थी। योजना राज्य क्षेत्र में ही है।

2. आरम्भ में योजना के अन्तर्गत केवल आवास स्थल ही आवंटित किए जाते थे और यह आशा की गई थी कि लाभ भोगी किसी अन्य योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार से या किसी स्वयं सेवी संगठन से सहायता लेकर इस प्रकार उन्हें दी गई भूमि पर स्वयं संरचना बना लेंगे। कई राज्य सरकारें ऐसी सहायता दे भी रही हैं। 31-5-1980 तक प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आवंटित आवास स्थलों और निर्मित मकानों/झोंपड़ियों की संख्या विवरण (I) में दी गई है।

छठी योजना (1978-83) के मसौदे में 500) रुपये से 750) रुपये प्रति स्थल की दर से प्लाटों के अर्जन के लिए तथा मकान/झोंपड़ी के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए 425 करोड़ रुपये का प्रावधान है। नई योजना के अन्तर्गत आवास सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में 70 लाख भूमिहीन मजदूरों को लाभ होने की सम्भावना है।

दिल्ली दूरभाष केन्द्र में कार्य कर रही लड़कियों की शिकायत

73. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के दूरभाष केन्द्रों में कार्यरत लड़कियों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन केन्द्रों में कार्यरत हरिजन महिलाओं/लड़कियों के प्रति ऊंची जातियों के कतिपय वरिष्ठ कर्मचारियों ने बदले की भावना दिखाई है;

(ग) क्या सरकार ने इन शिकायतों की जांच कराई है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) :

(क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) शिकायत में लगाए गए आरोप निराधार पाए गए।

महिला उत्थान

74. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :**

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि जो महिलाएं सामाजिक बुराइयों का शिकार हुई हैं उनका उत्थान किया जाये,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इन योजनाओं के कार्यकरण का अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विवरण I

भूमिहीन मजदूरों के लिए ग्रामीण आवास स्थल तथा झोंपड़ियों के निर्माण की योजना के अन्तर्गत की गई वास्तविक प्रगति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	परिवारों की संख्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुमानित पात्र व्यक्ति	आवंटित वास स्थल	कालम (3) में से विकसित आवास स्थलों की संख्या	आवंटित आवास स्थलों पर निर्मित मकानों/झोंपड़ियों की संख्या आवंटितयों के अपने प्रयासों से	सरकार के प्रयासों से	कुल
1. आंध्र प्रदेश	16,00,000	8,52,471	652		रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	
2. असम	2,29,000	49,056	9,922		—वही—	
3. बिहार	12,58,000क	7,15,000	29,925		—वही—	
4. गुजरात	4,62,333	4,07,078	99,266	25,708	1,07,398	1,33,106
5. हरियाणा	2,58,544	2,19,794	उपलब्ध नहीं	1,742	शून्य	1,742
6. हिमाचल प्रदेश	4,724	4,549	4,499		रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	
7. जम्मू-कश्मीर	20,120	5,275	5,275	1,092	शून्य	1,092
8. कर्नाटक	9,97,050	8,49,384ख	उपलब्ध नहीं	35,768	1,91,613	2,27,381
9. केरल	3,00,000	98,332	92,477		रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	
10. मध्य प्रदेश	9,13,037	7,57,000	17,394		रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	
11. महाराष्ट्र	4,85,250	3,64,492	3,18,890	31,935	2,86,955	3,18,890
12. उड़ीसा	4,19,000	1,91,068	8,820	उपलब्ध नहीं	12,704	12,704ग
13. पंजाब	2,95,503	2,95,503	6,817		रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	

14. राजस्थान	8,54,023	8,54,023	20,170	49,750	8,384	58,134
15. तमिलनाडु	14,97,000क	5,23,076	1,70,833		रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	
16. त्रिपुरा	42,650	38,307	5,000		—वही—	
17. उत्तर प्रदेश	12,40,340	12,36,139	20,000	रिपोर्ट की प्रतीक्षा है		
18. पश्चिम बंगाल	2,82,961	2,82,961	43,506	रिपोर्ट की प्रतीक्षा है		
संघ राज्य क्षेत्र :						
1. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	8,628	3,626	उपलब्ध नहीं	रिपोर्ट की प्रतिक्षा है		
2. चण्डीगढ़	90	51	शून्य	—वही—		
3. दादर व नगर हवेली	1,035	715	323	शून्य	323	323
4. दिल्ली	14,800	11,996	5,798	28	9	37घ
5. गोआ, दमण व दीव	1,596	1,436	986	108	211	319
6. पांडिचेरी	15,213	10,815	5,718	5,631	87	5,718
कुल :	1,19,00,897	77,72,447	8,66,261	1,51,762	6,07,684	7,59,446

क योजना आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार

ख राज्य सरकार ने 21-10-75 तक मकान आवंटित किए उसके बाद केवल आवास स्थल आवंटित किए हैं।

ग 1-4-76 से आवास स्थलों के विकास की योजना को एकीकृत आवास योजना में परिवर्तित कर दिया गया है।

घ केवल एक ब्लाक से। अन्य ब्लाकों से सूचना उपलब्ध नहीं हुई है।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जरूरतमन्द और निराश्रित महिलाओं के प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए सरकार की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। पीड़ित महिलाओं को हस्तकलाएं सिखाने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु स्वयंसेवी संगठनों को इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे महिलाएं रोजगार प्राप्त कर सकें/अपना रोजगार कर सकें।

(ग) नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तुर और चीनी का उत्पादन

75. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष (1980) को प्रथम तिमाही के दौरान तुर और चीनी के उत्पादन में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान इन सभी वस्तुओं के उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) : जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, 1980 की पहली तिमाही, अर्थात् जनवरी-मार्च, 1980 में इसका उत्पादन 24.94 लाख मीटरी टन हुआ है जबकि 1979 की उसी तिमाही में 33.01 लाख मीटरी टन का उत्पादन हुआ था।

चीनी का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे है। इनमें ये उपाय शामिल हैं—बुआई की अवधि बढ़ाने तथा उन्नत बीजों द्वारा उत्पादकता बढ़ाने, उर्वरकों का अनुकूलतम प्रयोग करने, पौध संरक्षण के उपाय करने, कुशल प्रबन्ध और कृषि की उन्नत विधियां अपनाने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध करना। इसके अलावा, आगामी 1980-81 मौसम में चीनी का अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए पेराई कार्य शीघ्र शुरू करने पर उत्पादन शुल्क में रिबेट देने के रूप में चीनी फैक्ट्रियों को प्रोत्साहन देने की एक योजना विचाराधीन है।

जहां तक तुर का सम्बन्ध है, यह एक "फील्ड-क्राप" है और इसके उत्पादन का अनुमान कृषि वर्ष के अन्त में ही उपलब्ध होता है। वर्ष 1979-80 के लिए तुर के उत्पादन का अनुमान जुलाई-अगस्त, 1980 में किसी समय उपलब्ध होने की आशा है। तथापि, वर्तमान सूचना के अनुसार तुर के उत्पादन का अनुमान 1978-79 के 19.1 लाख मीटरी टन की तुलना में 1979-80 में मामूली कम होने की सम्भावना है।

अरहर सहित दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गये उपायों में दालों के सघन विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना संबंधी कार्यक्रम है जिसके लिए 1980-81 के प्लान के

अन्तर्गत परिव्यय की राशि बढ़ाकर 3.55 करोड़ रुपये कर दी गई है जबकि 1979-80 के दौरान प्रत्याशित खर्च 1.37 करोड़ रुपये का है। इस कार्यक्रम के अधीन किए गए उपायों में ये उपाय शामिल हैं—(i) बीज गुणन कार्यक्रम को सशक्त बनाना; (ii) प्रमाणित तथा प्रजनक बीज पर राज सहायता; (iii) उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर ग्रीष्म कालीन मूंग की खेती करना; (iv) बहु-फसली और अन्तर-फसली विधि से कम अवधि की दाल की फसल बोना; (v) फासफेटिक उर्वरकों का अधिक इस्तेमाल करना; (vi) रिजोबियम कल्चर; और (vii) पौध संरक्षण उपाय। इसके अलावा, सरकार ने 1979-80 विपणन मौसम के लिए अरहर हेतु 165 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य की घोषणा की है।

मनीपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना

76. **श्री एम० राम० गोपाल रेड्डी :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मनीपुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण तथा स्वास्थ्य मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)

(क) और (ख) : जी नहीं। तथापि, मणिपुर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य विधानमण्डल ने इम्फाल में एक शिक्षण, आवासीय तथा संबद्ध विश्वविद्यालय स्थापित करने का एक विधेयक पारित किया है।

गन्ने की शीघ्र पिराई करने पर उत्पादन शुल्क में छूट

77. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गन्ने की शीघ्र पिराई करने पर उत्पादन-शुल्क में छूट देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) जी हां।

(ख) योजना के ब्यौरे अभी भी विचाराधीन हैं।

"काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के अन्तर्गत मुफ्त भोजन दिया जाना

78. **श्री के० मालन्ना :**

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सूखाग्रस्त राज्यों में "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के अन्तर्गत मुफ्त भोजन देने हेतु प्रबन्ध किये हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को ऐसी सुविधायें दी गई हैं और किन-किन राज्यों में; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने सूखे की विकट स्थिति का मुकाबला करने के लिए अपेक्षित सहायता का अनुमान लगाने के लिए राज्यों में दल भेजे हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)

(क) "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के अन्तर्गत मुफ्त भोजन देने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है। परन्तु "पोषाहार के लिए खाद्य कार्यक्रम" के अन्तर्गत 11 सूखाग्रस्त राज्यों में जनसंख्या के अत्यन्त कमजोर वर्गों अर्थात्, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, दूध पिलाने वाली और गर्भवती माताओं, वृद्धों और अशक्तों, निराश्रित तथा विकलांग व्यक्तियों को दिन में एक बार मुफ्त पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है।

(ख) आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 11 सूखाग्रस्त राज्यों में 66.70 लाख लाभ प्राप्त कर्ताओं को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जाएगा।

(ग) राज्य सरकारों के अनुरोध पर भारत सरकार ने आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय दल भेजे हैं जो "पोषाहार के लिए खाद्य कार्यक्रम" के अन्तर्गत आते हैं।

उर्वरकों की आवश्यकता और डी० ए० पी० का आयात

79. **श्री के० मालन्ना :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों की उर्वरकों की अनुमानित आवश्यकता क्या है;

(ख) क्या दालों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास में सरकार ने डायेमोनियम फास्फेट का आयात करने की व्यवस्था की थी; और

(ग) यदि हां, तो इसका कितनी मात्रा में आयात किया गया और क्या डी० ए० पी० का आयात करने से किसानों की फास्फेटिक की आवश्यकता पूरी हो सकती है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन)

(क) खरीफ, 1980 (फरवरी से जुलाई 1980 तक) के लिए सभी राज्यों, आदि की उर्वरकों की सकल मांग 25.87 लाख मीटरी टन पोषक तत्व (नाइट्रोजन+फास्फेट×पोटाश) आंकी गई थी। रबी, 1980-81 (अगस्त 1980 से जनवरी 1981 तक) के लिए उर्वरकों की मांग जुलाई 1980 में आयोजित किये जाने वाले उर्वरक सम्बन्धी क्षेत्रीय सम्मेलनों में राज्य सरकारों के परामर्श से आंकी जाएगी।

(ख) जी हां।

(ग) आयात के लिए डी० ए० पी० के लगभग 8 लाख मीटरी टन का करार किया गया है, जबकि गत वर्ष 5 लाख मीटरी टन से कुछ अधिक का आयात किया गया था। आयातित सामग्री और एस० एस० पी०, डी० ए० पी०, टी० एस० पी० जैसे देश में उत्पादित फास्फेटिक उर्वरकों तथा मिश्रित उर्वरकों की अधिक उपलब्धि से किसानों को आसानी से उर्वरक प्राप्त होने में सहायता मिलेगी।

9, जून 1980 के लिए प्रश्न

उर्वरक की कमी

80. श्री के० मालन्ना :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में उर्वरकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किये गये अथवा किये जाने वाले उपायों का ब्योरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन)

इस मौसम के दौरान देश में उर्वरकों की कमी की कोई रिपोर्ट सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, किसानों को उर्वरकों की समय पर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने देश भर के 650 से भी अधिक केन्द्रों में उर्वरकों का भारी भण्डार किया हुआ है। इसके अतिरिक्त सरकार देशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उर्वरकों का लगातार आयात कर रही है।

प्रति व्यक्ति शुल्क

81. श्री के० मालन्ना :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रति व्यक्ति शुल्क प्रणाली की बुराइयों का पता है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द)

(क) और (ख) : जी हां।

(ग) : केन्द्रीय सरकार प्रति व्यक्ति शुल्क वसूल करने की पद्धति के पक्ष में नहीं है और सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार ऐसे कालेजों को मान्यता देने का भी अनुमोदन नहीं करती जो प्रतिव्यक्ति शुल्क वसूल करते हैं।

भटकुण्डा में डाकघर के लिए भवन निर्माण

82. श्री सुशील भट्टाचार्य :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भटकुण्डा स्थित डाकघर के लिए, जो इस समय किराए की इमारत में है, भवन निर्माण करने के बारे में कोई आवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन)

(क) जी हां।

(ख) यह प्रतिवेदन किया गया है कि जिला प्राधिकारियों द्वारा 20-1-79 को .08 एकड़ जमीन विभाग को सौंपी गई थी। परन्तु अब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी है।

(ग) जमीन का अधिग्रहण 19-4-1979 को कर लिया गया था, परन्तु जिला प्राधिकारियों से अधिग्रहण प्रमाणपत्र तथा साइट प्लान की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

हाल ही में इस डाकघर के कार्यभार की जिसे 1976 में विभागीय उप डाकघर बनाया गया था, पुनरीक्षा की गई तथा इसका कार्यभार 4 घंटे तथा 8 मिनट का निकला। इस डाकघर के चलाने की लागत प्रतिमाह 807.28 रु० है जबकि इससे आमदनी केवल 106.85 रु० ही है। चूंकि डाकघर का कार्यभार 5 घंटे से भी कम है तथा हानि बहुत अधिक है, संभवतः डाकघर का दर्जा गिराया जा सकता है। अतः इस स्थिति में डाकघर के लिए विभागीय इमारत का निर्माण करने का उचित समय नहीं है।

भटकुण्डा के पोस्ट आफिस में नाम वाली मोहरों एवं सील मोहरों की कमी

83. **श्री सुशील भट्टाचार्य :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्दवान जिले के भटकुण्डा उप-डाकघर में उचित नाम वाली मोहरों तथा सील मोहरों की कमी के कारण स्थानीय जनता को होने वाली कठिनाइयों के विषय में सरकार को जानकारी है जिसके परिणामस्वरूप मनीआर्डर प्रेषकों को ही वापस किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त उप-डाकघर में नाम की मोहरों तथा सील मोहरों को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में संबंधित डाक अधिकारियों को कोई निर्देश जारी किये हैं और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री श्री सी० एम० स्टीफन :

(क) प्रयोगात्मक अस्थायी डाकघरों को डाकघर के कोड नं० वाली सीलें तथा मोहरे प्रदान की जाती हैं। जो डाकघर स्थायी हो जाते हैं उन्हें डाकघर के नाम वाली मोहरें और सीलें सप्लाई की जाती हैं। चूंकि भटकुण्डा एक अस्थायी उप-डाकघर है अतः इसे कोड नंबर अंकित मोहरें और सीलें दी गई थीं। मनीआर्डर जारी करने वाले डाकघर में कोड नंबर वाली या दूसरी मोहरों और सीलों के प्रयोग होने से दूसरे डाकघर द्वारा मनीआर्डर के भुगतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

(ख) और (ग) भटकुण्डा उप-डाकघर को डाकघर के नाम वाली आवश्यक मोहरें और सीलें सप्लाई कर दी गई हैं।

नेशनल स्कूल आफ ड्रामा के छात्रों से ज्ञापन

84. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**

श्री के० ए० राजन :

श्री सैफुद्दीन चौधरी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल स्कूल आफ ड्रामा, दिल्ली के छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में उन्हें 7 अप्रैल, 1980 को कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया था :

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन मांगों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) :

(क) जी हां।

(ख) मांगें पाठ्यक्रमों की मान्यता देने, स्वतन्त्र परिसर की व्यवस्था, छात्रावास की बेहतरी सुविधाओं, रेल की रियायतों, भोजनालय के लिए आर्थिक सहायता, स्कूल के लिए वाहन, छात्रवृत्ति तथा पुस्तक भत्ते में वृद्धि, स्कूल बजट में वृद्धि, विश्वविद्यालयों में ड्रामा विभाग आरम्भ करने, देश के विभिन्न भागों में आडीटोरियमों के निर्माण, ड्रामा अभिनयों की किरायों से छूट तथा अभिनय के लिए मामूली किराए पर थियेटर हालों से सम्बंधित है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय ड्रामा स्कूल एक स्वायत्त संगठन है। छात्रों की मांगें विभिन्न प्रकार की हैं। सरकार तथा स्कूल ने इन मांगों को रेलवे तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसे सम्बंधित प्राधिकारियों के पास भेज दिया है। अन्य मांगों की जांच की जा रही है।

कलकत्ता में टेलीफोन प्रणाली

85. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**

श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कलकत्ता में टेलीफोन व्यवस्था पूरी तरह खराब हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो कलकत्ता में सम्पूर्ण टेलिफोन व्यवस्था को ठीक करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) :

(क) और (ख) :

कलकत्ता में टेलीफोन प्रणाली पूर्णतया खराब नहीं है। परन्तु भूमिगत केबुलों में काफी संख्या में खराबी होने तथा टेलीफोन एक्सचेंजों में लम्बी अवधि के लिए बिजली फेल होने के कारण सेवा में कमी हुई है। भूमिगत केबुलों की खराबियों को कम करने के उद्देश्य से इस समस्या से निबटने के लिए कलकत्ता टेलीफोन्स में हाल ही में एक टास्क फोर्स का सृजन किया गया है।

कुछ अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं जैसे

(क) नलियों में केबुल डालना

(ख) केबुलों का दाबीकरण

(ग) जैली की युक्त केबुल बिछाना

(घ) अंकीय सूक्ष्मतरंग प्रणाली का आरम्भ करना।

बिजली की सप्लाई में सुधार के लिए विद्युत प्राधिकारियों के साथ मामला उठाया गया है और इसमें सुधार होने की आशा है।

गेहूं की कम वसूली

86. **श्री गुलाम रसूल कोचक :**

श्री पी० एम० सईद :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूँ की उतनी मात्रा में वसूली नहीं की जा सकी है जितनी पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान की गई थी;

(ख) यदि हां, तो मई, 1980 के दौरान गेहूँ की कम वसूली किये जाने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा वसूल किया गया गेहूँ अभी मण्डियों में ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है और आने वाले बरसात के मौसम में उसके खराब हो जाने की सम्भावना है;

(घ) यदि हां, तो इस गेहूँ को गोदामों तक ले जाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है; और

(ङ) वसूली में कमी के कारण होने वाली गेहूं की कमी पूरी करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) जी हां।

(ख) अनुमानतः कम वसूली का मुख्य कारण उत्पादन में कमी होना है जिसके परिमाण-स्वरूप बाजार में कम आमद हुई है, सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य से बाजार के मूल्य स्तर बढ़े हैं, उपभोक्ता राज्यों के व्यापारियों द्वारा तेजी से खरीदारी की गई है और मूल्यों में और वृद्धि होने की प्रत्याशा में उत्पादकों द्वारा स्टाक रोके गये हैं।

(ग) और (घ) : गेहूँ की वसूली अभी भी जारी है और मंडियों में खुले में पड़े हुए कुछ स्टाक की सम्भावना से इन्कार नहीं किया-जा सकता है। तथापि, अनुदेश जारी किए गये हैं कि अधिप्राप्त स्टाक को खरीदारी करने के 48 घंटे के अन्दर खाद्यान्न भण्डारण डिपों को भेज दिया जाए। तिरपालों/पोलीथीन की चादरों से स्टाक को ढकने हेतु पर्याप्त उपाय और हानि को रोकने के लिए अन्य उपाय नियमित आधार पर किए जाते हैं।

(ङ) बफर स्टाक रखने की नीति के अधीन सरकार के पास खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टाक पड़ा है और गेहूँ की वसूली में जो कमी हुई है वह इस स्टाक से पूरी ही जाने की आशा है।

चौदह वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा

87. **श्री गुलाम रसूल कोचक :**

श्री एम०वी चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संविधान के निर्देशक सिद्धान्तों में किये गये उपबन्ध के अनुसार 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिए जाने के लक्ष्य को अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो क्या चौथे शैक्षणिक सर्वेक्षण से यह पता चला है कि इस सम्बन्ध में अभी तक केवल 20 प्रतिशत लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया जा सका है;

(ग) यदि हां, तो इस धीमी प्रगति के क्या कारण हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसे छठी पंच वर्षीय योजना में प्राप्त किया जा सके, सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

(क) से (ग) : जी, हां, यह एक तथ्य है कि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संवैधानिक लक्ष्य की उपलब्धि अभी बहुत दूर है। परन्तु यह सही नहीं है कि 20% दाखिला भी नहीं प्राप्त किया गया है। चौथे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, प्रारम्भिक स्तर (कक्षा I-VIII) की प्रवेश सम्बंधी स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 अभी तैयार की जा रही है। दाखिले बढ़ाने तथा स्कूल छोड़ जाने वालों की संख्या को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएगें। किए जाने वाले उपायों का स्वरूप तथा सीमा के बारे में बताने का अभी समय नहीं है।

पेयजल की कमी

88. **श्री गुलाम रसूल कोचक : श्री पी० एम० सईद :**

क्या निर्माण और आवास मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों विशेषकर सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुए और सूखाग्रस्त घोषित किए गए राज्यों में पेयजल की भारी कमी है;

(ख) क्या उक्त समस्या का अध्ययन करने के लिए किसी केन्द्रीय अध्ययन दल ने ऐसे राज्यों का दौरा किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या उस दल ने सरकार को अपने प्रस्ताव पेश कर दिए हैं और उन राज्यों का पता लगाया है जो पेयजल की कमी से ग्रस्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय अध्ययन दल के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उनके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूखाग्रस्त राज्यों के अनुरोध पर भारत सरकार ने स्थल पर मूल्यांकन के लिए एक केन्द्रीय दल भेजा। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट के आधार पर तथा सहायता पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार ने केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन के लिए अतिरिक्त व्यय की अधिकतम सीमा का अनुमोदन किया। इसमें पेय जल कार्यक्रम के लिए प्रावधान भी सम्मिलित है। प्रधान मंत्री का 12 सूत्री कार्यक्रम भी पता लगाए गए ग्रामों में जल सप्लाई करने तथा टैंकरों, ट्रकों, ड्रमों, डीजल इत्यादि के प्रबन्ध करने के लिए अगली कार्यवाही करने के लिए आकस्मिक योजना बनाने पर बल देता है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने रिगों को जुटाया है तथा बुरी

विवरण

चौथे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1978-79 के दौरान कक्षा I—VIII में प्रवेश सम्बन्धी स्थिति

कक्षा I—V (6-10 आयु-वर्ग)			कक्षा VI—VIII (11-13 आयु-वर्ग)			कक्षा I—VIII (6-13 आयु-वर्ग)		
लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
424.33	267.23	691.56	117.44	57.32	174.76	541.77	324.55	866.32
(98.25)	(65.46)	(82.31)	(48.21)	(24.96)	(36.92)	(80.19)	(50.88)	(65.96)

ध्यान दीजिए :

(1) प्रवेश आंकड़े लाखों में ।

(2) कोष्ठकों के अन्दर दिए गए आंकड़े तदनुरूपी आयु-वर्ग जनसंख्या के दाखिले की प्रतिशतता दर्शाते हैं ।

तरह से प्रभावित क्षेत्रों में कुएं खोदने तथा उनको गहरा करने जैसे पेयजल कार्यक्रमों को तेज करने के लिए राज्य सरकारों को उपलब्ध कराया जाता है।

राज्यों में बाढ़ राहत सामग्री के वितरण पर समीक्षा समिति

89. **श्री रूपचन्द पाल :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा गठित समीक्षा समिति ने बाढ़ राहत सामग्री के वितरण की जांच करने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल का दौरा किया था और केन्द्र को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में कहा था कि "प्रत्यक्षत इसमें कोई औचित्य नही है," और

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में भी समीक्षा समिति भेजी थी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) लोक लेखा समिति की सिफारिशों के अनुसरण में भारत सरकार ने राज्यों में केन्द्रीय समीक्षा दलों को भेजने का निर्णय लिया था, ताकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण आपदा राहत के लिए राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता की समीक्षा की जा सके। किए गए व्यय के निश्चित आंकड़ों की प्राप्ति के पश्चात् ऐसे दल सब सम्बन्धित राज्यों का दौरा करेंगे। अभी तक किसी भी समीक्षा दल ने किसी राज्य का दौरा नहीं किया है। तथापि, केन्द्रीय दल, जो प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति का जायजा लेने के लिए राज्यों का दौरा करते हैं, पहले उपलब्ध की गई केन्द्रीय सहायता के व्यय की प्रगति की भी सम्भव सीमा तक व्यापक समीक्षा करते हैं। एक केन्द्रीय दल ने, जिसने फरवरी, 1979 में पश्चिमी बंगाल का दौरा किया था, बाढ़ राहत के लिए दी गई अग्रिम योजना सहायता से किए गए व्यय की प्रगति के सिर्फ कुछ पक्षों की ही समीक्षा की थी और इसने व्यय की अधिकतम सीमा में आवश्यक पुनर्समायोजन करने का सुझाव दिया था। इस दल के पास पश्चिम बंगाल सरकार के वित्तीय व्यय विवरण नहीं थे, इसलिए यह दल धनराशि के उचित उपयोग या अन्यथा के सम्बन्ध में किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सका।

ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघरों का खोला जाना

90. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977, 1978 और 1979 के दौरान वर्षवार, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने नए डाकघर खोले गए;

(ख) क्या यथासम्भव गांवों में निकट नए डाकघर खोलकर ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त डाक सुविधाएं देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1980 और 1981 के दौरान, अलग-अलग ऐसे कितने डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्री (सी० एम० स्टीफन) : (क) डाकतार विभाग में वित्तीय वर्षों के अनुसार आंकड़ों का संकलन किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष		खोले गए डाकघरों की संख्या
1.	1977-78	3297
2.	1978-79	5753
3.	1979-80	5663

(ख) देहाती डाकघर निर्धारित मानदण्डों के संदर्भ में पंचवर्षीय/वार्षिक योजना में निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर चरणबद्ध रूप से उत्तरोत्तर खोले जाते हैं। जब कभी एक डाकघर खोलने की मंजूरी दी जाती है तो एक गांवों के समूह की आबादी को मद्दे नजर रखते हुए डाकघर के लिए केन्द्रीय गांव का चयन किया जाता है।

(ग) वर्ष 1980-81 के दौरान देहाती इलाकों में लगभग 5,000 डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है। ये आंकड़े 1980-85 की संशोधित पंचवर्षीय योजना के अनुसार परिवर्तन के आधार पर हैं जिसे योजना आयोग द्वारा अंतिम मंजूरी दी जानी है। 1981-82 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों की संख्या का तब पता चलेगा जब संशोधित पंचवर्षीय योजना 1980-85 को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

गत तीन वर्षों के दौरान चीनी के मूल्य

91. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान मई, 1980 तक देश की महत्वपूर्ण मण्डियों में चीनी के मूल्य प्रत्येक महीने के अन्त में क्या-क्या रहे।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। (ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०—827/80)

(इस अवधि के दौरान, 16-8-78 से 16-12-79 तक चीनी पर कोई नियंत्रण नहीं था। विवरण में दिखाए गए मूल्य नियंत्रण की अवधि के दौरान मुक्त बिक्री की चीनी और विनियंत्रण की अवधि के दौरान की समस्त बिक्री से सम्बन्धित है)।

गुजरात में सूखा

92. **श्री अमर सिंह वी राठवा :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य के कुछ भागों में भी सूखा और अकाल पड़ रहा है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है, और

(ग) इन क्षेत्रों को क्या सहायता दी गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) और (ख) गुजरात के 14 जिलों पर सूखे की स्थितियों का अलग-अलग मात्रा में प्रभाव पड़ा है। इनमें से पंचमहल, बनासकांठा तथा साबरकांठा नामक तीन जिले भयंकर रूप से

प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार के अनुसार कुल लगभग 11.24 लाख हैक्टार सस्यगत क्षेत्र सूखे से प्रभावित हुआ है।

(ग) राज्य सरकार राहत सम्बन्धी कार्यों के साथ-साथ काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत साहाय्य दर पर चारे का वितरण करके जल सुलभ कराने के लिए परिवहन की व्यवस्था करके, विद्यमान कुओं को गहरा करके, नए कुओं की खुदाई करके, मृदा संरक्षण के जरिए कृषि का नवीकरण, बारानी खेती तथा जल प्रबन्ध पद्धतियों की व्यवस्था करके सूखाग्रस्त इलाकों में राहत पहुँचा रही है। इन राहत कार्यों के अन्तर्गत लाभ न पा सकने वाले दो लाख निर्धन लोगों को राज्य सरकार की ओर से नकद अनुदान द्वारा राहत पहुँचाने का भी प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने अल्पावधि सहकारी ऋणों का पुनर्निर्धारण किया है और सूखाग्रस्त क्षेत्रों के छोटे तथा सीमांत किसानों को अल्पावधि ऋणों पर देय ब्याज को माफ कर दिया है। राज्य सरकार के अनुरोध पर सूखे से उत्पन्न स्थिति का मौके पर जायजा लेने तथा केन्द्रीय सहायता की सिफारिश करने के लिए एक केन्द्रीय दल ने 19 से 21 मई, 1980 तक गुजरात का दौरा किया। राज्य सरकार का काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत अप्रैल, 1980 में 1000 मीटरी टन अनाज का आवंटन किया गया है। इस दल की रिपोर्ट के आधार पर बहुत शीघ्र ही केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की जायेगी। खरीफ के मौसम के दौरान कृषि आदानों की खरीद व वितरण के लिए भारत सरकार अल्पावधि ऋणों के लिए 4 करोड़ रुपये की राशि पहले ही आवंटित कर चुकी है।

के० एस० डी० संस्कृत विश्वविद्यालय के अध्यापकों को वेतन का भुगतान

93. **श्री हरिनाथ मिश्र :**

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार स्थित के०एस०डी० संस्कृत विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्कृत कालेजों और विद्यालयों के अध्यापकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार या तो उनका वेतन नहीं प्राप्त हो रहा है या उन्हें बिल्कुल ही वेतन नहीं मिल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसमें कितने अध्यापक प्रभावित हैं और उनकी शिकायतें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) क्योंकि के० एस० डी० संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्कृत कालेज और इसके द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय बिहार सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं, इसलिए राज्य सरकार से इस मामले की जांच करने के लिए अनुरोध किया गया है।

चीनी के कारखाना मूल्य कम करने के लिए चीनी मिल मालिकों को निदेश

94. **श्री कमल मिश्र मधुकर :**

श्री ओस्कर फर्नाण्डीस :

श्री के० प्रधानी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी चीनी मिल मालिकों को निदेश जारी किये हैं अथवा कोई अपील की है कि वे स्वेच्छा से चीनी के कारखाना मूल्य कम करें;

(ख) यदि हां, तो कितने चीनी मिल मालिकों ने इस निदेश का पालन किया है और कितने चीनी मिल मालिकों ने इसका पालन नहीं किया है;

(ग) क्या यह सच है कि बिहार राज्य के पूर्व चम्पारन जिले के बाराचकिया और मोतीहारी शुगर मिल द्वारा सरकार के इस निदेश का पालन किया गया था;

(घ) क्या सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि यदि चीनी मिल मालिकों द्वारा इस निदेश का पालन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ङ) सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निदेश जारी नहीं किया है क्योंकि चीनी की मौजूदा दोहरी मूल्य प्रणाली जिसमें केवल लेवी चीनी का सांविधिक मूल्य निर्धारित किया जाता है, के अधीन ऐसा निदेश जारी करने का विचार नहीं है और इसलिए इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत मिलों की प्रतिक्रिया की निगरानी करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, सरकार सामान्यतया खुली बिक्री की चीनी के मूल्यों पर निगरानी रख रही है और जब वे अनुचित रूप से ऊंचे स्तर तक पहुंच जाते हैं तब उन्हें नीचे लाने के लिए उचित उपाय किये जाते हैं। इसलिए इसी संदर्भ में, केन्द्रीय कृषि मंत्री ने 31 मार्च, 1980 को देश के चीनी उद्योग के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया था ताकि खुली बिक्री की चीनी के मामले में स्वेच्छा-मूल्य-विनियमन नीति तैयार की जा सके। बाद में, 23 मई, 1980 को राज्य के खाद्य सचिवों की एक बैठक को सम्बोधित करते हुए उन्होंने राज्य सरकारों से इस बात पर बल देते हुए कहा कि वे चीनी मिलों के व्यवहार पर कड़ी निगाह रखें और उन्होंने यह भी कहा कि यदि वे उचित मूल्य पर चीनी सप्लाई करने में सहयोग नहीं देती हैं तो जल्दी पेराई कार्य शुरू करने और मौजूदा क्षमता का विस्तार करने आदि के लिए जो प्रोत्साहन दिए जाते हैं उसके लिए वे हकदार नहीं हो सकेंगी।

गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य का भुगतान न किए जाने के कारण चीनी उत्पादन में गिरावट

95. **श्री के० एम० मधुकर :**
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री आर० के० महालगी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि इस वर्ष चीनी उत्पा-में 27.9 प्रतिशत गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या चीनी उत्पादन में इस गिरावट का कारण यह है कि सरकार गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य का भुगतान करने में असमर्थ रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई नई योजना तैयार की है कि गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिल सके;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या गन्ने की खेती के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में गत दो वर्षों के दौरान कमी हुई है; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) अनुमान है कि वर्तमान मौसम 1979-80 के दौरान चीनी का उत्पादन 39.5 लाख मीटरी टन हो जाएगा जबकि 1978-79 मौसम में उत्पादन 58.44 लाख मीटरी टन हुआ था अर्थात् उत्पादन में 32.4 प्रतिशत की गिरावट हुई है।

(ख) जी नहीं। इस वर्ष चीनी के उत्पादन में कमी होने का मुख्य कारण गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी होना और सूखा, प्रतिकूल मौसम स्थिति आदि जैसे कई एक कारणों से गन्ने के उत्पादन में बहुत अधिक कमी होना है।

(ग) और (घ) गन्ने का उपयोग सामान्यतया उपयोगकर्ताओं के तीन भिन्न-भिन्न वर्गों अर्थात् चीनी फैक्ट्रियों, खण्डसारी यूनिटों और गुड़ निर्माताओं द्वारा किया जाता है। जहां तक चीनी फैक्ट्रियों का सम्बन्ध है, उनके द्वारा देय न्यूनतम मूल्यों को प्रत्येक मौसम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्पादन लागत, वैकल्पिक फसलों से उत्पादकों के लिए लाभ, गन्ने से चीनी की प्राप्ति आदि जैसी गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में उल्लिखित कई एक बातों को ध्यान में रखकर सांविधिक रूप से निर्धारित किया जाता है। ये मूल्य निर्धारित करते समय, कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों और चीनी फैक्ट्रियों की एसोसिएशनों तथा गन्ना उत्पादकों की राय को भी ध्यान में रखा जाता है। गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य को 1977-78 के 8.50 रु० प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1978-79 में 10.00 रु० प्रति क्विंटल कर दिया गया था और अधिक प्राप्तियों के लिए आनुपातिक प्रीमियम की व्यवस्था कर 8.5 प्रतिशत अथवा उससे कम चीनी की प्राप्ति पर मूल्यों को 1979-80 में और बढ़ाकर 12.50 रु० प्रति क्विंटल कर दिया गया था।

जहां तक गुड़ और खण्डसारी यूनिटों का सम्बन्ध है, सामान्यतया मूल्य सम्बन्धी कोई नियन्त्रण नहीं लगाया गया है। तथापि, राज्य सरकारों को खण्डसारी यूनिटों द्वारा देय न्यूनतम मूल्यों को निर्धारित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं और जब कभी आवश्यक समजा जाता है कुछ एक राज्य यूनिटों द्वारा देय न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती हैं।

(ङ) और (च) गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र में 1978-79 में 1.0 प्रतिशत की गिरावट आई और 1979-80 के लिए गन्ने के अखिल भारत दूसरे अनुमान के अनुसार इसमें 1979-80 में 14.40 प्रतिशत की और कमी हुई है। 1977-78 और 1978-79 में गुड़ और खण्डसारी के मूल्यों में कमी के कारण ही मुख्यतया गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी हुई है।

उत्तरी बिहार में चीनी मिलों द्वारा चीनी की डिलीवरी

96. **श्री के० एम० मधुकर :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिहार सरकार ने उत्तरी बिहार में चीनी मिलों द्वारा चीनी की डिलीवरी पर असंतोष प्रकट किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का ऐसे चीनी मिल मालिकों पर नियन्त्रण रखने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम बिहार सरकार की ओर से फैक्ट्रियों से चीनी उठाता है और उन्होंने 1978-79 मौसम के उत्पादन से निमुक्त मिलों के पास ठोस स्टाक उपलब्ध न होने तथा राज्य सरकार द्वारा लगायी गई मन्डी फीस का भुगतान न करने के कारण सुपुर्दगी के लिए इन्कार करने से बिहार की कुछेक चीनी मिलों द्वारा लेवी चीनी की सुपुर्दगी न करने न भेजने के बारे में सूचित किया है।

भारतीय खाद्य निगम से 1978-79 मौसम के उत्पादन में से ठोस स्टाक उपलब्ध न होने के बारे में शिकायतें प्राप्त होने पर सम्बन्धित फैक्ट्रियो को 1979-80 मौसम के उत्पादन में से जितनी कमी हुई है, उसी हद तक चीनी सुपुर्द करने की अनुमति प्रदान की गई है। 1978-79 और 1979-80 दोनों मौसमों के उत्पादन से दिसम्बर, 1979 से मई, 1980 के महीनों के लिए जारी किए सभी आवंटन आदेशों की वैधता अवधि को भी 30 जून, 1980 तक बढ़ा दिया गया है ताकि भारतीय खाद्य निगम फैक्ट्रियों से सभी आवंटित चीनी उठा सके। जहां तक फैक्ट्रियों द्वारा मन्डी फीस का भुगतान न करने का सम्बन्ध है; इस मामले को अब निपटा लिया गया है और इस सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम को उपयुक्त अनुदेश दे दिए गए हैं।

संस्कृत का प्रसार और विकास

97. **श्री टी० आर० शामन्ना :**

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

[क] संस्कृत के प्रसार और विकास के बारे में सरकार द्वारा क्या उदम उठाए गए हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार स्कूलों और कालेजों में संस्कृत—ज्ञान को प्राथमिकता देने का है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) विवरण संलग्न है।

(ख) अधिकांश विश्वविद्यालय प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम में संस्कृत को अध्ययन के एक विषय के रूप में पढ़ाये जाने की पेशकश करते हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में संस्कृत भाषा तथा साहित्य में विशिष्ट पाठ्यक्रम हैं। इन विश्वविद्यालयों के अंगीभूत और सम्बद्ध कालेजों में भी ऐसी ही सुविधायें हैं।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कक्षा V से IX तक संस्कृत की शिक्षा का अध्ययन अनिवार्य है। X से XII तक की कक्षाओं में संस्कृत पढ़ाने की भी व्यवस्था विद्यमान है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक परीक्षाओं के दोनों स्तरों पर किसी भी छात्र द्वारा संस्कृत को एक विषय के रूप में लिया जा सकता है। राज्य सरकारें ऐसी

सुविधाओं की स्थानीय मांगों को ध्यान में रखते हुए स्कूलों और कालेजों में संस्कृत पढ़ने की सुविधायें भी प्रदान करती रही हैं।

विवरण

संस्कृत की प्रोन्नति के लिए योजनायें

1. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान :

देश में संस्कृत शिक्षा और अनुसंधान को समन्वित करना, उसे मानकित करना और उसमें सुधार करना संस्थान के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। इस समय छः केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ सीधे इसके नियन्त्रण में हैं जो जम्मू, दिल्ली, इलाहाबाद, पुरी और गुरुवायूर में कार्य कर रहे हैं।

संस्थान जांच निकाय के रूप में भी कार्य करता है। इसके संघटक विद्यापीठों के अतिरिक्त 14 संस्थाओं के अस्थायी रूप से अपने छात्रों को संस्थान द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षा में बैठने के लिए सम्बद्ध किया गया है। संस्थान बहुत से छात्रों को अनुसंधान की सुविधायें भी उपलब्ध कराता है। अनुसंधान और प्रकाशन कार्यक्रम पर विशेष बल दिया जा रहा है।

संस्थान भारत में तथा विदेशों में छात्रों के लिए हिन्दी/अंग्रेजी के माध्यम से संस्कृत में पत्राचार पाठ्यक्रम भी चला रहा है।

2. संस्कृत के प्रचार तथा विकास में कार्यरत स्वैच्छिक संस्कृत संगठनें

इस योजना के अन्तर्गत लगभग 600 रजिस्टर्ड स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों/संस्थाओं को, अध्यापकों के वेतन, छात्रों को छात्रवृत्तियां फर्नीचर, पुस्तकालय, अनुसंधान परियोजनायें, निर्माण कार्य तथा संस्कृत के विकास और प्रचार के लिए अन्य सहायक कार्यकलाप, जो ऐसी संस्थाओं द्वारा शुरू किए जाते हैं, का खर्च वहन करने के लिए सहायक अनुदान दिए जाते हैं।

3. संस्कृत पाठशालाओं के छात्रों, उत्तर-मैट्रिक संस्कृत छात्रों शास्त्री और आचार्य छात्रों को छात्रवृत्तियां :

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान संस्कृत छात्रवृत्तियों की निम्नलिखित योजनायें चला रहा है :—

(क) संस्कृत पाठशालाओं के छात्रों के लिए अनुसंधान छात्रप्रवृत्तियां :

अनुसंधान अध्येताओं को 250/- रुपये मासिक की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए वजीफा दिया जाता है जो तीसरे वर्ष तक प्रत्येक मामले के गुण-दोष पर बढ़ाया जा सकता है।

(ख) उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्तियां :

इस योजना के अन्तर्गत, जो छात्र आधुनिक विश्वविद्यालयों में इण्टरमीडिएट (बी० ए०) एम० ए० और पी० एच० डी० पाठ्यक्रमों में एक विशेष विषय के रूप में संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं उन्हें छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

(ग) शास्त्रीऔर आचार्य कक्षाओं के छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां :

इस योजना में सारे देश में परम्परागत पाठशालाओं के शास्त्री और आचार्यकक्षाओं के छात्रों को वजीफे देने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत छात्रों को क्रमशः 75/- रु० और 100/- रु० प्रति मास की दर से छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

4. संस्कृत साहित्य का निर्माण—दक्कन कालेज पूना को सहायक अनुदान :

दक्कन कालेज, पूना को, ऐतिहासिक सिद्धान्तों पर आधारित संस्कृत शब्दकोश तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है जोकि अनुसंधान अध्येताओं को पुराने कठिन संस्कृत पाठों की व्याख्या करने में सहायक होगा।

5. आदर्श संस्कृत पाठशाला :

संस्कृत का सार्थक रूप में कारगर और मानकीय विकास करने के लिए आदर्श संस्कृत संस्थायें स्थापित करने की दृष्टि से मन्त्रालय ने आदर्श संस्कृत पाठशालाओं की हाल ही में एक योजना तैयार की है, जिसमें केन्द्र द्वारा उन स्वैच्छिक संस्थाओं को मान्यता देने की परिकल्पना की गई है जो परम्परागत संस्कृत शिक्षा के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम आयोजित कर रही है। और जो छात्रों की न्यूनतम निर्धारित संख्या, परीक्षा परिणाम का स्तर, अर्हता प्राप्त स्टाफ इत्यादि की शर्तें पूरी करती हैं। सहायक अनुदान अनुमोदित आवर्ती खर्च का 95% और अनावर्ती खर्च का 75% की दर से दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत सात संस्थाओं की सहायता की जा रही है।

6. संस्कृत साहित्य का निर्माण :

इस योजना का मुख्य उद्देश्य अलग-अलग व्यक्तियों/संगठनों/अनुसंधान संस्थान/विश्व-विद्यालयों को संस्कृत भाषा और साहित्य से सम्बन्धित कृतियों के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। संस्कृत भाषा और साहित्य के प्रचार के लिए दुर्लभ संस्कृत पाण्डुलिपियों के आलोचनात्मक संस्करण का मुद्रण अनुपलब्ध संस्कृत कृतियों का मुद्रण और संस्कृत पत्रिकाओं का प्रकाशन।

7. संस्कृत के विकास के लिए केन्द्रीय योजना :

इसमें निम्नलिखित प्रमुख योजनाएं हैं :

(क) विपन्नावस्था में प्रख्यात संस्कृत पंडितों को वित्तीय सहायता

इस योजना के अन्तर्गत चुनिन्दा अध्येता को कुल 1800/-रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता दी जाती है। अभी तक इस योजना के अन्तर्गत लगभग 1200/- पंडित सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) संस्कृत का अध्ययन कर रहे उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के छात्रों को 10/-रुपये प्रतिमास की दर से छात्रवृत्तियां

इस योजना का उद्देश्य छात्रों में संस्कृति के प्रति क्षीण रुचि को समाप्त करना है और उन्हें संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना है जिसका भारतीय संस्कृत सभ्यता पर गहरा प्रभाव है।

(ग) माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत के अध्यापन की सुविधाएं उपलब्ध करना

माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत शुरू करने के लिए राज्यों को सहायता दी जाती है जिसमें संस्कृत अध्यापकों की नियुक्ति और साहित्यिक पुस्तकों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता देना शामिल है।

(घ) संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण

अंग्रेजी, गणित, समाज शास्त्र, सामान्य विज्ञान, क्षेत्रीय भाषाओं/मातृभाषा जैसे विषयों में प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ङ) संस्कृत के विकास और प्रोन्नति के लिए प्रतिरूपित योजनाओं को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के लिए राज्यों को 100/-रु० सहायता दी जाती है। इस समय इस योजना के अन्तर्गत 13 राज्य सहायताप्राप्त कर रहे हैं।

8. संस्कृत की प्रोन्नति और लोकप्रियता के लिए अन्य योजनाएं :

इस श्रेणी के अन्तर्गत कार्यान्वित किए जा रहे हैं 3 प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं : (i) देश में संस्कृत पाठशालाओं के छात्रों के लिए वार्षिक अखिल भारतीय वाग्मिता प्रतियोगिता आयोजित करना। (ii) वैदिक अध्येताओं की विभिन्न शाखाओं में सुविज्ञ वेद पाठिनों के लिए वैदिक सम्मेलन अथवा वैदिक संहिता का आयोजन ; (iii) परंपरागत वैदिक कविता पाठ का संरक्षण।

9. संस्कृत अध्येताओं को सम्मान प्रमाणपत्र देना और 5000/-रुपये प्रतिवर्ष का आर्थिक अनुदान।

यह योजना जो मूल रूप से गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही थी। छः संस्कृत विद्वानों को प्रति वर्ष 15 अगस्त को राष्ट्रपति पुरस्कार और 5000/-रुपये प्रति वर्ष का आर्थिक अनुदान देने की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, विद्वानों को इस समारोह में शाल के रूप में समान वस्त्र भेंट किया जाता है।

उड़ीसा में सूखे से प्रभावित गांवों की प्रतिशतता

98. श्री अर्जुन सेठी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा राज्य में सूखाग्रस्त घोषित गांवों की प्रतिशतता के बारे में कोई सर्वेक्षण किये हैं,

(ख) क्या सरकार ने फसल की हानि का कोई आकलन किया है, और

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य में जिलावार उसका क्या ब्यौरा है ;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) ? (क) तथा (ख)

1979-80 के दौरान राज्य सरकार द्वारा फसल कटाई के सम्बन्ध में आयोजित किए गए प्रयोगों के अनुसार 13 जिलों के लगभग 51 प्रतिशत ग्रामों की 50 प्रतिशत और उससे भी अधिक फसल को क्षति पहुंची है।

(ग) जिलेवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

जिले का नाम	जिले में ग्रामों की संख्या	ग्रामों की संख्या जहां 50 प्रतिशत तथा उससे अधिक फसल को क्षति पहुंची है।
1. बालासोर	4353	1048
2. बोलनगीर	2803	2407
3. कटक	6682	3919
4. ढेंकानल	3167	2806
5. गंजम	4532	1416
6. कलाहांडी	2812	2303
7. क्योंझर	2048	1782
8. कोरापुट	5766	1085
9. मयूरगंज	3972	2965
10. फूलबानी	4649	718
11. पुरी	4868	1501
12. सम्बलपुर	3598	2835
13. सुन्दरगढ़	1604	1468
योग	50854	26253

चीनी की कमी

99. **श्री बी० किशोरचन्द्र एस० देव :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में चीनी का वर्तमान स्टाक मांग से बहुत कम है ;

(ख) यदि हां तो आगामी मौसम तक चीनी की कमी को पूरा करने के लिये क्या प्रबन्ध किए गये हैं; और

(ग) आगामी चीनी-मौसम में चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) देश में उपलब्ध चीनी का मौजूदा स्टाक चीनी मौसम के लिए शेष महीनों की मांग के लिए कम नहीं है। लगभग 4 लाख मीटरी टन लेवी तथा खुली बिक्री की चीनी की सामान्य मासिक निर्मुक्ति करने पर चालू मौसम 1979-80 के अन्त तक आन्तरिक खपत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध है। अन्य महीनों की तुलना में वर्षा के मौसम में चीनी की मांग अपेक्षाकृत कम होती है।

(ग) : आगामी 1980-81 मौसम में चीनी का अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाने और उस तुलना में अपेक्षा कृत कम होती है।

मौसम के शुरू में चीनी की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु, पेराई कार्य शुरू शीघ्र करने पर उत्पादन शुल्क में रिबेट के रूप में चीनी फैक्ट्रियों को प्रोत्साहन देने से संबंधित एक योजना विचाराधीन है।

खाद्यान्नों का भंडार (स्टाक) और रबी फसल की वसूली

101. **श्री भीखा भाई :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्यान्नों का भंडार कितना है और यह कितनी अवधि के लिए पर्याप्त होगा : और

(ख) चालू वर्ष के दौरान सरकारी एजेंसियों द्वारा अब तक वसूली की गई रबी फसल के खाद्यान्नों की मात्रा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) सभी एजेंसियों के पास 1-5-80 को खाद्यान्नों का कुल अनुमानित स्टाक लगभग 137 लाख मीटरी टन था। स्टाक स्थिति हमेशा बदलती रहती है क्योंकि वसूली से स्टाक में वृद्धि होती है और स्टाक से खाद्यान्न देने से स्टाक में कमी होती है। क्योंकि वसूली तथा वितरण उत्पादन तथा बाजार में उपलब्धता जैसी कई बातों पर निर्भर करता है इसलिए उस अवधि के बारे में बताना सम्भव नहीं है जिसके लिए सरकार के पास फिलहाल उपलब्ध स्टाक पर्याप्त होगा।

(ख) जैसाकि 5-6-1980 तक सूचित किया गया है, चालू रबी विपणन मौसम 1980-81 के दौरान लगभग 55.03 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली की गई है।

उच्च शिक्षा के लिए हिन्दी माध्यम आरम्भ करने सम्बन्धी योजना

102. **श्री भीखा भाई :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अगले पांच वर्षों में उच्चतर शिक्षा के लिए हिन्दी को शिक्षा के माध्यम के रूप में आरम्भ करने की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है और उक्त योजना किस समय तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री

(श्री बी० शंकरानंद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा की 10+2+3 पद्धति अपनाए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण।

*103. **श्री चित्त महाटा :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 10+2+3 शिक्षा पद्धति अपनाये जाने

विश्वविद्यालयों से कहा है कि वे उसके अनुसार अपने पाठ्यक्रमों को आधुनिक बनाने की कार्यवाही करें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और विश्वविद्यालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने + 3 स्तर पर पाठ्यक्रमों को पुनर्गठित करने के लिए विश्वविद्यालयों को सितम्बर 1978 में कुछ मार्गदर्शी रेखाएं भेजी थीं।

(ख) मार्गदर्शी रेखाओं में वह सुझाव दिया गया है कि प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम तीन वर्ष की अवधि के होने चाहिए, किन्तु अन्तराल अवधि के दौरान विश्वविद्यालय एक दो-वर्षीय पास पाठ्यक्रम प्रदान कर सकते हैं। दो वर्षीय पास कोर्स को पूरा कर लेने वाले, ब्रिज पाठ्यक्रम के बाद ही उत्तर स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के पात्र होंगे। नई पद्यति के लागू होने से उत्पन्न होने वाले सुअवसर का उपयोग विश्वविद्यालयों द्वारा अपने पाठ्यक्रमों को अद्यतन तथा विविधा बनाने, विभिन्न पाठ्यक्रमों के विषयों के सम्मिश्रण में लचीलापन लाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम समुदाय की विकासात्मक आवश्यकता के अनुकूल है और उन्हें कार्यसाधक अथवा क्षेत्रीय अनुभव आदि के साथ जोड़ दिया गया है। जहां तक पाठ्यक पाठ्क्रमों की विषयवस्तु का सम्बन्ध है मार्गदर्शी रूप रेखाएं में चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों का सुझाव दिया गया है अर्थात् नं० 1 (i) विभिन्न क्षेत्रों की जागरूकता उत्पन्न करने के लिए बनाए गए स्थापना पाठ्यक्रमों का एक सैट (ii) छात्र को चुने हुए विषयों की व्यापक जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने वाले उस कोर पाठ्यक्रमों का एक सैट, इनमें एक पाठ्यक्रम का गहन अध्ययन भी शामिल हैं, (iii) कुछ प्रयुक्त अध्ययन/परियोजनाएं/क्षेत्रीय कार्यकलाप, और (iv) विस्तार कार्यक्रमों में सहयोग देना/आयोग ने शिक्षण तरीके तथा तकनीकी परीक्षा पद्धतियों में सुधार आदि को उपयुक्त अनुसंधापन की आवश्यकता पर भी बल दिया है।

ये मार्गदर्शी रेखाएं आवश्यक परिवर्तन करते समय विश्वविद्यालयों के शैक्षिक नियमों के विचार के लिए है। आयोग विश्वविद्यालयों द्वारा पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन से सम्बन्धित सूचना देने की प्रक्रिया भी आरम्भ कर रहा है।

'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए रोजगार

104. **प्रो० मधु दण्डवते :**

क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के द्वारा दिये गये रोजगार के सम्बन्ध में अगस्त अक्तूबर, 1979 में सर्वेक्षण किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के कारण रोजगार में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि लाभ प्राप्तकर्ताओं की कुल संख्या का अध्ययन किया गया है तो क्रमश: खेतिहर श्रमिकों, किसानों, गैर खेतिहर श्रमिकों तथा अन्य व्यक्तियों की प्रतिशतता क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1978-79 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम के माध्यम से नमूने के गांवों में प्रति चुने परिवार में अतिरिक्त रोजगार का सृजन गत वर्ष के मुकाबले 3 श्रमदिनों से लेकर 167 श्रमदिनों के बीच हुआ। सृजित अतिरिक्त रोजगार की सीमा गत वर्ष के मुकाबले 0.7 प्रतिशत से 76.1 प्रतिशत के बीच थी। जांच किए गांवों में सभी चुने लाभभोगियों के लिए रोजगार में समग्र प्रतिशत वृद्धि 10.9 प्रतिशत थी।

(ग) कुल लाभभोगियों में 50.6 प्रतिशत कृषि श्रमिक, 22.4 प्रतिशत काश्तकार, 19.7 प्रतिशत गैर-कृषि श्रमिक तथा 7.3 प्रतिशत अन्य थे।

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम

105. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए कितनी संस्थाएं और उनमें कितनी सीटें उपलब्ध हैं और गत तीन वर्षों में इन संस्थाओं में वास्तव में कितने छात्र आये हैं;

(ख) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में व्यावसायिक क्षेत्र में उत्तीर्ण छात्रों का रोजगार अथवा उच्चतर शिक्षा के सम्बन्ध में भविष्य क्या है; और

(ग) विचाराधीन क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जनशक्ति आयोजना और व्यावसायिक शिक्षा के समन्वय स्थापित करने के लिए राज्यों में उद्योगों और शिक्षा प्राधिकारियों के बीच सम्पर्क रखने हेतु बनाये जाने वाले तन्त्र का ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

(क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अर्जन के साथ अध्ययन

*106. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'अर्जन के साथ-साथ अध्ययन' के सिद्धान्त को छठी योजना में किस तरह कार्यान्वित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है; और

(ख) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों की श्रमिक क्षेत्रों (वर्किंग क्लास एरियाज) और छोटे शहरों में स्थित कालेजों में अंश-कालिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्या-क्या सुविधाएं देने का विचार है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

(क) "जीविकोपार्जन के साथ शिक्षा" के सिद्धान्त को, शिक्षा के सभी स्तरों विशेषकर उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा, पत्राचार पाठ्यक्रमों के लिए सुविधाएं, सांध्य कालेजों के अंशकालिक शिक्षा के जालतन्त्र के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है और अंश कालिक शिक्षा अन्य रूपों को छठी योजना के प्रारूप में यथा परिकल्पित प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है।

(ख) केन्द्रीय सरकार की यह नीति रही है कि उच्चतर शिक्षा की बढ़ती हुई मांग को व्यापक रूप से अंशकालिक पाठ्यक्रमों पत्राचार पाठ्यक्रमों आदि के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करके पूरा किया जाना चाहिए। इस प्रकार की सुविधाओं की जहां कहीं भी व्यवस्था की गई है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी उपलब्ध हैं। तथापि, अंशकालिक पाठ्यक्रमों को लागू करने के लिए कालेजों को निर्धारित करने के मामले में अंश कालिक पाठ्यक्रमों को व्यावहारिक बनाने के लिए उनमें दाखिले की पर्याप्त मांग, अंश कालिक कक्षाओं के लिए अध्यापन स्टाफ की उपलब्धता आदि जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित विश्वविद्यालयों से परामर्श करके निर्णय करना, राज्य सरकारों का काम है।

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम

107. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राथमिक शिक्षा का समान स्तर बनाने हेतु, प्राथमिक कक्षाओं के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के महत्व को दृष्टि में रखते हुए, इस स्कीम के अन्तर्गत सभी प्राथमिक स्कूलों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल जैसे शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए राज्यों के स्कूलों को सम्मिलित करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा किन उपायों के बारे में विचार किया गया है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान स्कूलों की संख्या, योजना लागू किए गए स्कूलों की संख्या, नामांकित छात्रों की संख्या, योजना लागू किए गए छात्रों की संख्या, इस मद के सम्बन्ध में केन्द्र और सम्बन्धित राज्यों द्वारा आवंटित और व्यय की गई राशि के सन्दर्भ में यह स्कीम राज्यों में वास्तविक रूप से किस सीमा तक लागू की गई है?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

(क) प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का उद्देश्य, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे, समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। 1980-85 के लिए, छठी पंचवर्षीय योजना, तैयार की जा रही है। छठी योजना के कार्यक्षेत्र के संक्षिप्त स्वरूप और सीमा की संकेत जानकारी देने का अभी समय नहीं आया है।

(ख) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 1978-79 के मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र की सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (विवरण—1) केन्द्र इस कार्यक्रम के लिए राज्यों को अलग से धनराशि का आवंटन नहीं करता। राज्यों को, केन्द्रीय सहायता खण्ड अनुदानों के रूप में दी जाती हैं। विशेष कार्यक्रम के लिए आवंटनों की व्यवस्थाएं राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने बजटों में की जाती हैं। पोषण क्षेत्र के लिए, जिसमें मध्यान्ह भोजन तथा विशेष पोषण कार्यक्रम शामिल हैं, केन्द्र द्वारा सिफारिश किए गए परिव्ययों के राज्यवार ब्योरे संलग्न विवरण (विवरण—2) में दिये गये हैं।

राज्यों द्वारा अपने-अपने योजनागत और योजनेतर बजटों में वास्तविक रूप से रखी गई तथा खर्च की गई धनराशि के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

वर्ष 1978-79 के मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में प्राथमिक स्कूल के बच्चों को शामिल करना

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्राथमिक स्कूलों की संख्या	मध्यान्ह भोजन (चौथे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के आंकड़े) में शामिल किए गये प्राथमिक स्कूलों की संख्या	प्राथमिक स्कूल दाखिला	मध्यान्ह भोजन में शामिल छात्रों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आन्ध्र प्रदेश	39,696	10,264	49,25,484	9,65 000
2.	असम	21,615	754	18,97,608	उपलब्ध नहीं।
3.	बिहार	50,867	594	62,82,477	6,31,750
4.	गुजरात	10,525	3,205	40,12,000	3,76,000
5.	हरियाणा	5,384	2,014	11,73,024	4,02,500
6.	हिमाचल प्रदेश	4,416	473	4,94,737	27,000
7.	जम्मू तथा काश्मीर	7,130	49	4,95,000	उपलब्ध नहीं।
8.	कर्नाटक	22,391	6,368	40,25,607	10,50,000
9.	केरल	6,970	5,835	32,30,612	17,89,000
10.	मध्य प्रदेश	53,572	7,654	44,33,918	10,57,750
11.	महाराष्ट्र	33,000	1,971	78,90,000	7,85,926
	[illegible]	3,516	—	2,03,010	शून्य

1	2	3	4	5	6
13.	मेघालय	3,477	15	1,95,587	10,291
14.	नागालैण्ड	1,114	—	1,29,618	7,500
15.	उड़ीसा	32,227	14,870	27,52 000	7,97,100
16.	पंजाब	12,404	2,197	21,06,055	3,09,081
17.	राजस्थान	20,831	7,058	25,33,245	4,00,500
18.	सिक्किम	300	228	37,582	31,225
19.	तमिलनाडु	27,505	26,632	61,21,498	20,25,000
20.	त्रिपुरा	1,572	—	2,09,836	शून्य
21.	उत्तर प्रदेश	69,244	5,503	1,21,60,979	11,26,525
22.	पश्चिम बंगाल	42,659	29,888	57,77,591	24,71,000
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	159	151	23,905	23,000
24.	अरुणाचल प्रदेश	841	215	49,409	17,000
25.	चण्डीगढ़	41	37	29,068	20,500
26.	दादर तथा नगर हवेली	134	133	13,515	13,448
27.	दिल्ली	1,629	83	6,59,000	1,38,300
28.	गोआ, दमन तथा दीव	951	308	1,45,532	18,416
29.	लक्षद्वीप	17	17	6,865	8,615
30.	मिजोरम	518	—	78,331	5,000
31.	पांडिचेरी	288	264	72,310	85,600
	भारत	4,74,993	1,26,780	7,21,65,403	1,45,03,527

1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 के वर्षों के लिए पौष्टिक आहार क्षेत्र हेतु सिफारिश किये गये वित्तीय परिव्यय

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1978-79	1979-80	1980-81
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	40.00	40.00	30.00
2.	बिहार	55.00	75.00	85.00
3.	गुजरात	13.50	10.25	15.05
4.	हिमाचल प्रदेश	10.80	9.00	13.00
5.	कर्नाटक	195.00	215.00	80.00
6.	केरल	10.00	15.00	164.00
7.	मध्य प्रदेश	123.00	219.00	70.00
8.	महाराष्ट्र	121.00	72.54	120.00
9.	मेघालय	—	2.00	4.00
10.	नागालैण्ड	3.50	2.50	4.00
11.	राजस्थान	10.00	—	—
12.	सिक्किम	7.00	4.50	10.00
13.	तमिलनाडु	30.00	—	1.76
14.	उत्तर प्रदेश	66.00	35.50	39.00
15.	पश्चिम बंगाल	280.00	284.00	168.00
16.	अरुणाचल प्रदेश	4.00	0.31	4.00
17.	चण्डीगढ़	6.44	9.00	21.6[illegible]
18.	दिल्ली	15.00	15.00	15.00
19.	गोआ, दमन तथा दीव	3.0	4.50	5.00
20.	मिजोरम	2.00	0.50	1.00
21.	पाण्डिचेरी	2.50	2.50	2.5[illegible]

—योजनेत्तर बजट के अन्तर्गत शामिल किये गये कार्यक्रम को दर्शाता है।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में वित्तीय सहायता के लिए पात्रता

108. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय कार्मिक संघ, किसान सभा, युवा संगठन, विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के सामूहिक संगठन और अखिल भारतीय सांस्कृतिक संगठन व्यस्क शिक्षा कार्यक्रम चलाने हेतु केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता लेने के पात्र नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ग) यदि सरकार इसे सामुदायिक कार्यक्रम समझती है तो उसका विचार किस प्रकार लोकप्रिय संगठनों को इस काम में शामिल करने का है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)

(क) से (ग) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वायत्त एजेन्सियों को वित्तीय सहायता देने की योजना के अन्तर्गत राजनैतिक दल और उनसे सम्बन्धित महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों और कृषकों के जन संगठन; अखिल भारतीय सांस्कृतिक धार्मिक और युवा संगठन; और शिक्षकों, छात्रों व्यापार और उद्योग के फेडरेशन संघ वित्तीय सहायता के पात्र नहीं हैं। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में उपरोक्त व्यवस्था करते समय यह परिकल्पना की गई थी कि ऐसे संगठन, योजना की सफलता के लिए वातावरण बनाने और प्रौढ़ शिक्षा के कार्य में संलग्न व्यक्तियों को प्रेरित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राष्ट्रीय, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के सभी पहलुओं की समीक्षा के लिए, अक्तूबर 1979 में डा० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में विकलांग छात्र

109. **श्री पीयूष तिरकी :**

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आजकल कितने विकलांग बच्चे पढ़ रहे हैं;

(ख) सरकारी स्कूलों में ऐसे बच्चों को बेहतर अथवा उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है; और

(ग) यदि ऐसे बच्चों को सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी जाती है, तो क्या सरकार स्कूलों में उन्हें पुस्तकें आदि मुफ्त दिए जाने पर विचार कर रही है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

(क) 59 (उन्सठ)

(ख) दिल्ली में अपंग बच्चों की सम्पूर्ण शिक्षा के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसके अन्तर्गत चार श्रेणियों के अपंग आते हैं :

(i) आंशिक रूप से दृष्टि विकार वाले।

(ii) हड्डी सम्बन्धी विकृति वाले।

(iii) मानसिक दृष्टि से कमजोर।

(v) कमजोर वाणी वाले।

इस योजना के अन्तर्गत राजकीय स्कूल में दाखिल बच्चों को निम्नलिखित सहायता दी जाती है।

परिवहन खर्च के लिए 10 माह तक 25 रुपये प्रति माह।

पुस्तकों और लेखन सामग्री के खर्च के लिए 150 रुपये प्रति वर्ष।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा

110. **श्री पीयूष तिरकी :**

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा की दसवीं कक्षा का अंग्रेजी का प्रश्नपत्र एक (कोर्स ए) अत्यन्त कठिन था और क्या प्रश्नपत्र पिछली परम्परा से हटकर बनाया गया था;

(ख) क्या अखिल भारतीय माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के अंग्रेजी प्रश्नपत्र एक (कोर्स ए) का स्तर हिन्दी माध्यम के विद्यालयों के लिए बनाए गए प्रश्नपत्र से कम था;

(ग) क्या सरकार का ध्यान विभिन्न समाचारपत्रों (दिनांक 15-3-80) के 'टाइम्स आफ इण्डिया' और हिन्दुस्तान टाईम्स के 'इवनिंग न्यूज' में प्रकाशित सम्पादकों के नाम पत्रों की ओर आकर्षित किया गया है;

(घ) क्या दिल्ली के और अखिल भारतीय परीक्षा के अंग्रेजी प्रश्नपत्रों एक (कोर्स ए) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे; और

(ङ) एक ही पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाए गए छात्रों के दो वर्गों की विभिन्न स्तर पर जांच करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानंद) :

(क) इस वर्ष प्रश्नपत्रों की पद्धति में पिछले वर्ष की पद्धति से कोई अन्तर नहीं किया गया था।

(ख), (ग), (घ) और (ङ) : अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल परीक्षा तथा दिल्ली माध्यमिक स्कूल परीक्षा के अंग्रेजी पेपर-1 (पाठ्यक्रम-क) के प्रश्नपत्र तुलनीय स्तरों के थे।

समाचारपत्रों में उल्लिखित शिकायत जैसे ही केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नोटिस में आई, तो मुख्य परीक्षक का ध्यान इस शिकायत की ओर आकर्षित किया गया और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाये गये थे कि छात्रों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

प्रश्नपत्रों की प्रतियां संदर्भ के लिए संसद के पुस्तकालय में रख दी गयी हैं।

दिल्ली के राजकीय विद्यालयों में विकलांग बच्चों को प्रवेश

111. **श्री पीयूष तिरकी :**

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विकलांग बच्चों को राजकीय विद्यालयों में प्रवेश देने के लिए कोई कोटा नियत किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी ऐसे बच्चों को उनकी विकलांगता के कारण राजकीय विद्यालयों में प्रवेश देने में उनकी उपेक्षा करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने ऐसे विकलांग बच्चों को दिल्ली में राजकीय विद्यालयों में शिक्षा दिलाने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

(क) स्कूल जाने वाले आयु के सभी दाखिला चाहने वाले बच्चों को, चाहे वे विकलांग हों अथवा नहीं, दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों में दाखिला दिया जाता है। चार राजकीय माडल स्कूलों में विकलांग बच्चों के लिए प्रत्येक स्कूल के कक्षा I में दस स्थान आरक्षित किए जाते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दब्कलग्राम शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाया जाना

112. **श्री गदाधर साहा :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने बीरभूम जिला, पश्चिम बंगाल के दब्कलग्राम शाखा डाकघर को बर्दवान डाक क्षेत्राधिकार से निकाल कर उसे बीरभूम डाक क्षेत्राधिकार में रखकर उसका दर्जा बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) :

निर्धारित मानदंडों के अन्तर्गत इस समय दब्कलग्राम शाखा डाकघर का दर्जा विभागीय उप डाकघर स्तर तक बढ़ाने हेतु औचित्य नहीं बनता है। शाखा डाकघर को बर्दवान डाक मंडल से बीरभूम डाक मंडल में स्थानांतरित करने का मामला पश्चिम बंगाल सर्किल के पोस्टमास्टर जनरल के विचाराधीन है।

पश्चिम बंगाल में बीरभूम के अन्तर्गत दब्कलग्राम में पब्लिक काल आफिस

113. **श्री गदाधर साहा :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में ननूर प्रखण्ड के अन्तर्गत दब्कलग्राम में स्थित डाकघर (पी० सी० ओ०) में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) :

दब्कलग्राम में सार्वजनिक टेलीफोन घर सुविधा स्वीकृत करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

राज्यों में सूखा और सूखे से राहत के उपाय

114. श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष तथा 1979 के दौरान प्रत्येक राज्य में सूखे से पीड़ित क्षेत्रों तथा प्रत्येक क्षेत्र में सूखे से प्रभावित लोगों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य को हर वर्ष नकद तथा वस्तुओं के रूप में अलग-अलग दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) "कार्य के बदले अनाज" कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को दिए गए अनाजों (वस्तु-वार तथा मात्रा-वार) का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में भारत में स्थित विदेशी स्वयंसेवी संस्थाओं से भी कोई सहायता स्वीकार की गई है, और

(ङ) यदि हां, तो उन स्वयंसेवी संस्थाओं के नाम क्या हैं और उनके द्वारा कितनी-कितनी सहायता दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) संलग्न विवरण 1 तथा 2 में ब्यौरा दे दिया गया है।

(ख) तथा (ग) विवरण 3 तथा 4 में ब्यौरा दे दिया गया है।

(घ) तथा (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और अलग से सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण-1

सूखे से प्रभावित जनसंख्या तथा सूखाग्रस्त फसल क्षेत्र

1979-80

राज्य	प्रभावित जनसंख्या (लाख)	सूखाग्रस्त फसल क्षेत्र (लाख हैक्टर)
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	125.00	40.00
2. बिहार	473.00	30.00
3. हरियाणा	30.00	17.00
4. हिमाचल प्रदेश	27.00	4.90
5. जम्मू व कश्मीर	2.69	2.13
6. मध्य प्रदेश	279.00	88.00
7. महाराष्ट्र	53.14	10.23
8. उड़ीसा	115.00	43.18
9. राजस्थान	240.00	30.00
10. उत्तर प्रदेश	773.00	105.00
11. पश्चिम बंगाल	87.00	15.55
कुल	2204.83	385.99

विवरण-2

1980-81 में सूखे से प्रभावित जनसंख्या तथा सूखाग्रस्त फसल क्षेत्र

राज्य	प्रभावित जनसंख्या (लाख)	सूखाग्रस्त फसल क्षेत्र (लाख हैक्टेअर)
1. आन्ध्र प्रदेश	125.00	40.00
2. बिहार	433.00	30.00
3. गुजरात	60.00	11.24
4. हिमाचल प्रदेश	34.00	4.90
5. मध्य प्रदेश	267.00	90.08
6. उड़ीसा	134.00	35.22
7. राजस्थान	240.00	30.00
8. उत्तर प्रदेश	773.00	105.00
	2066.00	346.44

गेहूं की वसूली के लिए योजना

115. **श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गेहूँ की वसूली के लिए एक योजना बना ली है और योजना को कार्यरूप दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी व्योरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष गेहूं की कम मात्रा में वसूली होने की सम्भावना है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ङ) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा निर्धारित की गई वसूली कीमत से किसान असन्तुष्ट है; और

(च) यदि हां, तो इस सम्वंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

कृषि मंत्रालय में राय मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) और (ख) : सरकार ने गत मार्च में विपणन मौसम 1980-81 के लिए उचित औसत किस्म की गेहूँ की सभी किस्मों के लिए 117/- रु० प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की थी और अतीत की भांति उक्त मूल्य पर बिक्री के लिए पेश की गई उचित औसत किस्म की गेहूँ की किन्हीं किस्मों की किसानों से सीधे खरीदारी की। तदनुसार खरीदारी की जा रही है।

(ग) जी हां।

(घ) मण्डी में कम आमद और ऊंचे मूल्य इसके मुख्य कारण हैं।

विवरण-3

1979-80 के दौरान सूखे से प्रभावित राज्यों को नकद तथा वस्तु के रूप में दी गई सहायता

राज्य का नाम	व्यय की अधिकतम सीमा (करोड़ में)	अल्पकालीन ऋण	कार्य के बदले अनाज व कार्य के बदले अनाज का विशेष कार्यक्रम (लाख मीटरी टन में)			पोषण कार्यक्रम के लिए अनाज		
			गेहूं	चावल	कुल	गेहूं	चावल	कुल (मीटरी टन में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. आन्ध्र प्रदेश	22.05	18.00	—	2.25	2.25	—	6700	6700
2. बिहार	11.82	10.73	2.43	1.03	3.46	500	12000	12500
3. हरियाणा	4.50	7.00	0.64	0.06	0.70	4200	—	4200
4. जम्मू व कश्मीर	2.79	0.80	0.225	0.225	0.450	—	3500	3500
5. मध्य प्रदेश	22.80	8.97	1.475	2.025	3.500	5000	15000	20000
6. महाराष्ट्र	8.54	7.00	0.86	0.50	1.36	—	—	—
7. उड़ीसा	14.05	5.00	0.345	1.965	2.318	—	6700	6700
8. राजस्थान	28.75	9.00	3.06	—	3.06	5800	900	5900
9. उत्तर प्रदेश	34.91	33.00	3.70	2.09	5.79	5150	28350	33500
10. प० बंगाल	13.04	13.00	0.45	1.70	2.15	—	6700	6700
11. हिमाचल प्रदेश	3.70	1.00	0.185	0.110	0.295	—	—	—
योग	156.95	113.50	13.370	11.955	25.325	19850	79850	99700

विवरण-4

वर्ष 1980-81 के दौरान सूखे से प्रभावित राज्यों को नकद तथा वस्तु के रूप में दी सहायता।

राज्य का नाम	व्यय की अधिकतम सीमा	अल्पकालीन ऋण (करोड़ के)	कार्य के बदले अनाज व कार्य के बदले अनाज का विशेष कार्य-क्रम. (लाख मीटरी टन में)			पोषण कार्यक्रम के लिए अनाज (गेहूं, चावल, कुल मीटरी टन में)
			गेहूं	कपास	कुल	गेहूं चावल कुल
1	2	3	4	5	6	7 8 9
1. आन्ध्र प्रदेश	19.64	5.00	—	0.63	0.63	राज्य सरकारों को
2. बिहार	24.82	4.00	0.22	0.88	1.10	सूचित किया गया
3. गुजरात	—	4.00	0.087	0.013	0.10	है कि 1979-80
4. हिमाचल प्रदेश	**	0.10	0.016	0.064	0.080	के दौरान उनको
5. मध्य प्रदेश	47.90	2.00	0.398	1.192	1.99	आवंटित किया गया
6. उड़ीसा	17.39	5.00	—	0.82	0.82	खाद्यान्न उपयोग के
7. राजस्थान	20.10	4.00	0.9625	0.1375	1.10	लिए सितम्बर, 1980
8. उत्तर प्रदेश	47.52	8.00	0.585	1.365	1.95	के अन्त तक उपलब्ध रहेगा।
कुल	177.37	32.10	2.2685	5.5015	7.77	

**केन्द्रीय दल ने 27 से 30 मई, 1980 तक हिमाचल प्रदेश राज्य का दौरा किया। राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति द्वारा केन्द्रीय दल की सिफारिशें स्वीकार होने के बाद ही केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की जाएगी।

(ङ) उत्तर प्रदेश और बिहार से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें गेहूँ के अधिक वसूली मूल्य की मांग की गई है।

(च) सरकार ने केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। किसान मण्डी में चल रहे सर्वोत्तम मूल्यों पर अपनी पैदावार बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश पर विचार करने और राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद समर्थन मूल्य निर्धारित किता गया है और बताया जाता है कि ये मूल्य न केवल उनकी उत्पादन लागत को पूरा करते हैं, बल्कि उनको पर्याप्त मुनाफा भी सुलभ करते हैं। 5-6-1980 तक इस मूल्य पर कुल 55 लाख मीटरी टन गेहूं की पहले ही वसूली की जा चुकी है।

पश्चिम बंगाल में विकास कार्य

116. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

श्री सुधीर कुमार गिरि :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इस्पात, सीमेंट, बीटुमैन और माल डिब्बों की अनुपलब्धता के कारण पश्चिम बंगाल में नगरीय विकास कार्यों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) :

(क) से (ग) : कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण अपने विकास कार्यक्रम के लिए इस्पात, सीमेंट, बीटुमैन तथा वैगनों की कमी को इस मंत्रालय के ध्यान में लाया है। इस मामले को संबंधित मंत्रालयों के साथ उठाया गया था, जिन्होने आवश्यकताओं पर ध्यान दिया और देश में ऐसी सामग्री की समग्र आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यथा संभव सीमा तक इस कमी को पूरा किया है।

केरल-कृषि उद्योग निगम की शेयर पूंजी रिलीज करना

117. **श्री ए० नीललोहिथादसन नाडार :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल कृषि उद्योग निगम के प्रबंध निदेशक ने केन्द्र सरकार से केरल कृषि उद्योग निगम को केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1977-78 और 1978-79 के लिए शेयर पूंजी अंशदान के रूप में दी जाने वाली 55,71,600 रुपए की राशि को जारी करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है,

(ग) क्या केन्द्र सरकार राशि को पहले ही जारी कर चुकी है,

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ङ) क्या सरकार का राशि को शीघ्रातिशीघ्र जारी कर देने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) जी, हां।

(ख) से (ङ) तक :

इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

महाराष्ट्र में खोले जाने वाले डाक और तारघर

118. श्री आर० के० महालगी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान देश में कितने डाक/तारघर खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान महाराष्ट्र राज्य (जिलावार) में कितने डाक/तारघर खोले जाएंगे ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) :

(क) 1980-81 के दौरान देशभर में लगभग 5,000 डाकघर तथा 2,500 तारघर खोलने का फिलहाल प्रस्ताव है। ये आंकड़े 1980-85 की संशोधित पंचवर्षीय योजना के अनुसार परिवर्तन के आधार पर है जिसे योजना आयोग द्वारा अंतिम मंजूरी दी जानी है।

(ख) 1980-81 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में प्रस्तावित अस्थायी रूप से खोले जाने वाले डाकघरों की जिलेवार संख्या नीचे दी गई है :—

क्रम सं०	जिला	खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों की संख्या
1.	अहमदनगर	7
2.	अकोला	10
3.	अमरावती	25
4.	औरंगाबाद	15
5.	बीड	10
6.	बुलदाना	10
7.	भंडारा	13
8.	चंदा	30
9.	धुली	25
10.	जलगांव	5
11.	कोलाबा	30
12.	कोल्हापुर	35
13.	नागपुर	12
14.	नानहेड़	10
15.	नासिक	35
16.	उस्मानाबाद	17
17.	परभनी	10
18.	पुणे	15
19.	रत्नगिरी	54

20.	सांगली	2
21.	सतारा	30
22.	शोलापुर	5
23.	थाना	55
24.	वारधा	17
25.	यवतमाल	18

1980-81 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में प्रस्तावित अस्थायी रुप से खोले जाने वाले तारघरों की जिलेवार संख्या नीचे दी गई है :—

क्रम सं०	जिला	खोले जाने वाले प्रस्तावित तारघरों की संख्या
1.	अहमदनगर	12
2.	औरंगाबाद	10
3.	अमरावती	13
4.	अलीबाग	6
5.	अकोला	7
6.	बांदरा	12
7.	भीर	12
8.	बुलधाना	8
9.	चांदा	12
10.	धुलिया	25
11.	जलगांव	26
12.	कोल्हापुर	25
13.	नानदेड	9
14.	नागपुर	12
15.	नासिक	14
16.	उस्मानाबाद	19
17.	परभनी	10
18.	पुणे	15
19.	रत्नगिरी	25
20.	सांगली	20
21.	सतारा	17
22.	शोलापुर	18
23	थाना	10
24.	वारधा	12
25.	यवतमाल	13

अतिरिक्त विभागीय कार्यकर्ता

119. **श्री सत्य गोपाल मिश्र :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि डाक तथा तार विभाग के काफी संख्या में अतिरिक्त कार्यविभागीय कार्यकर्ता "गुलाम" सेवा पद्धति (स्लेव सिस्टम आफ सर्विस) के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं और अपने काम का बहुत ही कम पारिश्रमिक पाते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन अतिरिक्त विभागीय कार्यकर्ताओं की सेवा की शर्तों की उन सामान्य सुविधाओं, जिनका कि दूसरे वर्ग के कर्मचारी उपभोग कर रहे हैं, से भी वंचित रखा जाता है; और

(ग) इन कार्यकर्ताओं की सेवाओं को नियमित करने तथा उनकी सेवा की शर्तों में सुधार करने के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) :

(क) यह कहना सही नहीं है कि विभागेतर एजेन्ट "गुलाम सेवा पद्धति के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं।" वे अपनी इच्छानुसार कभी भी सेवा से त्यागपत्र दे सकते हैं। विभागेतर एजेन्टों का पारिश्रमिक उनके कार्यभार एवं जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। उनको दिए जाने वाले पारिश्रमिक की दो वर्ष में एक बार पुनरीक्षा की जाती है और पिछली बार 1-9-1979 को इनमें वृद्धि की गई थी। अतः सरकार यह नहीं स्वीकार करती कि उन्हें बहुत कम पारिश्रमिक दिया जा रहा है।

(ख) विभागेतर एजेन्ट अंशकालिक कर्मचारी हैं और उन्हें अन्य व्यवसाय अपनाने की छूट है। उन ी सेवा शर्तें सरकार के पूर्णकालिक कर्मचारियों की सेवा शर्तों के समान नहीं हो सकती हैं।

(ग) सभी विभागेतर एजेन्टों को विभाग के नियमित कर्मचारी के रूप में समाहित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विभागेतर कर्मचारियों का ग्रुप "डी" पदों एवं पोस्टमैन संवर्ग के पदों पर चयन के लिए उन्हें पर्याप्त अवसर पहले ही प्रदान किए गए हैं। सरकार विभागेतर एजेन्टों की सेवा शर्तों में सुधार की आवश्यकता के प्रति सजग है और उनकी निरंतर पुनरीक्षा की जाती है।

केन्द्र द्वारा त्रावनकोर हाउस केरल सरकार को हस्तान्तरित किया जाना

120. **श्री के० ए० राजन :**

क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि नई दिल्ली स्थित त्रावनकोर हाउस राज्य सरकार को हस्तान्तरित कर दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार का क्या निर्णय है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी)

(क) जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध ठंडा करने के संयंत्रों और दुग्ध उत्पादों के उत्पादन को बन्द करना

121. श्री के० ए० राजन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में दिल्ली दुग्ध योजना के लिए दूध को गरम तथा ठंडा करने के लगभग 30 अवशीतन केन्द्रों को बन्द कर दिया गया है,

(ख) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के पनीर मक्खन, घी और आइस क्रीम जैसी वस्तुओं का उत्पादन बन्द कर दिया गया है,

(ग) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के कुछ संयंत्र और मशीनों को नीलाम कर दिया गया है अथवा गुजरात में आनन्द स्थित अमूल डेरी को अवन्तरित कर दिया गया है,

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस योजना को बन्द करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) संबंधित राज्य एजेंसियों द्वारा शुरू किए गए कार्यकलापों के माध्यम से दुग्ध योजना को सप्लाई होने वाले दूध की मात्रा में क्रमशः वृद्धि होने के परिणामस्वरूप 1962 और 9-1-1980 के बीच उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान में 20 प्रतिशत केन्द्र बन्द किए गए थे।

(ख) मक्खन तथा घी बनाने का कार्य अब भी जारी है। दिल्ली दुग्ध योजना ने किसी भी समय पनीर तैयार नहीं किया है। आइस क्रीम की तैयारी बन्द कर दी गई है।

(ग) और (घ)

दिल्ली दुग्ध योजना के ऐसे उपस्करों व मशीनों को जो फालतू थे या कार्य करने के योग्य नहीं थे, दिल्ली दुग्ध योजना के हितों को ध्यान में रखते हुए निपटान हेतु भारतीय डेरी निगम को सौंप दिए गए थे। पनीर बनाने वाला संयंत्र अमूल डेरी को बेच दिया गया है क्योंकि उसने अधिक मूल्य देने की पेशकश की थी।

(ङ) जी नहीं।

झींगा मछली के स्रोतों का पता लगाना

122. श्री के० ए० राजन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में वैज्ञानिकों के एक दल, जिसने कि भारत के समुद्र-तटीय पानी में झींगा मछलियों के स्रोतों की जांच की थी, ने यह इंगित किया है कि निकट भविष्य में झींगा मछली उद्योग को अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ेगा, और

(ख) क्या सरकार का विचार जांचों के निष्कर्षों का एक विवरण सदन के पटल पर रखने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) तथा (ख) भारत सरकार ने मार्च, 1979 में एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में झिम्प तथ

अन्य संसाधनों के संरक्षण के विषय में केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है। अभी समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

गांव में ग्रामीण डायल व्यवस्था

123. **श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों में ग्रामीण डायल व्यवस्था आरम्भ करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश में यह योजना किस सीमा तक आरम्भ की गई है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों के टेलीफोन एक्सचेंजों में, जहां भी सम्भव हो, परस्पर अन्तर डायलिंग सुविधायें उपलब्ध कराने की एक सामान्य योजना तैयार की जा रही है।

(ग) आन्ध्र प्रदेश के 113 टेलीफोन एक्सचेंजों में परस्पर अन्तर-डायलिंग की एक सीमित योजना प्रयोगात्मक आधार पर आरम्भ की गई है।

गेहूं के उत्पादन में कमी

124. **श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गत वर्ष मानसून की वर्षा न होने के कारण देश में गेहूं के उत्पादन में कमी की प्रत्याशा कर रही है अथवा इसके उत्पादन में कमी है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है, और सरकार का इस स्थिति से किस प्रकार निपटने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) अभी 1979-80 की अवधि में गेहूं के उत्पादन के पक्के अनुमान सभी राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, मौजूदा संकेतों से पता चलता है कि 1978-79 की अवधि के 350 लाख मीटरी टन उत्पादन की तुलना में 1979-80 में गेहूं के उत्पादन में 20 या 30 लाख मीटरी टन की गिरावट आएगी। हमारी स्टाक सम्बन्धी स्थिति इतनी अच्छी है कि इस कमी से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी।

राष्ट्रीय निर्माण की गतिविधियों में युवाओं को शामिल किया जाना।

125. **श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में युवाओं को राष्ट्रीय निर्माण की गतिविधियों में शामिल करने की कोई योजना विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द : (क) और (ख)

देश के विकास के लिए यह अपरिहार्य है कि राष्ट्रीय निर्माण कार्यकलापों में छात्र और युवक भाग लें। इस सम्बन्ध में कुछ प्रमुख योजनायें निम्नलिखित हैं :

1. राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसका उद्देश्य छात्रों को सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा सम्बन्धी कार्यकलापों में स्वयं भाग लेने के योग्य बनाना है ;
2. नेहरू युवक केन्द्र, जिनके माध्यम से गैर छात्र युवक मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्र निर्माण के कार्यकलापों में भाग ले सकते हैं;
3. राष्ट्रीय सेवा कर्मी योजना में, छात्रों को अपना प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद अनौपचारिक शिक्षा तथा ग्रामीण विकास कार्यकलापों में पूर्णकालिक आधार पर स्वयं भाग ले सकने की व्यवस्था है ;
4. स्काउटिंग तथा गाइडिंग की प्रोन्नति सहित गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता;
5. राष्ट्रीय कैडिट कोर जिसने हाल ही के वर्षों में सामाजिक सेवा का महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया है ; तथा
6. युवक मण्डलों और महिला मण्डलों को सहायता तथा प्रोत्साहन।

"हुडको" के अन्तर्गत मकानों का निर्माण

126. **श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी**

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "हुडगो" योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980 के दौरान राज्यवार बनाए जाने वाले मकानों की संख्या कितनी है; और

(ख) इस बारे में अन्य ब्योरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) सामान्यतया हुडको मकानों का निर्माण का कार्य नहीं करता लेकिन आम जनता (ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रों में) वेसे के लिए मकानों का निर्माण करने हेतु समस्त देश के निर्माण अभिकरणों को तथा सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में निगम के मालिकों को अपने कर्मचारियों को बसाने के लिए निधियां देता है। हुडको द्वारा अब तक स्वीकृत मकानों का एक विवरण संलग्न है। हुडको से ऋण लेने वाले अभिकरणों द्वारा जिस गति से मकानों का निर्माण किया जाता है वह कई बातों पर निर्भर करता है जैसे कि :

(i) भवन निर्माण सामग्री की उपलब्धता

(ii) नगर निगम, बिजली बोर्ड जैसे बाहर के अभिकरणों द्वारा जलपूर्ति, बिजली, मल जल आदि जैसी अनिवार्य सेवाओं की व्यवस्था

(iii) मौसमी कारण जिससे निर्माण कार्य की गतिविधियों में रुकावट पड़ती है।

(iv) ठेकेदारों के साथ समस्याएं और निर्माण कार्यों आदि को पुनः ठेके पर देने के कारण देरी।

अत: ऋण लेने वाले अभिकरणों द्वारा उन मकानों की सही संख्या का अनुमान लगाना संभव नहीं है जो 1980 के दौरान हुडको की वित्तीय सहायता से बनाए जाएंगे। तथापि, वर्ष 1980 के दौरान पूरे किए जाने वाले संभावित कुल रिहायशी मकानों की मोटे तौर पर संख्या 50,000 के करीब है जो विभिन्न आय वर्गों से सम्बन्धित है।

विवरण

हुडको द्वारा स्वीकृत ऋण, रिहायशी मकानों के बारे में राज्यवार सूचना आरम्भ से 30-4-1980 तक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत ऋण (करोड़ रुपयों में)	स्वीकृत रिहायशी मकानों की संख्या
आंध्र प्रदेश	45.62	65427
असम	2.19	1076
बिहार	18.30	9796
गुजरात	74.54	96771
हरियाणा	25.99	15709
हिमाचल प्रदेश	3.00	1401
जम्मू व कश्मीर	4.90	2403
कर्नाटक	35.67	112425
केरल	27.56	63847
मध्य प्रदेश	30.95	20883
महाराष्ट्र	36.32	32155
उड़ीसा	16.44	11598
पंजाब	15.12	16018
राजस्थान	41.83	32658
तमिलनाडु	57.90	53131
उत्तर प्रदेश	68.77	54432
पश्चिम बंगाल	23-39	41829
संघ राज्य क्षेत्र		
चण्डीगढ़	11.88	7415
दिल्ली	19.82	13251
गोआ, दमन व दीव	0.22	226
पांडिचेरी	0-17	149
कुल :	559-28	622601

जावरा शुगर मिल्स के श्रमिकों को मजूरी, वेतन आदि का भुगतान न किया जाना

127. **श्री आनन्द पाठक :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जावरा शूगर मिल्स जावरा (मध्य प्रदेश) के प्रबन्धकों ने मिल के श्रमिकों को कई महीनों और वर्षों से मजूरी, वेतन, बोनस, प्रतिधारण भत्ता, समयोपरि भत्ता का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इन लेखों में कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है और सरकार ने यह राशि वसूल करने और श्रमिकों को उसका भुगतान करने के लिये क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार को यह भी पता है कि उक्त मिल के प्रबन्धकों ने गन्ना-उत्पादकों की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी राशि बकाया है और यह राशि वसूल करने और गन्ना उत्पादकों को उसका भुगतान करने के लिये क्या कार्रवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) और (ख) चीनी मिल मजदूर संघ, जावरा से प्राप्त दिनांक 9 मार्च, 1980 के अभ्यावेदन के अनुसार जावरा शुगर मिल्स के प्रबन्ध ने निम्नलिखित मजदूरी, वेतन आदि का भुगतान नहीं किया था :—

		(लाख रुपयों में)
"(1) अगस्त, 1979 से फरवरी, 1980 तक सात महिनों का वेतन	...	रु० 12.00
(2) 1975 से 1979 तक चार वर्षों का बोनस	...	रु० 4.20
(3) 1975 से 1979 तक का रिटेनिंग भत्ता	...	रु० 5.64
(4) 1976 से 1980 तक का समयोपरि भत्ता	...	रु० 1.20
(5) अनिवार्य जमा योजना के बकाया	...	रु० 2.00
(6) भविष्य निधि की राशि	...	रु० 8.00
(7) सेवा निवृत्त कर्मचारियों की ग्रेच्यूटि	...	रु० 2.00
(8) मिल में कार्य कर रहे 1200 कर्मचारियों की ग्रेच्यूटि	...	रु० 30.00
(9) कर्मचारियों को ग्रेच्यूटि सहित कुल बकाया राशि	...	रु० 65.00

(10) उत्तर प्रदेश बोर्ड के अन्तर्गत मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कारण मंहगाई भत्ता और उपर्युक्त राशि के अलावा कर्मचारियों को फ़ैमिली पेंशन देना भी अपेक्षित है।" भ्यावेदन को राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है क्योंकि इसका उन्हीं से सम्बन्ध है ।

(ग) और (घ) : जावरा शुगर मिल्स द्वारा प्रस्तुत की गई रिटर्न के अनुसार 22 मार्च 1980 को गन्ने के मूल्य की कुल बकाया राशि 30.80 लाख रुपये थी । मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है कि विशेषकर मुक्त बिक्री की चीनी के मूल्य में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वे गन्ने के मूल्य के बकायों को तुरन्त कम करवाना सुनिश्चित करें ।

शहरी भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम में संशोधन

128. **श्री नवीन रवाणी :**

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी भूमि की अधिकतम सीमा और विनियमन अधिनियम को सख्ती से लागू करने के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं; और

(ख) विभिन्न राज्यों, विशेष रूप से महानगरों में, इस अधिनियम के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) :

(क) तथा (ख) : नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के लागू होने के तुरन्त बाद ही, इसके कार्यान्वयन के प्रबोधन के लिए राज्यों तथा भारत सरकार के प्रतिनिधियों की एक केन्द्रीय समन्वय समिति का गठन किया गया था। समिति के विचार विमर्श के फलस्वरूप शंकाओं का समाधान करने तथा अधिनियम के कार्यान्वयन में मोटे तौर पर एकरूपता प्राप्त करने के लिए राज्यों को कई मार्ग-निर्देशन जारी किए गए। जनवरी, 1978 में भारत सरकार ने इस समिति के स्थान पर सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय की अध्यक्षता में चार क्षेत्रीय समितियां बनाईं। ये समितियां प्रत्येक क्षेत्र में अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति का पुनरीक्षण करने, समस्याओं पर चर्चा करने तथा उनके समाधान के उपाय सुझाने के लिए बनाई गई हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिनियम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है। इस सम्बन्ध में शहर-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

दिल्ली टेलीफोन सहायता सेवा

129. **श्री नवीन रवाणी :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली टेलीफोन की पूछताछ, सहायता सेवा डायरेक्ट्री नम्बर पूछताछ नम्बर जैसे कि 199, 197, 198 आदि ठीक प्रकार का कार्य नहीं कर रहे तथा ग्राहक की आपरेटरों के विरुद्ध बहुत शिकायतें हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली टेलीफोन सेवा को सुव्यवस्थित करने तथा उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस वर्ष दिल्ली में कितने नये टेलीफोन केन्द्र खोले गये तथा कितने खोले जाने की योजना है तथा कितने नये आवेदकों को कनेक्शन दिये गये है ?

संचार मंत्री (श्री सी०एम० स्टीफन) :

(क) जी नहीं, 197 और 198 सेवायें पूर्णतया संतोषप्रद कार्य कर रही हैं। केवल '199' सेवा पर अत्यधिक भार होने के कारण कुछ शिकायतें हुई हैं।

(ख) 199 सेवा में 15 अतिरिक्त पोजीशनें जोड़ी जा चुकी हैं। 9 और पोजीशनों की स्थापना हेतु आदेश जारी कर दिए गए है।

विवरण

21 अप्रेल, 1980 के अनुसार

भाग-6

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति

क्रमांक	राज्य का नाम	आधिक्य रिक्त भूमि के बारे में प्राप्त विवरणियों की संख्या	जांच की गई विवरणियों की संख्या	अन्तिम रूप से निपटाई गई विवरणियों की संख्या	जांच के पश्चात् आधिक्य रिक्त भूमि का अनुमान (हैक्टेयर में)	अर्जित की गई तथा राज्य सरकारों के पास रखी हुई रिक्त भूमि की सीमा (हैक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश2	27,007	14,995	1,260	3,297.89	49.94
2.	असम	538	—	—	—	—
3.	बिहार	2,193	127	2	160	0.21
4.	गुजरात	40,515	7,398	142	64,622.00	64.27
5.	कर्नाटक	68,987	15,170	196	11,471.00	72.45
6.	महाराष्ट्र	64,049	57,213	122	53,522.00	765.00
7.	मध्य प्रदेश	7,422	6,735	381	11,289.418	182.52
8.	उड़ीसा	571	86	167	28.346	—
9.	पंजाब	5,602	3,151	1,072	793.00	10.50
10.	राजस्थान	9.424	1,586	86	6,817.46	9.1572

1	2	3	4	5	6	7
11.	उत्तर प्रदेश	1,18,709	86,215	·6,626	13,784.10	210.37
12.	पश्चिमी बंगाल	29,502	9,355	301	5,007.00	32.23
	संघ राज्य क्षेत्र					
1.	चण्डीगढ़ प्रशासन	164	32	3	—	—
2.	दिल्ली प्रशासन	8.097	6,505	1,908	55.0483	—
3.	पांडिचेरी	716	250	—	75.00	—
4.	छावनी क्षेत्र	3,906	3,794	711	871.96	शून्य
	कुल :	3,87,402	2,13,312	12,977	1 71,804.60	1393.64

(ग) जनवरी, 80 से तीन नये एक्सचेंज तीस हजारी '23' राजौरी गार्डन 11 '50' और जनकपुरी '55' खोले गये हैं और ये एक ही योजना के अन्तर्गत हैं। इस अवधि के दौरान फरीदाबाद एक्सचेंज में 900 लाइनों, बादली का 200 लाइनों तथा चाणक्यपुरी की 700 लाइनों का विस्तार किया गया। इस वर्ष नये एक्सचेंज राजोरी गार्डन 111 का 10,000 लाइनों में, जनकपुरी का 700 लाइनों में, बदरपुर का 100 लाइनों में तथा अलीपुर का 100 लाइनों के विस्तार की योजना है। 1-1-80 से 38-4-80 के दौरान अनिर्णीत पड़े हुए 11, 185 नये आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए।

सवाई माधोपुर (राजस्थान) में तीतरों और खरगोशों का शिकार

130. **श्री पी० के० कोडियन :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वन्य पशु संरक्षण अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत तीतरों को मारना अपराध है,

(ख) क्या सरकार को पता है कि सवाई माधोपुर (राजस्थान) के वन में लगभग एक दर्जन तीतरों और कुछ खरगोशों को मारा गया था,

(ग) क्या वन विभाग के श्रमिकों ने इस मामले में शिकायत दायर की है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) तीतरों का शिकार अपराध नहीं है, बशर्ते यह सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए शिकार परमिट के तहत किया जाए।

(ख) से (घ)

जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित की जाने वाली कालोनियों के "ले-आउट प्लान" का अनुमोदन

131. **श्री पी० के० कोडियन :**

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियमित की जाने वाली अनधिकृत कालोनियों के "ड्राफ्ट ले आउट प्लान" के बारे में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों की दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में लक्ष्मीनगर और शक्करपुर से (एक) वैयक्तिक और (दो) ब्लाक समितियों से प्राप्त हुए आपत्तियों/सुझावों की संख्या क्या है;

(ग) कितने सुझाव/आपत्तियां स्वीकार/अस्वीकार की गई;

(घ) क्या अन्तिम प्लान को प्रकाशित किया जाएगा;

(ङ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस समय मकानों का निर्माण कर रहे व्यक्तियों को नोटिस भेजे हैं जिनमें उनसे अपना निर्माण गिराने के लिए कहा गया है यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(च) क्या उन लोगों को भी नोटिस भेजे गए हैं जिनके प्लाट "ले आउट प्लान" द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं; और

यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री पी० सी० सेठी :

(क) जी, नहीं ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि (i) व्यक्तियों और (ii) ब्लाक समितियों से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों की संख्या के बारे में अलग-अलग आंकड़ों का संकलन नहीं किया गया है । तथापि व्यक्तियों और समितियों से क्रमश: लक्ष्मी नगर काम्पलैक्स और शकरपुर काम्पलैक्स के बारे में लगभग 3300 तथा 1600 सुझाव/आपत्तियां प्राप्त हुई हैं ।

(ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) सुझावों/आपत्तियों पर विचार कर लेने और अन्तिम रूप से प्लान अनुमोदन हो जाने के पश्चात ही ले-आऊट प्लान को अधिसूचित किया जाएगा ।

(ङ) तथा (च) : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं जिन्होंने उनकी अनुमति/अनुमोदन प्राप्त किए बिना जून, 1977 के पश्चात् विकास क्षेत्रों में मकान बनाए हैं क्योंकि अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण की नीति के अनुसार, इन कालोनियों की उन रिहायशी संरचनाओं को ही नियमित किया जाना है जिनका निर्माण केवल 30 जून, 1977 तक किया गया था ।

दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों में बिजली के कनेक्शन

132. **श्री पी० के० कोडियन :**

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में पुनर्वास बस्तियों के निवासियों को बिजली के कनेक्शन देने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम को कुछ राशि दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बिजली के कनेक्शन किन शर्तों पर दिए जाएंगे;

(घ) क्या उनको विकास शुल्क और एस्टीमेट शुल्क देने तथा जमानत राशि जमा करने से छूट दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) विभिन्न पुनर्वास बस्तियों में अब तक कितने कनेक्शन दिए गए हैं; और

(छ) कितने आवेदन पत्र अभी अनिर्णीत पड़े हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) :

(क) जी, हां ।

(ख) 2.2 करोड़ रुपये

(ग) से (ङ) :

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने बताया है कि भावी उपभोक्ताओं को पुनर्वास बस्तियों को विद्युतीकरण किए गए भागों में बिजली के कनेक्शन लेने के लिए कानूनी दखलकारी का प्रमाण

और न्यूनतम 40 रुपये के अनुसार 80 रुपये प्रति कि. वा. की दर से जमानत राशि के साथ निर्धारित फार्म पर औपचारिक आवेदनपत्र देना अपेक्षित है। तदुपरान्त 110 रुपये प्रति कनेक्शन की दर पर सर्विस लाइन प्रभार भी उन्हें देने होते हैं तथापि उन्हें बिजली का कनेक्शन लेने के लिए विकास प्रभार देना अपेक्षित नहीं है क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण इसको वहन कर रहा है।

(च) तथा (छ) :

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने चार पुनर्वास कालोनियों के बारे में जहां अप्रैल, 1980 के अन्त तक सामान्य विद्युतीकरण का काम आंशिक रूप से हो चुका है, प्राप्त आवेदन पत्रों, दिए गए और दिए जा रहे कनेक्शनों की जो स्थिति बताई है, वे इस प्रकार हैं :—

कालोनी का नाम	प्राप्त आवेदनपत्रों की संख्या	दिए गए कनेक्शन	निष्पादनाधीन कनेक्शन
मंगोलपुरी	2200	738	1462
जहांगीरपुरी	1680	297	1383
सुलतानपुरी	378	—	378
दक्षिनपुरी	838	305	533

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने यह भी बताया है कि निम्नलिखित पुनर्वास कालोनियों को पहले ही बिजली दे दी गई है और सामान्य वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी करने पर बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं :—

1. "आर" ब्लाक, रघुबीर नगर (नजफगढ़ रोड)
2. "ई" ब्लाक रघुबीर नगर
3. शकूरपुर चरण-I तथा-II
4. चौखण्डी
5. ख्याला

अन्ना नगर, नई दिल्ली में मकानों का गिराया जाना

133. श्री पी० के० कोडियन :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा अन्य संबधित प्राधिकारियों ने अन्ना नगर, नई दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ियों को गिराया है;

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्हें इसकी अग्रिम सूचना दी गई थी ;

(घ) यदि हां, तो कब ; और

(ङ) क्या उन्हें रहने के लिए कोई अन्य वैकल्पिक स्थान दिया गया है;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) :

(क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विकास कुटीर समूह (दिल्ली विकास प्राधिकरण के इंजीनियरी विंग के पास) दिल्ली विकास प्राधिकरण की नजूल भूमि पर जनवरी-फरवरी, 1980 के महीने में बनी अन्ना नगर नामक लगभग 150 झोंपड़ियों के समूह को 16-5-80 को हटा दिया।

(ग) तथा (घ) : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि चूंकि वे हाल ही में किए गए अतिक्रमण अस्थायी प्रकार के थे, इसलिए कोई नोटिस नहीं दिया गया।

(ङ) जी, नहीं।

दिल्ली और अन्य शहरों के बीच डायल घुमाकर सीधा टेलीफोन करने की व्यवस्था

134. **श्री मूलचन्द डागा :**

क्या संचार मंत्री देश के उन शहरों के नामों को बताने की कृपा करेंगे जिनके लिए इस समय दिल्ली से डायल घुमाकर सीधा टेलीफोन किया जा सकता है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) :

इस समय देश के निम्नलिखित शहरों को दिल्ली से सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन किया जा सकता है :—

1. आगरा
2. अहमदाबाद
3. अलीगढ़
4. इलाहाबाद
5. अलवर
6. अम्बाला
7. अमृतसर
8. आगरा
9. बंगलूर
10. बेलगांम
11. भटिण्डा
12. भिवानी
13. भोपाल
14. बम्बई
15. भुवनेश्वर
16. बुलन्दशहर
17. कलकत्ता
18. कालीकट
19. चंदीगढ़
20. छपरा
21. कोयम्बटूर

22. कटक
23. दरभंगा
24. देहरादून
25. दिसपुर
26. एर्नाकुलम
27. गांधीनगर
28. गंगटोक
29. गुडगांव
30. हापुड
31. हिसार
32. हैदराबाद
33. इन्दौर
34. जयपुर
35. जम्मू
36. जमशेदपुर
37. जोधपुर
38. जलंधर
39. कानपुर
40. करनाल
41. खड़गपुर
42. कोहिमा
43. कोशाकिला
44. लखनऊ
45. लुधियाना
46. मद्रास
47. मदुरै
48. मेरठ
49. मोदीनगर
50. मुरादाबाद
51. मसूरी
52. मुजफ्फर नगर
53. मुजफ्फरपुर
54. नागपुर
55. पानीपत
56. पंजिम
57. पटना
58. पुणे

59. क्वीलोन
60. रोहतक
61. सहारनपुर
62. सेलम
63. समस्तीपुर
64. शिलांग
65. शिमला
66. सोनीपत
67. श्रीनगर
68. सूरत
69. त्रिरुचिरापल्ली
70. त्रिवेन्द्रम
71. वाराणसी

दिल्ली और पाली (राजस्थान) के बीच डायल घुमाकर सीधा टेलीफोन करने की व्यवस्था

135. **श्री मूलचन्द डागा :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाली (राजस्थान) के एक व्यापारिक केन्द्र होने के कारण सरकार का विचार दिल्ली तथा पाली (राजस्थान) डायल घुमाकर सीधा टेलीफोन करने की व्यवस्था (एस० टी० डी०) प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) :

(क) जी, हां ।

(ख) इस सेवा को 1983 में आरम्भ करने की योजना है ।

पाली, राजस्थान में टेलीफोन सेवा

136. **श्री मूलचन्द डागा :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाली (राजस्थान) शहर में चल रहे टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि पाली शहर में दूरभाष प्रणाली पूर्णरूप से असंतोषजनक है और वहां के लोगों में काफी असंतोष तथा रोष व्याप्त है; और

(ग) सरकार कब तक सुधारात्मक कार्यवाही करेगी ?

संचार मंत्री (सी० एम० स्टीफन) : (क) पाली (राजस्थान) शहर में चालू टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या 1283 है ।

(ख) और (ग) जी नहीं । एक्सचेंज द्वारा प्रदान की जा रही सेवा सामान्य है । मई, 80

के दौरान केबुल में खराबी के कारण सेवा में कुछ अवरोध उत्पन्न हो गया था। जिसके परिणाम-स्वरूप सेवा के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई। केबुल ठीक कर दी गई है तथा एक्सचेंज सामान्य रूप से कार्य कर रहा है।

डाक स्टेशनरी की कमी

137. **श्री मूलचन्द डागा :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कई महीनों से समूचे देश के डाकघरों में पोस्ट कार्डों, अन्तर्देशीय पत्रों, लिफाफों तथा डाक टिकटों की भारी कमी है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) कम उपलब्ध डाक स्टेशनरी की वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पहले ही कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है और निकट भविष्य में इस कमी के दूर किये जाने की आशा है।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की समीक्षा

138. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की अब तक की उपलब्धि की कोई समीक्षा की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

(क) से (ग) सरकार ने राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के सभी पहलुओं का पुनरीक्षण करने के लिए डॉ० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में अक्तूबर, 1979 में एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट 13 अप्रैल, 1980 को प्रस्तुत की जो सरकार के विचाराधीन है।

यदि आवश्यक हुआ तो बाद में कार्यक्रम को और अधिक प्रभावशाली बनाने के उपाय किये जाएंगे।

कृषि विमानन निदेशालय में पाइलटों का संवर्ग

139. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मंत्रालय में कृषि विमानन निदेशालय में पाइलटों के स्थायी संवर्ग का गठन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या बेरोजगार पाइलटों के एसोसियेशन ने भारतीय वायु सेना के कर्मचारियों को कृषि विमानन विंग में प्रतिनियुक्त करने की प्रणाली के विरुद्ध मंत्री महोदय को अभ्यावेदन दिया है, और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केवल बेरोजगार पाइलटों से ही स्थायी संवर्ग के पाइलटों को भर्ती करने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) जी हां।

(ख) अभी ब्यौरे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

एसेक्स फार्म फैक्ट्री और पंचशील पार्क, नई दिल्ली के बीच कच्चा नाला

140. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :**

क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसैक्स फार्म फैक्टरी और पंचशील पार्क, नई दिल्ली के बीच सर्वप्रिय विहार की ओर बाहरी रिंग रोड के साथ बरसाती नाला गत दस वर्षों से कच्चा पड़ा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन की कौन सी एजेन्सी (अर्थात् दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली प्रशासन) इसके निर्माण कार्य के लिए जिम्मेदार हैं ;

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन की इन एजेन्सियों को विभिन्न संघों/सहकारी गृह निर्माण समितियों/क्षेत्र के निवासियों से इस बारे में बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(घ) क्या दिल्ली प्रशासन के अधीन इन सभी प्राधिकरणों ने इस नाले के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी से इंकार किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके निर्माण कार्य के लिए कौन जिम्मेदार है और इस नाले का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाने और पूरा हो जाने की संभावना है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) :

(क) जी, हां।

(ख) से (ङ) तक : दिल्ली जलपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि वहां के निवासी यदि उनके पास निर्माण की अनुपातिक राशि पेशगी जमा कर दें तो वे इस नाले का निर्माण कर सकते हैं। तथापि सरकार ने दिल्ली के उप-राज्यपाल से यह अनुरोध किया है कि वे इस नाले को बनाने वाले प्राधिकरण का फैसला करें तथा उसे कार्य आरम्भ करने के लिए निदेश दे दें।

खादी-ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली

141. **श्री निहाल सिंह :**

क्या ग्रामीण पुनर्निमाण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी ग्राम उद्योग भवन ने नई दिल्ली में रीगल के समीप पूरी दो मंजिला इमारत को खरीद लिया है तथा दूसरी मंजिल के पूरे हिस्से को उस व्यक्ति को दो सौ पचास रुपये प्रति मास किराए पर दे दिया गया है जिससे यह इमारत खरीदी गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि दूसरी मन्जिल के किराएदार ने कुछ हिस्से को एक बैंक को किराये पर दे दिया है, और

(ग) यदि हां, तो इस हिस्से को खाली कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा बैंक को कितने महीनों के लिए किराये पर दिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां। लेकिन किराया 266/- रुपये प्रति माह है न 250/- रुपये प्रति माह।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। इसे 18 महीनों के लिए किराये पर दिया गया है।

देश में छोटे और मध्यम दर्जे के नगरों का विकास

142. **श्री लक्ष्मण मालिक :**

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छोटे और मध्यम दर्जे के नगरों का विकास करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) ; (क) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना देश में छोटे और मध्यम आकार के उपनगरों के एकीकृत विकास के लिए आरम्भ की गई है

(ख) योजना के मुख्य ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(i) योजना 1971 की जनगणना के आधार पर एक लाख तथा उससे कम की जनसंख्या वाले उप-नगरों के लिए होगी।

(ii) चुने हुए उप-नगर या तो जिला मुख्यालय कस्बे या उप-मण्डलीय कस्बे या मण्डी कस्बे या अन्य महत्वपूर्ण विकास केन्द्र होंगे।

(iii) प्रति कस्बे व्यय की मात्रा औसतन एक करोड़ रुपये होगी जिसमें से 40 लाख रुपये तक की केन्द्रीय सहायता प्लान अवधि के दौरान चयनित निर्माण कार्यों के लिए दी जाएगी।

(iv) सहायता के लिए पात्र घटक इस प्रकार हैं :—

(क) रिहायशी, वाणिज्यिक और औद्योगिक योजनाओं के लिए भूमि का अर्जन और विकास। रिहायशी योजनाओं में सादे आवास के साथ या उसके बिना स्थल और सेवाएं शामिल होंगी (इससे आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को लाभ पहुँचने की सम्भावना है।)

(ख) यातायात तथा परिवहन ।

(ग) दूर दराज की भूमि में कृषि और ग्रामीण विकास के लाभ के लिए मण्डियों/मार्कीटों, औद्योगिक सम्पदा का विकास तथा अन्य सेवाओं और संसाधन सुविधाओं की व्यवस्था ।

खाद्यान्न उत्पादन और उर्वरक

143. **श्री फूलचन्द वर्मा :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयला, नैफ्था और गैस आदि की पर्याप्त सप्लाई के अभाव में उर्वरक कारखाने बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में हुई कमी किन-किन साधनों द्वारा पूरी की जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : सरकार देश भर के 650 से अधिक केन्द्रों में उर्वरकों का पर्याप्त स्टाक रखा हुआ है। चालू मौसम के दौरान सरकार को अभी तक उर्वरकों की कमी की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी पर्याप्त सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए उर्वरकों का लगातार आयात हो रहा है। उर्वरकों की कमी के कारण खाद्यान्न के उत्पादन में कमी होने का अभी कोई प्रश्न नहीं है ।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सूखा

144. **श्री मनोरंजन भक्त :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में भारी सूखे की स्थिति का पता है; यदि हां, तो वहां पर इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या किसी वरिष्ठ केन्द्रीय अधिकारी को स्थल पर जाकर अध्ययन करने और अपेक्षित राहत उपायों का अनुमान लगाने के लिए भेजा गया था, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सूखे से प्रभावित लोगों को सरकार द्वारा निःशुल्क पानी सप्लाई किया जाता था अथवा पूरे देश में इसके लिए शुल्क लिया जाता था; और

(घ) यदि हां, तो अडंमान के सूखा क्षेत्रों में पानी की सप्लाई के लिए शुल्क क्यों लगाया गया था ?

कृषिमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) अपर्याप्त वर्षा के कारण अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह को सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ा। केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन से मिली सूचना के अनुसार, अन्दमान जिले के 75 गांवों में रहने वाले लगभग 15000 लोग सूखे से प्रभावित हुए। अन्य 166 गांव केवल मामूली रूप से प्रभावित हुए। धान की लगभग 3604 हैक्टार भूमि सूखे से प्रभावित हुई। केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने 75 गांवों में वर्ष 1979-80 के लगान को माफ करने की अनुमति दी है और राहत कार्यक्रमों तथा पेयजल की सप्लाई की व्यवस्था की है। ऋण के आधार पर बीजों तथा कीटनाशी दवाइयों की सप्लाई करने पर भी विचार किया जा रहा है। ग्रामीण

श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने काम के बदले अनाज देने के कार्यक्रमों के अन्तर्गत 750 मी० टन खाद्यान्न का आवंटन किया है ।

(ख) अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन की ओर से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था ।

(ग) तथा (घ) : गर्मी के महीनों में पेयजल की सप्लाई के लिए अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में यह प्रथा रही है कि 200 लिटर के प्रत्येक ड्रम के लिए एक रुपया लिया जाए, ताकि जनता किफायती तौर पर जल का उपयोग करे, क्योंकि गर्मी के महीनों में वहां जल की उपलब्धि बहुत सीमित होती है । सूखे से उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इसकी दर घटाकर 50 पैसे प्रति ड्रम कर दी थी । 10 मई, 198 से पर्याप्त वर्षा होने पर अब वहां पेलजल की कोई कमी नहीं है ।

त्रिपुरा को खाद्यान्न

145. श्री अजय विश्वास :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि त्रिपुरा में खाद्यान्न समय पर नहीं पहुँच रहे हैं ।

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि त्रिपुरा के लोगों को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) यदि हां तो त्रिपुरा को खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) : राज्य सरकार से कुछेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । जांच करने के बाद वास्तविक स्थिति को सामान्यतः सन्तोषजनक पाया गया और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है ।

वर्ष 1979 के दौरान राज्य को 7133 मीटरी टन प्रायोजित खाद्यान्नों की औसत मासिक सुपुर्दगी के प्रति, जनवरी से मई, 1980 के दौरान लगभग 7187 मीटरी टन की औसत मासिक सुपुर्दगी की गई है । उत्तरी जोन से रेल द्वारा प्रेषणों में वृद्धि करने की दिशा में भी आवश्यक पग उठाए गए हैं । स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है ।

डाक व तार विभाग, त्रिपुरा के 'मस्टर रोल' कर्मचारियों को मजूरी

146 श्री अजय विश्वास :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में डाक व तार विभाग के 'मस्टर रोल' कर्मचारियों को राज्य सरकार के 'मस्टर रोल' कर्मचारियों को मिलने वाली मजूरी दर पर ही मजूरी मिल रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन : (क) जी हां ।

(ख) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए, यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

त्रिपुरा में उपग्रह संचार केन्द्र

147. **श्री अजय विश्वास :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में उपग्रह संचार केन्द्र परियोजना आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना कब पूरी हो जाएगी ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां। त्रिपुरा राज्य के अगरतला में एक भू उपग्रह केन्द्र चालू करने का प्रस्ताव है।

(ख) 1982 के प्रारंभ में।

चीनी के खुदरा मूल्य निर्धारित करने के लिए चीनी उद्योग द्वारा सशर्त पेशकश

148. **श्री छोतू भाई गामित :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी उद्योग ने गत मार्च में चीनी के खुदरा मूल्य लगभग 5.25 रुपये प्रति किलोग्राम तक रखने के लिये सरकार को सशर्त पेशकश की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में लगाई गई शर्तें क्या थीं और इस पेशकश के बारे में सरकार का दृष्टिकोण क्या था ? और

(ग) गत चार महीनों के दौरान खुले बाजार में चीनी के मूल्य कम करने के लिये अन्य क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) **और** (ख) : चीनी उद्योग प्रतिनिधियों, जिन्हें केन्द्रीय कृषि मन्त्री ने चीनी के मूल्यों में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति की समीक्षा करने और मूल्यों को उचित स्तर पर स्थिर करने के तौर-तरीकों का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया था, ने खुली बिक्री को चीनी का निकासी मूल्य (उत्पादन शुल्क बिना) स्वेच्छा से 430 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर तक सीमित करना मान लिया। यह पेशकश करते समय उन्होंने यह शर्त रखी कि उत्पादन शुल्क को घटाकर उस स्तर पर लाया जाना चाहिए जिस पर वह 31 मार्च, 1980 को था और उन्होंने यह भी आग्रह किया कि लेवी चीनी पर बैंक मार्जिन को 25 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाए।

राज्य के खाद्य मंत्रियों और राज्यपालों के सलाहकारों के 24-4-1980 को हुए सम्मेलन में उद्योग के प्रस्ताव पर विस्तार पर विचार किया गया था जहां पर राज्य सरकारों में यह मतैक्य था कि खुली बिक्री की चीनी के निकासी मूल्य में स्वेच्छा से कमी करने के बारे में चीनी उद्योग द्वारा की गई पेशकश अपने वर्तमान रूप में व्यावहारिक नहीं है क्योंकि कुछ राज्य कमी वाले राज्य हैं जबकि अन्य अधिशेष राज्य है और सांवधिक नियंत्रण के बिना कमी वाले राज्यों को चीनी का शाश्वत संचलन नहीं हो सकता है।

(ग) सरकार ने खुले बाजार में चीनी के मूल्यों को नीचे लाने के लिए बहुत-से उपाय किए हैं। ये उपाय इस प्रकार हैं :

(1) मान्यता प्राप्त व्यापारियों के स्टाक रखने की सीमा में कमी करना ;

(2) जमा किए गए स्टाक को बाहर निकलवाने का अभियान तेज करना ;

(3) जिन सौदों में चीनी की प्रत्यक्ष सुपुर्दगी नहीं की जाती है वहां एक थोक व्यापारी द्वारा दूसरे थोक व्यापारी को चीनी की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाना ।

(4) 10 दिन के अन्दर मान्यता प्राप्त व्यापरियों द्वारा स्टाक की बिक्री करना ।

(5) चीनी की बिक्री और प्रेषण से सम्बन्धित सूचना की निगरानी करना;

(6) मई और जून के लिए खुली बिक्री की चीनी के अतिरिक्त कोटे निर्मुक्त करना और

(7) 2 लाख मीटरी टन चीनी निर्यात करने का निर्णय लेना ।

भूमि सुधार कानून की क्रियान्विति

149. **श्री छीतूभाई गामित :**

क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में भूतपूर्व सरकार द्वारा काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम और भूमि की अधिकतम सीमा (संशोधन) अधिनियम जैसे भूमि सुधार कानूनों की क्रियान्विति को बन्द कर दिया था ;

(ख) वर्तमान स्थिति क्या है, और

(ग) खेतिहर श्रमिकों के लिये निम्नतम मजूरी अधिनियम सहित उन कानूनों को पुनः लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) व (ख) गुजरात की भूतपूर्व सरकार ने नवम्बर, 1977 में राज्य भूमि आयोग की नियुक्ति की थी, ताकि राज्य में भूमि सुधार उपायों की संपूर्णता की जांच की जा सके, और गुजरात में विद्यमान विशेष परिस्थितियों के प्रकाश में आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव दिया जा सके । राज्य सरकार ने बम्बई काश्तकारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1948 की धारा 32(1-ख) जिसका सम्बन्ध (15.6.1955 और 1973 के संशोधन अधिनियम 5 के लागू होने के बीच गैर-कानूनी रूप से निष्कासित काश्तकारों को भूमि का कब्जा वापस दिलाने से है) के कार्यान्वयन तथा गुजरात कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत फालतू भूमि के अधिग्रहण और वितरण को स्थगित रखा । भारत सरकार ने सुझाव दिया था कि परिवर्तनों की प्रत्याशा में उच्चतम सीमा कानून के कार्यान्वयन का स्थगन उचित नहीं है, परन्तु राज्य सरकार द्वारा इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया । तथापि, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में भूमि सुधार कानूनों को समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए गए हैं तथा पहले से फालतू घोषित भूमि को अधिग्रहण करने और वितरण करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं ।

(ग) भूमि सुधार कानूनों के कार्यान्वयन में शीघ्रता लाने के लिए अतिरिक्त राजस्व कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति की गई है, तथा उच्चतम सीमा से फालतू भूमि से नियतभागियों

निष्कासन का पता लगाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है, ताकि उनको भूमि वापस दिलाई जा सके। गुजरात सरकार ने कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने हेतु भी कदम उठाए हैं तथा वह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को कार्यान्वित कर रही है।

देश में सूखे से प्रभावित राज्यों को खाद्यान्न की सप्लाई

150. **श्री छीतूभाई गामित :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सूखे से प्रभावित राज्यों को गत छ: महीनों में कितना खाद्यान्न सप्लाई किया गया तथा ढुलाई के साधन क्या थे ;

(ख) क्या सरकार ने अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार अवसर जुटाने हेतु सहायता दी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) सूखाग्रस्त क्षेत्रों को गत छ: महीनों में काम के लिए अनाज कार्यक्रमों आदि सहित के लिए केन्द्रीय पूल से सप्लाई किए गए खाद्यान्नों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है। अनाज की प्रतिपूर्ति अधिकांशत: रेल द्वारा की गई है।

(ख) और (ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, जिन केन्द्रीय दलों ने आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त राज्यों का दौरा किया था, उनके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के आधार पर केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन हेतु 177.37 करोड़ रुपये के खर्च की कुल सीमा स्वीकृत की गई है, जिसमें सिंचाई, वनरोपण, भू-संरक्षण सड़क निर्माण आदि की रोजगार पैदा करने वाली योजनाओं के लिए 79.59 करोड़ रुपये की व्यवस्था शामिल है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

राज्य	स्वीकृत खर्चे की कुल सीमा	रोजगार पैदा करना कुल
आन्ध्र प्रदेश	19.64	12.00
बिहार	24.82	4.50
मध्य प्रदेश	47.90	30.50
उड़ीसा	17.39	4.06
राजस्थान	20.10	9.50
उत्तर प्रदेश	47.52	19.03
जोड़	177.37	79.59

विवरण

सूखे से प्रभावित राज्यों में पिछले छः महीनों के लिए (काम के बदले अनाज कार्यक्रम समेत आदि) केन्द्रीय भण्डार से खाद्यान्नों द्वारा की गई सप्लाई को बताने वाला विवरण :—

राज्य (1)	अनाज (2)	नवम्बर, 79 (3)	दिस. 79 (4)	जनवरी, 80 (5)	फरवरी, 80 (6)	मार्च, 80 (7)	अप्रैल, 80 (8)	जोड़ (9)
आन्ध्र प्रदेश	चावल	29.5	15.2	18.6	24.4	24.9	24.7	136.9
	गेहूं	13.3	10.6	11.1	12.6	18.5	18.8	84.9
बिहार	चावल	9.6	16.4	6.2	5.2	9.0	9.2	55.6
	गेहूं	70.4	87.0	69.8	103.0	110.7	69.4	510.3
गुजरात	चावल	1.4	6.6	8.0	4.5	10.1	7.6	38.2
	गेहूं	18.5	24.4	25.7	32.3	31.8	37.4	170.1
	मोटे अनाज	—	0.4	0.1	0.3	0.7	0.5	2.0
हिमाचल प्रदेश	चावल	0.6	1.1	2.4	1.6	4.2	4.2*	14.1
	गेहूं	5.8	6.8	7.9	7.0	13.2	13.2*	53.9
मध्य प्रदेश	चावल	29.6	36.9	38.8	40.0	58.2	42.1*	245.6
	गेहूं	60.8	65.1	53.9	57.7	57.2	37.2*	331.9
	मोटे अनाज	—	Neg	—	—	—	—	Neg
उड़ीसा	चावल	13.8	24.2	26.8	32.4	35.7	30.4	163.3
	[illegible]	20.0	21.7	24.3	22.7	18.9	18.1	125.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
राजस्थान	चावल	Neg	0.1	0.1	0.1	1.3	0.3	1.9
	गेहूं	20.8	52.7	42.2	60.8	155.1	19.4	351.0
उत्तर प्रदेश	चावल	36.6	52.7	37.6	77.6	72.5	37.4	314.4
	गेहूं	139.2	185.8	173.0	231.5	178.9	80.4	988.8
जम्मू और कश्मीर	चावल	5.0	6.6	13.6	7.3	14.8	5.5	52.8
	गेहूं	9.7	12.3	10.5	13.1	16.0	14.5	76.1
हरियाणा	चावल	—	—	—	0.1	3.4	0.2*	3.7
	गेहूं	14.7	19.8	17.8	22.9	22.2	6.6*	104.0
पश्चिमी बंगाल	चावल	76.4	64.5	64.5	80.5	104.9	76.8	467.6
	गेहूं	122.4	108.2	106.5	115.7*	91.8	80.8	625.4
महाराष्ट्र	चावल	19.7	22.3	31.6	23.6	54.5	39.0	190.7
	गेहूं	71.2	83.0	82.1	82.0	96.7	73.1	488.1

* अस्थायी, इसमें संशोधन हो सकता है।

नग०—50 मी० टन से कम

उप-डाकघरों में उचित नाम की मोहर और सील का न होना

151. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उप-डाकघरों में उचित नाम की मोहर और सील न होने के कारण मनी आर्डर प्रेषक को वापस आ रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) :

(क) प्रयोगात्मक डाकघर जिन मोहरों व सीलों का प्रयोग करता है उनमें दी गई संख्या से उस डाकघर का पता चलता है। मोहरों व सीलों में डाकघर का नाम तभी अंकित किया जाता है जब वह स्थायी बन जाता है।

जारी करने वाले डाकघर को सूचित करने के लिए प्रयोग में लाई गई मोहरों व सीलों की किस्म से मनीआर्डरों का सम्बन्ध नहीं होता है। देश भर में ऐसे सैकड़ों प्रयोगात्मक डाकघर हैं जहां उनके द्वारा प्रयुक्त मोहरों व सीलों में दी गई संख्या से उनका पता चलता है और उनके द्वारा जारी किए गए मनीआर्डरों के भुगतान में कोई कठिनाई नहीं होती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना

152. **श्री के० टी० कोसलराम :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना तैयार की है,

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उसके कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

(क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय जन शिक्षा कार्यक्रम औपचारिक शिक्षा पद्धति में जनसंख्या शिक्षा आरम्भ करने के लिए तैयार किया गया है। कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :

(i) छात्रों की व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर सामाजिक और आर्थिक विकास तथा जनसंख्या के विकास/बीच पारस्परिक सम्बन्धों की जानकारी विकसित करने सहायता करना;

(ii) बच्चों और शिक्षकों को देश में जनसंख्या की स्थिति और इस समस्या को दूर करने में भारत सरकार के लक्ष्यों और प्रयासों से अवगत कराना;

(iii) जनसंख्या शिक्षा को, विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों सहित औपचारिक शिक्षा पद्धति में संस्थागत बनाना और

(iv) जनसंख्या सम्बन्धी समस्याओं की ओर शिक्षकों तथा छात्रों और कुल मिलाकर समाज के वांछित दृष्टिकोण और आचरण को विकसित करना ताकि वे अपने परिवार के आकार और जीवन स्तर, जैसा कि वे पसन्द करेंगे, के बारे में उचित निर्णय कर सकें।

कार्यक्रम अपने उद्देश्यों को पाठ्यचर्या विकास, अनुदेशात्मक सामग्री तैयार करने, अनुसंधान एवं मूल्यांकन के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है; इसमें राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान के प्रशिक्षण कार्यकलापों में जनसंख्या शिक्षा और विश्वविद्यालयों में जनसंख्या शिक्षा पाठ्यक्रमों को लागू करने के साथ-साथ राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर जनसंख्या शिक्षा कक्षों की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है।

शिक्षा मन्त्रालय कार्यान्वयन एजेन्सी होगी। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार कार्यक्रम को राज्य स्तर पर राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी। कार्यक्रम के समन्वय और कार्यान्वयन के लिए समस्त अधिकार प्राप्त एक राष्ट्रीय संचालन समिति गठित की जाएगी।

(ग) कार्यक्रम को क्रमबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना है। 1980-81 की अवधि के चरण में आने वाले दस राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का चयन कर लिया गया है। ये हैं—बिहार, चण्डीगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु प्रत्येक राज्य के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा अलग से तैयार कर ली गई है।

कार्यक्रम सम्बन्धी सभी कठिनाइयों पर विस्तार से विचार करने के बाद इसे भारत सरकार द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित कर दिया गया है। राष्ट्रीय संचालन समिति गठित की जा रही है। सम्बन्धित राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे :

(i) राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन करें;

(ii) राज्य शिक्षा संस्थान अथवा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में जनसंख्या शिक्षा कक्ष की स्थापना करें;

(iii) जनसंख्या शिक्षा कक्ष में पूरे शैक्षिक और प्रशासनिक स्टाफ का पता लगा कर तैनात करें; और

(iv) गहन प्रशिक्षण और अनुस्थापन के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तियों सहित शैक्षिक स्टाफ का पता लगाएं।

बजट संबंधी आवश्यक प्रावधानों की व्यवस्था करने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदनपत्र

153. श्री के० टी० कोसलराम :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1977 को विभिन्न योजनाओं (योजनावार) के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शनों के कितने आवेदनपत्र बकाया पड़े हुए थे;

(ख) 31 मार्च, 1980 तक कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए थे और

(ग) टेलीफोन कनेक्शनों को शीघ्र देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) :

(क) 31-3-1977 तक अनिर्गणित टेलीफोन आवेदनपत्रों की संख्या इस प्रकार थी :—

ओ० वाई० टी०	42043
गैर ओ० वाई० टी०	141469
कुल	183512

(ख) 1-4-77 से 31-3-80 की अवधि के दौरान 3,97,558 टेलीफोन कनेक्शन जोड़े गए।

31-3-80 तक चालू कनेक्शनों की संख्या लगभग 20.14 लाख थी।

(ग) मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किया जा रहा है और नये खोले जा रहे हैं। एक्सचेंज उपस्करों, टेलीफोन केबलों और अन्य उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है। 1980-81 के दौरान लगभग 1.7 लाख टेलीफोन कनेक्शन देने की सम्भावना है।

बम्बई नगर निगम क्षेत्र में दूरभाष केन्द्र

154. **श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की बम्बई नगर निगम क्षेत्र में नये दूरभाष केन्द्रों को खोलन की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) :

(क) जी हां।

(ख) तीन वर्ष की अवधि 1980-83 के दौरान निम्नलिखित नये एक्सचेंजों को क्रमिक रूप से चालू करने की योजना है :—

1. प्रभादेवी	10,000 लाइन
2. मजगांव-1	10,000 लाइन
3. बोरीविली-11	4,000 लाइन
4. विलो-पारले-1	10,000 लाइन
5. वडाला-1	10,000 लाइन
6. मरोल-1	10,000 लाइन
7. कूपरेज-6	10,000 लाइम
8. मनखुर्द-1	10,000 लाइन
9. विले पारले-11	10,000 लाइन
10. मुलन्द	10,000 लाइन
11. मजगांव-11	10,000 लाइन

अतिरिक्त एक्सचेंजों को बम्बई सी टी ओ, मलाबार हिल्स, कम्पला हिल्स, बोरी बन्दर, बोरली, बांद्रा, कंडिवालि गोरेगांव, सायन और घाटकोपर में खोलने की योजना है और बाद में 1983-88 के दौरान इनके चालू होने की संभावना है।

सिंचित कपास के कीटनाशी के समेकित नियंत्रण के बारे में गोष्ठी

155. **श्री के० राममूर्ति :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचित कपास के कीटनाशी के समेकित नियंत्रण के बारे में अखिल भारतीय गोष्ठी की सिफारिशें क्या हैं ; और

(ख) इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) सिंचित कपास पर कीटों के समाकलित नियंत्रण पर अखिल भारतीय संगोष्ठी का आयोजन आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साझे तत्वावधान में दिनाक 9-12 फरवरी, 1980 को गुंटूर (आन्ध्र प्रदेश) में किया गया था। इस संगोष्ठी की सिफारिशें भा० कृ० अ० प० को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) आगे की कार्यवाही आयोजकों से सिफारिशें प्राप्त होने के बाद की जायेगी।

सोलन में आयोजित अर्ध-शुष्क उष्ण कटिबन्ध पर गोष्ठी

156. **श्री के० राममूर्ति :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 फरवरी, 1980 को सोलन में आयोजित अर्ध-शुष्क उष्ण कटिबन्ध (सेमिएरिड ट्रोपिक्स) के लिये अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसन्धान संस्थान द्वारा की गई अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी के मुख्य सुझाव क्या हैं ; और

(ख) इस पर यदि कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव है, तो वह क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) अर्ध शुष्क उष्ण कटिबन्ध (सेमिएरिड ट्रोपिक्स) के लिए अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के सह-निदेशक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर सोलन में अर्ध शुष्क उष्ण कटिबन्ध के लिए अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान द्वारा 15 फरवरी, 1980 को अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी नहीं हुई थी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विज्ञान नीति सम्बन्धी अध्ययन केन्द्र को समाप्त करना

157. **श्री के० राममूर्ति :**

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान के स्कूल में विज्ञान नीति में अध्ययन केन्द्र को समाप्त कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

. शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

(क) और (ख) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार, विज्ञान नीति से सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र कुछ उद्देश्यों के साथ वर्ष 1970 में स्थापित किया गया था। समय बीतने के साथ यह महसूस किया गया कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए और वास्तविक रूप से यह केन्द्र व्यावहारिक शैक्षिक इकाई नहीं रहा। विश्वविद्यालय ने इस केन्द्र के कार्यकरण का पुनरीक्षण करने के लिए डॉ० वी० एस० झा की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति गठित की। समिति की रिपोर्ट पर विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 1980 को हुई अपनी बैठक में विचार-विमर्श किया गया और परिषद ने यह निर्णय किया कि विज्ञान-नीति से सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र को एक प्रशासनिक ढांचे के रूप में तब तक आस्थगित कर दिया जाए जब तक कि इसे पुन: आरम्भ करने की कोई प्रत्यक्ष आवश्यकता न हो।

सरकारी आवास के बिना पारी के आवंटन संबंधी मानदण्ड

158. श्री दयाराम शाक्य :

क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे रोगों के नाम क्या हैं जिनके आधार पर सरकार पांच वर्ष पूर्व केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को बिना पारी के क्वार्टर अलाट किया करती थी;

(ख) ऐसे रोग कौन कौन से हैं जिनके आधार पर इस समय क्वार्टर आवंटित किए जा रहे हैं;

(ग) किन कारणों से उपरोक्त (क) भाग में उल्लिखित रोगों के आधार पर आवंटन बन्द कर दिया गया था;

(घ) क्या सरकार का विचार इन सभी रोगों के आधार पर क्वार्टर अलाट करने का है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(च) ऐसे अस्पतालों के नाम क्या हैं जिनके प्रमाण पत्र दिल्ली में इन आवंटनों के लिए स्वीकार किए जाते हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) सूचना सम्बन्धी एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) (i) फुफुस तपेदिक (सक्रिय चरण में जिससे अन्यों को खतरा हो सकता है)।
(ii) कैंसर
(iii) शारीरिक रूप से अपंग (स्वयं कर्मचारी होने पर), अन्धापन, बहरापन और विकलांग अशक्तता।

(ग) ऐसे तदर्थ आवंटनों पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय परिषद (जे० सी० एम०) की सिफारिशों के आधार पर संशोधन किया गया था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) तदर्थ आवंटन के प्रयोजनों के लिए रोगों की सूची को बढ़ाना वांछनीय नहीं समझा गया है क्योंकि इससे वास की भारी कमी के सन्दर्भ में बहुत से उन सरकारी कर्मचारियों की बारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो अपनी सामान्य बारी में वास के आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

(च) तपेदिक के मामले में सरकारी तपेदिक अस्पतालों, सिनेटोरियम, स्थानीय निकायों तपेदिक अस्पतालों, क्लीनिकों से चिकित्सा प्रमाण-पत्र और कैंसर तथा शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के मामले में सरकारी अस्पतालों से प्रमाण-पत्र स्वीकार किए जाते हैं जो सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित होने चाहिए।

1. तपेदिक
   - (i) फुफुस तपेदिक
     (सक्रिय चरण में जिससे अन्यों को खतरा हो)
   - (ii) इफ्यूशन ट्यूबरकुलर मैनिन्जाइटिस के साथ।

2. मलिग्नेन्ट नीओप्लाज्म
   - कैंसर
   - सारकोमा
   - ल्यूकीमिया
   - हाकिन्स डिसीज

3. रक्त सम्बन्धी रोग
   - हिरैडिटरी हीमोलोइटिक
   - रक्त अलपता
   - एप्लास्टिक अनीमिया
   - परपुरा

4. मानसिक रोग
   - साइकोसिस
   - शीजोफरेमिया
   - पैरानायड स्टेट
   - मैन्टल रिटार्डेशन

5. मिर्गी

6. डिसीज आफ सर्कुलेटरी सिस्टम
   - मैलिग्नेन्ट हाइपरटेन्शन
   - इस्चीमिक हार्ट डिसीज
   - मायोकार्डियल इन्फैक्शन
   - कन्जैस्टिव हार्ट फेल्योर
   - एंजीना पैक्टोरिस

जटिलताओं सहित क्रोनिक रूमैटिक हार्ट डिसीज।

7. डिटैचमेंट आफ रिटाइना

8. डिसीज आफ नरवस सिस्टम

कौंजेनिटल हाईड्रोसिफैलिस

स्पाइना बिफिडा

पैरालाइटिक इफैक्ट आफ पोलियोमाइलाइटीज

सिरेब्रल स्पास्टिक इंफैनटाइल

पैरालिसिज

सिरेब्रल हैमिप्लेजिया

सरकारी आवास का आवंटन

159. श्री दयाराम शाक्य :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को क्वार्टर आवंटित करने का है ;

(ख) क्या सरकार 20 या 25 वर्षों की सेवावधि वाले कर्मचारियों को "बी" और "सी" टाइप के मकान अब तक आवंटित नहीं कर सकी है ; और

(ग) यदि हां, तो सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को यदि मकान आवंटित किए जाते हैं तो सरकार अन्य कर्मचारियों को मकान आवंटित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) :

(क) सेवा निवृत्त होने वाले उन सरकारी कर्मचारियों, जिन्हें सरकारी वास खाली करना अपेक्षित है, के पात्र आश्रितों को सरकारी वास का तदर्थ आवंटन करने के बारे में एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने विभिन्न स्थानों में सामान्य पूल के लगभग 21300 रिहायशी एककों का निर्माण करने का एक त्वरित कार्यक्रम पहले ही आरम्भ कर दिया है जिनमें अधिकांश क्वार्टर टाइप "ए", "बी" और "सी" के हैं। दिल्ली में टाइप "बी" और "सी" में बनाए जाने वाले प्रस्तावित क्वार्टरों की संख्या 14,180 है। इसकी तुलना में 8746 एककों का निर्माण कार्य पहले ही आरम्भ कर दिया गया है। यह कार्यक्रम कर्मचारियों को रिहायशी वास देने और प्रतीक्षावधि कम करने में सहायक सिद्ध होगा।

विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत फ्लैटों के आवंटन के लिए डी० डी० ए० में पंजीकरण

160. श्री दयाराम शाक्य :

क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जनता, निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग की श्रेणियों के अन्तर्गत सस्ते मकान देने हेतु पिछले वर्ष पंजीकरण किया था ;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में कितने व्यक्तियों ने अपने नाम दर्ज कराए ;

(ग) क्या इन व्यक्तियों को अब तक पंजीकरण संख्या प्रदान नहीं की गई है और यदि हां, तो उनको पंजीकरण संख्या कब तक दी जाएगी ;

(घ) क्या सरकार का विचार इन मकानों की लागत में वृद्धि करने का है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनरीक्षित लागत क्या निर्धारित की गई है ; और

(ङ) सरकार इन आवेदकों को प्रत्येक श्रेणी में मकान कब तक उपलब्ध करायेगी ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) :

(क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पंजीकृत व्यक्तियों की वर्गवार संख्या निम्नलिखित है :—

मध्यम आय वर्ग	47,489
निम्न आय वर्ग	67,347
जनता	56,295
योग :	1,71,131

इस पंजीकरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण को 33.23 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इसने पहले ही 94750 पंजीकरण कराने वालों को पंजीकरण संख्या जारी कर दी है और कुछ ही महीनों में शेष पंजीकरण कराने वालों को जारी किए जाने की आशा है ।

(घ) नई पद्धति 1979 पर पंजीकरण योजना की विवरणिका के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत बनाए जाने वाले फ्लैटों की संभावित लागत इस प्रकार होगी :—

मध्यम आय वर्ग	42,000 रुपये
निम्न आय वर्ग	18,000 रुपये
जनता	8,000 रुपये

ये कीमतें सांकेतिक है और ये अन्तिम लागत नहीं है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि फ्लैटों की अन्तिम लागत वास्तविक खर्च इत्यादि के आधार पर निकाली जाएगी। अभी तक संशोधित लागत निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, यदि निर्माण सामग्रियों तथा श्रम की लागत बढ़ती है तो कीमतों के बढ़ने की संभावना है।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मकानों के निर्माण के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया है। तथापि यह निर्माण सामग्री, निधियां जैसे संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। इसलिए यह बताना कठिन है कि इस योजना में पंजीकृत लोगों को कब तक मकान मिल जाएगा।

टाइप "ए" "बी" और "सी" का सरकारी आवास

161. **श्री दयाराम शाक्य :**

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय टाइप "ए", "बी" और "सी" का आवास सरकारी कर्मचारियों को कितनी सेवावधि पर आवंटित किया जा रहा है ;

(ख) उपरोक्त तीन वर्गों में इस समय कितने मकान निर्माणाधीन हैं और जून, 1980 तक आवंटन के लिए प्रत्येक टाइप में कितने मकान तैयार हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इन मकानों को आवंटन कर दिए जाने के बाद उपरोक्त प्रत्येक वर्ग में कितनी सेवावधि तक के कर्मचारियों को आवास मिल जाएगा और यह आवंटन कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) :

(क) जहां तक दिल्ली में सामान्य पूल वास का सम्बन्ध है, यह सूचना टाइप 'ए" में 16 वर्ष, टाइप "बी" में 23 वर्ष और टाइप "सी" में 25 वर्ष है।

(ख) दिल्ली में सामान्य पूल के बारे में सूचना इस प्रकार है :—

टाइप	निर्माणाधीन आवास	वे आवास जिनकी जून, 1980 तक आवंटन के लिए तैयार हो जाने की सम्भावना है
ए	807	शून्य
बी	3394	260
सी	5718	105

(ग) चूंकि एक विशेष अवधि के दौरान आवंटित किए जाने वाले सम्भावित आवासों की संख्या उस अवधि के दौरान आवंटन के लिए पूर्ण हुए आवासों पर ही निर्भर नहीं करता है बल्कि यह उस अवधि के दौरान सम्भवतः खाली होने वाले आवासों पर भी निर्भर करता है। इसलिए, अग्रता तारीखें जिसमें उपर्युक्त आवासों के पूरा हो जाने पर दे दिए जाएंगे या प्रश्नाधीन कर्मचारियों को कब तक आवास दे दिए जाएंगे, यह बताना सम्भव नहीं है।

अल्मोड़ा जिले में हरिजनों पर अत्याचार के बारे में

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुये

अध्यक्ष महोदय : एक समय एक ही सदस्य बोले ।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, हरिजनों पर...

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल के लिये आपका ध्यानार्कषण प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : अध्यक्ष महोदय, अलमोड़ा जिले के सफलता स्थान पर 15 हरिजनों की बारात को चढ़ने नहीं दिया गया, उनकी हत्या की गई । रोज हरिजनों की हत्यायें हो रही हैं—इस पर एडजार्नमेन्ट रोशन लिया जाय ।

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कल के लिये ध्यानार्कपण प्रस्ताव स्वीकार कर चुका हैं ।

व्यवधान

श्री चन्द्रपाल शैलानी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : नियम 60 के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय हां ।

अध्यक्ष महोदय : हाँ ।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : मैं नियम 60 पढ़कर सुनाता हूं ।

अध्यक्ष यदि नियम 56 के अन्तर्गत सम्मति दे और यह ठहराये कि चर्चा के लिये प्रस्थापित विषय नियमानुकुल है, तो वह सम्बन्धित सदस्य को पुकारेगा जो अपने स्थान पर खड़ा होगा और सभा के स्थगन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति मांगेगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार कर चुका हूं ।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : मैं पूरा पढ़कर सुनाता हूं । आप कृपया सुन लीजिए ।

परन्तु जब अध्यक्ष ने नियम 56 के अन्तर्गत अपनी सम्मति देने से इंकार कर दिया हो या उस की राय हो कि चर्चा के लिए प्रस्थापित विषय नियमानुकूल नहीं है तो वह यदि आवश्यक समझे, उस प्रस्ताव की सूचना पढ़कर सुना सकेगा और सम्मति देने से इंकार करने या प्रस्ताव को नियमानुकूल न ठहराने के कारण बता सकेगा ।

परन्तु यह भी कि यदि अध्यक्ष उसमें उल्लिखित मामले के बारे में पूर्ण तथ्यों से अवगत न हो तो वह अपनी सम्मति देने या इंकार करने से पूर्व उस प्रस्ताव की सूचना को पढ़ कर सुना सकेगा और संबंधित मंत्री या सदस्यों से तथ्यों पर संक्षिप्त विवरण सुन सकेगा और उसके बाद प्रस्ताव को स्वीकार करने के बारे में अपना निर्णय देगा ।

(2) यदि अनुमति दी जाने पर आपत्ति की जाय तो अध्यक्ष उन सदस्यों से जो अनुमति दी जाने के पक्ष में हो, अपने स्थानों पर खड़े होने के लिये कहेगा और तदनुसार यदि कम से कम पचास सदस्य खड़े हों तो अध्यक्ष सूचित करेगा कि अनुमति दी जाती है । यदि पचास से कम सदस्य उठें, तो अध्यक्ष सदस्य को सूचित करेगा कि उसे सभा की अनुमति नहीं है ।

अध्यक्ष जी, मैं कहना यह चाहता हूं कि सत्तारूढ़ दल के जो नये सदस्य आए हैं, वे भी मेरा इस में साथ देंगे । मैं यह बताना चाहता हूं कि सफलता गांव में जो तहसील रानीखेत, जिला

अलमोड़ा के अन्तर्गत आता है, वहां पर हरिजनों की बारात में दूल्हे को घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया और 15 हरिजनों को बन्दूकों से, तलवार और लाठियों से स्वर्णों ने मार दिया।**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न किया जाये।

श्री रामविलास पासवान : **

अध्यक्ष महोदय : आप सभा का समय मेरी अनुमति के बिना अनावश्यक रूप से ले रहे हैं। मैं अनुमति नहीं दे रहा।

असम की स्थिति पर स्थगन प्रस्ताव के बारे में

प्रो० मधुदंडवते (राजापुर) : मैं आसाम के बारे में पहले ही स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दे चुका हूं। मैं मामले के गुणावगुणो की ओर नहीं जाय चाहता। प्रधान मंत्री जिस ढंग से मामले से निपट रही हैं, यह उस बारे में है। इतना ही नहीं कल टेलीवीजन पर गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि इसके पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ है और विपक्ष पर भी इस बारे में आरोप लगाया गया है। आज की चर्चा का विषय आसाम में और छः महीने के लिये राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जाना है। केन्द्रीय सरकार द्वारा शांतिपूर्ण वार्ता द्वारा मामला सुलझाने की असफलता के प्रश्न को मैं पहले ही उठा चुका हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे नहीं मानता।

श्री मधु दंडवते : मैं मामले के गुणावगुणों की ओर नहीं जाना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : इसका ध्यान रखा जा रहा है।

श्री मधु दंडवते : मैं जानता चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा निर्णय लिया गया है कि लोक महत्व के मामले से सम्बन्धित किसी भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा निश्चित रूप से क्यों समझें ? ऐक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया।

श्री मधु दंडवते : मुझे आप पर पूर विश्वास है।

अध्यक्ष महोदय : सभा को कुछ बातों पर चर्चा करनी होती है और मैं सभा को इसके लिये पूरी आजादी दूंगा। मैं अब आपकी बात नहीं मान सकता।

(व्यवधान)

क्या माननीय सदस्य मेरी बात सुनेंगे ? हमें आज आसाम पर चर्चा करनी है।

श्री मधु दंडवते : जिस सांविधिक संकल्प पर आज चर्चा हो रही है, उसमें कोई भी निंदा वाली नहीं है। स्थगत प्रस्ताव में एक निंदा वाली बात है और मैं सरकार के विरुद्ध निंदा की बात लाना चाहता हूं। इसी कारण मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप इसे स्वीकार कर रहे हैं या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप दो बार चर्चा नहीं कर सकते। आप उसी विषय पर उस समय चर्चा कर सकते हैं।

*कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। अतः विपक्ष में हम लोगों ने निर्णय किया है कि हम जितना भी सम्भव हो, नम्रतापूर्वक तथा व्यवस्थित रूप में आपकी जानकारी में कुछ बातें लाया करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये हम आपका स्वागत करते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमने आज आपका ध्यान उन चार बुनियादी प्रश्नों की ओर दिलाने का निर्णय किया है जो हमें उत्तेजित कर रहे हैं, हरिजन समस्या की बात आ गयी है। श्री बाजपेयी पेंट्रोल, डीजल, उर्वरक तथा अन्य पेंट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि के प्रश्न को उठायेंगे। मुझे यह बात कहनी है। हमारे मनों को उत्तेजित करने का कारण एक राज्य के मुख्यमंत्री तथा केन्द्र के विधि मंत्री द्वारा यह घोषणा करना है कि देश में राष्ट्रपतीय ढंग की सरकार बनायी जाने वाली है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रस्ताव मेरे पास है। यह विचाराधीन है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप सहित समूची संसद एक निरर्थक संस्था बन जायेगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है।

सत्र की पूर्व संध्या पर पेंट्रोलियम उत्पादों की मूल्य वृद्धि के बारे में

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, जब लोक सभा की बैठक होने जा रही थी तब सरकार ने फर्टिलाइज़र, डीज़ल और पैट्रोल के दामों में वृद्धि करने का फैसला किया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बात अनुचित है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : फर्टिलाइज़र की कीमत बढ़ती है तो किसान दबते हैं। डीज़ल और···(व बधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री अटलबिहारी बाजपेयी : पार्लियामेंट के सेसन के पहले इस तरह का एलान करना यह सदन की अवहेलना नहीं है तो क्या है? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनेक नोटिस प्राप्त किये हैं। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय मैं आपकी इजाजत से बोल रहा हूं। अगर ये टोका-टाकी करेंगे तो आज फैसला हो जाएगा कि इस सदन में बोलने दिया जाएगा या नहीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें। पहले तो आपको यह फैसला करना है कि आपको यहां चर्चा करनी है अथवा मुक्केबाजी करनी। नहीं, नहीं, यह अनुचित है। कृपया बैठ जायें। जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको बैठना चाहिए। (व्यवधान)

श्री बागड़ी, आप बैठ जायें (व्यवधान)

आप इन्हें बैठाते क्यों नहीं (व्यवधान)

. यदि आप मल्ल युद्ध करना चाहते हैं तो बाहर दंगल लगा देता हूं, यह तो इसके लिए जगह नहीं है।

मुझे बहुत दुःख होता है। (व्यवधान) कृपया बैठ जायें। जिसको इजाजत नहीं मिलती है हाउस के स्पीकर की तरफ से, वह खड़ा होकर बात करता है तो यह गलत है। आप एक-दूसरे पर छींटाकशी करें, यह बात भी उचित नहीं है।

श्री टाइटलर, जब अध्यक्ष बोल रहे हों, तो सब चुपचाप बैठे रहते हैं। (व्यवधान)

कोई प्रश्न ही नहीं। यदि आप इसी तरह से करेंगे, तो इसका कोई भी फल नहीं निकलेगा।

अब सभी अपने-अपने नियमों के अनुसार चल रहे हैं। इस सभा के कुछ अपने नियम और विनियम हैं। नियमों और विनियमों की इस पुस्तक को देखें। आप सब शिक्षित हैं। आप इसे पढ़ पायेंगे। कृपया बैठ जायें। नहीं, नहीं, बात एकपक्षीय नहीं होनी चाहिये। कृपया चुप रहें और पहले सुनें। यह एकपक्षीय नहीं, बल्कि दो पक्षीय मामला है। आप दोनों को मिलजुल कर चलना है। यह सभा आप सब की है, किसी एक व्यक्ति या दल की नहीं है। सभी दलों को अपनी बात कहनी है और इसी सभा में कहनी है। मैं सभी बोलने के इच्छुक व्यक्तियों को पर्याप्त अवसर दूंगा, लेकिन इस प्रकार नहीं। जब एक व्यक्ति खड़ा होता है तो दूसरा व्यक्ति बोलने लग जाता है। मैं अपना निर्णय दूंगा। मैं नियमों और विनियमों के अनुसार ही चलूंगा। सभी लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बोलना चाहिये। अब मैं एक-एक करके बुलाऊंगा और उसी के अनुसार निर्णय दूंगा जिसका कि आपको पालन करना पड़ेगा।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मैं निवेदन कर रहा था कि लोक सभा की बैठक के पहले—(इंटरप्शंज)

अध्यक्ष महोदय : अब मैंने उन्हें कह दिया है। श्री बाजपेयी मेरी ही अनुमति से बोल रहे हैं।

श्री बाजपेयी, आप अब अपनी बात कहें (व्यवधान)।

कृपया व्यवधान न डालें।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय—

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले मेरी बात सुनें। मैं कहना चाहूंगा (व्यवधान)

आपका प्रश्न क्या है ?

श्री संजय गांधी (अमेठी) : श्री बाजपेयी बोल सकते हैं लेकिन उनको निपटने की बात नहीं करनी चाहिये।

अटल बिहारी बाजपेयी : श्री संजय गांधी अमेठी से चुनकर आये हैं लेकिन वहां की भाषा का उनको ज्ञान नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा। मेरी अनुमति के बिना, जो कुछ भी बोला जाये, उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाये यह एक स्थायी आदेश है।

**कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया।

अब बहुत सी बातें करने को हैं। मैंने पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बहुत से नोटिस प्राप्त किए हैं (व्यवधान)।

कृपया मेरी बात सुनें। मैं माननीय सदस्यों की बात सुनना चाहूंगा और फिर उसके बाद अपना निर्णय दूंगा। सबसे पहले मैं श्री वाजपेयी को बुलाता हूं। श्री वाजपेयी, आप दो मिनट में अपनी बात कह सकते हैं, उसके बाद मैं अपना निर्णय दूंगा।

अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त करने जा ही रहा था कि उधर से शोरगुल शुरू हो गया। ऐसा लगता है कि इस सदन में बोलने नहीं देंगे, उस सदन में बोलने नहीं देंगे तो बाहर क्या बोलने देंगे। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता, मैं एक सीमित मुद्दा उठा रहा हूं। क्या लोक-सभा की बैठक शुरू होने के एक दिन पहले फार्टिलाइजर डीजल और पैट्रोल की कीमतों में वृद्धि करना उचित था? क्या यह संसदीय परम्पराओं के अनुकूल है? क्या सरकार सदन की बैठक शुरू होने तक एक दिन के लिये नहीं रुक सकती थी? (व्यवधान) ऐसा मामला एक बार और हुआ था, आप पुराना रूलिंग देखें। सरकार को इस बारे में आगाह करना होगा। कीमतों की वृद्धि के व्यापक सवाल पर मैं नहीं जाना चाहता, मैं औचित्य का मामला उठा रहा हूं, प्रोप्राइटी का मामला। आप सदन के अधिष्ठाता हैं, आपको फैसला करना है। सरकार यह जवाब दे कि अगर वह दो दिन रुक जाती तो कौनसा आसमान टूट जाता?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इस बात को जानता हूं कि यह एक अतिरिक्त कर है। यह बजट के अन्तर्गत नहीं आ सकता। लेकिन श्री वाजपेयी ने जो कुछ कहा उसमें सार है। मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि यदि आप ऊर्जा के मूल्य को थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ाते रहें तो समूचा मूल्य ढांचा तथा देश में रहन-सहन की लागत निरंतर बढ़ती ही जायेगी। क्या सरकार की इच्छा यही है। क्या मतदाताओं को लोक सभा तथा 9 विधान सभाओं के चुनाव से पहले यही आश्वासन दिये गये थे? (व्यवधान) मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं यही कह सकता हूं कि ये सब नौजवान हैं, यहां नये नये आये हैं, ये नियम नहीं जानते और ये इसी प्रकार का व्यवहार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : ये सदस्य हैं। आप इन्हें नौजवान नहीं कह सकते। (व्यवधान)

श्री संजय गांधी : यदि यह औचित्य की बात है, तो पहले सभा को इसके के बारे में क्यों नहीं बताया गया—

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी कोई निर्णय नहीं दे रहा। मैं सभी सदस्यों की बात सुनूंगा। उसके बाद अपना निर्णय दूंगा।

श्री संजय गांधी : यदि यह औचित्य की बात है कि मूल्य बढ़ाने से पहले सभा को इस बारे में जानकारी दी जानी चाहिये थी तो निश्चय ही यह भी औचित्य की बात थी कि मोरो दयान के भारत दौरे के बारे में सभा को जानकारी दी जाती; विदेश मंत्री ने खुले आम इनकार किया है; देश के सामने झूठ बोला गया है; सभा को इस बारे विश्वास में नहीं लिया गया (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : हम इस मामले को किसी ऐसी इच्छा से नहीं लाये कि···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य कार्यवाही चलने देंगे ?

श्री संजय गांधी : जब आपने मुझे बोलने की अनुमति दी तो इन्होंने व्यवधान डाला। अब इन्हें आपत्ति नहीं करनी चाहिये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमने इस मामले को सभा के सामने आसाम सम्बन्धी चर्चा में बाधा डालने के उद्देश्य से नहीं रखा है। उस पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य-सूची के अनुसार चर्चा होनी चाहिए। लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि सत्र शुरू होने से एक दिन पहले ही पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि की घोषणा की गयी जिसके परिणाम दूरगामी होंगे।

आज के समाचारपत्र से पता चला है कि रेल मंत्री को भी इस वृद्धि का आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि रेलवे को डीजल का और 70 करोड़ रुपये का बोझ उठाना पड़ेगा। अतः उनके पास रेलवे किराये तथा भाड़े में वृद्धि करने का अच्छा बहाना होगा।

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ।

श्री भगवत झा आजाद : ये इस बारे में पहले से जानते थे। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रीमान, आप इस सभा के तथा सभा के अधिकारों एवं गरिमाओं के संरक्षक है। हमें उम्मीद थी कि ऐसी महत्वपूर्ण घोषणा जिसका देश की अर्थ-व्यवस्था पर गम्भीर प्रभाव पड़ने वाला है, का संसद के सत्र से एक दिन पहले किए जाने से आपको भी उतना ही बुरा लगा होगा जितना कि हमें लगा है। जबकि वह सभा में आकर आपकी स्वीकृति लेकर घोषणा कर सकते थे। आपको इस बात की कोई चिन्ता नहीं है। यह सभा की गरिमा के औचित्य का प्रश्न है। इसीलिए हम इस बात का आग्रह कर रहे हैं। आज भी मंत्री महोदय अपने आप ही वक्तव्य देने नहीं आये। इसके बाद भी यदि आप कहते हैं कि वे वक्तव्य दे रहे हैं तो इससे हमारी संतुष्टि नहीं होती। क्षमा करें उन्होंने कोई दायित्व नहीं माना कि स्वतः ही वक्तव्य दें। इससे प्रकट होता है कि उनका इरादा सभा के अधिलंघन करने का था। इसलिए हम आपकी अनुमति···

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको सुन लिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप इसे किसी भी रूप में लिए जाने की अनुमति दे दें ताकि इस मामले में अपना कठोर विरोध प्रकट किया जा सके।

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : अध्यक्ष महोदय, चुनावों में जो भ्रष्टाचार और हिंसा हुई है, मैंने उसके बारे में एक स्थगन-प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उसके बारे में नहीं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मुझे यह मामला उठाने के लिये अमुमति मिल गई है। श्रीमान्, इससे सभा का अवमान होता है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ···(व्यवधान) सभा के समवेत होने के केवल एक दिन पूर्व — (व्यवधान) ×

× कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कोई बात रिकार्ड नहीं की जायेगी।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं कह रहा था कि सभा का स्पष्ट अवमान किया गया है। सभा की बैठक आरम्भ होने से एक दिन पूर्व—सरकार की किसान विरोधी नीति-पेट्रोल तथा डीजल का मूल्य बढ़ाया जाना तथा इससे सभा का भारी अवमान होता है। आज पेट्रोलियम मंत्री उपस्थित नहीं हैं।

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : वह उपस्थित हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय दर्शन दें।

श्री चन्द्रजीत यादव : मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय उपस्थित हैं। परन्तु मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय स्पष्ट करें कि किन हालात में मूल्य वृद्धि करनी पड़ी।

एक बात और है। मेरा आपसे निवेदन है। आप इस सभा के संरक्षक हैं। इस बारे में सभी ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। यह स्थापित संसदीय परम्पराओं एवं संसदीय नियमों की ऐसे प्रस्ताव जिनका सम्बन्ध देश की पूरी जनता से है, सभा में रखे जायें जबकि सभा की बैठक हो रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ। कृपया इस पर ध्यान दें···।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : इसलिए आप इस बात पर ध्यान दें कि सभा को चर्चा का अवसर मिले। अन्यथा मुझे भय है कि शासक दल के कुछ व्यक्ति ऐसा कहते रहेंगे कि 'यह बात भूतपूर्व सरकार ने की है अतः हम कर रहे हैं।'

श्रीमान्, सभा का इससे कोई सम्बन्ध नहीं कि ऐसा पहली सरकार ने किया था अथवा नहीं। कोई भी सरकार यदि जनता के हितों के विरोधी बात करती है तो सभा के लिए चिन्ता का विषय बन जाता है। मैं समझता हूं कि इस कारण सरकार की निन्दा की जानी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (यादवपुर) : मैं इस बात को नहीं लूंगा कि क्या इस प्रकार की अधिसूचना सवैधानिक थी अथवा नहीं। परन्तु औचित्य का प्रश्न इससे संबद्ध है। क्योंकि सभा एक दिन बाद बैठने वाली थी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे मैं सभा के समक्ष रखना चाहता हूं यह है कि अधिसूचना को आज सभा पटल पर रखा जाना चाहिए था। परन्तु उसे सभा पटल पर नहीं रखा गया। आज की कार्य-सूची से भी मुझे ऐसा नहीं लगता। जिस मामले से लोगों का सीधा सम्बन्ध है, क्योंकि इसका परिणाम पूरी अर्थ-व्यवस्था पर पड़ेगा और जबकि इस सभा को ऐसी अधिसूचना को रद्द करने का अधिकार है। अतः मुझे उन अधिसूचनाओं को रद्द करने का प्रस्ताव रखने का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए इसे यथाशीघ्र सभा पटल में रखा जाना चाहिए था। आज सरकार बहुत-सी अधिसूचनाएं सभा पटल पर रख रही है। परन्तु इस महत्वपूर्ण अधिसूचना को भी यथाशीघ्र सभा पटल पर रखा जाना चाहिए था ताकि सभा में प्रस्ताव रखने का अवसर मिले। इसलिए न केवल सभा में घोषणा नहीं की गई, साथ ही उसे प्रथम अवसर पर सभा पटल पर भी नहीं रखा गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं हम पर पर्याप्त चर्चा की जा चुकी है। श्री वीरेन्द्र पाटिल अब इस बारे में स्पष्टीकरण देंगे।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : श्रीमान, माननीय सदस्य श्री वाजपेयी ने तथा कुछ अन्य सदस्यों ने औचित्य का प्रश्न रखा है। श्रीमान्—(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात कहने दें।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मेरा निवेदन है कि—(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें सुलेख और जानकारी आपनेमांगी है वह उसे देर है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मेरा नम्र निवेदन है कि इस मामले में औचित्य का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि यह पहला अवसर नहीं है कि जब पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य बढ़ाया गया है। मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूँ कि जनता शासन के दौरान अगस्त, 1979 में भी पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य बढ़े थे। अब प्रश्न यह है कि क्या ऐसी वृद्धि करते समय सभा को विश्वास में लिया जाना चाहिए, अथवा नहीं। मेरा निवेदन है कि विपक्ष के बहुत से सदस्यों को प्रशासन का अनुभव है। ऐसे मामलों में सभा को विश्वास में लेने का कोई प्रश्न ही नहीं है। परन्तु मैं मानता हूँ कि सभा को इस वृद्धि के परिणामों पर विचार करने का अवसर मिलना चाहिए। मैं इस मामले पर वाद-विवाद को रोकना नहीं चाहता। यदि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा जाता है तथा आप उसे स्वीकार कर लेते है तो मैं वक्तव्य देने को तैयार हूं। परन्तु इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जाना चाहिए। (व्यवधान) यदि अध्यक्ष महोदय चाहते हैं कि मैं इस बारे में विस्तृत वक्तव्य दूं, तो मैं कल सभा में वक्तव्य देने को तैयार हूं। उस पर चर्चा की जा सकती है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप विस्तृत वक्तव्य दे सकते है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अंतर्गत। (व्यवधान) कृपया सभी सदस्य बैठ जाएं। यह कोई तरीका नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय का आशय है कि यदि यह घोषणाएं बहुत शीघ्र कर दी जाती थीं तब निजी तेल कम्पनियां सौदेबाजी करती थीं, परन्तु उन्होंने बढ़े हुए मूल्यों पर अदायगी करने से बचना चाहा। परन्तु आज जबकि सभी तेल कम्पनियां सरकारी क्षेत्र में वैसी स्थिति पैदा नहीं होती। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे मंत्री महोदय के वक्तव्य से मतलब नहीं, मैंने तो आप से रूलिंग देने के लिए कहा था, यह प्रोप्राइटी का सवाल है या नहीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभी सदस्य कृपया बैठ जायें। सरकार द्वारा कतिपय पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि करने पर माननीय सदस्यों के विचार मैंने सुने हैं। इस बारे में मैं अपने से पहले के अध्यक्ष द्वारा ऐसे ही अवसर पर 4 मार्च, 1979 को की गई टिप्पणी का उल्लेख करता हूं। उस समय अध्यक्ष महोदय ने कहा था, "जब संसद सत्र में हो तथा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं—एक बात जिसकी मैं उपेक्षा नहीं कर सकता वह यह है कि सभा को सूचित किये बिना ऐसे निर्णय लेना अनुचित है।"

परन्तु इस मामले में पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि के बारे में घोषणा उस समय की गई जब कि

सभा सत्र में नहीं थी, परन्तु यह घोषणा सत्र के अवसर पर की गई। फिर भी सांवैधानिक उपबंधों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। परन्तु यदि मूल्य वृद्धि की घोषणा सभा में की जाती तो अधिक अच्छा होता।

माननीय सदस्य जानते हैं कि इस मामले को कैसे उठाया जाये अर्थात् इसे नियम 184, 157 आदि के अंतर्गत उठाया जा सकता है जिसे चर्चा के लिए स्वीकार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सामान्य बजट एवं पेट्रोलियम मैंटर रसायन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के समय भी चर्चा के अवसर उपलब्ध होंगे।

इसीलिए मैंने इस पर स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अधिसूचना को आज सभा-पटल पर क्यों नहीं रखा गया ?

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय मैं, सभा का त्याग करता हूं।

(श्री मनीराम बागड़ी कुछ अन्य सदस्यों सहित सदन से बाहर चले गये।)

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण अधिनियम 1978 के अन्तर्गत अधिसूचनायें)

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) मैं चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 की धारा 21 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं—

(एक) अयोध्या चीनी मिल लिमिटेड, राजा-का-सहसपुर (उत्तर प्रदेश) के सम्बन्ध में दायित्वों से छूट के बारे में सां० आ० 218 (ङ) जो दिनांक 28 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) राय बहादुर नारायण सिंह चीनी मिल लिमिटेड, लक्सर (उत्तर प्रदेश) के सम्बन्ध में दायित्वों से छूट के बारे में सां० आ० 219 (ङ) जो दिनांक 28 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) श्री सीताराम चीनी कम्पनी लिमिटेड, बेतालपुर (उत्तर प्रदेश) के सम्बन्ध में दायित्वों से छूट के बारे में सां० आ० 220 (ङ) जो दिनांक 28 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) देवरिया चीनी मिल लिमिटेड, देवरिया (उत्तर प्रदेश) के सम्बन्ध में दायित्वों से छूट के बारे में सां० आ० 221 (ङ) जो दिनांक 28 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) जीजामाता सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड, शंकरनगर (महाराष्ट्र) के सम्बन्ध में दायित्वों से छूट के बारे में सां० आ० 222 (ङ) जो दिनांक 28 मार्च, 1980

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(छः) सेक्सरिया चीनी मिल लिमिटेड, बभनान (उत्तर प्रदेश) के सम्बन्ध में दायित्वों से छूट के बारे में सां० आ० 223 (ङ) जो दिनांक 28 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(सात) कावेरी शूगर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, कावेरी कारखाना, पेट्टईवेटालई (तमिलनाडु) के सम्बन्ध में दायित्वों से छूट के बारे में सां० आ० 224 (ङ) जो दिनांक 28 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(आठ) श्री केशोरायपाटन सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, केशोरायपाटन (राजस्थान) के सम्बन्ध में दायित्वों से छूट के बारे में सां० आ० 225 (ङ) जो दिनांक 28 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 795/80]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई का वर्ष 1978-79 का प्रतिवेदन

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान बम्बई के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 796/80]

केन्द्रीय सरकार द्वारा मई, 1980 में जारी
बाजार ऋणों के परिणाम दर्शाने वाला एक विवरण
तथा
बैंक प्रतिपूर्ति बांडों के जारी किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा मई, 1980 में जारी किये गये बाजार ऋणों के परिणाम दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 797/80]

(2) बैंक (अर्जन तथा अन्तरण) प्रतिपूर्ति बांडों के जारी किये जाने के बारे में दिनांक 19 मई, 1980 की अधिसूचना संख्या एफ० 4(7)—डब्ल्यू एण्ड एम/80 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 798/80]

राष्ट्रपति शासन के अधीन विभिन्न राज्यों सम्बन्धी अधिसूचनायें

संसदीय कार्य मंत्री (श्री भीम नारायण सिंह) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रपति द्वारा 6 अप्रैल, 1980 को प्रख्यापित आवश्यक सेवाएं (असम) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्यांक 2)

(2) राष्ट्रपति द्वारा 15 अप्रैल, 1980 को प्रख्यापित बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्यांक 3)

(3) राष्ट्रपति द्वारा 27 अप्रैल, 1980 को प्रख्यापित नेशनल कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्यांक 4)

(4) राष्ट्रपति द्वारा 1 मई, 1980 को प्रख्यापित पुलिस (द्रोह उद्दीपन) (गुजरात द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्यांक 5)

(5) राष्ट्रपति द्वारा 12 मई, 1980 को प्रख्यापित आवश्यक सेवाएं (महाराष्ट्र) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्यांक 6)

(6) राष्ट्रपति द्वारा 12 मई, 1980 को प्रख्यापित गुजरात आवश्यक सेवायें (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्यांक 7)

(7) राष्ट्रपति द्वारा 24 मई, 1980 को प्रख्यापित आवश्यक सेवाएं (उड़ीसा) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्यांक 8)

(8) राष्ट्रपति द्वारा 5 जून, 1980 को प्रख्यापित दण्ड प्रक्रिया संहिता (असम) संशोधन अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्यांक 9)

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 799/80]

भारतीय डाक-तार विभाग की दूर संचार शाखा से वर्ष 1977-78 के लाभ और हानि लेखे तथा तुलन पत्र तथा भारतीय तार

(पहला संशोधन नियम) 1980

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय डाक-तार विभाग की दूर-संचार शाखा के वर्ष 1977-78 के लाभ और हानि लेखे तथा तुलन-पत्र (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रोद्भव आधार पर) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 800/80]

(2) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (पहला संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 26 जनवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 132 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 801/80]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश में बिजली की भारी कमी

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलोर) : मैं ऊर्जा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"देश के विभिन्न भागों में बिजली की भारी कमी जिसके कारण उत्पादन का भारी ह्रास हो रहा है।"

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चोधरी) : देश के विभिन्न भागों में विद्युत की कमी तथा उत्पादन पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पर माननीय सदस्यों ने इस ध्यान कर्षण प्रस्ताव के जरिए जो चिन्ता और उद्विग्नता व्यक्त की है वैसी ही चिन्ता और उद्विग्नता मुझे भी है। इसी प्रकार के एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में मैंने इस सामान्य सदन में 30 जनवरी, 1980 को एक वक्तव्य दिया था और माननीय सदस्यों को सूचित किया था कि देश में विदयुत की संकटपूर्ण स्थिति पर हम पूरी तरह ध्यान दे रहे हैं और इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रहे हैं। विशेष रूप से अप्रैल और मई महीनों के दौरान जल विद्युत जलाशयों से कम विद्युत उपलब्ध होने के कारण उम्मीद है कि जून, 1980 तक विद्युत की स्थिति संकटपूर्ण बनी रहेगी। आज देश में विद्युत की कमी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस कमी के लिए विभिन्न कारण उत्तरदायी हैं। पिछले वर्ष अभूतपूर्व सूखा पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप जल-विद्युत उत्पादन में 30% तक कमी हुई है। जो राज्य मुख्यतः जल विद्युत पर निर्भर करते हैं उन्हें सबसे अधिक सकट उठाना पड़ा है। इसके अलावा, मांग में 10-15% की वार्षिक वृद्धि हुई है। साथ ही, सूखे के कारण कृषि क्षेत्र मे विद्युत की मांग में वृद्धि हुई है। फिर, अधिकांश यूनिटों की प्रबन्ध व्यवस्था राज्य बिजली बोर्डों, स्वयत्तशासी संस्थानों द्वारा की जाती है, जो अपनी-अपनी राज्य सरकारों के प्रति उत्तरदायी हैं। हमारे जैसी संघीय राज्य व्यवस्था में केन्द्र केवल योजना निधियों के आवंटन में राज्य सरकारों का विशेषतापूर्ण सलाह और सहायता ही प्रदान कर सकता है।

सत्ता सम्भालने के बाद हमारी तात्कालिक और प्रमुख चिन्ता यही रही है कि विद्युत के वर्तमान साधनों की बेहतर प्रबंध-व्यवस्था के लिए आवश्यक निर्देश, सहायता और पर्यवेक्षण प्रदान किया जाए। मूल तथ्य यह है कि क्षमता समुपयोजना को बढ़ाना जाना है।

जनवरी, 1980 में हमारे द्वारा कार्य-भार सम्भालने से पहले क्षमता समुपयोजना लगभग 45% था। आज क्षमता समुयोजना लगभग 48% है। हम इसमें और सुधार करके इसे 50% या इससे अधिक तक ले जाना चाहते हैं। दामोदर घाटी निगम में तथा कुछ राज्यों में जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल में क्षमता समुपयोजना बहुत ही कम है। कानून व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति यूनियनों की परस्पर प्रतिस्पर्धा तथा काम करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियों और सुविधाओं का अभाव आदि ऐसे कारण हैं जो इस प्रकार की स्थिति के लिए, विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में, इस प्रकार की स्थिति के लिए जिम्मेदार है।

अपर्याप्त मात्रा में कोयले की सप्लाई जैसी अन्य कठिनाइयां भी हैं, परन्तु कोयले की कमी के कारण यह स्थिति नहीं है। मुख्य कठिनाई कोयले की ढुलाई की है क्योंकि कोयले की बढ़ी हुई आवश्यकता के अनुरूप ही परिवहन व्यवस्था में वृद्धि नहीं हुई है।

व्यक्तिगत तौर पर मेरा विचार ऐसा नहीं है कि ये कठिनाइयां ऐसी हैं कि इन पर पार नहीं पाया जा सकता। विभिन्न निवेशों का ठीक समय पर आयोजन-प्रबन्ध किया जाना है और समन्वय व्यवस्था में सुधार लाना है।

हमारी नीति के अनुसार सरकार देश की विद्युत सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा.करने के लिए पिट हैडों पर सुपर ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना करने के लिए उत्सुक है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन और प्रचालनाधीन एक राष्ट्रीय ग्रिड की यथाशीघ्र स्थापना करने का भी प्रस्ताव है। इसमें मुख्य तौर पर 400 के० वी० पारेषण लाइनें, स्टैप डाउन सब-स्टेशन तथा भार प्रेषण केन्द्र आदि होंगे। साथ ही, हम इस बात के लिए भी कटिबद्ध हैं कि ताप विद्युत केन्द्रों का प्रचालन दक्षतापूर्वक हो। कुछ बाधायें भी हैं जैसे निर्माण में गुणवत्ता नियन्त्रण की कमी, मुख्य उपकार का उत्थान और सप्रवर्तन तथा फुटकर पुर्जों के लिए समय पर आर्डर देना तथा इनकी समय पर सप्लाई। अति परिष्कृत वृहद ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के कार्य को और अधिक तेज करना होगा। इन सभी कमियों को पूरा करने के लिए हम उपाय कर रहे हैं ताकि क्षमता समुपयोजन में वृद्धि हो सके।

जल विद्युत उत्पादन का विस्तार करने के लिए भी हम उत्सुक हैं। दुर्भाग्यवश जल विद्युत विस्तार की अवहेलना की जाती रही है। इसके लिए विद्युत आयोजना कार्य दीर्घकालिक आधार पर करना होगा। सुरंगों आदि जैसे सिविल कार्य थोड़े समय में पूरा करने में विशेषज्ञता के अभाव के कारण भी सम्भवतः ऐसा हुआ है। इसके लिए यदि विदेशी तकनीक मितव्ययतापूर्ण और लाभकर पाई गई तो उसका आयात भी किया जा सकता है।

बढ़ी हुई मांग को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक उपाय है नई विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में लगने वाली देरी को कम करना। केन्द्रीय परियोजनाओं में भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल आधुनिक परियोजना प्रबन्ध संकल्पनाओं को लागू करने में हमने उल्लेखनीय प्रगति की है। इस सम्बन्ध में राज्य अभिकरणों को भी आवश्यक सहायता तथा मार्गदर्शन देने का हमारा विचार है।

श्री जनार्दन पुजारी : वक्तव्य से स्पष्ट है कि जनता शासन के दौरान कुप्रबन्ध तथा विभिन्न मंत्रियों के बीच तालमेल न होने के कारण अनेक बिजली संयंत्र पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में बिजली की कमी के कारण 1300 बड़े-बड़े औद्योगिक एकक तथा अन्य अनेक सम्बद्ध एककों की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। कर्नाटक बिजली के मामलों में कार्य वाला राज्य रहा है और वहां की सरकार केन्द्र सरकार से इस बारे में सहायता प्रदान करने के लिए कहती आ रही है। जैसे कि कहा गया है, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा तैयार अनुपात के अनुसार देश को अतिरिक्त 29000 मेगावाट तापीय बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। इसका अर्थ यह है कि लक्ष्य पूरा करने के लिए हमें देश में कुछ और तापीय संयंत्र स्थापित करने पड़ेंगे। यह भी कहा गया है कि बिजली की कमी के कारण देश को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रह है। जिसके फलस्वरूप मुआल्फिति पनप रही हैं।

मैं इस समय यह भी कहना चाहूंगा कि कुछ राज्य बिजली बोर्ड अपने राज्यों में बिजली उत्पादन में वृद्धि नहीं करना चाहते। मुझे यह भी पता चला है कि जनता शासन के दौरान कुछ बिजली बोर्ड राजनैतिक हितों से प्रेरित थे। इन परिस्थितियों में क्या मैं मंत्री से पूछ सकता हूं कि समस्या समाधान करने के लिए क्या केन्द्रीय सरकार फालतू बिजली की आवश्यकता पड़ने पर बिजली की कमी वाले राज्यों को देने की व्यवस्था करेगी। इसके अतिरिक्त क्या केन्द्रीय सरकार

मंगलौर पतन के निकट कर्नाटक में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए तापीय संयंत्र स्थापित करेगी, जिसमें समुद्री मार्ग द्वारा अपना कोयला उपयोग में लाया जायेगा जैसे कि तमिलनाडु के टुटीकानि पतन में हो रहा है ? गैर-सरकारी क्षेत्र में बिजली पैदा करने की योजना पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? बड़े औद्योगिक ग्रहों द्वारा विश्व बैंक की सहायता से विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में अपने बिजली संयंत्र स्थापित करने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? क्या सरकार 'बिजली' को समवर्ती सूची से बदलकर संघीय सूची में रखने का कोई विचार है ताकि इसे सुचारू रूप से चलाने में सुविधा हो सके।

श्री ए० बी० ए० धनी खान चौधरी : माननीय सदस्य ने अनेक प्रश्न पूछे हैं और जैसे कि आप जानते हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना कठिन है। मैं इनकी इस बात से सहमत हूं कि देश में बिजली की कमी के कारण स्थिति बहुत गम्भीर है। जब हम सत्ता में आए तो हमने सोचा था कि हमें इस समस्या को दो तरीकों से हल करना है। एक तरीका तो अल्पकालिक समाधान का प्रश्न है, हमने देखा है कि कई बिजली घरों में कोयला नहीं है। हमने कोयले के उचित परि-परिवहन पर अधिक बल दिया है। शुरू-शुरू में केवल 2800 वैगन कोयला ढोते थे।

हम आग्रह करते रहे और रेल मन्त्री महोदय ने हमारी बड़ी सहायता की। आज कुछ नहीं तो 3200 से अधिक वैगन बिजली-घरों को कोयला ढोते है। परन्तु सदन को यह बताते हुए मुझे खेद हो रहा है कि इतना कुछ पर्याप्त नहीं है। यदि आप किसी प्रकार का सुरक्षित भण्डार या भण्डार तैयार करना चाहते हैं तो विभिन्न बिजलीघरों को कोयला भेजने के लिये प्रतिदिन कम से कम 3700 वैगन चाहिये।

चूंकि आज हमें अभूतपूर्व सूखे का सामना करना पड़ रहा है, हमारे पास तापीय विद्युत-उत्पादन पर बल देने के सिवाय कोई चारा ही नहीं है। अतः स्वाभाविक है कि हमें 3८0 लाख टन कोयला चाहिये।

एक और समस्या उठ खड़ी हुई है। केवल कोयले की पर्याप्त पूर्ति की समस्या ही नहीं, अपितु, कोयले की गुणवत्ता की समस्या भी उठ खड़ी हुई है। हम इस मामले पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। जब कभी विवाद खड़ा होता है, हम बिजलीघरों से लदान के स्थान पर कोयले की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण करने के लिए अपना आदमी भेजने के लिए कहते हैं। जहां कहीं इतने से काम नहीं चलता, वहां हमने पहले से ही शोधकशाला के आदेश दे रखे है, जिससे कोयले की ढुलाई की जा सके। और विद्युत-ग्रहों को कोयले की उचित कोटि भेजी जा सके तथा विद्युत उत्पादन में कमी नहीं होने पाये। इस बात पर हमने बड़ी गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया है।

आप जानते ही हैं कि बहुत-से राज्य स्वयं बिजली उत्पादन करते हैं, जिसकी देखभाल राज्य सरकारें ही करती हैं, उन पर हमारा कोई प्रभावशाली नियन्त्रण नहीं होता। हम तो केवल उनकी सहायता कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं और उनको प्रेरित करने का प्रयास कर सकते हैं। आपको यह सुनकर महोदय आश्चर्य होगा कि कुछ प्रदेशों में, उपयोगिता का प्रतिशत 50 से भी अधिक है। अन्य कुछ में यह बहुत ही कम है—लगभग 25%। इस समय हम उनको कहना चाहते हैं राज्य बिजली-बोर्डों के अध्यक्षों; मुख्य मन्त्रियों और विद्युत मन्त्रियों से यह मांग कर रहे हैं कि मानवीय ढंग से जैसे सम्भव हो सके अधिक से अधिक बिजली का उत्पादन किया जाए।

इसके अतिरिक्त, हमने यह प्रबन्ध किया है कि राज्य बिजली बोर्डों को यथाशीघ्र फालतू कल-पुर्जे उपलब्ध हो सकें। राज्य बिजली बोर्डों ने जब कभी भी हमसे फालतू कल-पुर्जों अथवा अन्य सहायता के लिए माँग की है, हमने वह सहायता दी है। हम इन अल्पावधि उपायों से सन्तुष्ट नहीं हैं और हमने सुपर तापीय बिजली-घर भी चालू कर दिए हैं। हम सुपर तापीय विद्युत उत्पादन को कोयला क्षेत्रों में ले जा रहे हैं, क्योंकि अपने अनुभव से हमने यह देखा है कि कोयले का परिवहन ही गत्यावरोध उत्पन्न करता है।

अतः यदि ये विद्युत-गृह वहां स्थापित कर दिये जाएं तो कोयला क्षेत्र इन अड़चनों को दूर कर सकते हैं। आपको सम्भवतः पता होगा कि हमने कोयला क्षेत्रों के निकट 2000 मेगावाट शक्ति वाला सिंगरौली विद्युत-गृह चालू कर दिया है। आपको कोरबा तथा रामागुन्डम और फराक्का परियोजनाओं के बारे में भी आपको पता होगा। सम्भवतः उनमें से कुछ का प्रथम एकक 1982 में, कुछ का 1983 में और कुछेक का 1984 तथा 1985 में चालू होगा और इसी प्रकार होते चले जायेंगे। मैं सदन को विश्वास दिला सकता हूं कि कोयला क्षेत्र के निकट बिजली घर खोलने के किसी भी प्रस्ताव पर निश्चित रूप से विचार किया जायेगा क्योंकि यह हमारा अनुभव रहा है कि दिन-प्रतिदिन कोयला ढोना कठिन होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त, मेरे विचार से आगामी पांच वर्षों में 1900 मैगावाट की इसमें और वृद्धि हो जायेगी। अपने राज्य में तापीय बिजली बिजली घर की स्थापना के प्रश्न पर मैं कह सकता हूं कि मुझे वहां कोयले के भण्डार की स्थिति का पता नहीं है और यदि कहीं मुझे इसका ज्ञान होता तो मैं इस पर अवश्य ध्यान देता और यदि यह न्याय-संगत मांग है तो हम अवश्य इस पर विचार करेंगे। परन्तु कर्नाटक में का तापीय बिजली की कोई संभावना नहीं है।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलोर) : मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : महोदय, मैं यह बता देना चाहता हूं कि राज्य की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर इसका अलग अपना ही प्रभाव पड़ेगा। ऐसा अनुमान है कि बिजली की कमी के कारण हमें प्रति वर्ष 7300 करोड़ रुपये के उत्पादन का घाटा उठाना पड़ रहा है जिसके परिणाम-स्वरूप कारखानों को छटनी, तालाबन्दी जैसी बातों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने मन्त्री महोदय की बात बड़ी सावधानीपूर्वक सुनी है। आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं इसका वास्तविक हल क्या है? यदि मेरी बात सही है तो 1979 में योजना आयोग ने बिजली-उद्योग के समस्त विद्युत-ढांचे का अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल नियुक्त किया था और उन्होंने उन पहलुओं पर कुछ सिफारिशें की थीं। आप तो जानते ही हैं कि हम अपनी कुल आवश्यकता का 40% भाग जल-विद्युत के रूप में पैदा कर रहे हैं। यदि मेरी बात ठीक है तो हम केवल 2.5 प्रतिशत परमाणु-बिजली प्राप्त कर पा रहे हैं। हम अधिकाधिक तापीय बिजलीघरों पर निर्भर करते जा रहे हैं। समस्त प्रश्न की कठिनाई की जड़ ही तापीय बिजली-घर है। मुश्किल तो यह है कि हमारे तापीय बिजली-घर कोयला खानों से दूर स्थापित किये गये हैं, जिससे कठिनाई पैदा होती है। कोयले की किस्म भी एक समस्या है। जबकि रख-रखाव की कमी भी समस्या पैदा करती है। इस सबको छोड़कर, यदि आप कोई अन्तर्राष्ट्रीय मानक अपनाएं तो, हमारे देश में परिपण के दौरान होने वाली हानि, किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय मानक से कहीं ज्यादा है। अनुमानित निर्धारण यह है कि यदि हम परिपण हानि को एक प्रतिशत भी घटा दें तो हम प्रतिवर्ष 20 करोड़

रुपये की बचत कर सकते हैं। इस आशय का एक प्रतिवेदन है जिसमें यह कहा गया है। इस सबके अतिरिक्त हमारे मन्त्री महोदय कितने ही वक्तव्य देते रहे हैं। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि समस्त मामले को सुलझाने में वे असमर्थ रहे हैं, क्योंकि सत्ता में आने के बाद उन्होंने बिजली-उत्पादन के बारे में एक वक्तव्य दिया था। उनका विचार इसको निजी-क्षेत्र को सौंपने का है। राष्ट्रहित में इस देश में ऐसी परिपाटी नहीं रही है और न ही सरकारी नीति और औद्योगिक नीति ऐसी रही है। अतः मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि अब क्या स्थिति है? क्योंकि वे अपनी स्थिति प्रायः बदलते रहे हैं। उन्होंने जो दूसरी घोषणा की थी वह यह है कि प्रत्येक प्राधिकरण, चाहे यह राज्य विद्युत प्राधिकरण हो या कोई अन्य, सब एक केन्द्रीय प्राधिकरण के अधीन आ जायेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि हर बात के लिए एक केन्द्रीय प्राधिकरण के पीछे क्या सम्मोहन है। दामोदर घाटी निगम में क्या हो रहा है जोकि केन्द्रीय प्राधिकरण के अधीन कार्य कर रहा है? ठीक केन्द्र के नीचे दिल्ली में ही क्या हो रहा है? कोई केन्द्रीय प्राधिकरण समस्याएं हल नहीं कर सकता। यह तो समाचार-पत्रों में भी छपा है कि सलाहकार-समिति को मन्त्री महोदय ने बताया कि मैं एक केन्द्रीय समिति की बात सोच रहा हूं। क्या इससे समस्याएं हल हो जायेंगी? केन्द्रीय प्राधिकरण कोई समस्या का हल नहीं है। बिजली-उत्पादन से सम्बन्धित नीति का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है और देश की इस सम्बन्ध में हालत खराब होने वाली है। वह कोई मेरा ही मत नहीं है। अध्ययन दल के प्रतिवेदन का अध्ययन करने पर मुझे पता चला है कि हमारे देश को जलीय-विद्युत पर निर्भर करना पड़ेगा जिसका आज हम केवल 40% उत्पादन कर पा रहे हैं। विभिन्न अखिल भारतीय परियोजनाओं के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि 253 योजनाएं अप्रयुक्त पड़ी हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब एक बज गया है। सदन अब दो बजे अपरान्ह तक मध्यान्ह भोजन के लिए स्थगित होगा।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 5 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सभा पटल पर रखे पत्र जारी

कुछ राज्यों में राष्ट्रपति शासन के निरसन की उद्घोषणाएं।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटासुब्बैया) :

मैं संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित उद्घोषणाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं—

1—संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 6 जून, 1980 की उद्घोषणा, जिसके द्वारा राजस्थान राज्य के सम्बन्ध में उनके द्वारा 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा का निरसन किया गया है, जो दिनांक 6 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 291 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्य एल० टी० 802/80]

2—संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 7 जून, 1980 की उद्घोषणा, जिसके द्वारा गुजरात राज्य के सम्बन्ध में उनके द्वारा 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा का निरसन किया गया है, जो दिनांक 7 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 292 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 803/80]

3—संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 7 जून, 1980 की उद्घोषणा, जिसके द्वारा पंजाब राज्य के सम्बन्ध में उनके द्वारा 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा का निरसन किया गया है, जो दिनांक 7 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 293 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 804/80]

4—संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 8 जून, 1980 की उद्घोषणा, जिसके द्वारा बिहार राज्य के सम्बन्ध में उनके द्वारा 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा का निरसन किया गया है, जो दिनांक 8 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 303 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए एल०टी० संख्या 805/80]

5—संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 जून, 1980 की उद्घोषणा, जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में उनके द्वारा 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा का निरसन किया गया है, जो दिनांक 8 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 305 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 806/80]

6—संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9, जून, 1980 की उद्घोषणा, जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सम्बन्ध में उनके द्वारा 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा का निरसन किया गया है, जो दिनांक 9 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 306 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 807/80]

7—संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 जून, 1980 की उद्घोषणा, जिसके द्वारा उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में उनके द्वारा 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा का निरसन किया गया है, जो दिनांक

9 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 307 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 808/80]

8—संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 जून, 1980 की उद्घोषणा, जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में उनके द्वारा 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा का निरसन किया गया है, जो दिनांक 9 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 308 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 809/80]

9—संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 जून, 1980 की उद्घोषणा, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में उनके द्वारा 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा का निरसन किया गया है, जो दिनांक 9 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 309 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 810/80]

उत्तर रेलवे के लोको रनिंग कर्मचारियों के आन्दोलन के बारे में वक्तव्य

रेल मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : मैं उत्तर रेलवे के दिल्ली डिविजन में लोको रनिंग स्टाफ के कुछ कर्मचारियों के आन्दोलन के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी : मैं सदन को उत्तत रेलवे के दिल्ली मंडल में कुछ स्थानों पर लोको रनिंग कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा अचानक काम बन्द कर दिये जाने के परिणामस्वरुप पिछले दो दिनों से गाड़ी सेवाओं की अस्तव्यस्तता के बारे में सूचित करना चाहता हूं। मालूम हुआ है कि पिछले शुक्रवार, 6 जून, 1980 की शाम को दिल्ली-रोहतक खंड पर सांपला स्टेशन पर तिलकब्रिज-रोहतक शटल के यात्रीयों और कर्मीदल के बीच कुछ कहा-सुनी हुई थी। यात्रियों का आरोप था कि गाड़ी को इसलिए रोका गया कि कुछ व्यक्ति निकटवर्ती शराब की दुकान से शराब खरीद सकें। परन्तु कर्मियों का कहना था कि इंजन में कुछ मामूली सी खराबी के कारण गाड़ी को रोका गया था, जिससे उसे ठीक किया जा सके। यात्रियो ने गाड़ी नहीं चलने दी और स्थानीय रेल प्राधिकारियो को राजकीय रेलवे पुलिस और रोहतक जिला, हरियाणा, की नागरिक पुलिस की सहायता लेनी पड़ी। उनके आने के बाद जींद मुख्यालय के लोको रनिंग कर्मचारियों ने 7 जून से इस आधार पर काम करना बंद कर दिया कि दैनिक यात्रियों ने उनके साथ दुर्व्यहार किया। तथा रोहतक की राजकीय रेलवे पुलिस के थानेदार ने भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया तथा इंजन कर्मीदल को धमकी दी। रेल प्राधिकारी उसी दिन लोको रनिंग कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मिले और उन्हें यह बताया कि इस मामले में राज्य सरकार के साथ बातचीत की जायेगी और इस बीच इस खंड पर गाड़ियों के साथ मार्गरक्षी भेजे जायेंगे। इसके बावजूद अगले दिन अर्थात् 8 जून को बड़े सवेरे कुछ लोको रनिंग कर्मचारियों ने दिल्ली क्षेत्र और दिल्ली मंडल के कुछ अन्य स्थानों पर भी काम करना बंद कर दिया। उन्होंने

शंटिंग रेल इंजनों की आग बुझा दी और डीजल पाइलटों को भी चलने नहीं दिया। उन्होंने डीजल और भाप इंजनों के नियंत्रण उपस्करों से भी छेड़-छाड़ की। इसके अलावा, उन्होंने गाड़ी चलाने को इच्छुक कर्मचारियों को भी धमकाया। इन गैर-जिम्मेदार कर्मचारियों की कार्रवाई के परिणामस्वरूप दिल्ली मंडल में कुछ यात्री और माल गाड़ियों को रद्द करना पड़ा कर्मचारियों की वास्तविक शिकायत पर ध्यान दिया जाता है परन्तु तोड़-फोड़ के मामलों पर गम्भीर कार्यवाई की जानी होगी। मुझे आशा है, जिन कर्मचारियों ने काम करना बंद कर दिया है उनमें सद्बुद्धि आयेगी। मैं कर्मचारियों से अपील करना चाहूंगा कि वे इस नाजुक समय पर अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई के हित में तत्काल काम पर लौट आयें। मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी अनुरोध किया है कि वे 6 जून, 1980 को सांपला स्टेशन पर हुई घटना की मजिस्ट्रेट से जांच कराने का आदेश दें। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि जो भी दोषी पाया जायेगा उसके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना जारी

देश में बिजली की भारी कमी

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के० ए० राजन आपका भाषण जारी रखेंगे।

श्री के० ए० राजन (जारी) : यहां प्रश्न यह नहीं है कि किसी प्रकार का संकट है या नहीं। लेकिन प्रश्न यह है संकट का हल क्या है ? मंत्री महोदय ने कुछ अल्पावधि उपाय गिनाने की कृपा तो की थी, परन्तु मैं तो दीर्घकालीन उपाय जानना चाहता हूं।

विद्युत-ढांचें के बारे में मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जैसी स्थिति है उसे देखते हुए हम केवल जल-विद्युत का ही सहारा ले सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम कठिनाई में फंस जायेंगे। यहां तक कि विशेषज्ञ समिति ने भी अत्यन्त ही स्पष्टरुप में बता दिया है कि भारत को जल-विद्युत का सहारा लेला पड़ेगा। तेल-आधारित शक्ति का जहां तक सम्बन्ध है, हमारी अपनी ही कठिनाईयां है जिनका हम समाधान ढूंढ रहे हैं। बड़े खेदपूर्वक मुझे कहना पड़ रहा है कि आपने एक रामबाण तरीका खोज निकाला है अर्थात सभी राज्य बिजली बोर्डों को अपने नियन्त्रण में ले लिया जाये। मैं नहीं जानता कि आपके दिमाग में यह बात आई कैसे। दामोदर घाटी निगम की क्या स्थिति है जो पहले ही आपके नियन्त्रण में है ? अधिकांश राज्यों ने और विशेषकर पश्चिमी-बंगाल और केरल ने इस प्रस्ताव का कडा विरोध किया है। अतः यह बात मैं जोर देकर कहना चाहता हूं यह कोई रामबाण इलाज नही है।

यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें लगभग छः लाख कर्मचारी काम करते हैं और उनमें से अधिकांश सरकारी क्षेत्र में हैं। इसमें तकनीकी और अभियान्त्रिक कर्मचारी वर्ग भी सम्मिलित है। परन्तु उत्तरी क्षेत्र में औद्योगिक सम्बन्धों की स्थिति बड़ी खराब है। समझौतों का पालन नहीं किया जा रहा है। अत्याचार हो रहे है। जब तक आप इन बातों को व्यवस्थित नहीं करेंगे, स्थिति में सुधार नही होगा। वर्तमान स्थिति में हम उस संकट का सामना कर रहे है जो कि बहुत फैला हुआ है ? केरल की साइलेन्ट वैली प्रोजेक्ट/शान्त घाटी परियोजना जिस पर पहले ही 2.5 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं आपकी स्वीकृति की प्रतीक्षा में है। यह एक ऐसी परियोजना

है जिसका लाभ सोर दक्षिणी भारत को मिलेगा—मैसूर, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तामिलनाडु। उस परियोजना-विशेष की क्या स्थिति है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि सदस्यबार क्यों मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं अनेक बार कह चुका हूँ कि आवश्यकता इस बात की है कि अधिकाधिक संख्या में बिजली-घर खोले जाएं। और यह आवश्यक भी है क्योंकि दिल्ली जैसे शहरों में ही नही अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली की माग 15 प्रतिशत और अधिक बढ़ गई है। इस दृष्टि से बिजली उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना होगा। हम उस पर जोर देते रहे है।

मेरे माननीय मित्र ने बताया है कि दामोदर घाटी निगम की कार्यकुशलता बुरी है। क्या मैंने कभी यह कहा है कि दामोदर घाटी निगम की कार्यकुशलता अच्छी है ?

श्री बीजूपटनायक (केन्द्रपाड़ा) : मंत्री महोदय ने गत सत्र में बताया था कि इसमें सुधार हो रहा है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि दामोदर घाटी निगम की हालत बुरी थी और सुधार हो रहा था। परन्तु सुधार हमारा आशा के अनुकूल नहीं हो पा रहा है।

दामोदल घाटी निगम की उदयोगिता क्षमता कितनी है ? श्रीमानजी, यह 39 प्रतिशत से कुछ ही अधिक है। मैंने नही कहा है कि हमें अधिकाधिक उत्पादन क्षमता का उपयोग करना चाहिये। हम इसकी अवहेलना नही कर सकते और हमें यह तो करना ही है और फिर यह केवल दामोदर घाटी निगम का प्रश्न ही नहीं है। दामोदर घाटी निगम ही केवल दो महीनों पूर्व ही हमारे नियत्रंण में आया है और मैं सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि दामोदर घाटी निगम का उत्पादन बढाना ही होगा। इसके बिना कोई और चारा नही है। उदाहरणार्थ माननीय सदस्य महोदय ने पूछा है : बदरपुर का क्या होगा ? मैं समझता हूं कि बदरपुर की उत्पादन-क्षमता का उपयोग देश के अन्य सभी बिजली घरों से अच्छा किया जा रहा है। यह 60 प्रतिशत से भी अधिक है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप फिर प्रतिशतता की बात कर रही है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : यह पिछले""""से 60 प्रतिशत से भी अधिक है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : दामोदर घाटी निगम का न्यूनतम उत्पादन 450 मेंगावाट है। जब मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी थी""""""(व्यवधान)

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : श्रीमानजी, गत दो महीनों से बदरपुर का कार्य काफी संतोषजनक ढंग से चल रहा है इसके बारे में किसी प्रकार का संदेह नही है। मेरा कहना यही है कि विद्युत की दृष्टि से हमें संम्पूर्ण भारत को एक इकाई मान कर चलना चाहिये। मेरा तात्पर्य राज्य बोर्डों से सक्रिय हथिमाने का नही है। इसकी गलत व्याख्या की गई है। मैंने नहीं कहा था कि उनके कार्यकरण तथा उनकी कार्यकुशलता में निश्चय ही सुधार किया जाना चाहिये। यदि उनकी कार्यकुशलता तथा उनके कार्यकरण में सुधार नही होता, तो निश्चय ही हमें उनके बारे में कुछ और सोचना पड़ेगा और यह कुछ और क्या होगा, इसके बारे में मैंने कभी कुछ नहीं कहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह 'कुछ और' क्या है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : उसके बारे में मैंने कभी कुछ नहीं कहा है। देश का अहित नही होने दिया जा सकता·········(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह विषय पर ही आ रहे है। आप कृपया बैठ जाईये।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राष्ट्रीय ग्रिड की बात की बात की थी। यदि हमारे पास 400 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइनों वाला राष्ट्रीय ग्रिड न हो तो हम सम्पूर्ण भारत को एक ईकाई नहीं मान सकते और मैं समझता हूं कि तब तक बिजली की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता।

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री बहुत उत्तेजित होकर मुझे सहायता के लिए टेलेक्स भेज रहे है। परन्तु मैं उनकी सहायता नहीं कर सकता यदि मैं करना भी चाहूं। तो उनकी सहायता किस प्रकार कर सकता हूं। दो दिन पहले मैंने कुछ विद्युत सम्भवत: 60 मैगावाट—उत्तरी क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र से जिसका मुझे स्मरण नहीं है—और जब वह विद्युत पश्चिम बंगाल तो पता चला कि पारषण प्रक्रिया में ही 20 मैगावाट बिजली व्यर्थ चली गई। यस ऐसी विलक्षण बात है जो बहुत ही चिन्ताजनक तथा शोचनीय है। अत: जब तक राष्ट्रयी ग्रिड के विचार को विकसित न किया जाये, तब तक इस परिषण हानि को जोकि काफी अधिक है, मेंजा नहीं जा सकता। कई बार तो यह 22 प्रतिशत होती है तो कई बार 27 प्रतिशत तक हो जाती है। इसके लिए हमें कुछ आवश्यक कदम उठाने होगें। चाहे वह कदम हमें पसंद हो या नहीं। मैं इस कार्य के लिए अपने विरोधी पक्ष के मित्रों के सहयोग के भी अपेक्षा करता हूं क्योंकि यह तक राष्ट्रीय समस्या है। यह केवल कांग्रेस दल की ही समस्या नहीं हैं। यह तो सम्पूर्ण भारत की समस्या है। यह राष्ट्रीय विकास की समस्या है, और इसका समाधान कैसी हो सकता है। हम राज्य बिजली बोर्डों की सहायता करना चाहते हैं। महाराष्ट्र के बिजली बोर्डों के स्थिति क्या है ? वह बहुत ही·सुचारु ढंग से चल रहे हैं। गुजरात तथा मध्य-प्रदेश के बिजली बोर्डों की स्थिति कैसी है ? वह भी सुचारु रूप से चल रहे है। कई बिजली बोर्ड ऐसे भी है जहां कि 35 प्रतिशत से भी अधिक क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। यही सब कुछ मैंने कहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया श्री के० ए० राजन द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर दीजिये।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैंने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है।

निजी क्षेत्र के बारे में भी उन्होंने प्रश्न उठाया है। 1976 के औद्योगिक नीति संसदय के अनुसार यदि निजी क्षेत्र से कोई प्रस्ताव आता है कि वह कही सुपर तापीय बिजली घर लगाना चाहते है, तो उस पर विचार करने में हमारे समक्ष किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है। यदि वह पूजीनिवेश करना चाहते हों तो हम उन पर भी विचार कर सकते हैं। वह केवल-मात्र हमारी आलोचना नहीं कर सकते। बिना ठोस सुझावों की आलोचना सारहीन रह जाती है। मैं उन्हें बता चुका हूं हम उनके सुझावों पर विचार करने को तैयार हैं। यदि वह सुपर तापीय बिजली घरों में पूजी निवेश करना चाहते है, तो वह ऐसा कर सकते है परन्तु कुछ शर्तें है और वह शर्तें स्पष्ट रुप से बता दी है। मैं कह चुका हूं कि वह उन्हें वितरण का अधिकार नह होगा। वितरण का

अधिकार प्रमुख रूप से राज्य बिजली बोर्ड को ही होगा। इस बात का निर्णय करने का अधिकार बिजली बोर्ड से होगा कि विद्युत किसे दी जाये या किसे न दी जाये मैंने कहा था कि यह एक संघिदात्मक अनिवार्यता है, राज्य बोर्ड विद्युत खरीद सकते है, विद्युत केन्द्रीय क्षेत्र द्वारा भी खरीदी जा सकती है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि सभी बोर्ड केन्द्रीय बोर्ड के अन्तर्गत लाये जाने चाहिये। मैंने यह कहा था कि केन्द्रीय क्षत्र को इन लोगों की सहायता करनी चाहिये, वह जैसी भी सहायता चाहे, उन्हें दी जानी चाहिये। यदि वह स्तर में मैं उन्नति नही कर सकते, और यदि आवश्यक हो, तो हम इनमें से कुछ बोर्डों को ही, तीन या चार वर्ष के लिए ले सकते है और उन्हें कार्य-कुशल बनाने के बाद वापिस लौटा सकते हैं। वह नहीं उन्हें चलाते रहें। हम उन्हें केन्द्रीय निमंत्रण के अन्तर्गत चलाने के इच्छुक नही है। यही सब मुझे कहना था।

मेरे मित्र इस परियोजना विशेष के बारे में जानने को बहुत आतुर है। इसके लिए एक दल भेजा गया था और मैं उसके प्रतिदिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। जैसे भी ही मुझे प्रतिदिन मिल जायेगा, मैं आपको बता दूंगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पसकुरा) : यदि शब्दों से विद्युत का उत्पादन किया जा सकता हो, तो वर्तमान मंत्री महोदय के नेतृत्व में यह काम पूर्ण सफलता के साथ किया जा सकता है। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसा नही किया जा सकता।

दूसरे बिजली में सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार के खम्बे होते है। एक तरफ वह बिजली का उत्पादन करते है परन्तु हमारे मंत्री महोदय द्वारा कहे गये शब्द या तो नकारात्मक है या सकारात्मक अपितु वह एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। दुभाग्यवंश वह अन्तत; विद्युत उत्पादन करने की अपीक्षा गड़बड़ पैदा करते हैं। अत: इस गड़बड़ पूर्ण स्थिति में मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं।

जहां तक ऊर्जा के उत्पादन तथा प्रबन्ध सम्बन्धी केन्द्र राज्य सम्बन्धों का सम्बन्ध है। उसके बारे में मंत्री महोदय ने कहा है :

"दूसरे इनमें से अधिकांश एक कों का प्रबन्ध राज्य बिजली बोर्डों स्वामाशासी निकामों के हाथ में है जो कि अपनी राज्य सरकारों के प्रति उत्तरदायी है।"

"हमारे देश जैसे संघीय ढांचे में तो केन्द्र केवल विशेषज्ञतापूर्ण परामर्श दे सकता है तथा योजना निधि में से आवंटन करने में राज्यों की सहायता कर सकता है।"

विवरण में यह स्थिति बताई गई है।

अब मैं मंत्री महोदय का ध्यान परामर्श समिति की वैठक सम्बन्धी छापे एक समाचार की ओर आकृष्ट करना चाहते हूं जिसमें मंत्री महोदय ने कहा था।

"एक कदम, से वर्तमान करकार की उठाना ही होगा, चाहे वह कदम लोगों की अच्छा लगे या नहीं, हम सरकार इसे आज उठाये या कल, विद्युत को तो केन्द्रीय नियत्रंण के अन्तर्गत लाना ही होगा, उसके बारे मे संविधिक स्थिति चाहे कुछ भी क्यों नहीं चाहे उसे समवर्ती सूची में लाया जाये या राज्य सूची में, परन्तु यह तो केन्द्र को करना ही होगा।"

इन दोनों वक्तव्यों से क्या अर्थ लगाया जा सकता है ? इन में से कोन सा सही है ? मंत्री महोदय का कहना है कि उनकी बात को हम गलत समझ रहे है। में सब से पहले यही कहना

चाहती हूं कि उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिये कि उनका उद्देश्य इन्हें अपने अधिकार में लेने आदि का नही है। अभी इन्होने कहा है कि उन्हें गलत समझा गया है क्योंकि उनका तात्पर्य केवल राष्ट्रीय ग्रिड से था।

उसी वक्तव्य में जिसे मैंने अभी उद्धृत किया में आगे कहा गया है :

"विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं की प्रक्तिपूर्ण आधार पर परखने तथा उनकी पूरा करने के लिए एक उचित आधार तैयार करने के लिए केन्द्र का निरीक्षण अनिवार्य है तथा उसके लिए हमें भारत को एक एकक मानना होगा।

इससे तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मंत्री महोदय विद्युत वितरण की दृष्टि से सम्पूर्ण भारत को एक एकक मानकर प्रक्तिपूर्ण ढंग से विद्युत वितरण के पक्ष में है।

जो वक्तव्य दिया गया है उसके औचित्य की ओर यदि हम ध्यान न भी दे तो भी में यह जानना चाहती हूँ कि क्या इस प्रकार सम्पूर्ण भारत को एक एकम मान कर विद्युत वितरण किया जा सकता है। यदि वह नहीं कहना चाहते हैं तो में इस सम्बन्ध में ईस्टरन कोलफील्ड लिमिटेड के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक श्री चन्द्रशेखर के शब्द उद्धृत करना चाहती हूं। श्री चन्द्रशेखर सीधे मंत्री महोदय के अधीन हैं। उन्होंने "एकनामिक्क टाइम्ज" दिनांक 15-5-80 में प्रकाशित एक समाचार में कहा है :

> "इस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड को दी जाने वाली बिजली के बारे में उन्हें शिकायत है क्योंकि उसे कम से कम बिजली दी जाती है जबकि उससे इसकी आवश्यकता बहुत अधिक होती है।"

यह विद्युत का युक्ति संगत विवरण है। यह उनका अपना ही अधिकारी कह रहा है, मैं नहीं कह रही।

इसके साथ ही मंत्री महोदय ने अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव के उत्तर में जो वक्तव्य दिया है, वह भी काफी रुचिपूर्ण है। बिजली उत्पादन के बारे में उन्होंने जो कहा है, मैं उद्धृत कर रही हूं :

> "जनवरी, 1980 में जब कि हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला उस समय लगभग 45 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जा रहा था। आज लगभग 48 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जा रहा है।"

अत: उनकी यह चिंता तथा सहानुभूति केवल शाब्दिक है। उनके अनुसार मुख्य बात तो यही है कि हमारा समय अच्छा आ गया है।

जहां तक दामोदर घाटी निगम का सम्बन्ध है, यह कोई साधारण एकक नही है। यह तापीय विद्युत उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी एकक है। केवल इतना ही नहीं अपितु आज हमारी अर्थ-व्यवस्था में इसे काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसे पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी रेलवे ट्रैक्शन की बिजली उपलब्ध करवाने, देश के 6 प्रमुख इस्पात संयंत्रों में से 4 को बिजली उपलब्ध करवाने तथा साथ ही देश में 100 प्रतिशत धातुकर्मीय कोयला का उत्पादन गनी कोयला खानों तथा देश के कुल कोयला उत्पादन में 60 प्रतिशत कोयले का उत्पादन करने वाली खानों, पश्चिम

बंगाल तथा बिहार के अनेक उद्योगों को और इनके साथ साथ कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन तथा पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड को बिजली सप्लाई करने का दायित्व दामोदर घाटी निगम का ही है। मंत्री महोदय के वक्तव्य में कहा गया है :"

"इसके साथ ही हम यह करने के लिए कटिबद्ध हैं कि तापीय बिजली घर कुशलता पूर्वक चलाये जायें।"

वर्ष 1977 में दामोदर घाटी निगम द्वारा 49.20 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया जबकि 1978 में 59.90 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया। वर्ष 1979 में दामोदर घाटी निगम में 43.20 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया जबकि 1980 में 39.83 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया।

अब मैं इससे सम्बद्ध पूरे आंकड़े प्रस्तुत करना चाहती हूं, क्योंकि अन्यथा आप कह देंगे कि यह आंकड़े केवल 3 महीने के हैं जबकि वह आंकड़े एक वर्ष के हैं। अब हम इन्हें महीने वार देखते हैं। मैं 1 1978 तथा 1979 के बीच के दो वर्ष ही लेना चाहती हूं। फरवरी 1979 में दामोदर घाटी निगम द्वारा 10 लाख किलोवाट घंटों में 426.59 का उत्पादन किया……

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी आप कुछ प्रश्न उठा सकती हैं जिनके उत्तर मन्त्री महोदय देंगे। आप उनके दायित्व को अपने ऊपर लेने का प्रयत्न क्यों कर रही हैं ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं केवल एक मिनट में इसे समाप्त करने जा रही हूं।

मार्च, 1979 में उत्पादन 456 था और मार्च 1980 में उत्पादन हुआ था। जब स्थिति यह है और इसके लिए क्या कारण तथा समाधान सुझाये गये हैं ? इनको भी जरा देख लें।

अब तक अन्य बात आती है बड़ौदा मोदर घाटी निगम की पूर्वी क्षेत्र में उपयोगित क्षमता। मुझे इसमें किसी सरकार का संदेह नहीं है कि अनेक बिजली बोर्डों के कार्यकरण में सुधार की आवश्यकता है और हमारा बिजली बोर्ड भी उन्हीं में से एक है। परन्तु इसके साथ ही जो उन्हीं के नियन्त्रण में है, वहां क्या हो रहा है ? उनका कहना है कि कानून और व्यवस्था का नियंत्रण में न होना, पारस्परिक मजदूर संघों की खींचातान तथा उपयुक्त हालात तथा सुविधाओं का अभाव आदि ऐसे कारण हैं जो इन परिस्थितियों तथा विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र की ऐसी स्थिति के लिए जिम्मेवार है।

अब देखिये, क्या पूर्वी क्षेत्र में, दामोदर घाटी निगम में अराजकता फैली हुई है, संघीय विवाद व्याप्त हैं और कर्मचारियों की काम की शर्तें उचित नहीं है होता क्या है ? आज दामोदर घाटी निगम के लिए चैयरमैन तो उपलब्ध नहीं हैं,। लेकिन वहां उच्च श्रेणी के अधिकारियों का जमघट लगा हो, जिसमें पांच अतिरिक्त मुख्याभियन्ता हों, एक केन्द्रीय मुख्याभियन्ता हो तथा तीन अन्य मुख्याभियन्ता आदि हों तो होता क्या है ? बड़े-बड़े अधिकारियों की वृद्धि चल रही है अर्थात् व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है जबकि निचले स्तर पर पूर्णतया जन-शक्ति घटती जा रही है। इस बारे में कहने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है।

दामोदर घाटी निगम में चल रहे भ्रष्टाचार के बारे में उनको क्या कहना है ? कोयले की अनुपलब्धता के बारे में वे क्या कहना चाहते हैं, जबकि वे स्वयं ही उसके प्रभारी हैं ? और दामोदर घाटी निगम में मजदूरों। कर्मचारियों की भागीदारी में सुधार कैसे किया जाना है ?

अब मैं इस प्रश्न को प्रथमतः रखना चाहूंगी : (क) क्या मन्त्री महोदय राज्य और केन्द्र के बीच बिजली के प्रश्न पर अपने इरादे को स्पष्ट और सही ढंग से व्यक्त करेंगे, (ख) क्या मन्त्री महोदय एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग नियुक्त करने को तैयार हैं जिसमें विशेषज्ञों, कर्मचारियों के प्रतिनिधि, पश्चिमी-बंगाल और बिहार सरकारों के प्रतिनिधि, संसद सदस्य सम्मिलित हों, और जो समस्त देश में विद्युत् उत्पादन में सुधार करने के लिए प्रायोगिक केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिये पूर्णतया दामोदर घाटी निगम के सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार करें ?

मेरी अन्य जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया है मैं उन पर यहां विचार करना नहीं चाहती। मैं केवल एक मुद्दा उठाऊंगी। यही वह उचित समय है जबकि हमें ऊर्जा के ज्ञात स्रोतों से हटकर वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाना चाहिये। वैज्ञानिक सम्मेलन ने बड़े जोरदार शब्दों में इसकी सिफारिश की है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करती हूं कि वे इस प्रश्न पर विचार करें और वैकल्पिक ऊर्जा के लिये, वास्तव में ही, कोई दीर्घकालीन योजना तैयार करें।

श्री० ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, लगता है उन्हें दामोदर घाटी निगम की बड़ी चिन्ता है, सारे देश की नहीं।

मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि दामोदर घाटी निगम के बारे में कुछ न कुछ करना ही होगा और हम कर भी रहे हैं।

श्री मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या कर रहे हैं आप ?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : बोकारो और उच्च शक्ति आयोग के बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, बोकारो एक बहुत पुराना संयन्त्र है और उसमें अनेक तकनीकी कठिनाईयां हैं। हम फालतू कल-पुर्जों का पता लगा रहे हैं और उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं (**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय आप तो जानते ही हैं कि आज के युग में किसी बिजलीघर का जीवन आमतौर से लगभग 25 वर्ष होता है। बोकारो को सम्भवतया 25 वर्ष हो चुके हैं और यह पुराना पड़ गया है, हम इसमें सुधार करने की सोच रहे हैं। चन्द्रपुरा यद्यपि एक नया स्टेशन है, लेकिन दुर्भाग्य से यह आधुनिक नहीं है। वहां न सड़क है और न आवास का प्रबन्ध। मैं तीन बार इस स्टेशन का दौरा कर चुका हूं। (**व्यवधान**)। वहां पर मजदूरों और अभियन्ताओं के लिये आवास का कोई प्रबन्ध नहीं है। जो लोग वहां रहकर काम करना चाहते हैं वे वहां काम नहीं कर सकते। न ही वहां कोई सड़क है और न ही रेल मार्ग से कोई उचित सम्पर्क। रेल न होने के कारण कोयला बड़ी कठिनाई से पहुंचाया जाता है। दुर्गापुर में भी काम में कई अड़चनें हैं। मैं सदन को यह विश्वास दिला सकता हूं कि जैसे ही ये तकनीकी कठिनाइयां दूर होती हैं, दामोदर घाटी निगम में विद्युत् उत्पादन अवश्यमेव बढ़ जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, यदि मैंने प्रश्न को ठीक से समझा है तो वह यह है कि यदि दामोदर घाटी निगम ही, जोकि केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में है, ठीक से कार्य नहीं कर रहा है तो आप विद्युत-बोर्डों का पर्यवेक्षण भी अपने हाथ में कैसे ले सकते है ? इसी प्रश्न-विशेष का आपको उत्तर देना है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं भी ठीक इसी बात का उत्तर देने का प्रयत्न कर रहा हूं। चन्द्रपुरा को छोड़कर सभी बड़े पुराने स्टेशन हैं और फालतू कलपुर्जे मिल नहीं रहे हैं। हम उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लोगों को अनेक देशों में भेजा गया है और जैसे ही पुर्जे मिल जायेंगे, निस्सन्देह, जितना भी हो दामोदर घाटी निगम का उत्पादन बढ़ जायेगा। हम दामोदर घाटी निगम के ढांचे में मूलभूत परिवर्तन कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यही कुछ हम सोचते रहे है। हमने चैयरमैन को हटा दिया है और अब नया चैयरमैन भेज रहे हैं—जो परिवर्तन हमें करने हैं वे किए जा चुके हैं और नया चैयरमैन आने पर हम अवश्य उन्हें लागू करेंगे। जिससे दामोदर घाटी योजना के बिजलीघर में अवश्य सुधार होगा। (व्यवधान)। इसमें पांच वर्ष नहीं लगेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, दामोदर घाटी निगम की स्थिति से हम पूर्णतया अवगत हैं। जहां तक रही उच्च शक्ति प्राप्त समिति की बात, हमें उसके बनाने में कोई हिचक नहीं है। परन्तु पहले हम उस ढांचे की ही जांच-परख करना चाहते हैं जिसको कि हम बना चुके हैं। यदि हम उस जांच परख में सफल हो जाते हैं और यदि इससे हमारी समस्याएं हल हो जाती हैं तो मेरे विचार से उच्च-शक्ति प्राप्त समिति की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : जब वे अपने घर को ही सम्भाल पाने में समर्थ नहीं हैं तो फिर क्यों राज्यों में जाकर उन्हें उपदेश दे रहे हैं? उन्हें तो स्वयं अपने घर पर ही ढंग से बैठने पर ध्यान देना चाहिए।

श्री बीजू पटनायक (केन्द्रपाड़ा) : मन्त्री महोदय ने सदन को वंडरलैण्ड में एलिस की कहानी याद दिला दी है। यही बात तो हमें याद दिलाई जा रही है।

श्री गुलाम रसूल कोचक (अनन्तनाग) : विद्युत की कमी पर सदन में हुई बहस को मैंने ध्यान से सुना है और इस राष्ट्रीय महत्व की समस्या पर उठाये गये उपयुक्त प्रश्नों के मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तरों में भी रुचि ली है। मैंने यह पाया है कि मन्त्री महोदय इस संसद को समस्याओं का हल करने का स्थान न बनाकर बड़े ही प्रयत्न से वकील की तरह उन मूलभूत कमियों को छुपा रहे हैं, बजाय इसके कि वे उनके मन्त्रालय को दी गई चुनौती को स्वीकार करते।

इस सदन को यह बात अच्छी तरह पता है कि बिजली की कमी कोई नई समस्या नहीं है। वर्षों से हर बार इस सदन में इस पर चर्चा हुई है। और मन्त्री महोदय ने हर बार हमें आश्वासन दिया है कि हम स्थिति पर नियन्त्रण कर लेंगे और निकट भविष्य में सब ठीक हो जायेगा। पिछले सत्र में भी, सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा, सम्बद्ध मन्त्री महोदय ने अब से आगे प्राप्त की जाने वाली प्रगति पर संतोष प्रकट किया था। लेकिन······

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप कोई प्रश्न करने में विशेषता दिखाते हैं तो आपको उत्तर भी विशेष ढंग से ही मिलेगा। अन्यथा उत्तर लम्बा हो जायेगा।

श्री गुलाम रसूल कोचक : मैं उस बारे में भी बात करूंगा। लेकिन प्रश्न यह है : क्या हम यहां प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए ही आते हैं? अथवा मन्त्री महोदय यहां केवल प्रश्नों के उत्तर देने और अपना बचाव करने आते हैं, या यहां पर दोनों ही पक्ष सरकार और विपक्ष

समस्याओं का समाधान ढूंढ़ने के लिये आते हैं ? यह तो वही बात हुई कि आया राज्य गलती पर है या केन्द्र । कुछ भी हो, यह तो एक ऐसा परिवार है जिसे समस्या का हल खोजना ही होगा । राज्य केन्द्र को दोषी ठहरा सकते और केन्द्र राज्यों को । क्यों नहीं केन्द्र और राज्य इकट्ठे बैठकर समस्या का समाधान ढूंढ निकालते ? यदि केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध अच्छे और मधुर नहीं है तो हम एक परिवार के सदस्य कहां रह पाते हैं । अतः मैं मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य के प्रकाश में यह सलाह देता हूँ कि समस्या को समाप्त करने के लिए केन्द्र और राज्य मिलकर बैठक करें और एक दूसरे को दोषी न ठहरा कर समस्या का समाधान मिलकर करें । यदि राज्य गलती पर हैं तो हम समस्या पर चर्चा करके उसका हल ढूंढ सकते हैं, परन्तु यदि हम इसी तरह कहते रहे कि 'मुझे इस समस्या से कुछ लेना-देना नहीं है' और राज्यों को ही यह करना चाहिये' तो फिर हम देश को अन्धकार में ले जा रहे हैं । क्या मैं मन्त्री महोदय से एक बात पूछ सकता हूं ? मेरे राज्य ने 100 मेगावाट की जल-विद्युत परियोजना प्रारंभ की थी । परियोजना प्रतिवेदन पूरा करके भारत सरकार को भेजा गया था ।

जिससे मेरा राज्य परियोजना को पूरी करता, परन्तु पर्याप्त धन के अभाव में परियोजना धरी की धरी रह गई । केवल एक इसी कारण से ही हम कष्ट उठा रहे हैं । राज्यों की अपनी अपनी कठिनाइयां एवं क्षमताएं हो सकती हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है, जैसे कि वित्तीय संसाधनों का अभाव ।

जैसा कि माननीय मंत्री ने अभी-अभी बताया है जल बिजली के लिए अभी तक कोई विशेष प्रयत्न नहीं किये गये हैं । यह दुर्भाग्य की बात है कि जल-विद्युत् को बढ़ावा नहीं दिया गया है । इसी कारण हमें बिजली संकट का सामना करना पड़ा है । जो भी कठिनाइयां हों हमें उनका सामना करना चाहिए तथा उनका समाधान खोजना चाहिए । समाधान बहुत सरल है । मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि परिवहन की समस्याएं हैं, आयोजना के दोष हैं तथा कुछ शरारती लोगों द्वारा कठिनाइयां खड़ी की गई हैं । परन्तु यह सब भूलें हैं, हमें उनका समाधान खोजना है । परन्तु इनका समाधान है क्या ? सरकार इन समस्याओं के समाधान में कहां तक सफल हुई है, मेरा सुझाव है कि मंत्री महोदया समस्या के समाधान पर ध्यान केन्द्रित करें और केवल यही बात न करते रहें कि हमारी भविष्य के लिए यह कार्य की योजनाएं हैं । हमारा सम्बन्ध केवल इस समस्या है । उसका समाधान किया जाना चाहिए । हमारा प्रश्न है कि क्या बिजली की क्षमता का सही उपयोग किया जा रहा है ? इस बारे में क्या कठिनाइयां हैं । उन्हें दूर करने के लिए आपके पास क्या इलाज है । बिजली के सही रूप में उपयोग न किये जाने का क्या कारण है ? यदि संकट का मामला लें तो इस कार्य का युद्ध स्तर पर समाधान किया जाना चाहिए । आप युद्ध स्तर पर दृढ़ कार्यवाही क्यों नहीं करते ताकि हम वर्तमान संकट की कठिन स्थिति से उभर सकें । यदि औद्योगिक विकास अथवा कृषि विकास पर प्रभाव पड़ता है तो हर एक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : श्रीमान्, मैंने कई स्थानों जिनमें माननीय सदस्य का क्षेत्र भी सम्मिलित है, का निरीक्षण किया है । उन्होंने मंत्री महोदय से एक परियोजना के लिए अनुमोदन प्राप्त किया था । वह एक पन विद्युत योजना चाहते हैं । सिद्धांत रूप से मेरा कोई विरोध नहीं है, बशर्ते कि वह कोयले की ढुलाई व्यवस्था करदें । जल-परियोजनाएं तैयार करना

कठिन है। हमें अन्य राज्यों से बिजली दिलाकर भी उनकी सहायता करनी है। इसलिए मैंने मंत्री महोदय से एक बार नहीं दो बार बात की है। मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार राज्यों के हित आपके हाथों में सुरक्षित हैं।

श्री ए० बी० गनी खान चौधरी : इसका मुझे पता नहीं है। मैं नहीं समझता कि मैं कुछ मैटर कहने की स्थिति में हूं।

श्री गुलाम रसूल कोचक : मैं उनकी व्यक्तिगत राय जानना चाहता हूं। मुझे पता है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में हमने विशेष प्रगति नहीं की है। आपको पता है कि इस पर लम्बा समय लगता है—लगभग आठ से दस वर्ष तक। राज्य विद्युत् बोर्ड बड़े संकोच के साथ जल परियोजनाओं को स्वीकार करते हैं। हम यूरोपीय देशों तथा मध्य देशों के साथ परामर्श कर रहे हैं ताकि इस अवधि को घटाकर छः वर्ष किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें जल-विद्युत् परियोजना पर बहुत से ससाधन जुटाने चाहिए परन्तु आपको पता है कि अधिकांशत: यह परियोजनाएं, राज्य बिजली बोर्डों द्वारा शुरू की गई थीं। यदि राज्य से परियोजना प्राप्त नहीं होती तो हम क्या कर सकते हैं ?

श्री बीजू पटनायक (केन्द्रपाड़ा) : श्रीमान, मन्त्री महोदय की बात पूरी तरह सही नहीं है। जब पं० नेहरू प्रधान मन्त्री थे तब उन्होंने उड़ीसा के लिए 2,000 मेगावाट की परियोजना का शिलान्यास किया था। परन्तु तब से यह काम रुका पड़ा है। केन्द्र ने कुछ नहीं किया।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : जानकारी मेरे पास नहीं है। मैं नहीं जानता।

(व्यवधान)

श्रीमान्, जल बिजली पर कार्य कर रहे हमारे इंजीनियर सुरंग बनाने के विशेषज्ञ नहीं। हम विशिष्ट ज्ञान की खोज कर रहे हैं तथा इस बारे में विशेष ध्यान दे रहे हैं क्योंकि जल बिजली में हमें काफी परेशानी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, असधारण सूखे के कारण यह एक असमान्य वर्ष है। जल बिजली का उत्पादन 30 प्रतिशत घट गया है। इससे हमारे देश में कठिनाई पैदा हो गई है। श्रीमान् मैं समझता हूं कि मैंने सभी बातों का उत्तर दे दिया है।

श्री कृष्ण प्रतापसिंह (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के पास अगर इस प्रकार के कुछ आंकड़े हैं कि किस राज्य में बिजली की कमी से कितना नुकसान हुआ है तो मैं समझता हूं कि बिहार प्रदेश उसमें पहले नम्बर पर आयेगा। बिहार प्रदेश में बिजली की स्थिति यह है कि सारे कल-कारखाने और कोयला खदानें बन्द पड़ी हुई हैं, 17, 17 घण्टे तक बिजली गुम रही है। जिस दामोदर घाटी परियोजना की हम चर्चा कर रहे हैं, वह बरौनी का थर्मल पावर स्टेशन है। बिहार में कोयला मिलता है, लेकिन अत्यन्त ही दुखद बात है कि वहां बिजली की कमी से हमारा यह राज्य दिनोंदिन गरीबी की ओर बढ़ रहा है। इस ध्यानकर्षण प्रस्ताव के द्वारा हम यह जानना चाहते थे कि हमारे प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने के लिए आपकी क्या योजना है, उसका विस्तृत विवरण दिया जाये ? मंत्री महोदय दामोदर घाटी योजना देखने

गए थे, मैं जानना चाहता हूं कि उनका लक्ष्य क्या था और वहां बैठकर उन्होंने क्या किया और पिछले तीन महीने में बिजली का कितना उत्पादन हुआ ? इसका ब्योरा मन्त्री महोदय दें ।

मैं एक और आरोप लगाता हूं कि दामोदर घाटी परियोजना से जो बिहार प्रदेश को 35% बिजली मिलनी चाहिए, वह नहीं मिलती है । जो बिजली वहां उत्पादित होती है, उसका ठीक से बंटवारा नहीं होता है । मेरा सरकार से और मन्त्री महोदय से यह आग्रह है कि बिहार के पिछड़ेपन को देखते हुए, मुजफ्फरपुर में जो थर्मल पावर स्टेशन बैठाने की योजना है, उसके बारे में वह बतायें कि उसमें क्या करने जा रहे हैं ? मन्त्री महोदय ने कई योजनाओं की चर्चा की है लेकिन उस योजना की चर्चा नहीं की है कि उसमें वह क्या करने जा रहे हैं और वह योजना क्या है ?

मैं मन्त्री महोदय से मांग करता हूं कि वह स्पष्ट बताएं कि उस योजना को कब तक पूरा करने का उनका लक्ष्य है और वह उसमें क्या सहायता देने जा रहे हैं ?

इन शब्दों के साथ मैं ये ही दो प्रश्न मन्त्री महोदय के सामने रख रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि वह इसका जवाब देंगे ।

श्री० ए० बी० ए० गनी खांन चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, एक स्थान कालेगांव है वहां पर इस सुपर पन-बिजली केन्द्र की स्थापना करने जा रहे हैं । परियोजना रिपोर्ट तैयार हो रही है जिसे विश्व बेंक को अनुमोदन के लिए भेजा जाना है । मुझे सभा को बताते हुए खुशी है कि वहां पर विद्युत गृह की आवश्यकता की पूर्ति के लिए काफी कोयला है । कोयले की खान काफी निकट है । मुजफ्फरपुर के बारे में जानकारी मात्र मेरे पास नहीं है । उसे मैं बाद में दे दूंगा ।

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि 19 मई, 1980 को लोकसभा सचिवालय को श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा से जोकि उत्तर प्रदेश के गढ़वाल निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे, लोकसभा में उनकी सदस्यता से त्यागपत्र प्राप्त हुआ था । अध्यक्ष महोदय ने 19 मई, 1980 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) ग्रामीण जनता को बैंकों से ऋण सुविधा

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : श्रीमान मेरा निवेदन है

एक माननीय सदस्य : उन्हें हिन्दी में बोलने दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अंग्रेजी में नोटिस दिया है ।

श्री रामावतार शास्त्री : बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बावजूद ग्रामीण तथा कृषिक क्षेत्रों को ऋणों की अदायगी कुल ऋणों का केवल 20 से 25 प्रतिशत है । बैंकों के ऋणों पर मन्त्री भी एकाधिकारियों का कब्जा है । बड़ी संख्या में ग्रामीण जनता को ऋण देने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ ।

राष्ट्रीयकरण से पूर्व ऋण दो प्रतिशत से अधिक नहीं दिए जाते थे । परन्तु राष्ट्रीयकरण के बाद वे 20 से 25 प्रतिशत हो गए हैं । परन्तु राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था के हित में उसे 60 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि हमारी अर्थ-व्यवस्था दोषपूर्ण प्रबन्ध के कारण पूंजीवादी रही है ।

अन्त में मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों को अग्रता देने पर ध्यान दें।

(दो) हाल ही के विधान सभा चुनावों में हिंसा की घटनायें

प्रो० मधु दण्डवते : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से में लोक महत्व के निम्न विषय को उठाना चाहता हूं।

श्रीमान, राष्ट्रपति शासन के दौरान हुए नौ विधान सभाओं के निर्वाचन में उपद्रव हुए तथा उम्मीदवारों सहित 50 व्यक्ति मारे गए। बिहार की स्थिति सबसे खराब रही। इन हालात में स्वतन्त्र और निष्पक्ष निर्वाचिन के हित में यह आवश्यक है कि हिंसा की घटनाओं की अविलम्ब न्यायिक जांच कराई जाए तथा निर्वाचन के दौरान दंगों के लिए दोषी पाये गए व्यक्तियों को कठोर दण्ड दिया जाए।

एक माननीय सदस्य : मेरे पर भी हमला हुआ था।

प्रो० मधु दण्डवते : दोषियों को नहीं बोलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वह किसी पार्टी की ओर से नहीं बोल रहे।

प्रो० मधु दण्डवते : इससे मतदाताओं में लोकतन्त्रीय प्रक्रिया में भाग लेते हुए निर्भीकता आयेगी।

(तीन) आसासोल डिवीजन में नंमेत्तिक गंगमैनों की छटनी किए जाने के समाचार

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : श्रीमान, मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अधीन निम्न लोक महत्व के मामले को उठाता हूं।

आसनसोल डिवीजन में काम कर रहे 425 नैमितिक गंगमैनों को 16.5.80 को की गई गैर-कानूनी छंटनी के विरोध में अपने श्रमिक सगठन कार्यक्रम के पहले चरण के रूप में 19.5.80 से 24 घण्टे की भूख हड़ताल का मार्ग अपनाने को विवश होना पड़ा है।

मै दीर्घकाल तक नैमितिक गंगनेनों के रूप में कार्य करने के बाद उन्हें 26.3.80 से नौकरी से हटा दिया गया तथा पुनः ले लिया गया। उनमें ऐसे नैमितिक गंगमैन भी हैं जिनकी नियुक्ति उनके पिताओं की सेवा निवृत्ति पर की गई थी।

इस वर्ष भयानक सूखे के कारण इन गरीब परिवारों की दशा दयनीय हो गई है। इस कठिनता के समय उन्हें सेवा से हटाना श्रमिक विरोधी और दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है। यह असहाय परिवारों की निर्दयतापूर्वक हत्या से कम नहीं है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि 425 नैमित्रिक गंगमैनों की छंटनी के आदेशों को शीघ्र रद्द करें ताकि उनके गरीब परिवारों को भुखमरी और मैरत से बचाया जा सके। मैं मांग करता हूं कि उन गंगमैनों को शीघ्र सेवा में लिया जाए तथा उनकी छंटनी के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए।

केरल के मालाबार क्षेत्र में और अधिक
रेलगाड़ियां चलाये जाने की आवश्यकता

श्री वी० एस० विजय राघवन (पालघाट)* मंगलौर-शोरनूर रेलवे लाइन पर जो कन्नानोर, कालीकट, मल्लापुरम और पालघाट को त्रिवेंद्रम से जोड़ती है केवल दो गाड़ियाँ ही रात के समय चलती हैं। उसी समय दिन की सेवाओं सहित, 7 एक्सप्रेस और मेल गाड़ियाँ इरनाकुलम और

*मलयालम में दिये गये भाषा के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

6

श्री जैलसिंह : उनकी डिमान्ड्स और गवर्नमेंट का स्टैंड बहुत हद तक पब्लिसाइज हो गया है और उनका मेमोरेण्डम है और उसके साथ जो माइनोरिटीज स्टूडेंट्स का मेमोरेण्डम है, उनकी कापी में आपको दूंगा आपकी जानकारी के लिए। आपके पास अगर वह नहीं है, तो मैं मंगवा कर दे दूंगा और सरसरी तौर पर जितना मुझे याद है, उसको मैं आपको बता सकता हूं। एक डिमान्ड तो यह है कि फारेनर्स को डिटेक्ट किया जाए और जो फारेनर साबित हो जाए, उसका नाम वोटर्स लिस्ट में से डिलीट किया जाए और उनको उनके मुल्क में वापस भेज दिया जाए। एक डिमान्ड तो यह है।

दूसरी डिमान्ड यह है कि जो वोटर्स लिस्ट बने, उस वोटर्स लिस्ट में हर एक वोटर का आइडेंटीटी कार्ड हो और उसमें उसका फोटो रहे ताकि पता चले कि कौन वोटर है और कौन नहीं है। कौन हिन्दुस्तानी है और कौन विदेशी है, इसके लिए उनका यह मश्विरा था, उनकी यह राय थी कि जो मशीनरी बने, उसमें उनको कांफीडेंस में ले कर उनके साथ बातचीत की जाए। उनको कांफीडेंन्स में लिया और ये चीजें गवर्नमेंट इन प्रिंसपल मान ली पर बात यहां पर आकर खड़ी हो गई कि वे कहते हैं कि 1951 से शुरू किया जाए और वहां से लेकर अब तक जितने लोग विदेशों से आकर वहां पर बसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए यत्न किया जाए। गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने अपोजीशन पार्टीज़ के साथ भी सलाह-मश्विरा किया और एक कनसेन्स यह था कि 1971 से जो लोग विदेशों से आए हैं, उनके लिए 1971 की कट-आफ डेट रखी जाए। उस साल से देखा जाए कि कितने लोग वहां गये हैं। इसी हाऊस में मैंने आपको बताया था कि आसाम गवर्नमेंट ने यह डिटेक्ट किया, और इसके लिए पैनेल्स बनाए और उन्होंने यह डिटेक्ट किया, कि कौन लोग वहां पर आए, 3 लाख 10 हजार के ऊपर ऐसे लोग थे, वे बाहर से आए हुए साबित हुए। 1979 के अगस्त तक ऐसे विदेशी लोग थे और उनको विदेशों में वापस करने का इन्तजाम किया गया और उनको वहां से निकाल दिया गया लेकिन कोई 30 हजार के करीब ऐसे लोग भी थे, जिन्होंने यह क्लेम किया कि हमको गलत तरीके से विदेशी कहा जाता है और हम इन्डियन हैं। अदालतों में उनके केस चले। ऐसी सूरत में गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने जो स्टैंड लिया वह यह था कि इतना काम तो हो चुका है, अब आगे के लिए आपको जिद नहीं करनी चाहिए। वैसे ह्यूमैन ग्राउन्ड्स पर भी आप देखें तो इन्डियन सिटीजनशिप एक्ट के मुताबिक कोई भी विदेशी कपुल अगर यहां रहता हो और उसके बच्चा पैदा हो जाए, तो अनलैस वह खुद न कहे कि मैं अपने बच्चे को यहां का सिटीजन नहीं बनाना चाहता, वह आटोमेटीकली इन्डियन सिटीजेन बन जाता है। अगर हम 1951 से लेकर अब तक देखें, तो उस समय वहां पर 18, 20 साल के मां-बाप का अगर बच्चा था, तो वह अब 30 साल का हो गया और फिर उसके बच्चे हुए होंगे। आगे उनके बच्चे हो गये तो यह समस्या कैसे हल की जाए, इस सबके बारे में हम सब को सोचना चाहिए।

इसके साथ साथ हमने उनको यह भी बताया कि इन्टरनेशनल कमिटमेंट्स हैं। हमारे देश का बटवारा हुआ और उसके बाद फिर बंगला देश बना और बंगला देश बनने के समय कुछ लोग यहां पर आए और उनके बारे में मुजीबुर्रहमान और श्रीमती इन्दिरा गांधी का काम्यूनिके छपा। उसमें जो कुछ ऐसी बातें है जिनके अनुसार हमको यहां विदेशियों को रखना जरूरी है। भले ही कुछ ऐसे लोग भी हो सकते है जिन्होंने इंडियन सिटीजेनशिप का सर्टिफिकेट न लिया हो।

लेकिन जो यहां बस गये है यहां रहते हैं, जिनकी जायदाद यहां है क्या उनको छांटने के लिए हमें न्यायपूर्वक कार्यवाही नहीं करनी पड़ेगी ? ऐसे मामले में हम धक्केशाही से तो काम नहीं कर सकते हैं।

जब उन्होंने फैसला किया कि 15 मई के बाद हम खुद विदेशियों को निकालेंगे तब यह नतीजा हुआ कि वहां की माइनोरिटीज खड़ी हो गयी। उन्होंने भी अपना मेमोरेण्डम दिया, अपनी डिमाण्ड्स हमारे सामने रखीं। मैं चाहता हूं कि सब मेम्बर साहिबान इस बात का ख्याल रखें कि वहां पर सवाल सिर्फ विदेशियों को निकालने का ही नहीं है। वहां पर एक बात यह भी है कि एक परिवार में लड़ाई हो गयी है और उस परिवार की लड़ाई को हमें मिटाना है और उसको मिटा कर सबको इकट्ठे रखना है हम सब को जहां यह देखना है कि असमिया लोगों के जजबात को खत्म न किया जाए वहां हमें यह भी देखना है कि वहां जो 40 परसेंट माइनोरिटीज हैं उनके हक्क को भी कायम रखा जाए, उनकी जिन्दगियों को भी बचाए जाए। उनकी जिन्दगी को बचाना भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट का काम है। आप भी इससे इत्तिफाक करेंगे कि उनकी जिन्दगी को बचाना है। अगर उनकी जिन्दगी को बचाना है तो ऐसी किसी भी नाजायज बात को आगे गवर्नमेंट का झुकना अच्छा नहीं रहेगा।

मैं चाहता हूं सारा हाउस इसमें हमारा साथ दे। जो फैसला इनमें करना है वह हम सब मिलकर करें। लेकिन जब हम यह फ़ैसला करें तो एक बात का ख्याल रखें कि हम हिन्दुस्तान की एकता को खतरे में नहीं डालेंगे। जहां हिन्दुस्तान की एकता को कहीं से भी कोई खतरा होगा वहां उसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिन्दुस्तान की यूनिटी को कायम रखना ड्यूटी है जिसे आपने हमको सौंपा है। मैं फुल हाउस में कांफिडेंस के साथ कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की यूनिटी को हर कीमत पर कायम रखा जाएगा और किसी के साथ भी ज्यादती नहीं की जाएगी।

श्री बीजू पटनायक (केन्द्र पाड़ा) मैं मन्त्री महोदय का इस मामले के सम्बन्ध में एक व्याख्यात्मक वक्तव्य देने के लिए कृतज्ञ हूं। यह बात सच है कि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि देश की एकता पर कोई आंच आये और हर कीमत पर इसकी रक्षा की जानी चाहिये। वास्तव में हमने ऐसा किया।

मैं माननीय मन्त्री जी को चीनी आक्रमण के दिनों की याद दिलाना चाहता हूं। हमारे लिए तो यह बात बहुत वर्ष पहले की नहीं है किन्तु हो सकता है कि इस संसद में युवा लोगों को यह बात बहुत वर्ष पहले की लगे।···(व्यवधान)

मैं इस भावात्मक आन्दोलन की पृष्ठभूमि के बारे में बोल रहा हूँ, इसे जानना हमारे लिए आवश्यक है।

एक माननीय सदस्य : इसके पीछे कौन है ?

श्री बीजू पटनायक : इसका पता लगाना सरकार का काम है।

महत्वपूर्ण बात तो यह है कि 1962 में जब चीनी आक्रमण हुआ और पराजित भारतीय सेना पीछे हटी और पंडित नेहरू ने एक वक्तव्य दिया कि उनकी सहानुभूति आसाम के लोगों के

साथ है। इस पराजय से संयुक्त आसाम अर्थात् उस समय वर्तमान आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिज़ोरम सहित अविभक्त आसाम की जनता के मन और मष्तिष्क पर एक गम्भीर घाव रह गया उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे भारत ने आसाम का परित्याग कर दिया।

उस समय समूचे आसाम से नाम पट्टों को हटा दिया गया। सभी बेंकों में करंसी नोटों को जला दिया गया। (व्यवधान)

आप आसाम के हो सकते हैं तथापि उस क्षेत्र का प्रभाट मेरे जिम्मे था इसलिये मैं आपसे थोड़ा अधिक जानता हूं।

लगभग सभी प्रतिष्ठापनों जो जला देने की कार्यवाही की जाने वाली थी, जिसे सौभाग्यवश अन्तिम समय रोक दिया गया। यद्यपि उस समय हम समूचे आसाम में गहन गुरिल्ला कार्यवाही की योजना बना रहे थे, तो भी लोगों में यह भावना फैल गई कि भारत आसाम का परित्याग करने के लिये तैयार है—चाहे बात गलत थी, किन्तु यह भावना अवश्य फैल गई थी। तबसे लेकर उनके मन में कुछ ऐसी बातें पनपती रही हैं। आज यह बात क्यों की जा रही है? आज इस 1951 के मामले को क्यों उठाया जा रहा है? ऐसा इस कारण किया जा रहा है कि 1951 वर्ष वह कानूनी तौर से समाप्त करने की अवधि है जब 31 दिसम्बर 19 1 को नेहरु-लियाकत समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। उस समझौते को संसद द्वारा स्वीकृत किया गया था और उस समय से एक राष्ट्रीय रजिस्टर को रखा जाना था। हम रजिस्टर को न केवल आसाम में, किन्तु सभी पड़ोसी क्षेत्रों, अर्थात् त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर आदि में इस रजिस्टर को रखा जाना था। दुर्भाग्यवश इस बात बहुत गम्भीरता से नहीं लिया गया और न केवल बंगला देश से, बल्कि नेपाल तथा अन्य क्षेत्रों से आसाम में बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई। मणिपुर, अरुणाचल तथा सिक्कम में नेपाल के काफी लोग मौजूद हैं, वहां भी कुछ कठिनाई है। ऐसी पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति है। ये लोग क्या मांग कर रहे हैं? वे 20 वर्ष देर से जागे हैं। वे उस समय जागे हैं जबकि 30 से 40 लाख विदेशी वहां बस चुके हैं। उस राज्य के वास्तविक आबादी का क्या होगा? मैं समझता हूं कि आसाम की आबादी 1 करोड़ है और उसमें से लगभग 30 से 40 लाख अर्थात् लगभग 40 प्रतिशत आबादी विदेशी है जो एक बाहरी देश, मूलत: पूर्वी पाकिस्तान जो अब बंगला देश है, से आये हैं। ऐसी स्थिति में स्थानीय आबादी का क्या होगा? भूमि पर अधिकार बंटा हुआ है, व्यापार पर अधिकार भी बंटा हुआ है और भावी अवसर भी समान रूप से सभी के लिये हैं। मैं चाहूंगा कि सभा मंत्री महोदय द्वारा कही गई इस बात पर विचार करें कि इन विदेशियों को बांटकर समूचे देश में भेजा जा सकता है। किन्तु मेरे विचार में, मन्त्री महोदय ऐसा करना अत्यन्त कठिन होगा। बंगाल में भी जब कुछ हजार लोगों को, जो मूलत: बंगाली थे और बंगला देश से आये थे वापस लिया जाना था। इन लोगों को दंडाकरणय में बसा दिया गया था। जब वे लोग वापस गये, उन्हें पुलिस द्वारा वापस भिजवा दिया गया (व्यवधान) मैं सभा को गुमराह नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि बंगला देश के शरणार्थी जब आये, जब पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी आये, उनमें से कुछ को दंडाकरणय में बसा दिया गया किन्तु वे वहां रहना नहीं चाहते थे और सुन्दरवन को वापस जाना चाहते थे। कोई भी राज्य इन लोगों को नहीं ले सकती। वास्तव में कोई भी राज्य इतनी बड़ी संख्या में बाहरी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा करना सम्भव नहीं है क्योंकि वे अपने लोगों को नौकरी नहीं दे सकते, उनके अपने करोड़ों युवा लोग बेरोजगार हैं; वे अपने बेरोजगार

लोगों को पहले ही रोजगार देने में असमर्थ हैं। किसी भी सरकार के सामने ये वास्तविक कठिनाइयां हैं। हम इस दल अथवा उस दल का प्रश्न नहीं है। उसका समाधान करने के लिये आपका क्या सुझाव है। मेरे विचार में यह किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है। जहां तक मैंने समझा है कि यह न तो छात्रों का मामला है और न ही असम गण संग्राम परिषद का मामला है कि 1951 के बाद आने वाले लोगों को बाहर निकाल फेंका जाना चाहिये। यह मामला नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं। मुझे विश्वास है कि गृह मन्त्री महोदय मेरे वक्तव्य की पुष्टि करेंगे कि उन लोगों की उनके साथ हुई चर्चाओं में उन्होंने यह नहीं कहा है कि इन लोगों को बाहर निकाल फेंका जाना चाहिये। उन्होंने केवल यह कहा कि रिकार्ड अर्थात् राष्ट्रीय रजिस्टर को सुधारा जाना चाहिये, आप उन्हें बसने की अनुमति दे सकते हैं। मेरे विचार में 1961 और 1971 के बीच आने वाले लोगों के लिये उन्होंने कहा है कि एक राज्य सूची बनाइये और उन्हें कार्य परमिट दीजिये। कार्य परमिट विश्व भर में दिये जा रहे हैं। उन्हें नहीं रहने दिया जाये और 1971 के बाद आने वाले लोगों को पूर्वी बंगाल अथवा बंगला देश में वापस भेज दिया जाना चाहिये अथवा इन लोगों को अन्यत्र बसा दिया जाना चाहिये। मेरे विचार में यह वर्गवार मांग है। इसमें क्या कठिनाई है? (व्यवधान) मैं उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा मन्त्री महोदय से कह रहा हूं। इसमें क्या कठिनाई है? उसकी बजाये भारत सरकार ने क्या किया है? उन्होंने वहां सेना भेजी है। ऐसा किस लिये किया गया? उसने वहां सीमा सुरक्षा बल को भी भेजा है। सीमा सुरक्षा बल को सीमा की सुरक्षा करने के लिये बताया गया था। वहां सेना सीमा की रक्षा करने तथा घुसपैठ को रोकने के लिये मौजूद है। उसकी बजाये आप सेवा को वहां इसलिये भेज रहे हैं कि वह वहां भारतीयों को गोली मार कर मृत्यु के घाट उतार दें और किस लिये उसे वहां भेजा गया है। मैं सरकार से उसका स्पष्ट उत्तर प्राप्त करना चाहूंगा। किसलिये आपने सेना को वहां भेजा है? भारतीयों को गोली मारने के लिये? अब आप कहते हैं कि तथाकथित अल्प संख्यकों द्वारा समानांतर सरकार शुरू की गई है? क्या वे विदेशी अथवा भारतीय हैं? यदि वे विदेशी हैं, तो उनके साथ मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। यदि वे भारतीय हैं, तो अवश्य ही भारतीय अल्पसंख्यकों की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिये, न कि उन विदेशियों की जो घुसपैठ करके वहां आये हैं। व्यर्थ की बात करने की बजाये क्या आपको इस बात का समाधान नहीं करना चाहिये कि विदेशी कौन हैं?

एक माननीय सदस्य : क्या आप "विदेशी" शब्द की परिभाषा करेंगे?

श्री बीजू पटनायक : मैं कह रहा हूं कि पूर्वी पाकिस्तान अथवा बंगला देश से घुसपैठ करके आने वाले लोग विदेशी हैं। क्या आप को पहले इस बात का निपटारा नहीं कर लेना चाहिये कि एक व्यक्ति विदेशी है अथवा नहीं?

गृहमन्त्री ने स्वयं सुझाव दिया था कि 300,000 विदेशियों को वहां से बाहर जाने के लिये कहा गया है। क्या ये लोग 3 लाख हैं अथवा 30 लाख? क्या इसका निपटारा कर लिया गया है? मैं यह नहीं कहता कि आप उन सभी को बाहर निकाल फेंकिये। किन्तु आप को नेहरू-लियाकत समझौते के अनुसार अवश्य ही यह निर्धारित कर लेना चाहिये संवैधानिक की स्थिति क्या है और विदेशी कौन है? आप उन्हें वहां बस जाने की अनुमति दे सकते हैं। आप उन्हें भारतीय पारपत्र दे सकते हैं। आप उन्हें कार्य परमिट दे सकते हैं अथवा आप उन्हें बाहर निकाल फेंक सकते हैं।

श्री ज़ैलसिंह : उनकी डिमान्ड्स और गवर्नमेंट का स्टेंड बहुत हद तक पब्लिसाइज हो गया है और उनका मेमोरेण्डम है और उसके साथ जो माइनोरिटीज स्टूडेंट्स का मेमोरेण्डम है, उनकी कापी में आपको दूंगा आपकी जानकारी के लिए। आपके पास अगर वह नहीं है, तो मैं मंगवा कर दे दूंगा और सरसरी तौर पर जितना मुझे याद है, उसको मैं आपको बता सकता हूं। एक डिमान्ड तो यह है कि फारेनर्स को डिटेक्ट किया जाए और जो फारेनर साबित हो जाए, उसका नाम वोटर्स लिस्ट में से डिलीट किया जाए और उनको उनके मुल्क में वापस भेज दिया जाए। एक डिमान्ड तो यह है।

दूसरी डिमान्ड यह है कि जो वोटर्स लिस्ट बने, उस वोटर्स लिस्ट में हर एक वोटर का आइडेंटीटी कार्ड हो और उसमें उसका फोटो रहे ताकि पता चले कि कौन वोटर है और कौन नहीं है। कौन हिन्दुस्तानी है और कौन विदेशी है, इसके लिए उनका यह मशिवरा था, उनकी यह राय थी कि जो मशीनरी बने, उसमें उनको कांफीडेंस में ले कर उनके साथ बातचीत की जाए। उनको कांफीडेंस में लिया और ये चीजें गवर्नमेंट इन प्रिंसपल मान ली पर बात यहां पर आकर खड़ी हो गई कि वे कहते हैं कि 1951 से शुरू किया जाए और वहां से लेकर अब तक जितने लोग विदेशों से आकर वहां पर बसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए यत्न किया जाए। गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने अपोज़ीशन पार्टीज के साथ भी सलाह-मशिवरा किया और एक कनसेन्स यह था कि 1971 से जो लोग विदेशों से आए हैं, उनके लिए 1971 की कट-आफ डेट रखी जाए। उस साल से देखा जाए कि कितने लोग वहां गये हैं। इसी हाऊस में मैंने आपको बताया था कि आसाम गवर्नमेंट ने यह डिटेक्ट किया, और इसके लिए पैनेल्स बनाए और उन्होंने यह डिटेक्ट किया, कि कौन लोग वहां पर आए, 3 लाख 10 हजार के ऊपर ऐसे लोग थे, वे बाहर से आए हुए साबित हुए। 1979 के अगस्त तक ऐसे विदेशी लोग थे और उनको विदेशों में वापस करने का इन्तजाम किया गया और उनको वहां से निकाल दिया गया लेकिन कोई 30 हजार के करीब ऐसे लोग भी थे, जिन्होंने यह क्लेम किया कि हमको गलत तरीके से विदेशी कहा जाता है और हम इन्डियन हैं। अदालतों में उनके केस चले। ऐसी सूरत में गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने जो स्टेंड लिया वह यह था कि इतना काम तो हो चुका है, अब आगे के लिए आपको जिद नहीं करनी चाहिए। वैसे ह्यूमैन ग्राउन्ड्स पर भी आप देखें तो इन्डियन सिटीजनशिप एक्ट के मुताबिक कोई भी विदेशी कपुल अगर यहां रहता हो और उसके बच्चा पैदा हो जाए, तो अनलैस वह खुद न कहे कि मैं अपने बच्चे को यहां का सिटीजन नहीं बनाना चाहता, वह आटोमेटीकली इन्डियन सिटीजेन बन जाता है। अगर हम 1951 से लेकर अब तक देखें, तो उस समय वहां पर 18, 20 साल के मां-बाप का अगर बच्चा था, तो वह अब 30 साल का हो गया और फिर उसके बच्चे हुए होंगे। आगे उनके बच्चे हो गये तो यह समस्या कैसे हल की जाए, इस सबके बारे में हम सब को सोचना चाहिए।

इसके साथ साथ हमने उनको यह भी बताया कि इन्टरनेशनल कमिटमेंट्स हैं। हमारे देश का बटवारा हुआ और उसके बाद फिर बंगला देश बना और बंगला देश बनने के समय कुछ लोग यहां पर आए और उनके बारे में मुजीबुर्रहमान और श्रीमती इन्दिरा गांधी का काम्यूनिके छपा। उसमें जो कुछ ऐसी बातें है जिनके अनुसार हमको यहां विदेशियों को रखना जरूरी है। भले ही कुछ ऐसे लोग भी हो सकते है जिन्होंने इंडियन सिटीजेनशिप का सर्टिफिकेट न लिया हो।

लेकिन जो यहां बस गये हैं यहां रहते हैं, जिनकी जायदाद यहां है क्या उनको छांटने के लिए हमें न्यायपूर्वक कार्यवाही नहीं करनी पड़ेगी ? ऐसे मामले में हम धक्केशाही से तो काम नहीं कर सकते हैं।

जब उन्होंने फैसला किया कि 15 मई के बाद हम खुद विदेशियों को निकालेंगे तब यह नतीजा हुआ कि वहां की माइनोरिटीज खड़ी हो गयी। उन्होंने भी अपना मेमोरेण्डम दिया, अपनी डिमाण्ड्स हमारे सामने रखीं। मैं चाहता हूं कि सब मेम्बर साहिबान इस बात का ख्याल रखें कि वहां पर सवाल सिर्फ विदेशियों को निकालने का ही नहीं है। वहां पर एक बात यह भी है कि एक परिवार में लड़ाई हो गयी है और उस परिवार की लड़ाई को हमें मिटाना है और उसको मिटा कर सबको इकट्ठे रखना है हम सब को जहां यह देखना है कि असमिया लोगों के जजबात को खत्म न किया जाए वहां हमें यह भी देखना है कि वहां जो 40 परसेंट माइनोरिटीज हैं उनके हक्क को भी कायम रखा जाए, उनकी जिन्दगियों को भी बचाए जाए। उनकी जिन्दगी को बचाना भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट का काम है। आप भी इससे इत्तिफाक करेंगे कि उनकी जिन्दगी को बचाना है। अगर उनकी जिन्दगी को बचाना है तो ऐसी किसी भी नाजायज बात को आगे गवर्नमेंट का झुकना अच्छा नहीं रहेगा।

मैं चाहता हूं सारा हाउस इसमें हमारा साथ दे। जो फैसला इनमें करना है वह हम सब मिलकर करें। लेकिन जब हम यह फ़ैसला करें तो एक बात का ख्याल रखें कि हम हिन्दुस्तान की एकता को खतरे में नहीं डालेंगे। जहां हिन्दुस्तान की एकता को कहीं से भी कोई खतरा होगा वहां उसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिन्दुस्तान की यूनिटी को कायम रखना ड्यूटी है जिसे आपने हमको सौंपा है। मैं फुल हाउस में कांफिडंस के साथ कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की यूनिटी को हर कीमत पर कायम रखा जाएगा और किसी के साथ भी ज्यादती नहीं की जाएगी।

श्री बीजू पटनायक (केन्द्र पाड़ा) मैं मन्त्री महोदय का इस मामले के सम्बन्ध में एक व्याख्यात्मक वक्तव्य देने के लिए कृतज्ञ हूं। यह बात सच है कि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि देश की एकता पर कोई आंच आये और हर कीमत पर इसकी रक्षा की जानी चाहिये। वास्तव में हमने ऐसा किया।

मैं माननीय मन्त्री जी को चीनी आक्रमण के दिनों की याद दिलाना चाहता हूं। हमारे लिए तो यह बात बहुत वर्ष पहले की नहीं है किन्तु हो सकता है कि इस संसद में युवा लोगों को यह बात बहुत वर्ष पहले की लगे।... (व्यवधान)

मैं इस भावात्मक आन्दोलन की पृष्ठभूमि के बारे में बोल रहा हूं, इसे जानना हमारे लिए आवश्यक है।

एक माननीय सदस्य : इसके पीछे कौन है ?

श्री बीजू पटनायक : इसका पता लगाना सरकार का काम है।

महत्वपूर्ण बात तो यह है कि 1962 में जब चीनी आक्रमण हुआ और पराजित भारतीय सेना पीछे हटी और पंडित नेहरू ने एक वक्तव्य दिया कि उनकी सहानुभूति आसाम के लोगों के

साथ है। इस पराजय से संयुक्त आसाम अर्थात् उस समय वर्तमान आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम सहित अविभक्त आसाम की जनता के मन और मष्तिष्क पर एक गम्भीर घाव रह गया उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे भारत ने आसाम का परित्याग कर दिया।

उस समय समूचे आसाम से नाम पट्टों को हटा दिया गया। सभी बैंकों में करंसी नोटों को जला दिया गया। (व्यवधान)

आप आसाम के हो सकते हैं तथापि उस क्षेत्र का प्रभाट मेरे जिम्मे था इसलिये मैं आपसे थोड़ा अधिक जानता हूं।

लगभग सभी प्रतिष्ठापनों जो जला देने की कार्यवाही की जाने वाली थी, जिसे सौभाग्यवश अन्तिम समय रोक दिया गया। यद्यपि उस समय हम समूचे आसाम में गहन गुरिल्ला कार्यवाही की योजना बना रहे थे, तो भी लोगों में यह भावना फैल गई कि भारत आसाम का परित्याग करने के लिये तैयार है—चाहे बात गलत थी, किन्तु यह भावना अवश्य फैल गई थी। तबसे लेकर उनके मन में कुछ ऐसी बातें पनपती रही हैं। आज यह बात क्यों की जा रही है ? आज इस 1951 के मामले को क्यों उठाया जा रहा है ? ऐसा इस कारण किया जा रहा है कि 1951 वर्ष वह कानूनी तौर से समाप्त करने की अवधि है जब 31 दिसम्बर 19 1 को नेहरू-लियाकत समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। उस समझौते को संसद द्वारा स्वीकृत किया गया था और उस समय से एक राष्ट्रीय रजिस्टर को रखा जाना था। हम रजिस्टर को न केवल आसाम में, किन्तु सभी पड़ोसी क्षेत्रों, अर्थात् त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर आदि में इस रजिस्टर को रखा जाना था। दुर्भाग्यवश इस बात बहुत गम्भीरता से नहीं लिया गया और न केवल बंगला देश से, बल्कि नेपाल तथा अन्य क्षेत्रों से आसाम में बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई। मणिपुर, अरुणाचल तथा सिक्कम में नेपाल के काफी लोग मौजूद हैं, वहां भी कुछ कठिनाई है। ऐसी पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति है। ये लोग क्या मांग कर रहे हैं ? वे 20 वर्ष देर से जागे हैं। वे उस समय जागे हैं जबकि 30 से 40 लाख विदेशी वहाँ बस चुके हैं। उस राज्य के वास्तविक आबादी का क्या होगा ? मैं समझता हूं कि आसाम की आबादी 1 करोड़ है और उसमें से लगभग 30 से 40 लाख अर्थात् लगभग 40 प्रतिशत आबादी विदेशी है जो एक बाहरी देश, मूलतः पूर्वी पाकिस्तान जो अब बंगला देश है, से आये हैं। ऐसी स्थिति में स्थानीय आबादी का क्या होगा ? भूमि पर अधिकार बंटा हुआ है, व्यापार पर अधिकार भी बंटा हुआ है और भावी अवसर भी समान रूप से सभी के लिये हैं। मैं चाहूंगा कि सभा मंत्री महोदय द्वारा कही गई इस बात पर विचार करें कि इन विदेशियों को बांटकर समूचे देश में भेजा जा सकता है। किन्तु मेरे विचार में, मन्त्री महोदय ऐसा करना अत्यन्त कठिन होगा। बंगाल में भी जब कुछ हजार लोगों को, जो मूलतः बंगाली थे और बंगला देश से आये थे वापस लिया जाना था। इन लोगों को दंडाकरणय में बसा दिया गया था। जब वे लोग वापस गये, उन्हें पुलिस द्वारा वापस भिजवा दिया गया (व्यवधान) मैं सभा को गुमराह नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि बंगला देश के शरणार्थी जब आये, जब पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी आये, उनमें से कुछ को दंडाकरणय में बसा दिया गया किन्तु वे वहां रहना नहीं चाहते थे और सुन्दरबन को वापस जाना चाहते थे। कोई भी राज्य इन लोगों को नहीं ले सकती। वास्तव में कोई भी राज्य इतनी बड़ी संख्या में बाहरी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा करना सम्भव नहीं है क्योंकि वे अपने लोगों को नौकरी नहीं दे सकते, उनके अपने करोड़ों युवा लोग बेरोजगार हैं; वे अपने बेरोजगार

लोगों को पहले ही रोजगार देने में असमर्थ हैं। किसी भी सरकार के सामने ये वास्तविक कठिनाइयां हैं। हम इस दल अथवा उस दल का प्रश्न नहीं है। उसका समाधान करने के लिये आपका क्या सुझाव है। मेरे विचार में यह किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है। जहां तक मैंने समझा है कि यह न तो छात्रों का मामला है और न ही असम गण संग्राम परिषद का मामला है कि 1951 के बाद आने वाले लोगों को बाहर निकाल फेंका जाना चाहिये। यह मामला नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं। मुझे विश्वास है कि गृह मन्त्री महोदय मेरे वक्तव्य की पुष्टि करेंगे कि उन लोगों की उनके साथ हुई चर्चाओं में उन्होंने यह नहीं कहा है कि इन लोगों को बाहर निकाल फेंका जाना चाहिये। उन्होंने केवल यह कहा कि रिकार्ड अर्थात् राष्ट्रीय रजिस्टर को सुधारा जाना चाहिये, आप उन्हें बसने की अनुमति दे सकते हैं। मेरे विचार में 1961 और 1971 के बीच आने वाले लोगों के लिये उन्होंने कहा है कि एक राज्य सूची बनाइये और उन्हें कार्य परमिट दीजिये। कार्य परमिट विश्व भर में दिये जा रहे हैं। उन्हें नहीं रहने दिया जाये और 1971 के बाद आने वाले लोगों को पूर्वी बंगाल अथवा बंगला देश में वापस भेज दिया जाना चाहिये अथवा इन लोगों को अन्यत्र बसा दिया जाना चाहिये। मेरे विचार में यह बर्जावार मांग है। इसमें क्या कठिनाई है? **(व्यवधान)** मैं उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा मन्त्री महोदय से कह रहा हूं। इसमें क्या कठिनाई है? उसकी बजाये भारत सरकार ने क्या किया है? उन्होंने वहां सेना भेजी है। ऐसा किस लिये किया गया? उसने वहां सीमा सुरक्षा बल को भी भेजा है। सीमा सुरक्षा बल को सीमा की सुरक्षा करने के लिये बताया गया था। वहां सेना सीमा की रक्षा करने तथा घुसपैठ को रोकने के लिये मौजूद है। उसकी बजाये आप सेवा को वहां इसलिये भेज रहे हैं कि वह वहां भारतीयों को गोली मार कर मृत्यु के घाट उतार दें और किस लिये उसे वहां भेजा गया है। मैं सरकार से उसका स्पष्ट उत्तर प्राप्त करना चाहूंगा। किसलिये आपने सेना को वहां भेजा है? भारतीयों को गोली मारने के लिये? अब आप कहते हैं कि तथाकथित अल्प संख्यकों द्वारा समानांतर सरकार शुरू की गई है? क्या वे विदेशी अथवा भारतीय हैं? यदि वे विदेशी हैं, तो उनके साथ मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। यदि वे भारतीय हैं, तो अवश्य ही भारतीय अल्पसंख्यकों की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिये, न कि उन विदेशियों की जो घुसपैठ करके वहां आये हैं। व्यर्थ की बात करने की बजाय क्या आपको इस बात का समाधान नहीं करना चाहिये कि विदेशी कौन है?

एक माननीय सदस्य : क्या आप "विदेशी" शब्द की परिभाषा करेंगे?

श्री बीजू पटनायक : मैं कह रहा हूं कि पूर्वी पाकिस्तान अथवा बंगला देश से घुसपैठ करके आने वाले लोग विदेशी हैं। क्या आप को पहले इस बात का निपटारा नहीं कर लेना चाहिये कि एक व्यक्ति विदेशी है अथवा नहीं?

गृहमन्त्री ने स्वयं सुझाव दिया था कि 300,000 विदेशियों को वहां से बाहर जाने के लिये कहा गया है। क्या ये लोग 3 लाख हैं अथवा 30 लाख? क्या इसका निपटारा कर लिया गया है? मैं यह नहीं कहता कि आप उन सभी को बाहर निकाल फेंकिये। किन्तु आप को नेहरू-लियाकत समझौते के अनुसार अवश्य ही यह निर्धारित कर लेना चाहिये संवैधानिक की स्थिति क्या है और विदेशी कौन हैं? आप उन्हें वहां बस जाने की अनुमति दे सकते हैं। आप उन्हें भारतीय पारपत्र दे सकते हैं। आप उन्हें कार्य परमिट दे सकते हैं अथवा आप उन्हें बाहर निकाल फेंक सकते हैं।

इस कार्य को भविष्य में किया जा सकता है। क्या आपको पहले इस बात का निपटारा नहीं कर लेना चाहिये कि देश में कितने विदेशी हैं ?

518-525 परन्तु वियतनाम में भी उन्होंने 10 लाख चीनी भेजे गये हैं। उन्होंने इस बात चिन्ता नहीं है कि क्या वे नाव द्वारा गये; क्या वे समुद्र में डूब गये, अथवा उनका क्या बना। इस बात की उन्हें चिन्ता नहीं है। परन्तु हमें आसामी लोगों; वहां 40 लाख लोगों के जो कि आसाम में बसे हुए हैं, के विपरीत कोई बात नहीं करनी चाहिए। गृह मन्त्री आश्वासन दें कि इन लोगों को देश भर में बांटकर बसा दिया जायेगा।

एक प्रश्न यह है : वह मृत विधान सभा को जीवित क्यों रखे हुए हैं ? उसे निलंबित अवस्था में क्यों रखा हुआ है ? सब जगह आपने नई विधान सभाएं बनाई हैं। आप आसाम में निर्वाचित क्यों नहीं करवा रहे। आप वहां पर सेनाएं भेज कर भारतीयों को डरा रहे हैं। आप जब भी घुसपैठ को क्यों नहीं रोक रहे ? आप ठीक-ठीक क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ? आप कहते हैं अल्पसंख्यकों की हर हालत में सुरक्षा की जायगी। मैं गृह मन्त्री की इस बात से सहमत हूं कि वास्तविक अल्पसंख्यकों की भारतीय अल्पसंख्यकों की हर हालत में रक्षा की जानी चाहिए। मैं यह भी मानता हूं कि भारत को देश की एकता बनाये रखने के लिये यत्न करने चाहिएं। मैं यह बात मानता हूं। परन्तु विघटन का प्रश्न ही वहां उठता है। सभी लोग यही कहते हैं कि पता लगाया जाये कि विदेशी लोग कौनसे हैं। बाद में उन्हें भारत भर में बंगाल की खाड़ी के निकट बांट दिया जाये। इस बात का निर्णय सरकार को, संसद को लेना है। उन्हें एक छोटे से राज्य, आसाम पर ही क्यों थोपा गया है, जहां कि लोगों की ऐसी भावनाएं बनती जा रही हैं कि वे मानों भारत का हिस्सा नहीं है। आसाम को भारत से जोड़ने वाला छोटा सा रास्ता है। देश को लगभग 30 प्रतिशत तेल आसाम से उपलब्ध होता है। गुजरात में तथा अन्य स्थानों पर भी अपने तेल में से भाग मिलने के लिए लड़ाई चल रही है। आसामी लोगों ने क्या किया है ? आप उन्हें उनका अधिकार दे दें। इस समय पूरे ब्रम्ह पुत्र पर एक ही पुल है। यह एक छोटा सा मार्ग है जो कि कभी भी अवरुद्ध हो सकता है तथा पूरा आसाम अलग-अलग हो सकता है। जब हम सत्ता में थे तब हमने एक मैंटर पुल के लिए स्वीकृति दी थी। क्या एक ऐसे क्षेत्र के साथ जो व्यवहारतः भारत से अलग सा हो गया है। इस प्रकार व्यवहार किया जाता है ? उनके लिए बहुत कुछ किया जाना शेष है। प्रश्न मात्र आसाम का नहीं है। प्रश्न मिजोरम, मनीपुर, मेघालय का भी है और आज की त्रिपुरा के आदम जातीय लोग मांग कर रहे हैं। यह सभी ज्वलन्त प्रश्न हैं।

मेरा गृह मन्त्री से निवेदन है कि इस मामले में बुद्धिमत्ता पूर्वक एवं धैर्य से कार्यवाही की जाये। इस बारे में ढोल पीट कर घोषणा करने से कि भारत की एकता की रक्षा की जायेगी। कोई लाभ नहीं होगा। इसकी सुरक्षा की जायगी। यह आपका ही कार्य नहीं है, सभी का कार्य है।

अल्पसंख्यकों की रक्षा अवश्य की जानी चाहिए। यह हमारा संविधान के प्रति दायित्व है। परन्तु मेरी उन विदेशियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। जिन्हें भारत में बसने दिया गया है। भारत के हितों के विरुद्ध इसकी अनुमति नहीं दी जायगी।

मेरा इतना ही कथन है।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने श्री बीजू पटनायक को

ध्यान' से सुना है परन्तु मुझे खेद है कि उनके भाषण द्वारा उस स्थिति को स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है जोकि विपक्ष ने उत्पन्न की है। उन्होंने आसाम के 30-35 वर्ष के इतिहास के बारे में बताया है। उन्होंने घुस-पैंठ का उल्लेख करते हुए स्वयं ही समस्या को गम्भीर बताया है। वह जनता एवं लोक दल सरकार के मन्त्री रहे होंगे। यह समस्या उनके समय में ही गम्भीर रूप धारण कर गई थी। उस समय उनकी बुद्धिमता कहां पर थी जिसका वह आज प्रदर्शन कर रहे हैं। उस समय उन्होंने अपने सुझाव क्यों नहीं दिये ?

श्री बीजू पटनायक : मैंने वहां सेना नहीं भेजी थी।

श्री एच० के० एल० भगत : मैंने आपके भाषण में व्यवधान नहीं डाला। आप भी व्यवधान न डालें।

मुझे नहीं पता उन्हें क्या हो गया है वह कहते हैं कि हमने सेना नहीं भेजी। उन्होंने आसाम को जलते हुए देखा। उन्होंने देश को संकटग्रस्त देखा।

पूरे देश में विशेषत: आसाम में पूरे भावनात्मक विघटन के लिए आप जिम्मेदार हैं। आपने कुछ नहीं किया परन्तु आज आप गर्व अनुभव कर रहे हैं।

आज वह गृह मन्त्री से सतर्कता से कार्य करने, बुद्धिमता से कार्य करने का परामर्श दे रहे हैं। नि:सन्देह मैं उनके परामर्श का समर्थन करता हूं परन्तु साथ ही मैं करना चाहता हूं कि इसलिए नहीं कि वे मेरी पार्टी के हैं—कि प्रधान मन्त्री गृह-मन्त्री तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों ने स्थिति में धैर्य एवं गरिमा के साथ कार्य किया है। इसकी न केवल मैं ही प्रशंसा कर रहा हूं अपितु पूरे देश में प्रशंसा हो रही है।

इस मामले को विधान सभा निर्वाचन का विषय बनाया गया था। ऐसा चुनाव में विपक्षी 'नेताओं' द्वारा किया गया, विशेषत: श्री वाजपेयी तथा कुछ अन्य ने इसे निर्वाचन का विषय बनाया। कुछ व्यक्तियों ने प्रधान मन्त्री पर बेबुनियाद आरोप लगाए कि वह आसाम की स्थिति से लाभ उठाने की चेष्टा कर रहे हैं, जबकि दूसरे पक्ष द्वारा किया गया। वास्तव में उनमें से कुछ आरोप लगा रहे थे तथा उनका उद्देश्य था जनता को विशेषत: बहुमत को उकसाना, ताकि उन्हें उनके अधिक मत मिल पाते, परन्तु यह सब व्यर्थ सिद्ध हो चुका है। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मेरी किसी के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है। आसाम के लोगों के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है कि वे अपनी संस्कृति का संरक्षण करें तथा अपने राज्य के स्वामी बनें। फिर भी हमें पूरी स्थिति का, देश के पूरे हितों का ध्यान रखना है।

अब श्री बीजू पटनायक ने कहा है। क्या यह व्यवसाय उनके ढांचे में है ? श्री बीजू पटनायक पूरे देश में व्यवसाय करते हैं। हमें परिस्थिति पर ध्यान देना चाहिए। (व्यवधान)

कृपया व्यवधान न डालें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भगत, अपने भाषण में निजी आरोप न लगायें।

श्री एच० के० एल० भगत : मुझे खेद है कि आपको बुरा लगा। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। वह एक पुराने कांग्रेस जन हैं। हमें परिस्थिति पर······

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी······

श्री एच० के० एल० भगत : श्री बाजपेयी मेरे पुराने मित्र हैं। श्री बाजपेयी और श्री बीजू पटनायक में एक बात समान है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने श्री बीजू पटनायक को उनके ग्रुप से पृथक कर दिया है।

श्री एच० के० एल० भगत : आप मुझे दूसरी तरफ ले गए। वे दोनों अच्छे कप्तान हैं। वे ऐसे परम्परागत कप्तान नहीं हैं जो जलपोत के साथ डूब जाते हैं। उनकी नावें डूब जाती हैं परन्तु वह तैर जाते हैं। यही स्थिति लोक सभा चुनाव की है और यही विधान सभा चुनाव की है।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु वे पुरी तरह डुबे नहीं हैं। वे अभी भी सभा में बैठे हुए हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : मुझे खुशी है।

अब, श्रीमान मेरा इस बारे में निवेदन है कि पूरी स्थिति को राष्ट्रीय संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है। आन्दोलन चलाने वाले उसका समर्थन करने वाले तथा उसे भड़काने वाले उसका आयोजन करने वाले व्यक्तियों के मूल इरादे कुछ भी हों, वास्तविक बात यह है कि यह किनके विरुद्ध है? इसने क्या सूरत ले ली है। श्री बीजू पटनायक ने अत्यन्त सरलता से कह दिया है कि मैं अल्पमत का संरक्षण करना चाहता हूं, यह कार्यवाही की जानी चाहिए। प्रश्न केवल विदेशी नागरिकों का है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है—मुझे यह कहते हुए खेद है कि उन्होंने पूरे वक्तव्य में आन्दोलन के अत्यन्त घृणित रूप की भी निन्दा नहीं की, जोकि स्त्री-पुरुषों की हत्या किए जाने के से सम्बन्धित है। हाल ही में, एक पखवाड़ा पूर्व एक उड़िया महिला की हत्या कर दी गई और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। अपने भाषण में उन्होंने उसकी निन्दा में एक भी शब्द नहीं कहा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शायद वह इसकी निन्दा करने के लिए खड़े हुए हैं।

श्री बीजू पटनायक : मैंने गृह मन्त्री से पूरे तथ्य बताने के लिए कहा है। किसी ऐसी उड़िया महिला की हत्या नहीं की गई। इसमें कोई सचाई नहीं है। (व्यवाधान)

श्री एच० के० एल० भगत : क्या यह सच नहीं है कि बंगालियों, बिहारियों और उड़ीसा वासियों के विरुद्ध आन्दोलन भड़क उठा है। क्या वे भारतीय नागरिक नहीं हैं—महोत्रा की हत्या की गई, नियोगी की हत्या की गई। कई भव्य व्यक्तियों की बेइज्जती की गई अथवा उन्हें पीटा गया? विधायकों को भी चुनौती दी जा रही है। उनका सामाजिक भहिष्कार किया जा रहा है। गुजरात में सामाजिक बहिष्कार के अन्तर्गत बिजली पानी काट दिए जाते हैं और कभी-कभी यह थपड़ भी रसीद कर दिया जाता है। वही बातें दुहराने का प्रस्ताव है। इस बारे में कुछ नहीं किया जा रहा है। कहा गया है कि अल्प-संख्यकों को संरक्षण मिलना चाहिए। परन्तु वहां पर क्या हो रहा है? मान लीजिए कोई व्यक्ति तीस वर्ष पूर्व आया था उसके वहां पर सम्पत्ति एवं परिवार भी है तो क्या उसे मार दिया जाना चाहिए अथवा उसके विरुद्ध हिंसा का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए मेरे कहने का का अभिप्राय यह है कि आसाम ऐसी स्थिति प्रदान करता है जिससे वे फायदा उठाना चाहते हैं, आग में घी डालना चाहते हैं। अन्यथा उनका अभिप्राय न केवल आसाम को अपितु हमको भी जला देने को कहा है। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि यह पूरे देश को

विघटित करने का षडयन्त्र है। मैं यह तो नहीं कहता कि आन्दोलन इस इरादे से शुरू हुआ। परन्तु निहित स्वार्थ लोगों ने उसका रूप बदल दिया है—

एक माननीय सदस्य : किसने ?

श्री एच० के० एल० भगत : विदेशियों ने भी श्री समर मुखर्जी बैठे हुए हैं। श्री ज्योति बसु बंगाल के मुख्य मन्त्री के रूप में कार्य कर रहे हैं।

यह इनके और निकट है, उन्हीं से पूछिए। क्या उनका कहना यह नहीं है कि इसमें विदेशी तत्व हैं ? वह ऐसा ही कह रहे हैं। अभी हाल ही में अखिल भारतीय समाचारपत्र सम्पादकीय सम्मेलन समिति मण्डल द्वारा वहां का दौरा किया गया। उन्होंने भी यही कहा है। अनेक समाचार-पत्रों तथा साप्ताहिकों के सम्वाददाता भी वहां गए हैं और उन्होंने भी कहा है कि इसमें विदेशियों का हाथ है। क्या आपने इसे पढ़ा है ? वहां कुछ ऐसे संगठन हैं जो आए दिन सम्पूर्ण ब्यौरे सहित तथा काफी खर्चीले इश्तिहार बांटते रहते हैं तथा कुछ दैनिक-पत्रों तथा साप्ताहिक पत्रिकाओं में जोकि इन्दिरा समर्थक नहीं हैं—इन्दिरा विरोधी हैं—का कहना है कि उनके पास बहुत-सा धन है और उनका कहना है कि इसमें विदेशी एजेंसियां लगी हुई है और फिर यह विदेशी एजेंसियां कौन-सी हैं ? मेरे मित्रो यह तो है वहां की वास्तविक स्थिति। अतः इस सन्दर्भ में गृह-मन्त्री का यह कहना उचित ही है कि भारत की रक्षा करनी ही होगी। आप इस बात को याद रखिये कि अगर भारत कमजोर होता है तो उससे न तो आसाम सुदृढ़ होगा और न ही उड़ीसा तथा न ही कोई अन्य राज्य। मैंने हाल ही में—मैं समझता हूं शायद कल या आज पढ़ा था कि बिहार में भी कोई ऐसा ही आन्दोलन आरम्भ करने पर विचार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि जो गैर-विदेशी लोग वहां व्यापार में लगे हैं, उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाए। ऐसा उसका उद्देश्य लगता है। इसी प्रकार के आन्दोलन देश के अन्य भागों में भी आरम्भ किए जा रहे हैं। इन सभी कृत्यों के पीछे उद्देश्य यही है कि लोगों की भावनाओं को भड़काया जाए तथा अव्यवस्थित वातावरण तैयार किया जाए। ऐसा मुझे बताया गया है—मेरी जानकारी दायित्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए मैं इस पर अधिक बल नहीं दे रहा हूं—यहाँ तक कि उड़ीसा में भी गड़बड़ शुरू करने के लिए कुछ प्रयास किये गये थे····। (व्यवधान)

मैं बहुत ही आदरपूर्ण ढंग से यह निवेदन करने का प्रयत्न कर रहा हूं कि जातिवाद, साम्प्रदायिकवाद तथा भाषायी पागलपन सम्बन्धी नाग अब फिर सिर उठाने लगे हैं। यह बुराइयां अनादिकाल से ही चली आ रही है और हमारे देश में यह बुराइयां सदा ही प्रगतिशील ताकतों से टकराती रही हैं, उनसे लड़ती रही हैं - जब हमने स्वतन्त्रता प्राप्त की तो उस समय भी हमारे यहां साम्प्रदायिक दंगे हुए और भारत की एकता को बनाये रखने के लिए हमें गांधीजी का बलिदान देना पड़ा। इन सभी आन्दोलनों के पीछे चाहे कोई भी कारण क्यों न रहा हो परन्तु सभी का एक प्रभाव यह अवश्य हुआ कि इससे भारत की एकता कमजोर हुई और जब ज्ञानी जैलसिंह ने यह कहा कि भारत की एकता को बनाये रखा जाएगा, तो ऐसा यह कर वह केवल अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह ही कर रहे थे, और ऐसा उन्हें करना भी चाहिए। उनका वक्तव्य बहुत ही सराहनीय है। प्रधान मन्त्री वहां गई और उन्होंने अनेक बार उन लोगों के साथ बातचीत की। इस समय दिल्ली क्षेत्र से निर्वाचित मेरे मित्र, जिनका मैं काफी सम्मान करता हूं, भी यहां बैठे हुए हैं। मैंने श्री रवीन्द्र वर्मा के वक्तव्य के साथ उनका एक वक्तव्य पढ़ा है। एक स्थान पर उन्होंने एक वाक्य

बातचीत की थी। उन्होंने कहा है कि वह इस आन्दोलन का समर्थन करते हैं। आप इस आन्दोलन का समर्थन किस लिए कर रहे हैं ? आप इस आन्दोलन का समर्थन क्यों कर रहे हैं ? आप किस उद्देश्य से इस आन्दोलन का समर्थन कर रहे हैं ? आपने इस आन्दोलन की निन्दा नहीं की है और अब इसका समर्थन क्या इसलिए कर रहे हैं इससे पैट्रोल के सप्लाई ठप्प हो गई है जिसके परिणामस्वरूप देश को 3 करोड़ रुपया प्रतिदिन की हानि हो रही है और यदि आप सम्पूर्ण हानि का अनुमान लगायें तो वह 9 करोड़ रुपया प्रतिदिन दे बैठेगी। क्या आप इसीलिए इसका समर्थन कर रहे हैं। सम्भवतः आपने इसीलिए इसके निन्दा नहीं की है।

अब जरा देखिये कि राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ द्वारा क्या किया जा रहा है ? आरम्भ में सभी ने यह कहा था कि नहीं, नहीं, हमारा इसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। अब आर० एस० एस० का कहना है कि वह इस आन्दोलन से सम्बद्ध है। यदि सरकार बाला साहिब देवरस सहित आर० एस० एस० के नेताओं द्वारा 1979 से 1980 तक वहां किए गए दौरों की जांच कराएं।

मैं पूर्ण विश्वसनीय ढंग से यह कह रहा हूँ कि जहां कहीं श्री आर० एस० एस० के लोगों द्वारा दौरा किया गया तथा शिविर लगाये गए, वहां एक या दो दिन बाद ही साम्प्रदायिक दंगे हुए। वहां साम्प्रदायिक दंगे हुए और उनमें 150 लोग मारे जा चुके हैं। आप क्या कर रहे हैं ? आप जलती में तेल डाल रहे हैं। परन्तु हमारे नेता, इन्दिरा जी ने उन्हें बातचीत के लिए राजी कर लिया। श्रीमान जी, यदि भारत नहीं रहेगा तो कोई भी नहीं रहेगा। इन्दिरा गांधी भी नहीं रहेगी और कोई भी नहीं रहेगा। अतः भारत बचाइये। वह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष में इसी विषय को उठाती रही है। राष्ट्रीय चुनावों में लड़ाई कैसे लड़ी गई ? आप इस लड़ाई में हार गये क्योंकि आपने इसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष में नहीं लड़ा। आपके पास राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं था। आप सभी वर्गगत नेता हैं और भारत के लोगों ने राष्ट्रीय नेताओं के पक्ष में मतदान दिया। केवल एक व्यक्ति प्रधान मन्त्री बनकर ही देश का शासन नहीं चला सकता है। जो प्रधान मन्त्री राष्ट्र का नेता होगा, वही देश का शासन चला सकेगा। इस समस्या का उल्लेख करते हुए देश की एकता तथा अखण्डता को बनाए रखने के लिए उसने लोगों का और समर्थन मांगा तथा साथ ही उसने अपने अच्छे कार्यकरण तथा नीतियों को सही ढंग से क्रियान्वित करने की क्षमता को भी प्रदर्शित किया, जोकि अब प्रमाणित हो चुकी है।

एक अन्य संगठन है जिसका नाम गांधी शान्ति प्रतिष्ठान है। इसके तीनों शब्द 'गांधीजी' 'शान्ति' तथा प्रतिष्ठान अर्थहीन है क्योंकि वह इसके कृत्यों से मेल नहीं खाते। यह संगठन इस समय ऐसी स्थिति उत्पन्न का प्रयत्न करता रहता है और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वह वार्ताकार या मध्यस्थ के रूप में उसमें शामिल हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि जब गुजरात में नव-निर्माण आन्दोलन चलाया जा रहा था उस समय भी यह लोग इसी रूप में हमारे सामने आये थे और उसके फलस्वरूप देश को जो कुछ मिला उसे हम सभी जानते हैं। मेरे मन में श्री जयप्रकाश जी के लिए बहुत सम्मान है। बहुत समय पहले जबकि मैं एक बच्चा था, मैंने उन्हें देखा था और हमें उनसे बहुत आशा थी। अन्ततः उनकी मृत्यु निराशा में हुई। नव-निर्माण आन्दोलन के दौरान ही यह 'गांधी पीस फाउण्डेशन' हमारे सामने आया।

आजकल यह आसाम में सक्रिय है। इसका एक सचिव या फिर न जाने वह क्या है,— श्री राधाकृष्ण नामक व्यक्ति बहुत सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। वहां अध्ययन दल भेजे जा

रहे हैं। वहां लोगों को भेजा जा रहा है। इसके लिए धनराशि कहां से आ रही है ? यह सब कौन कर रहा है ? अनेक कार्य किये जा रहे हैं। मेरे पास आसाम ट्रिब्यून अखबार में छपा यह वक्तव्य है जिसमें कहा गया है कि हम आन्दोलन का समर्थन करते है, हम लोगों के साथ है।" इसे कौन चला रहा है ? उनका कहना है कि वह मध्यस्थ हैं। उनकी नियुक्ति मध्यस्थ के रूप में किसने की है ? उनका आशय यह है कि वह वहां मध्यस्थ के रूप में घुस जाये और फिर वहां इस प्रकार की पेचीदा परिस्थितियां उत्पन्न कर दें जिनका कि समाधान न किया जा सके। श्रीमती गांधी उन समस्याओं का समाधान न कर सके या फिर भारत सरकार के लिए उनका समाधान करना सम्भव न हो। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वहां कार्यरत कुछ संगठनों की जांच करवाई जाये। मैं उन संगठनों के नाम बताऊंगा। मैं गृह मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि गांधी शांति प्रतिष्ठान के कुछ पदाधिकारियों से सम्बद्ध कुछ संगठनों की जांच करवाई जाए। उन्हें बहुत धनराशि प्राप्त हो रही है। इस सम्बन्ध में ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों के संघ नामक संगठन का उल्लेख किया जा सकता है। इस संस्था को पश्चिम जर्मनी से 1.40 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है और 35 लाख रुपया 'फोर्ड प्रतिष्ठान' से प्राप्त हुआ है। रेशम उत्पादन सम्बन्धी कार्य में लगी एक अन्य समिति को भी पश्चिम जर्मनी से 10 लाख के करीब रुपये प्राप्त हुए हैं। गांधी शांति प्रतिष्ठान को पश्चिम जर्मनी से 7 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार हैदराबाद में एक परियोजना है जिसे भारत में बन्धुआ श्रमिकों का सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार अनेक अन्य ऐसे संगठन हैं जो किसी न किसी बहाने से विदेशी धन प्राप्त करते रहते हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इसकी जांच करें। आपातकालीन स्थिति के उपरांत तो श्रीमती गांधी के खिलाफ जिम्मेवार पत्रकारों द्वारा अनेक कहानियां लिखी गई थीं। इस कार्य के लिए उनके पास काफी पैसा था। आन्दोलन के लिए धन की कमी नहीं है। इस आन्दोलन के लिए बहुत अधिक धनराशि उन्हें मिल रही है। यह धन कहां से आता है ? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी धन आ रहा है। अभी मेरे मित्र ने आसाम अल्प संख्यक विद्यार्थी संघों के बारें में कहा था। मालूम नहीं है कि श्री बीजू पटनायक इसे समझ पाये हैं या नहीं। एक नेता होने के नाते उन्होंने इस प्रकार की अनेक परिस्थितियों का मुकाबला किया होगा। परन्तु मैं यह नहीं जानता कि एक साधारण नागरिक होने के नाते उन्होंने इस प्रकार से किसी अन्य स्थान पर घटने वाली घटनाओं से निपटने का प्रयत्न किया है या नहीं। कई बार बहुत छोटी सी अफवाह भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देती है। यदि सभी लोग गलियों में दौड़ना शुरू कर दें तो इसी से दंगे आरम्भ हो जाते हैं। आसाम में इसी प्रकार का आन्दोलन चल रहा है। वहां रहने वाले आसामी लोग या तो वह मूल आसाम के ही या बाद में आने वाले क्या इससे चिंतित नहीं होंगें ? क्या इससे उनकी चिंता नहीं बढ़ेगी। यदि वहां सम्बद्ध अधिकारियों की पूर्ण अनुमति प्राप्त करके कोई जलूस निकाला जाये, और वह जलूस भी शांति-प्रिय हो, तो क्या उससे वह लोग आंतकित नहीं होंगे ? अखिल भारतीय सम्पादक सम्मेलन ने बताया कि उनका झंडा बंगला देश का नहीं है। उन्होंने बताया कि आन्दोलन अभी भी चल रहा है। इस प्रकार के आन्दोलन के फलस्वरूप अनेक बहुमूल्य जीवन नष्ट हो जाते हैं और इसके बावजूद भी इसे अल्पसंख्यकों से सम्बद्ध किया जा रहा है। हमारे देश में बिना अल्पसंख्यकों के सहयोग सेबहुसंख्यकों को सशक्त नहीं बनाया जा सकता। यदि हमारे शरीर के एक अंग में पीड़ा होती है तो सम्पूर्ण शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। अनेकता में एकता द्वारा ही राष्ट्र को

बताया जा सकता है। इसलिए यह अनिवार्य है कि हम सम्पूर्ण आसाम समस्या को इसी सन्दर्भ में ही देखे तथा अन्य किसी परिप्रेक्ष्य में न देखें। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे कि उन्हें आसाम की चिंता है। उनका यह कहना गलत नहीं था। उन्हें स्थिति काफी जटिल लगती थी। उस समय श्री बीजू पटनायक भी हमारे ही दल में थे। पंडित नेहरू उन्हें काफी चाहते थे। यह सब कुछ सत्य है। यह निश्चय ही एक जटिल समस्या है जिससे अनेक प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। हमने एक नेता ऐसा भी देखा था जो खुले तौर पर यह कह रहा था कि हम चीन का समर्थन करते हैं। अभी हाल ही में 'गुडमैन' नामक एक व्यक्ति को भारत से निकाला गया था। मैं नहीं जानता कि ज्ञानी जी को यह अच्छा लगेगा या नहीं, परन्तु फिर भी मैं अभी तक यह जानता हूं कि अभी भी हमारा गुप्तचर विभाग वैसे ही कार्य कर रहा है जैसे कि अंग्रेजों के राज्य में पुलिस वाले किया करते थे। हमें अपने गुप्तचर विभाग में और अधिक सुधार करना पड़ेगा। इसे और अधिक आधुनिक बनाना होगा जिससे कि यह सही अर्थों में गुप्तचर विभाग की भूमिका निभा सके और आपको पता चल सके कि क्या हो रहा है। एक पत्रकार जो आसाम गया का वह भारत सरकार की अपेक्षा जानकारी एकत्रित कर पाया है। मेरा आशय किसी प्रकार का आक्षेप करने का नहीं है परन्तु चूंकि स्थिति गंभीर है अतः हम सभी को सहयोग करते हुए मिल कर इसका समाधान करना चाहिए। हम सम्मान पूर्वक ढंग से इसे करना चाहिए।

श्रीमान् जी, आज 'सिटीजन फार डेमोक्रेसी' नामक एक संगठन के बारे में एक प्रमुख वकील श्री तारकुण्डे का बयान समाचार पत्रों में छापा है। उनका कहना है कि यह सरकार कोई क्रियाशील नहीं है और 6 महीनों के अन्दर ही 1974 वाली स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। इन संगठनों तथा इन लोगों का आखिर उद्देश्य क्या होता है? वह पहले से जटिल समस्या को और अधिक जटिल बनाना चाहते हैं। ऐसा करना भारत के हित में नहीं होगा। भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान श्री वाजपेयी एक ऊंट पर बैठकर उस क्षेत्र में गये थे और वहां की मिट्टी को अपने माथे पर लगाते हुये उन्होंने कहा था कि 'यह भारत माता की मिट्टी है।" इसके बाद उन्होंने कहा कि इन्दिरा गांधी ने पाकिस्तान को क्षेत्र देकर भारत के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने यह भी कहा था कि शिमला समझौता भी विश्वासघात है परन्तु जब वह स्वयं विदेश मंत्री बन गये तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि सब कुछ सही है।

महोदय, मैं मोशे दयान का मामला उठाकर उन्हें और अधिक परेशान करना नहीं चाहता। पहले तो उन्होंने उनके गुप्त दौरे के बारे में मना किया, परन्तु जब यह बात जाहिर हो गई तो उन्होंने कहा कि गुप्त होने के कारण वे इसे छुपाना चाहते थे, परन्तु जब एक बार इसे सबके समक्ष प्रकट कर दिया गया तो उन्होंने भी इसे स्पष्ट बता दिया। ऐसा लगता है कि आप जो प्रतीक्षारत हैं। आप इसमें सफल होंगे या नहीं—मैं नहीं समझता कि आप वहां पहुँच भी पायेंगे, परन्तु भारत मुझसे, आपसे और सबसे ऊपर है। असम को उसी सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए और देश को बचाया जाये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, असम समस्या न केवल अत्यन्त ही गम्भीर और उलझी हुई स्थिति में पहुंच गई है। अपितु स्थिति यह मांग करती है कि इस आन्दोलन के बारे में और समस्या के हल के उपायों के बारे में राजनीतिक दल पूर्णतया अपनी स्थिति स्पष्ट

कर दें। यह जो आन्दोलन मतदाता सूचियों में संशोधन के प्रश्न को लेकर उठा था, तब इसमें विदेशियों का प्रश्न भी जुड़ गया और अब निर्वासन का प्रश्न, तेल की नाकाबन्दी और ठीक उसके बाद और भी मामले इससे जोड़े गये जैसे कि असम से बाहर कुछ भी न भेजा जाए। चाय, प्लाईवुड आदि भी रोक दी जाये। अतः हमारा दल प्रारम्भ से ही यह बात कहता चला आया है। हमने तो लोगों को साफ-साफ बता दिया था कि असम के लोगों की शिकायतों के कुछ उचित आधार हैं। असंतोष तो वहां फैला हुआ है परन्तु जिस ढंग से आन्दोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसने एक कट्टरवादी और पृथकवादी मोड़ ले लिया है। इसीलिए इस आन्दोलन के बड़े ही खतरनाक परिणाम निकलेंगे, जो कि केवल असम की जनता गैर असमी तथा जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में रह रहे हैं उन लोगों के लिए ही खतरनाक नहीं होंगे परन्तु इसका बड़ा ही गम्भीर परिणाम होगा। इसका प्रभाव भारत की एकता पर भी पड़ेगा और देश की समस्त अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि इसका उचित जायजा लिया जाना चाहिए—इस आन्दोलन की प्रकृति और प्रवृत्ति के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिये।

अब एक ऐसी स्थिति आ गई है जहां इस आन्दोलन के चलाने वालों ने इस प्रकार की घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया है कि विदेशियों के प्रश्न पर वे एकतरफा निर्णय लेंगे। उनका कहना है कि यदि भारत सरकार मना करती है तो वे स्वयं उन्हें आसाम से जबरदस्ती बाहर कर देंगे। अतः बल के प्रयोग का प्रश्न खड़ा हो गया है। दुर्भाग्य से अब कुछ विपक्षी दल भी इस आन्दोलन का समर्थन कर रहे हैं। हमारे विचार से यह संकीर्ण दृष्टिकोण है जिसके फलस्वरूप और कुछ अवसरवादी-स्वार्थियों के कारण ऐसा हो रहा है जोकि इस आन्दोलन का समर्थन कर रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है, कि वे इस आन्दोलन पर गम्भीरता से विचार करें और यह देखें कि इस आन्दोलन के पीछे कौन है। मेरे पास कुछ दस्तावेज है। मैं आपको यह दिखाने के लिये आपके समक्ष इनको रखूंगा कि इस आन्दोलन को जीवित रखने के कौन लोग इच्छुक हैं और वे इसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। यह आन्दोलन उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में भी फैल गया है। हमने अपने दल को इस बारे में बार-बार बताया है। मैंने अपने दल को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि इसके पीछे सी० आई० ए० के एजेन्ट कार्यरत हैं। और अब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ खुले रूप में इस आन्दोलन में भाग ले रहा है। व इस बात को खुले तौर पर स्वीकार कर रहे हैं। अत: इसके परिणामों पर गम्भीर रूप से विचार किया जाना चाहिए। 15 मई के बाद से आन्दोलन के नेताओं ने इस बात का पता लगाना आरम्भ कर दिया है कि विदेशी कौन है, कुछ परिवारों को पहचान लिया गया और उन्हें निकाल बाहर किया है। परन्तु ठीक इसके बाद असम सरकार का मैंने एक वक्तव्य देखा जिसमें कहा गया है कि ये सभी तेरह परिवार जिन्हें विदेशी करार दिया गया था वे असमियां लोग ही हैं वे तो स्थानीय मछुए ही हैं। तो, इस प्रकार का वक्तव्य स्वयं असम सरकार ने ही दिया है। अतः ऐसे अनेक स्वार्थी तत्व हैं जो अब बहुत सक्रिय हैं जो उस भूमि को हड़प लेना चाहते हैं, जो वहां बहुत पहले आकर बसे लोगों के अधिकार में है, फिर चाहे वे बंगला देश से आये हों या विभिन्न अन्य राज्यों से यहां आकर उन्होंने इस भूमि पर खेती की। उन्हें अब ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पास एक रिपोर्ट है। आन्दोलन के शीर्षस्थ नेताओं में से एक ने कुछ वर्ष पूर्व कुछ लोगों को पट्टे पर भूमि देने के लिए बुलाया था। यह कोई लगभग 30,000 एकड़ भूमि थी। कुछ लोगों ने भूमि ली। यह कोई 30 या 40

वर्ष पहले की बात है। अब मुद्दा यह है कि चूंकि वह अब वे आन्दोलन के एक नेता बन गये हैं तो अब उन्होंने उन्हें बाहर निकलना शुरू कर दिया है। यहां तक कि उस भूमि को भी किसी को फिर से बेच दिया जायेगा और वह आमदनी का रुपया बटोरने का एक स्रोत बन जायेगा।

महोदय, मुझे अधिक समय नहीं मिला है अथवा मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है। मैं आपको कुछ तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं, कि इस आन्दोलन के पीछे कौन लोग सक्रिय हैं। 12 अप्रैल 1980 को हमारी प्रधान मन्त्री ने असम का दौरा किया। जो कुछ उस दिन हुआ उसकी एक रिपोर्ट मेरे पास है। 'नई दिल्ली' साप्ताहिक में चैतन्य कलबाग सम्वाददाता ने एक रिपोर्ट दी है जो कि उन्होंने वहां जाकर तैयार की थी वह यह है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : सम्पादक—खुशवन्त सिंह।

श्री समर मुखर्जी : रिपोर्ट में कहा गया है :—

"क्या आन्दोलन को केवल पूर्वी पाकिस्तान और बाद में बंगलादेश से आने वाले अवैध अप्रवासियों के विरुद्ध ही चलाया गया था। यही बात सभी नेताओं ने बार-बार दोहराई थी। परन्तु 12 अप्रैल को जिस सन्ध्या श्रीमती इन्दिरा गांधी दौरे पर थीं, उसी सन्ध्या आन्दोलन की 25 मिनट की रंगीन डॉकूमैन्टरी फिल्म देखने के लिये चुने हुए दर्शकों को आमन्त्रित किया गया। इसे गोहाटी के वन्दना सिनेमा घर में दिखाया गया। इस डॉकूमैन्टरी को दिखाने के लिए स्पष्ट ही है चल रही फिल्म के नियमित शो को रद्द करना पड़ा। और जिनके सन्देह अनेक थे इस डॉकूमैन्टरी में काफी दूर कर दिये।

यह जनसंख्या वृद्धि के आंकड़ों से शुरू हुई जिसमें यह दिखाया गया कि किस प्रकार गैर-असमी, विशेषकर बंगाली और मुस्लिम काफी संख्या में बढ़ते गये। इसमें यह भी दिखाया गया कि किस प्रकार आन्दोलन ने शक्ति प्राप्त की और किस प्रकार इसे लोकप्रिय समर्थन मिला। इसके बाद आन्दोलन के शहीदों के चित्र उनके बलिदान का विवरण भी दिखाया गया। यहां तक कि बम्बई के एक साप्ताहिक का मुखपृष्ठ भी···" इसे नोट किया जाये।

"जिसका सम्पादक देश के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों में से एक है, जिसने बढ़-चढ़कर आन्दोलन के बारे में सुर्खियों से लिखा, उसको पर्दे पर दिखाया गया और उद्घोषक ने सम्पादकीय से लम्बे उद्धरण विस्तार से पढ़े। अन्त में सम्पूर्ण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का (असम, अरुणाचल प्रदेश, मणीपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा) मिलाकर संयुक्त असम का मानचित्र लाल हाशिये में रेखांकित दिखाया गया। एक धुन बजाई गई। हमें सावधान खड़े रहने को कहा गया और बाद में मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि यह 'असम का राष्ट्रीय गीत' था।"

इस प्रकार से असम को एक स्वतन्त्र संयुक्त राज्य बनाने का मनोविज्ञान तैयार किया गया है। अतः इसके पीछे स्वार्थी दल हैं। उसी लेखक ने नाम भी दिए हैं परन्तु मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है। मैं केवल इस मामले का सन्दर्भ दे सकूंगा। यह 12 मई, 1980 के 'नई दिल्ली' साप्ताहिक में दिया गया है। उसी अंक में यह भी दिया गया है :

"गड़बड़ी के पीछे किसका हाथ है?" जिस व्यक्ति ने यह लिखा है वह वहां स्वयं उपस्थित था। इसमें कहा गया है :

"15 अप्रैल को श्री कामथ ने मुझसे कहा……।" ये हैं 'इलास्ट्रेटड वीकली आफ इण्डिया' के सम्पादक श्री एम० वी० कामथ।

"उनके और कुछ मित्रों के साथ गोहाटी के एक होटल में रात्रिभोज में सम्मिलित होने के लिये। मित्रों में प्रभावशाली लोगों का जमघट था—शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की केन्द्रीय परिषद की स्थानीय शाखा के अध्यक्ष, असम राज्य बिजली बोर्ड के अध्यक्ष, जीवन बीमा निगम की स्थानीय शाखा के अध्यक्ष, अपर असम के नामरूप तापीय बिजलीघर के वरिष्ठ अधीक्षक अभियन्ता, असम के 'ट्रिब्यून' ग्रुप आफ पेपर्स के मालिकों में से एक भाई, एक भारतीय विदेश सेवा का भूतपूर्व अधिकारी जो अब वकालत करता है और एक सिविल इंजीनियर।

यह एक नीति-नियोजन सन्ध्या थी। और मुझे इससे बाहर रखा गया था। कामथ ने यह कहते हुए आरम्भ किया, "हमें गलत प्रेस मिली है। बाह्य जगत के साथ हमने बहुत ही कम सम्पर्क स्थापित किया है। हम लोगों को जोर देकर यह बताना चाहिए कि असम को मुस्लिम-बहुमत वाला राज्य बनाने का खतरा है। हमें कुछ लाख रुपया एकत्र करना चाहिए और बाह्य प्रेस में टिप्पणियां भेजने के लिए एक समिति नियुक्त करनी चाहिये। तथा सम्पाकों व्यापारियों, नीति-निर्धारकों से भारत के हर कोने में जाकर मिलने के लिए कार्यकर्त्ता भेजने चाहिए तथा उन्हें स्थिति से अवगत कराया जाए।"

इस आन्दोलन के पीछे ये सभी उच्चाधिकारी हैं। वे आर्थिक सहायता दे रहे हैं, प्रोपेगण्डा कर रहे हैं, राजनीतिक लोगों को प्रभावित कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : विदेशियों के बारे में क्या कहना है ?

श्री समर मुखर्जी : उस बारे में भी मैं बोलूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या इस पत्रिका में इतना ही लिखा है ?

श्री समर मुखर्जी : केवल एक पत्रिका से ही नहीं, और भी तो हैं।

गुप्त दस्तावेजों को पकड़े जाने के बहुत पहले सी० आई० ए० ने ब्रह्मपुत्र परियोजना तैयार की थी। इसके लिये योजना थी। उन्होंने महसूस किया "ये क्षेत्र अति संवेदनशील है और वहां बहुत समय से असंतोष चला आ रहा है। अतः हमें इस असंतोष का फायदा इस तरीके से उठाना चाहिए कि वहां परेशानियां उत्पन्न हों।" उन्होंने बहुत से एजेन्ट पत्रकार एवं अनुसंधान कार्यकर्त्ताओं के रूप में वहां भेजे हैं। ब्रह्मपुत्र परियोजना बहुत पहले तैयार की गई थी। जब श्री कार्टर भारत आये तब उन्होंने अपने भाषण के दौरान यह उल्लेख किया कि "असम और भारत के पूर्वी भाग बहुत पिछड़े हुए हैं। हम इस क्षेत्र के विकास में सहायता करने के लिए तैयार हैं। अतः अमेरिका इस क्षेत्र के विकास में बहुत रुचि लेता है। अभी फिलहाल एक आदमी को कलकत्ता हवाई अड्डे पर पकड़ा गया और उसे काठमाण्डू वापस भेजा गया। उसका नाम गाडमैन है। उसे कुछ कागजातों के साथ पकड़ा गया था। कागजातों से यह सिद्ध होता है कि वह सी० आई० ए० के वेतन पर काम करने वाला आदमी है। उसे मुफ्त परिपत्र, मुफ्त वीसा और प्रत्येक वस्तु मुफ्त दी गयी है। वह छिपे हुए नेताओं से स्वतंत्रता पूर्वक मिल रहा है।

यहां असमिया में प्रकाशित एक इश्तहार है। इश्तहार के अन्त में लिखा गया है "प्रकाशना विभाग यू० एस० ए० (पूर्व) :" यह इश्तहार की फोटो स्टेट सत्य प्रतिलिपि है।

सभापति महोदय : इस पुस्तिका को कब प्रकाशित किया गया और इसका वितरण कब किया गया। (व्यवधान)

श्री समर मुखर्जी : मैं नहीं बता सकता हूं। शायद 'न्यूजवीक' में एक लेख नक्शे के साथ छपा था। और उस नक्शे में असम को भारत से बाहर दिखाया गया था। ये जोड़ने वाली कड़ी एवं शाखा प्रशाखन हैं। इससे यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि विदेशी हाथ बहुत क्रियाशील है। अमेरिकी समाचार रोज प्रसारित किये जा रहे हैं और आन्दोलन का समाचार बढ़ा-चढ़ा कर एवं एकतरफा है। बी० बी० सी० एकतरफा समाचार का प्रोपेगण्डा कर रहा है।

ये आन्दोलनकर्ता इस बात का दावा कर रहे हैं कि यह आन्दोलन शांतिपूर्वक है। परन्तु बहुत-सी हत्याएं एवं नृशंस अत्याचार किये गये हैं। बहुत से घरों को जलाया एवं लूटा गया है। वहां कुछ कहानियां हैं। मेरे पास इन्हें पढ़ने का समय नहीं है।

सभापति महोदय : कृपया आप अपना भाषण दिये गये समय के अन्दर समाप्त करिये।

श्री समर मुखर्जी : मैं एक महिला उपन्यासकार नीरुपमा बुरगोहाइन के लेख से पढ़ रहा हूं। वे कुछ शिवरों में गयीं। वहां वे परिवार थे जिन्हें पूरी तरह उजाड़ दिया गया था, उनके घर जला दिये गये थे और लोगों को जला दिया गया। यह लम्बा उद्धरण है। यहां पढ़ने का समय नहीं है।

"हमने इन भीड़ से भरे हुए शिविरों में रहने वाले अभोग व्यक्तियों से बात करना शुरू किया। हम लोग उनके प्रति किये गये अत्याचारों की भयावह कहानी को सुनकर आश्चर्य चकित हो गये, दुखपूर्ण हो गये एवं भयभीत हो गये। केवल उनके घर जलाये और लूटे ही नहीं गये बल्कि उनके कुछ रिश्तेदारों की हत्या की गई थी। उनका मात्र यह दोष था कि वे बंगाली थे, ऐसे बंगाली जिनकी शिक्षा आसामी भाषा में हुई थी वे स्थानीय आसामी गीत गा सकते थे एवं आसामी नाटक एवं नाट्यशाला में भाग ले सकते थे, बंगाली जो पूर्णत: आसामी संस्कृति के थे। ये आसामी बंगाली अपने घरबार खो गये—इत्यादि"

शरणार्थियों की कुल संख्या दोनों शिविरों में करीब 3500 थी। वे खुदिया खाटकटारा, कुदरा कातला इत्यादि जगहों से थे।

अत्याचार की और भी बहुत-सी कहानियां उनके द्वारा बताई गई हैं। अब उन्हें लिखने के काम से अलग कर दिया गया है। अभी हमारे मित्र श्री बीजू पटनायक ने कहा कि 40 प्रतिशत लोग विदेशी हैं जो यहां आये हुए हैं।

श्री बीजू पटनायक (केन्द्र पाड़ा) : अगर आप इसका सत्यापन करना चाहते हैं तो हम इसे करा सकते हैं।

श्री समर मुखर्जी : आप कैसे सत्यापित कर सकते हैं ? आप उनका पक्ष ले रहे हैं।

श्री बीजू पटनायक : क्या आप इसे पसन्द करेंगे अगर मैं कहूं कि आप बंगाली बस्तियां बसाते हैं।

श्री समर मुखर्जी : उसी लेखक ने निम्न पंक्तियां भी लिखी हैं :

बहुत बड़ी संख्या में अप्रवासी पूर्वी बंगाल से 5,96 7,000 एकड़ की जमीन पर 1930

और 1940 और 8,926,000 एकड़ की जमीन पर 1940 और 1950 के बीच बसे हैं। आप्रवासियों की आबादी की निश्चित संख्या ज्ञात होना कठिन है।

बहुत से ऐसे लोग हैं जो 1951 के पहले से आये हैं इसीलिये आन्दोलनकारी 1951 को आधार वर्ष बनाने का आग्रह कर रहे हैं परन्तु बहुत से लोग उनसे भी पहले आये हैं। अब वे उन सबको विदेशी बता रहे हैं। यहां प्रश्न यह है कि ये अल्पसंख्यक हैं या विदेशी हैं। आप कहते है कि वे विदेशी हैं। हम कहते है कि वे अल्पसंख्यक हैं भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक और साथ-ही-साथ धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं, वे आदिवासी हैं। अतः वे जो आन्दोलन कर रहे हैं उनका कहना है कि 45 लाख लोग विदेशी हैं। दूसरी रिपोर्ट के अनुसार 50 लाख लोग हैं। अब यह आन्दोलन है कि आसाम के लोग अपने को संगठित कर इन 50 लाख विदेशियों को पकड़ कर आसाम से निकालें। आप उन्हें ताकत से कैसे बिना किसी दंगे एवं खूनखराबी के आसाम से बाहर निकाल सकते हैं आसाम की अब यह स्थिति है।

अब उन्होंने उन विदेशियों को पकड़ कर बाहर निकालने की जिम्मेदारी ली है और इसी लिए वे संगठनात्मक कार्य शुरू किये हैं। एक गुप्त परिपत्र केवल असम के सभी घटकों को ही नहीं बल्कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी जारी किया गया है। हमारे पास उस परिपत्र की सत्य प्रतिलिपि है। इस परिपत्र को हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा 31 मई, 1980 को सभा के समक्ष रखा गया था। उसके अनुसार "एक गुप्त समाज जिसमें विभिन्न स्तर पर भूमिगत हेडक्वार्टर एवं एक व्यक्ति के नेतृत्व में कठोर अनुशासन एवं नियमाचार हों ऐसे समाज का निर्माण करना है।

उन आसामी राजनीतिज्ञों, सरकारी कर्मचारियों, शोषकों इत्यादि को चुनना, जिन्होंने इस समाज के हितों के विपरीत काम किया है। उन गैर आसामी राजनीतिज्ञों, दलालों एवं सरकारी कर्मचारियों, शोषकों को चुनना इत्यादि। उनके स्थानीय जांच के लिये तारीख निश्चित करना।

मैं सबको नहीं पढ़ रहा हूं मैं सम्बन्धित मांग को ही पढ़ रहा हूं। आगे यथा बनारपुर से लुन्डीन्ग तक "रेल यातायात को ठप्प करना और—उत्तर कचार जिला को सड़क यातायात साधन से जोड़ना।"

आगे कहा गया है :

"लुमडिंग का सब तरफ से मलग णलग करदें।"

बंगलादेश के मुसलमानो को आसाम को मुस्लिम राज्य बनाने का विचार छोड़ देना चाहिए। उन्एं अलीगढ़, जमशेदपुर भगडे में रात ही में हुए उपद्रवों एवं राष्ट्रीय स्वयं सेनक संघ उनके विरुद्ध कार्यवाहियों को याद रखना चाहिए !

आगे कहा गया है :

राज्य सरकार की नौकरियों के लिए बंगालियों की भरती बंद की जानी चाहिए। रेलवे, बैंको, बीमा निगम, डाक व तार, थाम उद्योग, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निजी प्रतिष्ठानों में लगे बंगालियों को अलग किया जाय।

विश्वविद्यालयों, कालेजों तथा शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे बंगाली विद्यार्थियों का बाहर भेजा जायें। बंगली दुकानों से आवश्यक वस्तुए न खरीदी जायें। कलकत्ता से छपने वाले समाचार पत्रों का प्रसारण बंद हो। आसाम की सवि गृहों में बंगाली फिल्मों का प्रदर्शन रोका जायें।

बंगाली पाकिटों और औद्योगिक क्षेत्रों कस्बों में, बंगलादेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं पर आसामी पुलिस नियुक्त की जाये।

विदेशियों को वापस भेजा जाये-हिन्दुओं को मेघालय में डकवी पुलिस पोस्ट के मार्ग से तथा मुसलमानों को गोलकगंज पुलिस पोष्ट के मार्ग से बाहर भेजा जाये। हमें थाई बौद्ध सांस्कृतिक समितियों से मैत्री विकसित करनी चाहिए।"

हर कोई जानता है कि या सी० आई० ए० का संगठन है, वे प्रचार कर रहे हैं कि मूलतः पूरा आसाम हिन्द-चीन का भाग था तथा उनका थाईलेंड के साथ सांकृतिक संबन्ध था। समाचार पत्रों में छपा है कि अमरीकी राजदूत तथा कलकत्ता के अमरीकी कौंसल बार बार आसाम गये। यह भी खबर छपी थी कि थाईलेंड के राजदूत आसाम तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र गये।

सभापति महोदय : यह यात्राएं कब शुरु हुईं" ?

श्री समर मुखर्जी : यह समाचार पत्रों में छपा था। गृह मंत्री ने भी इकसा उल्लेख किया। मुझे ठीक तारीख याद नहीं। आसाम का पूरा प्रशासन संघर्ष परिषद् द्वारा चलाया जाता है। उत्तरे पूर्व सीमान्त रैलवे के मुख्य प्रबन्धक के अपने कर्मचारियों से काम लेने के लिये परमिट लेना पडा यह समस्या है। बड़े अधिकारी तथा सरकारी कर्मचारीरयों के लिए तथा पूरा प्रशासन इसमें पूरी तरह संबन्ध है। वस्तुनः पूरा प्रशासण ही इस आन्दोलन से संबद्ध है।

सभापति महोदय : राज्यपाल की क्या स्थति है ?

श्री समर मुखर्जी : राज्यपाल भी। इस आन्दोलन से संबद्ध व्यक्तियों के नाम मेरे पास हैं। सबसे पहला नाम राज्यपाल का है। मैंने इसे पढ़ा नहीं।

सम्पादकों के सम्मेलन का एक शिष्टमंडल आसाम गया था और उनका एक वक्तव्य हाल ही में छपा है। उसमें कहा गया है कि आन्डोलन कतई अहिंसक नहीं है तथा यहां सभी गैर-आसामी लोगों के विरुद्ध है। पीपल्स यूनियन आफ सिबिल लिबर्टीज ने भी वहां यात्रा की तथा उन्होंने भी एक प्रतिवेदन पेश किया है।

एक माननीय सदस्य : आपका क्या सुझाव है ?

श्री समर मुखर्जी : आपको पहले आन्दोलन के स्वरूप को समझना होगा। ऐसे ही सुझाव नहीं आ सकेंगे। वे आन्दोलन के स्वरूप में ही उत्पन्न होंगे। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि पूरे भारत का इस प्रकार की विघटनकारी कार्यवाही के विरोध में एक हो जाना चाहिए। आसाम के लोगों को पूरी स्थिति तथ्यों सहित समझानी चाहिए क्योंकि उन्हें एक पक्षीय वृत्तान्त मिल रहा है।

श्री जगदीश टाइटलर : जो जिम्मेदार हैं उन्हें दण्डित किया जाना चाहिए।

श्री समर मुखर्जी : अल्पसंख्मको की सुरक्षा की गारंटी केन्द्री सरकार द्वारा ही जानी चाहिए। जब दंगे होते हैं, तो अल्पसंख्यकी की बगैर सेन्य के कोई भी सुरक्षा नहीं कर सकता। हमारा यही अनुभव है। जब इतने सारे लोगों को कत्ल कर दिया गया है, तो सेना को वापस बुला लेने पर उनके जीवन को कौन बचायेगा ? मृतकों के शव मिले हैं। एक चाय बागान के श्रमिक का शव बरामद हुआ है। जब भी दंगे होते हैं, तो सेना को उनको रोकने के लिए बुलाया

जाना चाहिए। स्वयं गृह मंत्री के अनुसार आसाम की पुलिस लोगों की हत्या कर रही है अथवा मार रही है। बिजली में आगजनी हुई। लोग चाहते हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन्होने उन अधिकारियों के नाम बताये हैं जो इसके लिये जिम्मेदार हैं। मेरे पास उन नामों की सूची है। वहां पर न्यायिक जांच की जानी चाहिए और जो व्यक्यि इसके लिये जिम्मेदार हैं उनको कठोर दण्ड देना चाहिए।

अब प्रश्न यह है कि लोगों की शिकायतों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? यह एक राष्ट्रीय मसला है। सरकार को आसाम के विकास—बेरोजगारी के प्रश्न तथा पिछलेपन को दूर करने के मामले की ओर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि उपयुक्त आयोजन का क्रियान्वयन हो तो समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। लोगों की उचित शिकायतों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसा वातावरण तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें बातचीत की जा सके। वे अपनी शिकायतों को बतायें, तथा सरकार को उन शिकायतों को दूर करने के लिये सुझाव रखने चाहिए। यह एक बहुत ही गभीर-प्रश्न है। अब यह एक राष्ट्रीय मामला ही नहीं बलिक अन्तराष्ट्रीय मसला हो गया है। प्रतिक्रियावादी एजेन्सिया अनुचित लाभ उठा रही हैं। वे आन्दोलन को घ्रणित उद्देश्यों के लिये उपयोग में ला रहे हैं। वे भारत को, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को विघटित करना चाहते हैं। हमारी पार्टी भारतीय एकता के सिद्धान्तों पर विश्वास करती है। इसी कारण से हमारी पार्टी के लोगों पर आसामियों द्वारा हमला किया गया है। श्री हीरोन गोहेन, जो गोहाटी विश्वविद्यालय में रीडर हैं उनसे नहीं बच सके। वह भारत की अखंडता तथा एकीकरण के लिये दृढ़ता से डटे रहे। उन पर हमला किया गया है। एक उपन्यासकार श्री निरुपमा बारगोहेन पर भी हमला किया गया है श्री नन्देश्वर तालुकदार, जिन्होने प्रधान मंत्री द्वारा बुलाये गये पहले सम्मेलन में भाग लिया था, का घेराव किया गया था। वह संसदीय चुनाव के लिए एक उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना चाहते थे। इन लोगों ने उन्हें नामाकन पत्र न भरने पर बाध्य किया। अतः इस प्रकार के आक्रमण चल रहे हैं। विधान सभा के सदस्य भी उनके लक्ष्य हैं। उनका घेराव किया जाता है। उन्हो ने आसामवासियों से कहा है कि जब ये लोग सड़क से गुजरें तब उन पर थूकें। वे घृणा उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वे कुछ मनोवृत्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं। इस प्रकार के सभी तथ्य आ रहे हैं।

अत्यन्त महत्वपूर्ण बात यह है कि आसामियों को बताया जाना चाहिए कि पूरा भारत उनकी समस्या को समझता है। जिस उद्देश्य के लिए आन्दोलन शुरू किया गया था उस मामले पर पूरे देश का ध्यान आकृष्ट हो गया है और भारत सरकार क्रियाशील है। हम उनकी धीमी गति से संतुष्ट नहीं है।

समस्या यह है कि अभी भी लोग आसाम छोड़कर पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। लगभग 6000 से 7000 लोग जा चुके हैं जोंकि अब जा रहे हैं। जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती और भी अधिक लोग पश्चिम बंगाल को पलायन करेंगे।

पश्चिम बंगाल इससे बहुत अधिक चिन्तित है। आप पश्चिम बंगाल की आसाम से तुलना करें। पश्चिम बंगाल के 60% कामगर गैर-बंगाली हैं। यदि हममें भी उसी प्रकार की प्रतिक्रिया होती तो पश्चिम बंगाल की स्थिति भिन्न होती। पश्चिम बंगाल में हम सभी राष्ट्रीयताओं, भाषाई एकता और राष्ट्रीय ग्रुपों की एकता पर दृढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि भारत की एकता की रक्षा

तभी की जा सकती है जब सभी ग्रुपों को आश्वासन मिल जाता है कि उनकी भाषा और संस्कृति की रक्षा की जायेगी। उसके लिए लोकतन्त्र के और विस्तार की आवश्यकता है। परन्तु दुर्भाग्य से इस आन्दोलन का नेतृत्व ऐसे व्यक्तियों के हाथों में चला गया है जो ऐसे तत्वों द्वारा चलाया जा रहा है जिनके निहित स्वार्थ हैं। एक समाचार है कि मारवाड़ी व्यवसायी भारी धन दे रहे हैं···

सभापति महोदय : आप आधा घण्टा बोल चुके हैं। कृपया समाप्त करें।

श्री समर मुखर्जी : मैं समाप्त कर रहा हूँ। इस बात का कोई आधार नहीं है कि आसाम की संस्कृति को आच्छादित किया जा रहा है। 1979 की जनगणना के आकड़ों से भी पता चलता है कि बंगालियों की संख्या केवल 12 प्रतिशत है। इसलिए उनका यह तर्क बंगालियों की संख्या बढ़ जायेगी आधारहीन है।

सभापति महोदय : आप समाप्त नहीं कर रहे। आप नया तर्क दे रहे हैं।

श्री समर मुखर्जी : दुर्भाग्य से मेरे भाषण के समय ऐसा व्यक्ति पीठासीन है जो इस महत्वपूर्ण वाद-विवाद में बार बार व्यावधान डाल रहा है।

सभापति महोदय : मैं आपसे सहमत हूं। यदि आप इस आसन पर बैठेंगे तो आप भी ठीक यही करेंगे।

श्री समर मुखर्जी : मैं इतना दखल नहीं दूंगा। कम से कम मैं तो बहुत कम दखल देने वाला व्यक्ति हूं।

परिस्थिति इस प्रकार की है कि भारत भर में राष्ट्रीय चेतना और जनमत जागृत करने की आवश्यकता है ताकि इन नेताओं को आन्दोलन वापस लेकर बातचीत के लिए बाध्य किया जा सके।

माध्यम वर्ष के बारे में वास्तविकता पर ध्यान देना चाहिए। जब इस बारे में सहमति से विचार किया गया था। आसाम के नेता उपस्थित थे तथा उन्होंने भी उस पर ध्यान दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि सभी विदेशी नहीं हैं तथा जनसंख्या का बहुत बड़ा अंश असामियों का है जोकि बहुत पहले वहां बसे थे इसलिए इस बारे में सामान्य रूप से सहमति है, बेशक श्रीवाजपेयी की पार्टी के प्रतिनिधि सहमत नहीं हुए। उस सहमति का वस्तुपरक आधार था। विदेशियों के मामले का निपटारा करते समय उसे समझ लेना चाहिए। परन्तु आन्दोलन अब विदेशियों तक ही सीमित नहीं है अब उन्होंने खुली घोषणा की है 'हम चाय और प्लाईवुड आदि नहीं देना चाहते। मेरे पास तनसुकियां के सम्मेलन में 2 मई को पास किए गये प्रस्ताव की प्रति हैं। उन्होंने आन्दोलन के नेताओं के आह्वान का विरोध विरोध है। नेताओं की मांग है कोई प्लाईवुड बाहर नहीं जानी चाहिए। 20000 श्रमिक इस कार्य में लगे हैं यदि इसे लागू किया जाता है तो सभी फैक्ट्रियां बन्द हो जाएंगीं तथा उन्हें भूखे मरना पड़ेगा। अब लोगों का अति कटु अनुभव हो रहा है क्योंकि सारी अर्थ-व्यवस्था खतरे में पड़ गई है। प्रशासन कार्य नहीं कर रहा। वास्तवित प्रशासग आन्दोलन के नेताओं द्वारा चलाया जा रहा है। अपने कटु अनुभव से इनको पता लग जायेगा कि इस आन्दोलन को जारी रखना आसामियों को हित में नहीं होगा और यह पूरे देश की एकता के हित में भी नहीं है। इसलिए समझ-बूझ से कार्य लिया जाना चाहिए।

समाप्त करने से पूर्व मैं यह करना चाहता कि छः महीने के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।

श्री सन्तोष मोहन देव (सिलचर) : सभापति महोदय, मैं आसाम में छः महीने के लिए राष्ट्रपति शासन के बढ़ाये जाने का समर्थन करता हूं। प्रारम्भ में ही मैं आसाम के इन भाषाई अल्पमतों को तथा उन राजनीतिक दलों के नेताओं को धन्यवाद देता हूं जो हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी का आमन्त्रण स्वीकार करके आसाम की समस्याओं का समाधान करने के लिए यहां पर आये। मुझे उम्मीद है कि वह समझ-बूझ का उपयोग करते हुए इस राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान खोजने में हिस्सा लेंगे जो पूरे नूर्वी भारत के लिए विशेष रूप से आसाम के लिए ज्वलन्त प्रश्न बनी हुई है। इस समय आसाम आन्दोलन ऐसे उच्च वर्गों जैसे ब्राह्मण, कायस्थ कलीटास लोगों के हाथ में है। हमें इस पर गहराई से विचार करता है कि क्या वे वास्तविक रूप से आसामी हैं। यदि आप आसाम के इतिहास पर दृष्टि डालें तो आप देखेंगे कि कचारिया, माराऊ छुटिया, बोडो, मिफिर, रावा अहोपण आदि ही वास्तविक रूप से आसाम के निवासी हैं। अहोम 1228 में थाईलैण्ड से आसाम आये थे। उन्होंने 1838 तक आसाम पर राज्य किया। उन्होंने हिन्दू धर्म को स्वीकार कर लिता। वे आकर आसाम में बस गये और उन्होंने आसाम में सिव सागर जिले में अपना राज्य स्थापित कर लिया।

बंगाली सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि वर्तमान नेता जिन्होंने इस आन्दोलन की मुख्य रूप से योजना बनायी है, मूलतः पश्चिम बंगाल के नाडिया जिले से आये थे। यदि आप उनके उप-नामों को देखें, तो वे गोस्वामी, शर्मा, भट्टाचार्य, नन्दोपाध्याय आदि हैं। अब वे अपने को आसाम के मूल निवासी होने का दावा करते हैं और मूल आसामी लोगों को विदेशी कहा जा रहा है। आदिवासियों को भी विदेशी कहकर बुलाया जा रहा है। वे कहते हैं कि कछारिया, त्रुटिया, बोडो, मिकिल और रावा भी आसाम के निवासी नहीं हैं। आखिरकार ऐसा दिन आयेगा जब हमारे मित्र इस समय आन्दोलन करने वाले चटर्जी, ब्राह्मण, कायस्थ, कालिता तथा अन्य लोगों को, जिन्होंने मुख्य रूप से आसाम में इस आन्दोलन की योजना बतायी है बंगाल वापस जाना होगा क्योंकि 40% भाषायी अल्पसंख्यक लोग घुटने नहीं टेकेंगे और वैसी बातों को स्वीकार नहीं करेंगे जैसाकि कुछ मिनट पूर्व श्री बीजू पटनायक ने भी कहा है, हम भारत के नागरिक हैं और कोई भी व्यक्ति हमारे नागरिता के अधिकार को ले लेने के लिए हमें धमकी नहीं दे सकता।

मैं प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी को जिन्होंने दृढ़ता से हमारा साथ दिया है, अवश्य ही धन्यवाद दूंगा। मैं उन सभी राजनीतिक दलों का कृतज्ञ हूं जिन्होंने इस समस्या का समाधान करने के लिए हमारा समर्थन किया है। मुझे आशा है कि वे सदैव हमारा साथ देते रहेंगे। हम इस आन्दोलन को अहिंसात्मक ढंग से चलाएंगे।

यह आन्दोलन आठ महीने से चल रहा है। किसी ने इस आन्दोलन को आरम्भ किया? क्या आसाम के लोगों ने इस आन्दोलन को शुरू किया है? नहीं यह वही लोग हैं जो धरना दे रहे हैं, बन्दों का आयोजन कर रहे हैं और जिन्होंने तेल क्षेत्रों को बन्द कर दिया है। अधिकारी प्रातः कानून और व्यवस्था की ड्यूटी पर जाते हैं। उसी कार में उसकी पत्नी धरना देने तथा उसका पुत्र संग्राम के लिये अंशदान एकत्र करने के लिये जाते हैं।

यदि आप जून, 1979 से लेकर अब तक इस आन्दोलन के रिकार्डों का अध्ययन करें, तो आप यह पायेंगे कि प्रत्येक मास के प्रथम सप्ताह के दौरान वे आन्दोलन को समाप्त करने के लिये प्रधान मंत्री अथवा किसी राजनीतिक दल के नेताओं को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने राजकोष से अपना वेतन लेना होता होगा, हालांकि वे पूरे महीने कोई काम नहीं करेंगे वे बन्दों और हड़तालों का आयोजन कर रहे हैं, और सरकार से धन प्राप्त कर रहे हैं। इन 8 महीनों में आन्दोलन कर्त्ताओं के साथ प्रधान मंत्री ने 8 बैठकें तथा गृह मंत्री ने 4 बैठकें की हैं और मुझे यह मालूम नहीं है कि अधिकारियों ने उनके साथ कितनी बैठकें की हैं; किन्तु वे समझौता करने के लिए सहमत नहीं हुये।

वे कहते हैं कि यह आन्दोलन अहिंसात्मक है। यदि ऐसी बात है, तो क्या मैं भारतीय जनता पार्टी तथा लोकदल से पूछ सकता हूं कि डा० अंजन चक्रवर्ती, रोबिन मित्र तथा अल्प संख्यकों को इस आन्दोलन के विभिन्न चरणों में किस प्रकार हत्या कर दी गयी? आसाम के भूतपूर्व गृह मंत्री, श्री एच० सायका को एक बम्ब द्वारा हत्या की जाने वाली थी। अपराधी, जिसे गिरफ्तार किया गया था, जाटियावादी दल से संबंधित है। यदि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इन हत्याओं की जाँच कराई जाती है, तो वास्तविकता का पता चल जायेगा। इस घटना की केन्द्रीय जाँच ब्यूरो से जाँच करवायी जानी चाहिये।

माननीय सदस्यों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि 26-5-80 को भाषायी अल्पसंख्यक लोग बिजली नगर में एक जलूस निकाल कर ऐसे स्थान तक गये जहां धारा 144 नहीं लगी हुई थी। ए० डी० सी०, एस० डी० सी० और डी० एस० पी० आये और उन्हें बताया कि आप आगे नहीं जा सकते, किन्तु ज्ञापन प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने ज्ञापन स्वीकार कर लिया किन्तु आन्दोलन को उकसाने के लिए लोगों को अनावश्यक रूप से गिरफ्तार कर लिया। लोगों को उकसाने का क्या कारण था? उन्होंने कहा आप कृपया इस ज्ञापन को राज्यपाल अथवा श्री सरीन के द्वारा हमारे प्रधान मंत्री को भेज दीजिये। एस० डी० सी० श्री साक्य ने गोली चलाये जाने का आदेश दिया। किन्तु ओ० सी० ने कहा, "हवाई गोली चलाओ।" किन्तु इसके पश्चात् एस० डी० सी० ने एक कांस्टेबल से एक बन्दूक छीन ली और बेनट की सहायता से ओ० सी० को घायल कर दिया। और उसने स्वयं ही गोली चलानी शुरू कर दी और भाषायी तथा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के जलूस निकालने वाले अनेक निर्दोष लोगों को घायल कर दिया, हालांकि उत्तेजना की कोई बात नहीं थी। आप यह जानकर प्रसन्न होंगे कि उस विशेष स्थान पर राजस्थान सशस्त्र पुलिस तैनात थी, किन्तु गोली चलाये जाने के आदेश प्राप्त करने के बावजूद उन्होंने हवा में गोली चलायी और जनता पर गोली नहीं चलायी। अब आसाम में पुलिस ए० ए० एस० यू० से निर्देश प्राप्त करती है। गोली चलाने के दौरान आसाम पुलिस ने 72 राउंड चलाये और लगभग 60 व्यक्तियों को मार दिया और फिर भी आसाम में उच्च अधिकारियों द्वारा पुलिस के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मैं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु न्यायिक जाँच कराये जाने की मांग करता हूं ताकि आसाम के अल्पसंख्यकों में विश्वास पैदा किया जा सके। आसाम की पुलिस इस आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रही है और वह अल्पसंख्यक लोगों के आन्दोलन को रोकने के लिये सभी प्रकार के पग उठा रही है किन्तु अल्पसंख्यकों को अपनी शिकायतों को व्यक्त करने का अधिकार है। वे आसाम की पुलिस तथा ए० ए० एस० यू० से

सभी प्रकार के विरोध के बावजूद भी ऐसा करेंगे। मैं माननीय गृह मंत्री एवं अन्य केन्द्रीय अधिकारियों से प्रार्थना करता हूं कि आसाम पुलिस को आसाम की सीमा की रक्षा करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में भेज दिया जाना चाहिये। आसाम के सभी पुलिस थानों में केन्द्रीय आरक्षण पुलिस, सीमा सुरक्षा बल तथा अन्य राज्य पुलिस बैंरोलियनों के लोगों को तैनात नियुक्त किया जाना चाहिये तथा देश के अन्य भागों से पुलिस अधिकारियों को आसाम में तैनात किया जाना चाहियें ताकि अल्प संख्यक तथा भाषायी लोग वहां सुरक्षा की भावना महसूस करें। अन्यथः चाहे कोई भी गोलमेज सम्मेलन किया जाये, कोई भी फलदायक परिणाम नहीं निकलेगा, क्योंकि वे गोल मेज सम्मेलन में हुए किसी भी समाधान को बेकार कर देंगे।

वहां और 200 अखिल भारतीय सम्वर्ग अधिकारी होने चाहिये। उन्हें आसाम के सभी जिला तथा सब-डिविजनल नगरों का प्रभार लेने के लिये तुरन्त तैनात किया जाना चाहिये।

एक श्री सरीन अथवा एक श्री राममूर्ति अथवा श्री बवेजा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते जब तक इस समय के असम प्रशासन के ढांचे में पूरी तरह परिवर्तन नहीं कर दिया जाता।

भाषायी एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्या के सम्बन्ध में हमारे मित्र श्री बीजू पटनायक ने, जो एक सम्मानीय व्यक्ति हैं—मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह मुझसे आयु में बहुत बड़े हैं और मुझसे पहले राजनीति में आये हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा है। किन्तु वह पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं पंडित पन्त द्वारा तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान को दिया गया वचन भूल गये हैं कि यदि वे विभाजन के कारण अथवा पूर्वी पाकिस्तान में किसी गड़बड़ के कारण भारत को प्रव्रजन करके आते हैं, तो उनका सदैव स्वागत किया जायेगा और उन्हें स्वीकार कर लिया जायेगा। और 1947 से लेकर भारत आते रहे। आसाम की सरकार ने आसाम में इन लोगों का पुनर्वास करने हेतु केन्द्रीय सरकार से ऋण के रूप में करोड़ों रुपये लिये और उसने उन दिनों के दौरान आसाम में इन शरणार्थियों को स्वीकार किया।

श्री जे० एन० हजारिका, जो आसाम के मुख्यमंत्री थे, ग्रंथालय में कल मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने संसदीय सचिव के रूप में इस संसद में बताया था कि आसाम में कोई भी घुसपैठिया नहीं है। जो कोई भी आसाम में आया, वह उचित माध्यम से आया, जांच चौकी के माध्यम से आया और आसाम में ऐसे सभी लोगों का पुनर्वास कर दिया गया है और आसाम में कोई भी विदेशी नहीं है। अब वह भी दावा करते हैं कि आसाम विदेशियों से भरा हुआ है।

आसाम के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री महेन्द्र मोहन चौधरी ने अपना ताम्र पत्र लौटा दिया है और कहा है कि आसाम विदेशियों से भरा पड़ा है। किन्तु 1947 से 1971 तक उन्होंने आसाम सरकार में संसदीय सचिव, राजस्व मंत्री एवं मुख्य मंत्री के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्होंने अपने समय के दौरान इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या किया ? अब वह यह कह रहे हैं कि ये सभी शरणार्थी बंगला देशी हैं। चाहे वे हिन्दू हैं अथवा मुसलमान वे विदेशी हैं। इस आन्दोलन को मूलत: ए० ए० एस० यू० द्वारा शुरू किया गया, किन्तु दुर्भाग्यवश आसाम गण संग्राम परिषद् मुख्य रूप से इसमें शामिल हो गयी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ लोक दल भी उनका समर्थन कर रहे हैं। अब आर० एस० एस० ने आसाम में सक्रिय रूप से भाग लिया

है। वे सभी छोटे बड़े स्थानों पर लड़कों को प्रशिक्षण दे रहा है और उसके द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि उसका लक्ष्य साम्प्रदायिक दुर्भावना पैदा करके आसाम से मुसलमानों को बाहर निकालने का है। यह उस पर एक कलंक है। जहां भारतीय जनता पार्टी तो राज्यों की विधान सभाओं में आसाम के सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण रखकर चुनाव लड़ा था, वहां प्रधान मंत्री ने उस सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। लोगों ने प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया और भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण को अस्वीकार कर लिया। वाजपेयीजी को व राज्यों के लोगों के विचारों को स्वीकार कर लेना चाहिये और तदनुसार अपने दृष्टिकोण में संशोधन कर लेना चाहिये। हमारे प्रधान मंत्री ने भी आसाम के सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है और तो राज्यों के लोगों ने अपना निर्णय दे दिया है। अत: आसाम की स्थिति पर समुचित परिदृश्य से विचार किया जाना चाहिये और इस आन्दोलन को बंगाली अथवा बंगाली मुसलमानों के विरुद्ध आन्दोलन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे उड़ीसा तथा बिहार से आये लोगों के विरुद्ध आन्दोलन के रूप में देखा जाना चाहिये।

जैसा कि श्री मुखर्जी ने बहुत ही ठीक कहा है कि केवल दो दिन पूर्व ए० एस० यू० से सम्बन्धित लड़को द्वारा आसाम के एक शिक्षा शास्त्री को बुरी तरह पीटा गया, क्योंकि वह इस आन्दोलन का समर्थन नहीं कर रहा था। उन विधायकों तथा संसद सदस्यों को, जिन्होंने प्रधान मंत्री का समर्थन किया है, बुरे परिणामों की धमकी दी गयी है कि उनकी हत्या कर दी जायेगी। आसाम की स्थिति ऐसी है और अभी भी वे यह कहते हैं कि यह आन्दोलन शान्तिपूर्ण है।

मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने राज्य सभा के गत चुनावों में क्यों भाग लिया और श्री विश्व गोस्वामी को चुनवाया। एक ओर तो आप मतदाता सूची का लाभ उठाते हैं और दूसरी ओर आप कहते हैं कि यह मतदाता सूची दोषपूर्ण है।

यह पूछा गया है कि आसाम की विधान सभा को भंग क्यों नहीं किया जा रहा है और विधायक अपना वेतन क्यों ले रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी से अपने सदस्यों को त्यागपत्र देने के निर्देश मिले हैं? नहीं। आसाम विधान सभा में 122 सदस्य हैं। इनमें से 51 कांग्रेस से सम्बन्धित हैं। मैं गृह मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह हमें लोकप्रिय सरकार बनाने का अवसर दें। अब आप दिल्ली से आसाम पर नियंत्रण नहीं रख सकते, क्योंकि दुर्भाग्यवश निम्न वर्ग के आसाम के अधिकारियों का एक वर्ग इस आन्दोलन से प्रभावित हुआ है और बेचारे सलाहकार उन पर नियंत्रण नहीं रख सकते। यदि आप हमें एक अवसर दें तो हम जनता के पास जा सकते हैं उन्हें सहमत कर सकते हैं और स्थिति को ठीक कर सकते हैं। पी० टी० सी० तथा स्वतंत्र विधान सभा सदस्यों की सहायता से एक लोकप्रिय सरकार बन सकती है।

यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से सांठगांठ कर रही हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति पश्चिम बंगाल का मुख्य मंत्री ही क्यों न हो। बंगालियों के रूप में हम अपने हितों की सुरक्षा के लिये बंगाल के लोगों की ओर देखते हैं।

अभी उसी दिन कलकत्ता में ए० ए० एस० यू० से एक दिन यह कह रहे थे कि कलकत्ता एक सर्वदेशीय नगर है। मैंने उन्हें बताया कि यह सही है कि कलकता सर्वदेशीय नगर है, किन्तु उसी प्रकार आसाम भी एक सर्वदेशीय राज्य है। हमने मुसलमानों को मिला लिया है। यद्यपि आसामी उनकी मातृभाषा है। क्या आप 1981 में उनसे आशा कर सकते हैं कि वे असमिया को

अपनी भाषा के रूप में घोषित करेंगे। वे कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने गोलियों और अत्याचारों का सामना किया है। आर० एस० एस० आसाम में एक ऐसी स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहा है जो कि भाषायी एवं अन्य अल्पसंख्यकों के विरुद्ध है। मैंने उन्हें बताया कि— "कलकत्ता में बैठे हुए आप यह कह सकते हैं, क्या मैं दिसपुर में यह कहने में समर्थ हो पाऊंगा? कलकत्ता और गोहाटी के बीच यह अन्तर है।" आप जो कुछ कलकत्ता में कह अथवा कर सकते हैं, उसे आप आसाम में नहीं कर सकते। जो कुछ कलकत्ता पर लागू होता है, वह विहार, उड़ीसा, पंजाब पर लागू होता है। बंगाली, उड़ीसा निवासी आदि सर्वत्र हैं। जैसा कि श्री भगत ने कहा है, बीजू पटनायक देश भर में जाकर व्यापार कर रहे हैं। उन्हें इसलिये नहीं रोका जा रहा है कि वह उड़ीसा के निवासी हैं, किन्तु वह आसाम नहीं जा सकते। एक बिहारी अथवा बंगाली आसाम क्यों नहीं जा सकता? उसी परिदृश्य से स्थिति पर विचार किया जाना चाहिये।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस मामले की ओर ध्यान दें। मेरा निवेदन है कि जो लोग उन अल्पसंख्यकों पर गोली चलाये जाने की घटना के लिए जिम्मेवार है, जो कि इस आन्दोलन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिये तथा दण्ड दिया जाना चाहिये। अन्यथा और अधिकारी भी ऐसी ही कार्यवाही करेंगे। इसकी न्यायिक जांच करवाई जानी चाहिये। जब तक यह लोग बातचीत के लिए मिल कर नहीं बैठते तब तक भाषायी अल्पसंख्यक लोग भी चैन से नहीं बैठेंगे। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आसाम अल्पसंख्यक विद्यार्थी संघ द्वारा तीन या चार दिन के अन्दर ही आन्दोलन आरम्भ किया जा रहा है। वह लोग अखिल आसाम विद्यार्थी संघ के विरुद्ध अपने उद्‌गार व्यक्त करेंगे। वह वहां की सरकार तथा उसके कुछ अधिकारियों के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे थे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो लोग 26 मई की घटना में जख्मी हुए थे, डाक्टरों ने उनका उपचार करने से इंकार कर दिया। वह उन्हें कहते थे कि आप सभी विदेशी हैं। अभी अगले ही दिन प्रधानमंत्री ने कहा था कि मलेरिया उन्मूलन के लिए डाक्टरों का एक दल दिल्ली से आसाम भेजा गया है। आपको मालूम है कि आसाम के लोगों ने तथा वहां के स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि वह भारत सरकार से आदेश नहीं लेते हैं। फिर भला वह लोग कहां से आदेश ले रहे हैं? वह लोग या तो विदेशों से आदेश लेते होंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी या लोकदल से अपने आदेश लेते होंगे। इनमें से किसी को तो यह बात स्वीकार करनी चाहिये या...

सभापति महोदय : या फिर यमराज से आदेश लेते होंगे...

सन्तोष मोहन देव : हो सकता है। मेरा निवेदन है कि आसाम आन्दोलन को उसके सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिये तथा इसे उसी के अनुसार हल किया जाना चाहिये। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं केवल एक निवेदन करूंगा कि भविष्य में यदि इस समस्या के समाधान हेतु कोई सम्मेलन हो तो उसमें अखिल आसाम विद्यार्थी संघ तथा भाषायी अल्पसंख्यकों को भी भाग लेने के लिए बुलाया जाना चाहिये ताकि वह उन्हें भी अपने उद्‌गार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो सके।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह नहीं आयेंगे।

श्री सन्तोष मोहन देव : आसाम अल्पसंख्यक विद्यार्थी संघ द्वारा अल्पसंख्यकों की भावनाओं को व्यक्त किया जायेगा।

मैं गृह मंत्री महोदय से पुनः निवेदन करूंगा कि वह वहां लोकप्रिय सरकार के गठन हेतु अवसर प्रदान करें ताकि उनके दायित्व का बोझ हल्का किया जा सके। हम आपके साथ इस दायित्व में भागीदार रहेंगे तथा देश के अन्य राजनीतिक दलों जो कि इस समस्या के समाधान हेतु हमें सहायता देने को तैयार हैं, के सहयोग से आसाम समस्या या समाधान करेंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं समाप्त करता हूं।

श्री फ्रेंक एन्थनी (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) : सभापति महोदय, मैं इस मामले में अपनी भावाव्यक्ति बहुत सशक्त शब्दों में करना चाहता हूं क्योंकि मैं किसी भी प्रकार की क्षेत्रीय-भक्ति की प्रकृति के विरुद्ध हूं। इन लोगों की सांस्कृतिक, भाषायी तथा जनसांख्यिकी पहचान के बारे में व्यक्त किये गये वैद्य भय की भावना से भी मैं अच्छी तरह परिचित हूं। परन्तु इसके साथ ही इस आन्दोलन ने, जिसके भावमय से बहुत घटिया तरीके की क्षेत्रीय भाषायी कट्टरपन को जागृत किया गया है, की समझ पाने में असमर्थ रहा हूं। जिसे कि साम्प्रदायिकता के रूप में उभारा जा रहा है। मैं यह निवेदन इस आधार पर कर रहा हूं कि इस आन्दोलन के कुछ नेताओं ने इस मामले में केवल बहुत कट्टरता ही नहीं दिखाई है परन्तु इसके साथ ही बहुत घमंडपूर्ण तथा हठीला रवैया अपनाते हुए 1951 को ही आधार वर्ष मानने पर बल दिया है चाहे इसे माने या न माने। प्रधानमंत्री ने एक से अधिक बार उनसे मिलने के लिए प्रयत्न किया है। परन्तु उन लोगों की हठ-धर्मी बढ़ती जा रही है और आन्दोलनकारियों का कहना है कि वह स्वयं ही निर्णय करेंगे कि विदेशी कौन है और इससे भी बदतर बात यह है कि यदि आवश्यक हुआ तो उनका निर्वासन भी आन्दोलनकारियों द्वारा स्वयं किया जायेगा। मैं यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि उनका यह रवैया केवल गैर-जिम्मेदाराना ही नहीं अपितु उनकी अपरिपक्वता, पागलपन तथा अपराधिता का द्योतक है।

कुछ पराजित दलों ने नैराश्यवादी रवैये की बात समझी जा सकती है क्योंकि वह तो किसी भी मुसीबत से लाभ उठाना चाहते हैं। परन्तु इस प्रकार के प्रक्कथन की यह आन्दोलन केवल अहिंसावादी ही नहीं अपितु देशभक्ति से परिपूर्ण भी है, एक ऐसा असत्य है जिसे प्रमाणित किया जा सकता है। यह आन्दोलन आरम्भ से ही हिंसात्मक रहा है। मुझे याद है "स्टेट्समैन" अखबार में समाचार छपा था मैं बारपेटा तथा नालबारी में अनेक मांगों पर आक्रमण किया गया; लगभग 4,000 बंगालियों को वहां से भागना पड़ा; वह आसाम में शिविर में चले गये; कुछ भाग कर पश्चिम बंगाल चले गये जिसके फलस्वरूप बंगाल के लोगों की भावनाओं का उभरना स्वाभाविक ही था। आरम्भ से ही अनेक लोगों को मौत के घाट उतारा जाता रहा है। मेरे विचार से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों का एक दल वहां गया था और उसने वहां की स्थिति का अध्ययन करने का प्रयत्न किया था। उनका कहना था कि इस बात का पता कभी नहीं लग सकेगा कि कितने लोगों को मारा गया है। परन्तु फिर भी उन्होंने कुछ आंकड़े दिये और उनके उस समय जब कि यह आन्दोलन आरम्भ हुआ था के आंकड़ों के अनुसार भी 90 लोगों को मारा जा चुका था।

इसके उपरान्त वहां काफी उत्साहित करने वाली घटना घटी, वहां के भाषायी अल्पसंख्यकों ने बजाये घुटने टेक कर मरने के, डटकर खड़े होकर इसका मुकाबला करने का निर्णय किया। मैं आसाम के अनेक लोगों से मिला हूं, जो मंत्री भी रहे हैं और प्रमुख वकील भी—मैं उनका नाम

नहीं लेना चाहता—और कुछ ऐसे लोगों से भी मिला हूं जो केन्द्रीय सरकार में कार्य कर रहे हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि वहां वास्तविक स्थिति क्या है ? जब से अल्पसंख्यकों ने लड़ने तथा मरने का निर्णय कर लिया है तब से वहां हिंसा बढ़ गई है । अतः यह दावा कि यह आन्दोलन देश भक्ति से ओतप्रोत है, केवल कपटपूर्ण ही नहीं अपितु निंदनीय विकार मात्र है ।

श्री वाजपेयी यहां बैठे हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और जनसंघ ने इस मामले को जो रूप देना चाहा है, उसे भी मैं समझ सकता हूं । यह उनके दर्शन के अनुरूप ही हैं—मैं समझता हूं कि उनके किसी पदाधिकारी ने ही ऐसा कहा था—कि केवल वही लोग विदेशियों को भारत किसी भाग में रहने देना चाहेंगे जो कि देशभक्त नहीं हैं । मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आवश्यक सप्लाई लाने ले जाने को जानबूझ कर बन्द कर देना, क्या इसी का नाम देशभक्ति है ? तीनों तेल-शोधन कारखाने बन्द कर दिये गये । मेरे पास आंकड़े हैं । मैं यह तो नहीं जानता कि वह ठीक है या नहीं परन्तु यह आंकड़े मुझे श्री पी० सी० सेठी ने दिये थे; इनके अनुसार 1000 मीट्रिकटन मिट्टी का तेल तथा 1500 मीट्रिक टन डीजल जो प्रतिदिन आना था, बन्द कर दिया गया । इससे कुल मिलाकर लगभग 600 करोड़ रुपये की हानि हुई । परन्तु इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को जो आघात पहुंचा उसका तो अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता परन्तु पूर्णतया लड़खड़ा गई है । मैं यह पूछता हूं : क्या सरकारी कर्मचारियों का किसी आन्दोलन में शामिल होकर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को रोकना, जिस पर कि सम्पूर्ण राष्ट्रीय जीवन निर्भर करता हो, देशभक्ति कहा जा सकता है ? क्या उन्हें यह अधिकार दिया जा सकता है कि वह आंदोलन में शामिल हो और आज ही यह मांग भी करे कि उन्हें मुअत्तल न किया जाये ? क्या उन्हें इस प्रकार के कार्य करने के बाद भी वेतन प्राप्त करने का अधिकार देना चाहिये ? क्या यह पूर्णतया घातक सिद्धान्त नहीं है ? मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जनसंघ इस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों द्वारा जीवन-चयन लाइन को बन्द किये जाने का समर्थन किस प्रकार कर सकता है । इसे तो सम्पूर्ण देश के विरुद्ध युद्ध कहा जा सकता है । आसाम में जो कुछ हुआ है उसे केवल पागलपन ही नहीं कहा जा सकता, वह तो देशद्रोह है । एक वकील होने के नाते मैं जानबूझ कर ऐसा कह रहा हूं और इसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा ।

वह भारत-विरोधी भावना खुले रूप से दिखाई देती है और अलहदगी का खतरा सदा बना हुआ है । उन्होंने जो अपनी आधारमूल भावनाओं की जो अभिव्यक्ति की है, जरा उसकी ओर ध्यान दीजिए । मुझे बताया गया है और मैं समझता हूं कि यह सच ही है कि उन्होंने ऐसी बैठक में भाग लेने से इंकार कर दिया जिसमें कि उनकी अपनी भाषा का दुभाषियां न हो । यह लोग हैं, सम्भवतः यह सभी भारतवासी हैं और भारत के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने के लिए अपने द्विभाषियों के होने की शर्त लगा रहे हैं । इनके प्रथक एकतावादी स्वरूप का भला इससे बड़ा और स्पष्ट प्रदर्शन क्या हो सकता है ? आरम्भ से ही उनका रवैया प्रथक एकतावादी रहा है और वह सदा ही संयुक्त मोर्चे के लिए खतरा बना रहे हैं । दुर्भाग्यवश उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में, विद्रोहियों का क्षेत्र रहा है और अब इस बात का भय और बढ़ गया है कि वह लोग उनके साथ शामिल हो जायेंगे और आसाम को भी अपनी प्रथक्कतावादी प्रयत्नों का अड्डा बना लेंगे । आरम्भ से ही उन लोगों का हठधर्मी तथा कट्टरता पूर्ण रहा है जिससे कि उनकी आधारभूत भावेना ही लक्षित होती रही है ।

मैं समझता हूं कि सम्भवतः इसका उल्लेख किसी ने नहीं किया है । दुर्भाग्यवश आसाम का

इतिहास भाषायी-भक्ति का इतिहास रहा है और उसी के कारण ही मेघालय टूटकर अलग हो गया। जहाँ तक मुझे स्मरण है वहाँ 1950 में भी हत्याकांड हुआ था और यह हत्याकांड भारतीय मुसलमानों के खिलाफ हुआ था। उन्हें देश से बाहर निकाला गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। उनका प्रमुख उद्देश्य आसाम को एक-भाषी बनाना था और इसीलिए वहां आसाम राजभाषा अधिनियम का भी डटकर विरोध किया गया।

मैं अनेक आसामवासियों से मिल चुका हूं। एक सज्जन—जो कि अच्छे वकील हैं तथा किसी समय केन्द्र में मंत्री भी थे—ने मुझे बताया कि यह लोग अपने आपके लिए यह झूठा दावा कर रहे हैं कि वह आसामी नहीं हैं। वास्तविक मूल आसाम वासियों को विदेशी माना जा रहा है।''' (व्यवधान) मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं बतलाना चाहता क्योंकि कई बार उसका नाम सरकार में शामिल करने के लिए किया जाता है।

अतः मैं यह कहना चाहता था कि वह आसाम को एक-भाषी क्षेत्र बनाना चाहते हैं; वह राज्य पुनर्गठन आयोग की शर्तों को लागू करना चाहते हैं। आप में से किसी को याद होगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा था—उन्हें इसे विकसित माना जाये या नहीं—कि केवल उन्ही राज्यों को एक-भाषी राज्य माना जा सकता है जहाँ के 90 प्रतिशत लोग एक भाषा विशेष ही प्रयोग करती हो। अतः वर्तमान प्रथककतावादी आन्दोलनवासियों का अब यह दोहरा प्रयास है कि एक तरफ आतंक पैदा करके आसामी लोगों को यह घोषित करने पर बाध्य कर दिया जाये कि वह गैर-आसामी है। गैर-आसामी से तात्पर्य यह है कि उनकी मातृ भाषा आसामी नहीं है और फिर उसके उनकी हत्या कर दी जाये या उन्हें बाहर ढकेल दिया जाये।

श्रीमानजी एक दिन आसाम में 1951 की मतगणना के एक अधीक्षक का वक्तव्य मैं पढ़ रहा था। उसने अपने वक्तव्य में कहा है कि आसामियों की भाषायी कट्टरपन की भावना के पीछे उनके खतरनाक उद्देश्यों के परिणाम स्वरूप आसामी भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के प्रतिशतता में कमी हुई है। यही कारण है कि वह 1951 को ही आधार-वर्ष मानना चाहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्हें 1951 की उनकी मिली भगत के साथ तैयार की गई जनगणना के आंकड़ों से लाभ हो जायेगा। जैसे कि मेरे मित्रों ने बताया है, अब वहां से 40 लाख लोगों को निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है। मेरे मित्र का कहना है कि इनकी संख्या 60 से 70 लाख हो सकती है। इनमें लगभग 6 या 7 लाख मुसलमान लोग भी होंगे।

मैं जनसंघ के समर्थन को समझ सकता हूँ, क्योंकि जहां कहीं मुस्लिम विरोधी बात होती है, वे भागकर पहुँचते हैं। आज जो हम देखते हैं क्या वही उनका वर्तमान लेबल है? मैं जनता लेबल को भूलना चाहता हूं क्योंकि वे अपने आपको भारतीय जनता कहते हैं जो आर० एस० एस० जनसंघ का समानार्थी है। वे भागकर इस लिये पहुँचे हैं क्योंकि यह केवल मुस्लिम विरोधी आन्दोलन ही नहीं बल्कि यह मुख्य रूप से बंगालियों के विरोध में है। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि उन्होंने आसाम राज्य भाषा अधिनियम का विरोध किया क्योंकि इस अधिनियम के अन्तर्गत, जैसे कि आपको याद होगा, बंगाली भाषा को कचार के लिये राज्य भाषा बनाया गया था किन्तु ये पृथकतावादी भाषायी कट्टरपंथी असम वासियों ने बंगाली भाषा को आसाम में कभी भी राज्यभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया। क्योंकि वहां बंगाली बड़ी संख्या में बस गये हैं और उन्होंने योगदान दिया है—वे मुख्य लक्ष्य बन गये हैं। जैसे कि मेरे मित्र ने कहा है कि वहां बिहारी और मारवाड़ी भी

हैं। नेपालियों के बारे में क्या कहा जाय ? कोई आदमी दूसरे दिन मुझसे आसाम गोरखा सम्मेलन से मिलने आया। उन्होंने कहा कि नेपालियों ने आक्रमण नहीं किया है। वे वहां गये हैं। उन्हें वहां आमंत्रित किया गया है और वे विशेष अनुमति के साथ गये हैं। वे भी आज आक्रमण के लिये लक्ष्य बने हुये हैं। तत्पश्चात मैं यह कह सकता हूं कि किसी ने इस तरह विचार नहीं किया है क्योंकि यह मात्र लापरवाही नहीं बल्कि संविधान के सहारा लेकर 1951 को आधारवर्ष बनाने के लिये अज्ञानतापूर्ण बकवास है संविधान में क्या है ? प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 में निहित है। अनुच्छेद 11 संविधान की अवधि को नागरिकता के सम्बन्ध में कम करता है। संविधान केवल 1-3-1947 और 26-1-1950 के बीच की अवधि से नागरिकता का उल्लेख करता है। उसके बाद की नागरिकता संसदीय विनियमन के द्वारा निर्धारित होती है और संसद में 1955 के अधिनियम को पारित किया है। मेरे मित्र श्री वाजपेयी के लाभ हेतु मुझे 1955 के अधिनियम को बताने दीजिये। इसमें वे सभी प्रावधान अभिहित जिनकी आवश्यकता सभ्य देशों को है। कोई भी व्यक्ति जो 26-1-1950 के बाद पैदा हुआ है वह भारतीय है बशर्ते कि उसके पिता विदेशी राजदूत न हों और न ही विदेशी शत्रु हो। उन भारतीय मुस्लिमों का क्या होगा जिन्हें 1950 के वृहत जनसंहार के दौरान खदेड़ दिया गया था निश्चित रूप से वे भारतीयों के रूप में वापस आयेंगे और निश्चित ढंग से उनके बच्चे भारतीय होंगे।

श्रीराम जेठमलानी (बम्बई उत्तर पश्चिम) : आपने नागरिक अधिनियम को पढ़ा ?

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैंने उतने ही अधिक मामले निपटाये हैं जितने कि उन्होंने मुझे मालूम है कि मेरा मित्र तस्करों के मामलों की पैरवी करते हैं। मैं भी उनकी पैरवी करता हूँ। मुझे यह बताने दीजिए कि मैंने पिछले दिनों एक मुसलमान के मामले की पैरवी की थी और मेरी जीत हुई। मुझे पता चला कि केन्द्रीय सरकार इसका निर्धारण करेगी…(व्यवधान)

अब वे यह कहते हैं कि कुछ 1951 के नागरिकता का रजिस्टर निर्धारक घटक होगा। सभापति महोदय आपको भारत में किसी ऐसे रजिस्टर का ज्ञान है जो सिवाय दिखावे के कुछ हो। हम करोड़ों रुपये निर्वाचन सूची पर व्यय करते हैं। मुझे याद है कि राजेन बाबू प्रेसीडेंट की हैसियत से मुझे बता रहे थे। देखिए मेरा नाम निर्वाचन सूची में नहीं है। मेरे जैसे आदमी का तो नहीं है तो औरों का क्या है। पिछले समय मेरा नाम निर्वाचन सूची में नहीं था। 35 साल से मैं संसद में था और मेरा नाम निर्वाचन सूची में था।

मैं हमेशा प्रमाणित प्रतिलिप-लेना। पिछले समय मैंने देखा कि मेरा और मेरी पत्नी के नाम नहीं थे। तब मैंने अपने मित्र श्री शक्धर को फोन किया। उन्होने निर्वाचन अधिकारी को कहा परन्तु उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तीन बार तक मैंने कोशिश की फिर मेरे नाम को निर्वाचन सूची में नहीं शामिल किया गया था।

ये लोग 1951 के अस्पष्ट नागरिक रजिस्टर के बारे में बात करते हैं। क्या होगा जब उत्तरप्रदेश भी आसाम की नकल करेगा और कहेगा कि "हम पश्चिमी पंजाब से प्रत्येक हिन्दू जो पंजीकृत नहीं है उसे लातमारकर बाहर निकालेंगे ?" कौन पंजीकृत है ? वे दिल्ली के उच्चन्यायालय में केवल पंजाबी बोलते हैं—इतना नही। वे पंजाब से खदेड़े गये सभी हिन्दू हैं। उनमें किसी के पास भी पंजीकृत भारतीय होने का दस्तावेज नहीं है। उत्तर प्रदेश भी लाखों पंजाबी हिन्दुओं को

बाहर कर सकता है। यदि वे उन्हें पंजीकरण के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहें। ये अपरिपक्व युवक अब यह कहते हैं कि 1951 के नागरिक रजिस्टर निर्धारक दस्तावेज होगा। फिर आप नागरिकता कैसे समाप्त करेंगे ? किसकी नागरिकता आप खतम करने जा रहे हैं ? यह जटिल प्रक्रिया है और दिल तोड़ प्रक्रिया है। जैसे कि मैंने अपने मित्र श्री जेठमलानी को बताया कि इसका निर्धारण केवल केन्द्रीय सरकार करेगी कि कौन नागरिक है और कौन नहीं है ? आप इस नागरिकता के मामले को किसी आसाम के अधिकारीपर छोड़ सकते। मैं इसे सलाह के रूप मे इसलिये कहता हूं कि मैं भी इसी रोग से पीड़ित हूं। मुझे असम के एक व्यक्ति ने बताया कि उच्चन्यायालय के न्यायधीश से लेकर कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं हो सकता। यह एक वरिष्ठ व्यक्ति ने बताया। उन सब पर दवाव है। उनकी औरतें, पुत्रियों एवं पुत्रों को डराया धमकाया जाता है। वे निष्पक्ष होने की हिम्मत नहीं कर सकते। उन्होने यह मुझे बताया। वह एक आसामी है। वह एक आदरणीय एवं बहुत योग्य वकील हैं उन्होने कहा कि 10 आसाम के छात्र 10,000 मुस्लमानों को अपने घुटने पर रख सकते हैं क्योंकि पूरा आसामी प्रशासन पुलिस सब कुछ उनके पीछे है।

सभापति महोदय : मैं जानता हूं कि आप उस व्यक्ति का नाम बतायेंगे तो उनका जीवन खतरे में पड़ जायगा।

श्री फ्रैंक एन्थनी : उन्होने कहाकि वे मुकरेंगे नहीं क्यों कि वे उन को भावनाओं को जानते हैं और वे कांग्रेस के आदमी नहीं हैं।

इसलिये मैंने जैसे कहा सभापति महोदय कि जो हुआ है वह दुखद है। प्रधानमंत्री बहुत हद तक समझौते के विचार से इन लोगों से मिलीं और मुझे कोई संदेह नही कि वे जल्दी से समाधान ढुढ निकालेंगी। परन्तु जैसा कि मैंने कहा उनका भय वैधानिक हो सकता है उससे आप भ्रमित न होइए। कुछ लोगों ने मेरे साथ दोपहर का भोजन किया था, अधिकारी, जो यहां से गये थे, उन्होंने मुझे बताया कि वहां कानून और व्यस्था कायम करनेमें बहुत समय लगेगा कार्य है। 70% असम वाले लोग जिसमें आसामी भाषा बोलने वाले लोग है वे इस आन्दोलन के पक्ष में नहीं हैं। यह आन्दोलन डरा धमका कर चलाया जा रहा है जिसे प्रधान मंत्री दूर करेंगी। प्रधानमंत्री का देश के लिये यह कर्तव्य है। चूंकि देश एकता एवं धर्मनिर्पेक्षिता की भावना को मानता है। इसके लिये उन्हे दृढ़निश्चयी होना चाहिये। इन लोगों के सम्बन्ध में कोई शंका नहीं है। उनमें से कुछ लोगों में राज्यद्रोह की भावना थी स्वीकार किया है और भाषायी भावना को भड़काया है। परन्तु मुझे कोई शक नहीं कि पूरा देश और आसाम के लोग बहुमत में सरकार के द्वारा कड़ी कार्यवाही का समर्थन करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : सभापति महोदय, जितनी भी चर्चा यहां हो चुकी है— मैं इसलिए इसमें भाग ले रहा हूं चूंकि यहां उपस्थित कुछ मित्रो ने अभी बोलना है—उससे यही पता चलता है कि इससे सम्बद्ध मुख्य मामलों पर इस सदन में पर्याप्त अंश तक सहमति हैं। अब तक श्री बीजूपटनायक ने एक प्रकार की असंगत बात ही कही है और मेरे विचार से यह कहना गलत न होगा कि जो कुछ हम प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं उससे ही अनुमान लग जाना है कि भारतीय जनता पार्टी और स्वयं जनता पार्टी के मेरे मित्रों की भावनाएं सदन के अन्य

लोगों की भावनाओं से मेल नहीं खातीं और इस बात का खण्डन करना या स्पष्टीकरण देना उनका काम है।

असम का यह आन्दोलन अब उस अवस्था तक पहुंच चुका है जहां हमें गम्भीरता से यह विचार करना होगा कि इसको समाप्त किस प्रकार किया जाए। अब तो यही वास्तविक समस्या है। इसे अनिश्चितकाल तक चलते नहीं रहने दिया जा सकता। इसे चलते 9 मास बीत चुके हैं, जिससे देश की राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता के समस्त ताने-बाने को असीम हानि तथा नुकसान पहुंचा है। विभिन्न राज्यों में अब ऐसे अशुभ-चिन्ह दिखाई देने लगे हैं जो कि और कुछ न हो कर जो कुछ असम में घट रहा है उसके प्रतिक्रियास्वरूप ही हैं, और इन क्रिया-कलापों को जितना जल्दी हो सके दबाना ही अच्छा है, इससे पहले कि ये और आगे पनपे।

मेरे नगर कलकत्ता में तो आप गलियों में दिवारों पर ऐसे नोट लिखे पायेंगे जिनमें कहा गया है कि यदि असम में बंगालियों को शान्तिपूर्वक नहीं रहने दिया जाता अथवा उन्हें बाहर निकाला जाता है तो हमें बादला अवश्य लेना होगा और यह देखना होगा कि गैर-बंगालियों को बंगाल से निकाल बाहर किया जाए। लोगो का इसमें है और कुछ ताकते सक्रिय हैं और इस प्रकार की चीजों को भडकाने की कोशिश कर रही हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जहां तक पश्चिमी बंगाल का सम्बन्ध हैं, जो कुछ घट रहा है उसके बावजूद, तथा सभी प्रकार की उन भावनाओं और न्यायसंगत भावनाओं के बावजूद जो कि पनपी हैं और इस सच्चाई के बावजूद के 4000 या 500 नहीं बल्कि लगभग पूरे 10,000 लोग आजकल उत्तरी-बंगाल के अलीपुर द्वार में शरणार्थी केम्पों में रह रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बंगाल के लोगों की लोक तान्त्रिक और धर्मनिरपेक्ष परम्पराएं और वहां चल रहे आन्दोलन में जिसमें निश्चय ही वामपन्थी शक्तियां पर्याप्त बलवान हैं, सभी प्रकार की उत्तेजना के बावजूद—प्रान्तीयता के इस केन्सर का दंग करने की बिल्कुल भी अनुमति नही देंगी। परन्तु यह स्थिति है बहुत भयानक।

महोदय मैं एक या दो बातें और कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उन सभी कारणों पर दृष्टिपात नहीं करूगा जो अन्य मित्रों द्वारा उठाए जा चुके हैं। मैं इस आन्दोलन के भागले को आपके सामने रखने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। मैं इसमें और कुछ नहीं जोड़ना चाहता। इससे अब हर कोई पूर्णतया परिचित हो चुका है।

सभापति महोदय : पुनरावृत्ति से बचना होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जहां तक सम्भव हो एक प्रश्न तो पूछना ही होगा। सम्पूर्ण विनम्रता से मैं यह कह रहा हूँ कि जो लोग इस आन्दोलन को संचालित और परिचालित कर रहे हैं, उनसे इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर पूछना चाहिए कि क्या वे उन गैर-आसामियों को भी जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत के अन्य राज्यों के रहने वाले हैं, विदेशी मानते हैं या नहीं ? उन्हें इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देना चाहिये। उन्होंने अपने प्रेस वक्तव्य में और वे बार-बार कहते रहे हैं कि उनका आन्दोलन केवल विदेशियों के ही विरुद्ध है। परन्तु पुनरावृत्ति से बचने के लिए मैं केवल इतना ही बता रहा हू कि जो कुछ अब तक हुआ है, वह एकदम से उनके इन वक्तव्यों के बिल्कुल विपरीत है। जितने लोग मारे गये है उनमें से, जिनके साथ मारपीट हुई है और जिनके घर आदि जला दिये गए हैं आदि आदि में से असली अर्थो में कितने व्यक्ति विदेशी थे। वे सभी हमारे अपने देश के लोग थे। अतः उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए।

असम के लोग भी अन्य राज्यों में गये होंगे । ऐसी बात तो नहीं है कि जैसे वे इस आन्दोलन को असम तक ही चला रहे हों । यह तर्क दिया जाता है कि असम में न्यायसंगत भय व्याप्त है, शंका फैली है कि हो सकता है भविष्य में असम में असमी अल्पसंख्या में रह जाएं—किसी समय हो सकता है उनकी संख्या नगण्य हो जाए और विदेशियों का बहुमत हो जाए – यह उनके भय का मुख्याकार है । श्री पटनायक ने भी कहा है कि वहां 40 लाख या 50 लाख विदेशि हैं । मैं नहीं जानता कि उन्हें यह बात कैसे मालूम हुई । किसने इस संख्या को सिद्ध किया है ? कुछ भी हो मैं उसकी बात नहीं करता, परन्तु यदि इसे तर्क के लिए मान भी लिया जाए कि उनकी शंका उचित है, फिर उस समस्या के क्या आयाम हैं इस बात का पता लगाना होगा । परन्तु मान लीजिये उनकी शंका न्यायोचित है तो फिर मनीपुर की शंका क्या है ? मिजोरम की शंका क्या है ? मेघालय की क्या शंका है ? मेरे विचार से वहां गैर-मनीपुरियों का प्रतिशत मनीपुरियों की तुलना में मुश्किल से छः या सात से अधिक न होगा । फिर यह क्या कि समस्त क्षेत्र में एक नारा बुलन्द किया जा रहा है, एक ही मांग की जा रही है कि इन विदेशियों को निकाल बाहर करो ? हाल ही में इम्फाल और मनीपुर के अन्य भागों में की गई कार्यवाही को देखकर बड़ा दुःख हुआ । इन कार्यवाहियों में जो लोग मुख्य रूप से शिकार हुये—उनमें एक भी विदेशी नहीं था—वे सभी हमारे देश के अन्य प्रदेशों के लोग थे फिर चाहे वे बिहारी रहे हों, पंजाबी रहे हों, बंगाली या ऐसे ही कुछ लोग क्यों न रहे हों । इन्हीं को, जो भी भयाक्रान्त होकर अपने घरों को भागे उन्हें लूटा गया और जलाया गया । अतः वक्तव्यों और घोषणाओं में विरोधाभास हैं । उन्होंने बार-बार यही कहा है कि वे तो विदेशियों के विरुद्ध हैं, भारतीयों के विरुद्ध नहीं हैं । परन्तु हकीकत में जो कुछ घटा है वह कुछ और ही है । इसके शिकार तो भारत के अन्य भागों से आए हमारे अपने ही लोग हुए हैं ।

कुछ भी हो, मैं यही कहूंगा कि मैं यह नहीं सोचता कि असम और मनीपुर आदि के लोग हमारे शत्रु हैं । वे हमारे अपने आदमी हैं और जो मारे गए हैं वे सब हमारे भाई-बहन हैं । हो सकता है कुछ ताकतों ने उन्हें कुछ समय के लिए गुमराह कर दिया हो । हमें उन्हें फिर से अपनी राष्ट्रीय धारा में मिलाना होगा । हमें उनके समझौते के लिए कार्य करना होगा । हमें इस समस्या को हल करना होगा । निश्चय ही मैं श्री पटनायक से सहमत हूं यदि यही सब कहने से उनका मतलब है कि गोलियों से समस्या को हल नहीं किया जा सकता । इसे केवल सैन्य बल से ही हल नहीं किया जा सकता और सम्भवतः ऐसा किया भी नहीं जा सकता । कोई भी इसे समझ सकता है, यह तो आम समझ की बात है । अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना अलग बात है । वह केवल असम पर ही लागू नहीं होता । अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात तो वास्तव में देश को किसी भी भाग में उठ सकती है । सेना को भी कठोर उपाय या कार्यवाही करनी पड़ती है । कभी-कभी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सेना को भी यह करना पड़ता है । मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि देश के लिये किसी भाग में भी अल्पसंख्यकों के जीवन और सम्पत्ति को खतरा होता दिखाई दे तो यदि आवश्यकता पड़े तो बन्दूक की गोलियों का भी सहारा लिया जा सकता है और लेना चाहिए, परन्तु आप इस असम समस्या को अब केवल सेना, बन्दूक की गोलियों आदि से हल नहीं कर सकते । आप लोगों के विरुद्ध मशीन-गन का प्रयोग नहीं कर सकते । इससे तो स्थिति और पेचिदा हो जायेगी । अतः बात-चीत द्वारा समझौते के अतिरिक्त अब और कोई चारा नहीं है और मेरे विचार से वही रास्ता अपनाया भी गया है । हम सभी को बातचीत द्वारा

समझौते पर जोर देना चाहिये। (व्यवधान)

मेरे विचार से वहां सेना के होने और कवायद करने तो मामला दब नहीं पायेगा।

एक माननीय सदस्य : श्री पटनायक ने कहा तो है कि सेना को वहां क्यों होना चाहिए ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं नहीं चाहता कि सेना वहां दमनचक्र चलाए, परन्तु यह इस देश का एक उत्तेजित सीमा क्षेत्र है और बहुत से लोगों ने वहां सक्रिय और स्थिति का लाभ उठाने का प्रयत्न करती हुई विदेशी एजेंसियों का ज़िक्र किया है। सभी जानते हैं कि भारत से अलग होने और भारत को एक विदेशी देश बताने वाला साहित्य कैसे वितरित होता है। मैं अनुभव करता हूं कि चाहे सेना भी वहां रहे, अन्ततः समस्या का समाधान बातचीत और विचार-विमर्श द्वारा ही निकल सकेगा। और तो कोई मार्ग है ही नहीं। मामला बहुत गम्भीर हो चुका है। इसे सैन्य-बल से नहीं कुचला जा सकता। मेरे विचार से प्रधान मन्त्री भी ऐसा कोई विचार नहीं रखतीं। सम्पर्क स्थापित करके बातचीत द्वारा कुछ न कुछ हल निकाला जा सकता है। उस समझौते के क्या सिद्धान्त होने चाहिये ? मैं किसी प्रकार का समझौता सूत्र बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूं।

असम में रह रहे विदेशियों के बारे में अनेक वक्तव्य जारी किए गए हैं। कुछ में उनकी संख्या पचास लाख तक गिनाई है और कुछ का कहना है कि वहां एक भी विदेशी नहीं है। मुझे नहीं पता कि वहां कितने विदेशी हैं। परन्तु अब हम इस प्रश्न की अनदेखी नहीं कर सकते कि कुछ लोग जो भारतीय नागरिक नहीं हैं और जो अवैध रूप से पूर्वी-पाकिस्तान या बंगला देश में घुस आये हैं और वहां बस गए है उनको किसी तन्त्र द्वारा ढूंढ़ निकालना होगा और एक प्रक्रिया इसमें अपनानी होगी जो हर सम्बद्ध व्यक्ति का विश्वास जीत सके। इस प्रकार का तन्त्र और प्रक्रिया लागू करनी होगी जिसमें दोनों ही ओर से जो कि एक-दूसरे के विरुद्ध हैं विश्वास प्रकट किया जाए। उसको सरकार को तैयार करना होगा।

महोदय, दूसरी बात यह है कि आप उन लोगों का क्या करेंगे जिन्हें आप विदेशी करके ढूंढ़ निकाला है। इस वक्त मैं कुछ भी उपाय बताने की स्थिति में नहीं हूं। कुछ को यदि वे चाहें तो भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है जिसके लिए प्रावधान है। कुछ राज्यविहीन व्यक्ति हो सकते हैं। एक और अन्य श्रेणी जिनको देश से बाहर निकाला जाना चाहिये। लेकिन निकाला कहां जाए। मैं नहीं जानता कि क्या राष्ट्रपति जिया-उल-रहमान यह कहकर हम पर अहसान करेंगे कि आप उनमें से कुछ लाख लोगों को सीमा पर ले आइये और मैं उन्हें स्वीकार कर लूंगा। हमें अव्यावहारिक विचारों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। पहला काम तो इन लोगों का पता लगाना है और उस आधार को तैयार करना है जिस पर उन्हें विदेशी वर्गीकृत किया जाये। उनमें से कितने भारतीय नागरिक बन सकते हैं ? कुछ लोग भारतीय नागरिता प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र देने के इच्छुक होंगे। उन्हें भारतीय नागरिक बना लेने में कोई हानि नहीं होगी। कुछ राज्य-विहीन हो सकते हैं। 1971 के बाद आने वाले जिन लोगों से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो यह भी आपको ही देखना होगा कि उन्हें निर्वाचित कैसे किया जाए। इसका उपाय तो आपको ही खोजना होगा।

ऐसी मशीनरी तथा प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए जो इन दोनों मन्तव्य वालों का समन्वय कर सके जोकि यह मानते हैं कि बहुत से विदेशी वहां पर हैं तथा दूसरे जो यह मानते हैं कि इस

स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर बताता जा रहा है। एक स्वाभाविक निष्पक्ष मशीनरी गठित की जानी चाहिए। श्रीमान हमारी न्यूनतम मांग यह है कि किसी भी भारतीय को जो देश के किसी भी भाग का रहने वाला हो, तंग न किया जाए और उस पर किसी भी प्रकार हमला न किया जाए - इस स्थिति को सहन नहीं किया जा सकता। उससे यह देश खत्म हो जाएगा यदि एक बार सरकार इस बात को आसाम के लिए संगत मान लेती है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है कि वह देश के किसी भी भाग में यात्रा करे, कहीं भी जाकर रोजगार प्राप्त करने का अधिकार ही हमारी राष्ट्रीय एकता का आधार है और यदि इस आधार को ही समाप्त कर दिया जाता है तथा नागरिकों को यह सुविधा नहीं दी जाती और उन्हें बाहर जाने पर तंग किया जाता है तब अखंड भारत और भारत माता की बात समाप्त हो जायेगी इसलिए राष्ट्र विरोधी आन्दोलन के दबाव में न आते हुए दृढ़तापूर्वक अलगाव के सिद्धान्त को ठुकरा देना चाहिए।

अब मैं इस प्रश्न को लेता हूं। इसके लिए दो-तीन मिनट से पर्याप्त होंगे समाचार-पत्रों में छपा है कि गण-संग्राम समिति अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस को बुलाना चाहती थी ताकि आसाम आन्दोलन की वास्तविक स्थिति तथा विदेशियों की समस्या प्रकाश में आ जाये। गण-संग्राम समिति मानती है कि भारतीय प्रेस आन्दोलन का एकपक्षीय बिगड़ा हुआ रूप पेश करती है इसलिए विदेशी प्रेस को अवसर दिया जाये। यह मांग इतना जोर पकड़ गई कि आन्दोलन के नेता श्री गोलन बोरबारा ने, संसद के प्रथम दिन सत्याग्रह की चुनौती दी थी, उन्होंने भी यह वक्तव्य देना पड़ा।

'भारतीय प्रेस ने आसाम आन्दोलन को काफी स्थान दिया है। कुछ समाचार-पत्रों में पत्रिकाओं ने आन्दोलन का समर्थन किया। अन्यों ने इसकी आलोचना की। परन्तु अधिकांशः उसे काफी और सन्तुलित महत्व मिला।

उन्होंने यह भी बताया 'वर्तमान आन्दोलन का मामला देश का आन्तरिक मामला है। मुझे समझ में नहीं आता विदेशी प्रेस को बुलाकर इसको अंतर्राष्ट्रीय रूप क्यों दिया जा रहा है।

रिपोर्ट में निहित है।

'उन्होंने परिषद के वक्तव्य को निन्दनीय बताया।

इस प्रकार श्री गोलब बोरबोरा, जिनकी कि आन्दोलन के प्रति पूरी सहानुभूति थी— (व्यवधान) परन्तु परिषद के लोग पूरे मामले का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं।

श्रीमान, गुडमैन अथवा गोडमैन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। परन्तु मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उस व्यक्ति को क्षेत्र में जाने का परमिट क्यों दिया गया। मैं नहीं जानता कि वह हमें बता सकता है कि वह न केवल आसाम में अपितु मेघालय और उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र के अन्य भागों में भी घूमता रहा है, वह विभिन्न लोगों से मिला आसाम छात्र संघ के कार्यालय गया मेघालय छात्र यूनियन के कार्यालय शिलांग गया और वापस आया और अब शायद वह काठमांडू चला गया है जहां से वह अपने क्रिया-कलाप जारी रखता है। वह निःसन्देह विद्रोही है। मुझे पता नहीं है एक विदेशी को क्षेत्र में घूमने की अनुमति क्यों दी गई।

सभापति महोदय : वह व्यक्ति कौन है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मिस्टर गुडमैन अथवा गोडमैन शायद उसके पास परमिट था अथवा नहीं। यदि परमिट था तो वह क्यों दिया गया ? यदि परमिट नहीं था तो उसे बिना परमिट

घूमनें क्यों दिया गया ? इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाना चाहिए । एक मामले का पता लग गया है, अन्य भी मामले हो सकते हैं···

यदि वे उत्तर-पूर्व क्षेत्र की वर्तमान बिगड़ी हुई स्थिति से लाभ नहीं उठा रहे हैं तो मुझे बहुत हैरानी होगी । मैं और श्री वाजपेयी उनके चातुर्य की दाद देंगे । हमने देश के विभिन्न भागों में सी० आई० ए० का कार्य देखा है । यदि वे ऐसी स्थिति से लाभ नहीं उठाते तो वे कब कार्य करेंगे । जैसा कि पहले भी कहा गया है हमारी गुप्तचरी ऐसी होनी चाहिए कि ऐसी बातें प्रकट हो जायें ।

आज समाचार पत्रों में श्रीमती इन्दिरा गान्धी को गलत रूप से उद्धृत किया गया है । कल उन्होंने अपनी संसदीय पार्टी में कहा बताया गया है कि कुछ लोग समझते हैं कि इस आन्दोलन में विदेशियों का हाथ है । परन्तु सरकार के पास कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है । उसी समाचार पत्र में हमारे अखिल भारतीय समाचार सम्पादक सम्मेलन में गृह मंत्री के वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कहा है—यह उन्होंने पहले संसद में भी कहा था···

एक माननीय सदस्य : उन्होंने आज भी कहा है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विदेशी हस्तक्षेप के प्रमाण हैं । मैं समझता हूँ कि प्रधान मंत्री तथा गृहमंत्री के वक्तव्यों में अन्तर नहीं होना चाहिए ।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : हमारे वक्तव्यों में अन्तर नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप अपनी बात कर रही हैं कि उनकी बात कर रही हैं ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : में दोनों की बात कर रही हूं ।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि अब आप अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अब समाप्त करूंगा क्योंकि मैं दुहराना नहीं चाहता कि यह आन्दोलन क्या है ? श्रीमान, मेरी पार्टी के पांच सदस्य एक बंगाली तथा चार आसामी इस आन्दोलन में मारे गये हैं मैं उनके नाम बता सकता हूँ । बहुत से पार्टी सदस्यों पर हमला हुआ तथा चोटें आयीं ।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि पार्टी के साथ सम्बन्धित होने के कारण नहीं मारे गये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : परन्तु क्या यह सच नहीं है कि गैर आसामियों को ही मार रहे हैं ।

सभापति महोदय : यह सही है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उत्तर कामरूप जिले के मालवाड़ी स्थान पर जो नर-संहार हुआ उसकी हर व्यक्ति की अलग अलग रिपोर्ट है। परन्तु हमें रिपोर्ट मिली है कि तालवाड़ी दुर्घटना में कम से कम 500 व्यक्ति मारे गये । उन उपद्रवियों को किन लोगों ने ट्रक लारियां तथा अन्य सवारिया दीं तथा उनको इन क्षेत्रों में भेजा । ऐसे व्यक्तियों का बाल भी टेढ़ा नहीं हुआ । वे लोग बहुत चतुर हैं ।

अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमें यह बात अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि समस्या का समाधान बातचीत के अलावा भी सम्भव है । भारत सरकार को सिद्धान्तों पर दृढ़ रहते हुए भी बातचीत करनी चाहिए ।

पिछले सत्र के अन्त में गृह मंत्री ने सभा को बार बार आश्वासन दिया था 1971 को आधार वर्ष मानने से वह पीछे नही रहेंगे। मेरा किसी आधार वर्ष के लिए कोई विशेष आग्रह नहीं है। उन्होंने कहा था बैठक में तय किये गये 1971 को आधार वर्ष मानने के निश्चय से वे पीछे नहीं हटेंगे। परन्तु संसद के स्थगित होने के दो दिन बाद ही असाम के राज्यपाल ने आन्दोलन के नेताओं से प्रस्ताव किया आप 1967 को क्यों नहीं मान लेते ? आप 1951 को छोड़ दो हम 1971 को छोड़ देते हैं। इस बात को कमजोरी माना गया। उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। आज भी वह यही कहते हैं कि 1951 से कम वे कुछ नहीं सुनेंगे।

वही लोग जो कहते थे कि वे द्विभाषाके बिना कोई भाषा नहीं बोल सकते परन्तु बाद में पता चला कि उन्हें अंग्रेजी तथा अन्य कोई भाषा नहीं आती। मुझे पता नहीं है कि उनके वक्तव्यों के प्रारूप कौन तैयार करता है। सन्देह है कि ऐसे छात्र इन वक्तव्यों को तैयार कर सकते हैं जोकि प्रतिदिन अंग्रेजी में छपते हैं। कोई अत्यन्त सक्षम व्यक्ति उनके प्रारूप तैयार करता है। उनकी रचना अति श्रेष्ठ होती है। इस प्रकार बहुत से व्यक्ति इस आन्दोलन से संबद्ध हैं।

मैं समझता हूं कि अखिल आसाम छात्र संघ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उनकी मात्र एक ही रुचि है कि विदेशियों को पहचाना जायें तथा उन्हें निकाला जाये। परन्तु वहां पर आन्दोलन में भव्य व्यक्ति भी हैं जिनके उद्देश्य भिन्न हो सकते हैं। उनके उद्देश्य राजनीतिक हो सकते हैं तथा वे आन्दोलन को पथभ्रष्ट कर सकते हैं परन्तु हमारा उनके साथ कोई सरोकार नहीं हैं उन्होंने यही बात कही है। मैं नहीं जानता कि यह स्थिति सही है अथवा गलत। यदि सही है तो मैं छात्रों को बधाई देता हूं, वे कम से कम अपने को अन्य तत्वों से पृथक करने को तो तैयार हैं, जिनके उद्देश्य खतरनाक और राष्ट्र विरोधी हो सकते हैं। मैं नहीं मानता कि छात्र राष्ट्र विरोधी हो सकते हैं। वे किसी बात के लिए आन्दोलित हो सकते हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि वे समझ जायेंगे कि उन्हें अन्य शक्तियों द्वारा अपने उद्देश्यो के साधन के रूप में प्रयोग न किया जा सके। यदि ऐसा हो तो यह बहुत अच्छी और स्वस्थ बात होगी। और निश्चय ही वार्तालाप एवं बचर्चा के द्वारा हमें स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए तथा शीघ्र समझौते की चेष्टा करनी चाहिए। इस मामले पर देश को वार्ता द्वारा समझौते की तैयारी करनी चाहिए। कम से कम इस मामले पर अधिकतर राजनीतिक दलों में वार्ता द्वारा समाधान के बारे में सहमति है। परन्तु समझौता सिद्धान्तों पर ही होना चाहिए। विदेशियों की आड़ में उनको हर किसी पर, चाहे वे बंगाली हों अथवा बिहारी जो भारत के अन्य राज्यों से आये है उन पर आक्रमण करने का अवसर नहीं देना चाहिये। इसे सहन नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है कि हम उसे रोकने में असमर्थ हैं।

भारतीयों को मारने के लिए सेना भेजी जा रही है, क्या सेना मानीपुर में कुछ कर सकी। सैंकड़ों लोग मनीपुर से भाग गये। क्या वे विदेशी थे ? वे विदेशी नहीं थे। परन्तु मैं सोचता हूं कि सेना को भी ऐसा आदेश नहीं दिया गया था। जैसे "जब आप ऐसी स्थिति देखें तब अपनी मशीनगन चालू कर प्रत्येक व्यक्ति, पुरुषों और स्त्रियों को गोली से मार दें।" मैं नहीं चाहता कि वे सारे ऐसा करें।

आप इस समस्या का निराकरण लोगों के खिलाफ शस्त्रों के प्रयोग द्वारा नहीं कर सकते हैं। यह सत्य है। सेना को देश की सीमा सुरक्षा को भी देखना है।

यह तो सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए। अब समय आ गया है जब कि इस सम्पूर्ण पागलपन को समाप्त किया जाना चाहिए। सरकार को बातचीत आरम्भ करने के लिए नए सिरे से पहल करनी चाहिए और ठोस सिद्धान्तों के आधार पर कड़ा रवैया अपनाते हुए हमें इस मामले का समाधान सदा के लिए कर देना चाहिए। यह केवल एक राज्य या एक समुदाय दो-दो समुदायों की समस्या नहीं है। आज तो हमारे देश का सम्पूर्ण भविष्य, स्वतन्त्रता, एकता और अखडंता दाव पर लगी हुई है। हमें उसके लिए एक जुट होकर कार्य करना चाहिए।

श्री पी० ए० संगमा (तुरा): आज आसाम तथा देश के उत्तरपूर्वी क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है, वह एक ऐसी असाधारण स्थिति है जिसका उदाहरण देश में कहीं अन्य देखने को नहीं मिलता है। अनेक माननीय सदस्य जो पहले बोल चुके हैं, उन्होंने इस बात की आशंका व्यक्त की है कि यदि यह स्थिति आसाम में चलती रहने दी गई, तो इसकी भारी प्रतिक्रिया होगी और देश के अन्य भागों में भी इसी प्रकार के आन्दोलन आरम्भ किये जाएंगे। किसी सदस्य ने इस बात का उल्लेख भी किया था कि अब उड़ीसा, बंगाल तथा बिहार जैसी कुछ अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए जा रहे हैं। मैं इन से भी कुछ आगे बढते हुए यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की भावनाओं की प्रतिक्रिया केवल हमारे देश में ही नहीं अपितु इनकी प्रतिक्रिया अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में भी हो सकती हैं। इस आन्दोलन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। परन्तु मैं यह चाहता हूं कि सदन इस बात को महसूस करे कि उत्तर पूर्व क्षेत्र में कौन सी भावना कार्य कर रही हैं। इस समस्या को केवल अलग से आसाम की समस्या मात्र कर ही नहीं समझा जाना चाहिए, अपितु इस समस्या को सम्पूर्ण उत्तर पूर्व क्षेत्र व्यापक सन्दर्भ में समझा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए : आज उत्तर पूर्व क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण बात देखने को मिल रही है वह यह है कि वहां एक नया राजनीतिक दृष्टिकोण देखने को मिल रहा है। मैं सदन का ध्यान उनके द्वारा दिये गये इस वक्तव्य विशेष की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं उन लोगों का कहना है कि उनका राष्ट्रीय दलों में कोई विश्वास नहीं है; क्योंकि राष्ट्रीय दल समस्या का समाधान नही कर सकते। परन्तु यदि दल आन्दोलन को मेघालय में देखे जो कि मेरे ही राज्य में आता है या उसे अरुणाचल प्रदेश में देखे तो हमें पता चलेगा कि यह एक ऐसा आन्दोलन है जिससे राष्ट्रीय राजनीतिक दल सम्बद्ध है परन्तु फिर भी वह दल क्षेत्रीय दलों को अपने मोहरे के रूप में प्रयोग कर रही है। इसीलिए मेरा कहना यह है कि हमारे क्षेत्र में राजनीतिक स्तर पर एक बहुत बड़ी विचार धारा सामने आ रही है।

वहां विचारधाराओं का संघर्ष चल रहा है। मनोवैज्ञानिक संघर्ष चल रहा है। वहां क्षेत्रीय वाद तथा राष्ट्रीयवाद के बीच संघर्ष चल रहा है। वहां देश से अलग-थलग रहने तथा सम्पूर्ण देश के जन-जीवन के साथ मिल-जुल कर रहने के बारे में संघर्ष चल रहा है। इसी प्रकार से वहां सुरक्षा तथा स्वतन्त्रता की विचारधारा और संस्कृति तथा आधुनिकीकरण के बीच स्पर्धा चल रही है। लोगों के लोकप्रिय नारे से जो बात सामने आती है और जिसे उत्तर-पूर्व-क्षेत्र के जीवन का ढंग कहा जा सकता है, वह यही है कि वहां के लोगों की विशिष्टता तथा संस्कृति को बनाये रखा जाये।

वहां दो प्रकार की विचारधारा चल रही है। क्षेत्रीय दलों का कहना है कि उनकी विशिष्टता को क्षेत्रीय दलों में शामिल होकर ही सुरक्षित की जा सकती है। यदि वह एक बार राष्ट्रीय दल

में शामिल हो जाते हैं तो उसमें बाहर के लोग अधिक होंगे; अधिक विदेशी आयेंगे; उनकी संख्या उनसे अधिक बढ़ जायेगी। इसलिए राष्ट्रीय दलों में शामिल होकर वह अपने आपको बचा नहीं सकती और वह अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में ऐसे नेता हैं जिनका दृष्टिकोण राष्ट्रीयवादी है और जो राष्ट्रीय दलों से सम्बद्ध हैं, और उनका कहना है कि यदि हमें अपनी विशिष्टता को बनाये रखना है, तो ऐसा हम केवल राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होकर ही कर सकते हैं क्योंकि हम स्वयं अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते और हमारी सुरक्षा के लिए कोई न कोई तो होना ही चाहिये। हमारी सुरक्षा भारत के संविधान द्वारा की जाती है। मेघालय या अन्य आदिवासी क्षेत्रों का उदाहरण लीजिये। संविधान की छटी अनुसूची में आदिवादी लोगों की सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधान है। वह लोग अपनी विशिष्टता तथा संस्कृति केवल संविधान की छटी अनुसूची के कारण ही बनाये हुए है। आज यदि संसद, जिसे कि राष्ट्रीय दलों द्वारा चलाया जाता है, संविधान की छटी अनुसूची को समाप्त करने का निर्णय कर ले तो उनकी विशिष्टता कहां रह जायेगी? क्या मेघालय या अरुणाचल प्रदेश का कोई क्षेत्रीय दल इस बात का दावा कर सकता है कि यदि संसद संविधान की छटी अनुसूची को समाप्त करने का निर्णय कर लें तो भी इन क्षेत्रों की विशिष्टता को बनाये रखा जा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए आसाम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों की जनजातियों के नेता लोगों को यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि केवल राष्ट्रीय दल में शामिल होने से ही उनका उत्थान हो सकता है। हमारे क्षेत्र की यह एक गम्भीर समस्या है। मैंने पहले बता दिया है कि चुनाव इस बात का करना है कि हम अलग से रहें या राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल हो जाएं। यदि हम अपना विकास चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास अपने इन्जीनियर, तकनीशियन, डाक्टर नहीं हैं। यदि हम विकास चाहते हैं तो हमें लोगों को बाहर से लाना होगा। यदि हम बाहर से लोगों को ले जाएं तो क्षेत्रीय दल कहेंगे; बाहर के लोग आ रहे हैं, हमारी विशिष्टता समाप्त हो रही है तथा अन्य इसी प्रकार की बातें कहेंगे। अतः हम इसी प्रकार पिछड़े हुए तथा अकेले रहेंगे या हम राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होंगे।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को छटी अनुसूची के अन्तर्गत जो सुरक्षा प्रदान की गई है, वह बहुत कारगर सिद्ध नहीं हुई है। हमने इसके बारे में राष्ट्रीय नेताओं के साथ चर्चा की है। प्रधानमंत्री के साथ तो हाल ही में हमने इस प्रश्न पर विचार किया था, प्रश्न यह है कि सुरक्षा तो है, परन्तु लोग स्वयं ही अपने आपको बचा पाने में असमर्थ है। यह तो ऐसा है जैसे कि किसी ऐसे व्यक्ति को बन्दूक दे दी गई हो, जो गोली चलाना न जानता हो। अतः राष्ट्रीय दलों के लोगों को यह बात समझ लेनी चाहिये, जो लोग देश पर शासन करते हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिये कि यदि हम आसाम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों की समस्याओं का स्थायी हल निकालना चाहते हैं, तो हमें इन लोगों को राष्ट्र की मुख्य जीवन धारा में शामिल करने के लिए ईमानदारी से प्रयत्न करना चाहिये। यदि हम क्षेत्रीयता की भावना को प्रोत्साहन दे, क्षेत्रीय दलों को पनपने का अवसर दें तो यह समस्या अस्थायी रूप से तो हल की जा सकती है परन्तु मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह इसका स्थायी हल नहीं होगा। अतः मेरा राष्ट्रीय दलों से निवेदन है कि वह इस बात को दृष्टिगत रखें। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि प्रधानमन्त्री द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लेने से कुछ दलों ने इन्कार कर दिया...

प्रो० मधु दण्डवते : मैं स्थिति स्पष्ट करते हुए यह बताता हूँ कि हमारे दल ने केवल यह

मांग की थी कि बैठक स्थगित कर दी जाये क्योंकि 31 तारीख को मतदानों की गिनती की जानी थी। इसके अन्य कारण भी थे।

श्री पी० ए० संगमा : प्रो० दण्डवते मजदूर संघ के नेता हैं, अन्य अनेक लोग ऐसे हैं जो कि मजदूर संघों के नेता हैं। हम अपने ही विनम्र ढंग से विद्यार्थी तथा युवा नेता हैं और हम भी आन्दोलनों का नेतृत्व करते रहे हैं। आन्दोलन को आरम्भ करना कोई नई बात नहीं है। यह कार्य तभी से चला आ रहा है जबकि लोकतन्त्र का जन्म हुआ था। आखिर किसी प्रदर्शन या आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ? इस प्रकार के किसी भी आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य अपनी उन समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट करने का होता है, जो हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। प्रधानमन्त्री तथा अनेक राष्ट्रीय नताओं ने बार-बार तथा स्पष्ट रूप से यह बात नहीं है; हम आसाम के लोगों की भावनाओं की सराहना करते हैं, हम उनकी समस्याओं को समझते हैं, हम उनकी समस्याओं को हल करेंगे। उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है। परन्तु इसके बावजूद भी आन्दोलन चल रहा है। अनेक सदस्यों ने राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर पड़ने वाले इस आन्दोलन के प्रभाव की चर्चा की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को इस आन्दोलन से अत्यधिक हानि हुई है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणीपुर, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा, आसाम होकर आना-जाना पड़ता है। यहां तक कि मेरे राज्य मेघालय के दो जिले पूर्व तथा पश्चिम गारो हिल्ज ऐसे हैं जहां के लिए वहां के मुख्यालय से राज्य की राजधानी तक कोई सीधी सड़क नहीं है। हमें आसाम होकर ही जाना पड़ता है। संसद के पिछले सत्र के बाद जब मैं अपने चुनाव क्षेत्र वापिस गया तो मैंने वहां के जिला प्रशासन के साथ सम्पर्क किया। उन्होंने मुझे बताया कि चावल की आवाजाबी ठीक की गई है। मेघालय राज्य दोनों गारो जिलों के लिए 137 क्विंटल अपेक्षित है। वहां डीजल नहीं है, पैट्रोल नहीं है। शिलांग से तुरा तथा तुरा से गोहाटी तक बस सेवा भी नहीं है। यहां तक कि जिले के अन्दर भी किसी प्रकार की संचार व्यवस्था नहीं है। वहां न तो बिजली है और न ही टेलीफोन संचार व्यवस्था है। डीजल की कमी के कारण सम्पूर्ण जिले में बिजली नहीं है। वहां 6-30 बजे से 9-30 तक बिजली थी। इतने कम समय में टेलीफोन एक्सचेंज की बैटरी को चार्ज कर पाना कठिन था। डाक-तार सेवा भी न के बराबर थी। यहां तक कि प्रधानमन्त्री को इस स्थिति से अवगत करवाने के लिए मुझे पुलिस तथा अन्य अर्द्ध-सैनिक संचार व्यवस्था की सहायता लेनी पड़ी किसी प्रकार की संचार व्यवस्था नहीं थी।

चीनी का मूल्य 10 रुपये प्रति किलो था। फिर भी वह बिलकुल मिल ही नहीं रही थी। नमक 6 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा था। वहां के उप-आयुक्त ने मुझे बुलाया और मेरे से कहा कि मैं अपने क्षेत्र में जाकर बताऊं कि हमारे पास केवल 1300 लीटर मिट्टी का तेल है। सम्पूर्ण जिले में परीक्षायें चल रही थीं लोग शिकायतें कर रहे थे। कानून और व्यवस्था को बनाये रखा जाना था। 1300 लीटर मिट्टी के तेल का वितरण किस प्रकार किया जाता ? हमने निर्णय किया कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन को 1 लीटर तेल दिया जायेगा और जो मात्रा बच जायेगी उसे परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को दे दिया जायेगा। यह भी मेघालय तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य लोगों की स्थिति।

विदेशियों के मामले या अन्य किसी मामले के नाम पर लोगों को भूख से नहीं मरने दिया जाना चाहिये। अत: हमें इसका हल शीघ्र निकालना होगा। परन्तु मैं पुनः इस बात पर बल देना चाहता हूं कि यह सोचना राष्ट्रीय नेताओं का काम है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को देश की मुख्य

जीवन धारा के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। 1977 से पहले के श्रीमती गान्धी के शासन के दौरान यह कार्य लगभग पूरा हो गया था। 1976 में लगभग सभी क्षेत्रीय दल इस बात पर सहमत हो गये थे और उनका भविष्य राष्ट्रीय मुख्य धारा में शामिल होने में ही सुरक्षित है। इसीलिए राष्ट्रीय दल कांग्रेस दल में विलीन हो गए। वह भी राष्ट्रीयवादी बनते जा रहे थे। परन्तु इस बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। श्री बीजू पटनायक यहां नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि उन्होंने आसाम में सेना नहीं भेजी थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया था। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। उनसे पहले जो कुछ भी किया जा चुका था, उन्होंने उसे ही समाप्त कर दिया, उनसे पहले जो कुछ बताया गया था, उन्होंने उसे धाराशाही कर दिया। जनता शासन-काल के 2½ वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में कराया सब कुछ नष्ट कर दिया गया। .. इसके लिए सभी जनता दल के नेताओं को उत्तरदायी नहीं मानता। मैं इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई को उत्तरदायी मानता हूं। वह आसाम गये और वहां के लोगों से कहने लगे कि आपको एक वर्ष के अन्दर हिन्दी सीखनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको भारत से बाहर जाना होगा। मैंने उन्हें इसी सदन में चुनौती दी थी और कहा था कि मैं आपकी हिन्दी एक वर्ष में सीख जाऊंगा बशर्ते कि आप भी मेरी गारो भाषा एक वर्ष में सीख लो। वह नागालैन्ड गये जहां उनकी मुलाकात छ: नागा नेताओं से हुई। उन्होंने उनसे पहला प्रश्न यही किया कि क्या आप भारतीय नागरिक हो? नागा लोग यह सुनकर भड़क उठे और कहने लगे वहीं हम नागा हैं। इस पर प्रधान मन्त्री ने कहा, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप बाहर चले जाइये। इसके बाद समाचार मिला कि उसने मीजो नेता लालडींगा को बुलाया। उसे मीजो समस्या के समाधान के लिए नहीं, केवल यह कहने के लिए बुलाया कि मैं आपका विश्वास नहीं करता हूं। वह लन्दन गये और फोजी से वहां मिले और उसे बताया कि वह नागाओं को बाहर निकालने जा रहे हैं। उस क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को इन बातों से जगाया गया है। उस क्षेत्र के जन-जातियों के लोगों के चरित्र की एक खास बात यह है कि उन्हें इस प्रकार दबाया नहीं जा सकता। आप कहते हैं कि अगर आप एक वर्ष में हिन्दी न सीख सके तो आपको भारत से बाहर जाना पड़ेगा। इसके लिए मैं सम्पूर्ण जनता पार्टी को दोष नहीं देना चाहता परन्तु उसके तत्कालीन प्रधान मन्त्री ने ऐसा कहा था। जो उस समय छठी लोक सभा के सदस्य थे, वह जानते होंगे कि उस समय नागालैण्ड की एक संसद सदस्या श्रीमती रादी शैंजा भी थे। वह जनता पार्टी की ही थीं। जब वह नागा समस्या के बारे में बातचीत करने के लिए प्रधान मन्त्री के पास गई तो उन्होंने कहा। आप जो कुछ मर्जी कीजिए। मैं क्षेत्र की परवाह नहीं करता। यदि आप भारत से बाहर होना चाहते है तो हो सकते हैं। आप जरा कल्पना कीजिये भारत का प्रधान मन्त्री यह शब्द कह रहा है। क्या समस्या का हल करने का यह तरीका है? राष्ट्रीय जीवन की हम इन लोगों को देश की मुख्य धारा में शामिल नहीं करते, तब तक इस समस्या का स्थाई दल खोज पाना सम्भव नहीं है।

ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि केन्द्र में बैठकर भी यह सोचते हैं कि आदिवासी लोग राष्ट्रीय दलों के एकदम विरुद्ध हैं। बात ऐसी नहीं है। मैं आरम्भ से ही अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत से ही कांग्रेस में रहा हूं। यहां तक कि उन दिनों में भी जबकि मेघालय पर क्षेत्रीय दल शासन किया करते थे, मैं लगातार कांग्रेस में ही बना रहा। गत संसदीय चुनाव के समय, असम असम और मेघालय में एक आन्दोलन चला था कि तब तक कोई चुनाव नहीं होना चाहिये, जब तक कि मतदाता सूचियों में से विदेशी नागरिकों के नाम निकाल नहीं दिये जाते। 500 या 600

व्यक्ति यह कहते हुए मेरा घेराव करने आए, "आपको अपना नामांकन पत्र नहीं भरना चाहिये।" मैंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे। मैंने पूछा कि तुम्हारी मांग क्या है ? उन्होंने कहा कि विदेशी लोगों के नाम निकाल दिये जाने चाहिये। मैंने मतदाता सूचियां उन्हें दिखाई और उन्हें बताया, "ये मतदाता सूचियां हैं। सरकार के मतानुसार जो विदेशी नागरिक हैं उनके नाम निकाल दिए गये हैं। यदि आप और कुछ विदेशी नागरिकों के नामों को निकालना चाहते हैं तो मुझे बताइये।" उनका कहना था "हम नहीं जानते।" मैंने कहा "यदि आप स्वयं ही यह नहीं जानते कि कौन विदेशी नागरिक हैं तो यह कैसे कह सकते हैं कि विदेशी नागरिकों के नाम निकाल देने चाहिए ? किसने 500 छात्रों को यह अधिकार दिया है कि वे इस चुनाव-क्षेत्र के छह लाख लोगों की ओर से बात करें यदि 6 लाख लोग यह सोचते हैं, चाहते हैं कि चुनाव नहीं होने चाहियें तो उन्हें मतदान केन्द्रों पर मतदान के लिए नहीं जाना चाहिए। यही बात मैंने अपने प्रत्येक चुनाव अभियान में कही। परन्तु मेरे चुनाव-क्षेत्र में 87% मतदान हुआ जिसमें मेरे दल कांग्रेस (ई) को 74% मत मिले। हमारी जीत न केवल प्रत्येक विधान-सभा खण्ड में हुई, अपितु समस्त मतदान केन्द्रों पर व्यवहार में हमारी विजय हुई। वे तथाकथित दल जो मेरे जिले में समस्याएं खड़ी करने का प्रयत्न कर रहे हैं और मेघालय में भी।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या उनकी जमानतें जब्त हो गई ?

श्री पी० ए० संगमा : उनकी न केवल जमानतें ही जब्त हुई बल्कि उन्हें कई मतदान केन्द्रों से एक भी मत नहीं मिला।

यह सत्य नहीं है कि आदिवासी जन राष्ट्रीय दलों को नहीं चाहते। हमारे यहां अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस (ई) की सरकार है। नागालैण्ड में गत चुनाव में, हमने जिन 32 स्थानों से चुनाव लड़ा उनमें से 15 स्थान हमें मिले। श्री जार्ज फर्नान्डोस के स्थायी रूप से वहां पड़े रहने और हर प्रकार के प्रयास बावजूद हमने संसदीय स्थान पर भी विजय प्राप्त की है।

सूचना और प्रसारण तथा आपूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : वे तो चिकमंगलूर में भी गये थे।

श्री पी० ए० संगमा : मेरी विपक्ष के लोगों को सलाह है कि यदि आप इस समस्या को हल करने के लिए मन से तैयार हैं तो वहां घट रही घटनाओं से खिलवाड़ करने का प्रयत्न न करें। समस्या को राजनीतिक रंग देने का प्रयत्न न करें। उन क्षेत्रीय भावनाओं को उभाड़ने की कोशिश न करें, प्रोत्साहित करने का प्रयास न करें जो कि वहां व्याप्त हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, तब यहां देश की अखंडता तथा राष्ट्रीय एकता के बारे में लम्बे-लम्बे भाषण देने का कोई अर्थ नहीं है। यदि आप वास्तव में ही दिल से इस ओर हैं।

6.01 म० प०

कार्य मन्त्रणा समिति

चौथा प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : मैं कार्य मंत्रण समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

6.02 म० प०

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 10 जून 1980/20 ज्येष्ठ, 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

सनलाइट प्रिंटर्स फव्वारा दिल्ली-110006